नवम माला, खंड 11, अंक 1

बुधवार, 7 नवम्बर, 1990
16 कार्तिक, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 11 में अंक 1 है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 11 चौथा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 1 बुधवार, 7 नवम्बर, 1990/16 कार्तिक, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	...	1-4
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	5-7
मन्त्रि परिषद में विश्वास का प्रस्ताव	...	8-167
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	...	9-20 और 152-156
श्री चन्द्रशेखर	...	21-27
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	...	28-33
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	33-42
श्री देवी लाल	...	33-46
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	46-52
प्रो. मधु दण्डवते	...	52-62
श्री आर. मुथिया	...	62-69
कुमारी उमा भारती	...	69-72
श्री शरद यादव	...	72-77
श्री राजीव गांधी	...	78-91
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	...	91-110
श्री जार्ज फर्नान्डीज	...	110-121
श्री नानी भट्टाचार्य	...	122-123
श्री चित्त बसु	...	123-126

प्रो. सैफुद्दीन सोज	...	126-132
कुमारी मायावती	...	132-134
श्री आरिफ मोहम्मद खान	...	134-140
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	...	140-142
श्री वामनराव महाडीक	...	142-144
श्री चांद राम	...	145-147
श्री ए. के. राय	...	147-149
श्री राम धन		149-150
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	...	166-167

खंड 11 नौवीं लोक सभा का चौथा सत्र अंक 1

लोक सभा

बुधवार 7 नवम्बर, 1990/ 16 कार्तिक, 1912 (शक)

लोक सभा 11.00 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम एक महीने से अधिक अन्तराल के बाद मिल रहे हैं, मुझे सभा को अपने 5 भूतपूर्व सहयोगियों, श्री वी. एस. इलानचेजियान, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री शशांकशेखर सान्याल, कैप्टेन विलियमसन ए. संगमा और श्रीमती विमेंद्र कौर के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री वी. एस. इलानचेजियान 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने तमिलनाडु के पुड्डुकोटई निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह 1967-76 के दौरान तमिलनाडु विधान सभा के संदस्य रहे।

वह पेशे से एक किसान थे और उन्होंने कृषि के विकास तथा समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्धार के लिए काम किया।

श्री इलानचेजियान एक योग्य सांसद थे तथा सभा की कार्यवाही, विशेषतौर पर देश के निर्धन लोगों की समस्याओं के संबंध में होने वाली चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेते थे।

14 सितम्बर, 1990 को श्री इलानचेजियान का निधन 53 वर्ष की आयु में वीरापट्टी (तमिलनाडु) में हुआ।

राजनीतिज्ञों में सर्वोत्कृष्ट और स्वतन्त्रतापूर्वक युग के राजनीतिक नेता श्री कमलापति त्रिपाठी भारत के राजनीतिक नभमंडल पर उभरे और कई दशकों तक देदीप्यमान रहे।

प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री त्रिपाठी एक योग्य सांसद तथा कुशल प्रशासक थे। वह काशी विद्यापीठ की उपज थे और किशोरावस्था में ही वह राष्ट्रपिता के विचारों से प्रभावित होकर स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने कई वर्षों तक कारावास का दण्ड भुगता।

श्री त्रिपाठी ने एक पत्रकार के रूप में अपना सक्रिय जीवन शुरू किया और 1926 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा तीन दशकों तक इसके सदस्य रहे। श्री त्रिपाठी को पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित गोविन्द बल्लभ पंत तथा डा. सम्पूर्णानन्द जैसे निर्भीक और योग्य नेताओं के नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार सम्भाला। 1969 में वह उत्तर प्रदेश के उप-मुख्य मंत्री बने और बाद में 1971 से 1973 तक उसी राज्य के मुख्य मंत्री रहे।

भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में वह हमारे संविधान निर्माताओं में से एक थे। वह संविधान अनुवाद उप-समिति के सदस्य भी थे।

श्री त्रिपाठी 1973 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 1980 तक इसके सदस्य रहे। नवम्बर, 1973 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी, 1980 से नवम्बर, 1980 तक वह मंत्रि-परिषद के सदस्य रहे। 1975-77 के दौरान रेल मंत्री के रूप में वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल सेवा प्रारम्भ करने की बात सोची उन्होंने रेल कर्मचारियों तथा प्रबन्ध के बीच औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार लाने का कार्य किया जिसकी बहुत आवश्यकता थी। वह मार्च, 1977 से जनवरी, 1980 तक राज्य सभा में विपक्ष के नेता रहे। वह 10 जनवरी, 1980 को सातवीं लोक सभा के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए 31 दिसम्बर, 1984 तक सभा के भंग होने तक इसके सदस्य रहे।

एक योग्य सांसद के सदस्य के रूप में उन्होंने अपने व्यक्तित्व की अमित छाप दोनों सदनों की कार्यवाही-राज्य सभा में विपक्ष के नेता के रूप में तथा मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में भी, छोड़ी। देश के लोगों के समक्ष समस्याओं के बारे में उनको कितनी समझ थी, दोनों सदनों के वाद-विवाद इसका साक्षात प्रमाण है। उनकी कुशाग्र बुद्धि तथा असाधारण दूरदर्शिता देशवासियों के लिए शक्ति का स्रोत थे। सभा में उनकी बात को सदैव बहुत सम्मान और ध्यान से सुना जाता था।

श्री त्रिपाठी एक सच्चे मित्र, दार्शनिक और मार्ग दर्शक थे। लोग उन्हें पिता के समान आदर देते थे और जो भी उनके सम्पर्क में आता था वह उसे नेक और उपयुक्त सलाह देते थे। जीवन पर्यन्त वह जाति, मत तथा धर्म के भेदभाव के बिना समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु काम करते रहे।

श्री त्रिपाठी संस्कृत के प्रकांड पंडित होने के साथ-साथ एक साहित्यकार भी थे। अनेक वर्षों तक वह काशी विद्यापीठ के कुलपति रहे। उनके प्रांजल और प्रवाहमय हिन्दी भाषणों को सुनने में लोगों को बहुत आनन्द आता था। वह भारतीय संस्कृति और दर्शन के पुजारी थे और खाली समय में पुस्तकें लिखते थे। उन्हें अपनी पुस्तक 'बापू और मानवता' के लिए "मंगला प्रसाद पुरस्कार" दिया गया। वह विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के भी सम्पादक रहे तथा बहुत से प्रकाशनों के प्रकाशन का उनको श्रेय जाता है।

श्री त्रिपाठी का निधन 86 वर्ष की आयु में 8 अक्तूबर, 1990 को वाराणसी में हुआ।

श्री शशांकशेखर सान्याल 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के जांगीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह 1937-45 के दौरान बंगाल विधान सभा, 1946-47 के दौरान सेंट्रल लेजिसलेटिव असेम्बली के सदस्य रहे, 1956 से 65 तक पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य तथा विपक्ष के नेता और 1970 में राज्य सभा के सदस्य रहे।

श्री सान्याल पेशे से एक वकील थे और विभिन्न शैक्षाणिक संस्थाओं के संस्थापक थे। वह दो बार 'आल बंगाल एण्ड असम लायर्स कांफ्रेंस' के अध्यक्ष चुने गये। उन्होंने वेस्ट बंगाल डेमोक्रेटिक लायर्स कांफ्रेंस' का शुभारम्भ किया और उसके बाद उपरोक्त 'डेमोक्रेटिक लायर्स एसोसिएशन' की अध्यक्षता की।

उन्होंने साम्प्रदायिकता सद्भाव बढ़ाने तथा पिछड़ी जातियो के उद्धार के लिए कार्य किया और वह गरीब तथा जरुरतमंद छात्रों को शिक्षा दिलाने में विशेष रुचि रखते थे।

वह आकाशवाणी के सुगम संगीत तथा नाटक कलाकार थे और एक उच्च श्रेणी के वाद-विवाद कर्ता (डिबेटर) थे। वह 'मेयर माया' तथा कई अन्य पुस्तकों और लघु कहानियों के लेखक थे और उन्होने कई सामाजिक एवं राजनैतिक विषयों पर भी लेख लिखे। संसद में श्री सान्याल के भाषण को बहुत ध्यान से सुना जाता था।

89 वर्ष की अवस्था में श्री सान्याल का निधन 12 अक्तूबर, 1990 को बेरहामपुर में हुआ।

कैप्टेन विलियमसन ए संगमा 1988 के उपचुनावों में मेघालय के तुरा निर्वाचन क्षेत्र से आठवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 1989 में मिजोरम के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने पर उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था।

इससे पहले कैप्टेन संगमा अनेक वर्षों तक असम विधान सभा के सदस्य रहे। वह असम मंत्रिपरिषद के भी कई वर्षों तक सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पत्रों का कार्य-भार सम्भाला।

अप्रैल, 1970 में कैप्टेन संगमा मेघालय के प्रथम मुख्यमंत्री बने और फिर 1976 तथा 1981-87 के दौरान भी वह इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व मे राज्य में उल्लेखनीय प्रगति की।

कैप्टेन संगमा ने 1942 से लेकर 1946 तक भारतीय सेना की सेवा की। असम की गारो, खासी और जयन्तिया पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों के वह सबसे अधिक लोकप्रिय नेता थे और उन्होंने मेघालय की स्वायत्तता हेतु और उसे पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बहुत प्रयतन किया।

71 वर्ष की आयु में कैप्टेन संगमा का निधन 25 अक्तूबर, 1990 को दिल्ली में हुआ।

श्रीमती निर्लेप कौर 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा के लिए पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी।

वह एक जानी मानी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने कृषि के विकास हेतु अथक परिश्रम किया और विभिन्न हैसियतों में वह अनेक सामाजिक और शैक्षणिक संगठनों से भी सम्बद्ध थी।

उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया था और वह एक योग्य सांसद थी। वह सभा की कार्यवाही विशेषकर किसानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं से सम्बन्धित चर्चा में बहुत रुचि लेती थी।

4 नवम्बर, 1990 को 63 वर्ष की अवस्था में श्रीमती निर्लेप कौर का निधन दिल्ली में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों को अपना शोक संदेश भेजने में सभा मेरा साथ देगी।

अब हम मृतकों के प्रति सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको लिखकर अनुरोध किया है कि अयोध्या में हुए शहीदों के लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मिस्टर स्पीकर सर, कश्मीर और बिजनौर में जो लोग मरे हैं उनके लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, पूरा बिजनौर तहस-नहस हो गया है।

(व्यवधान)

11.10 अ. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कर्नाटक राज्य के संबंध में उद्घोषणा इस उद्घोषणा के अनुसरण में आदेश कर्नाटक को राज्यपाल का प्रतिवेदन आदि

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 10 अक्तूबर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा जो 10 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 833 (अ) में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धि पत्र जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 1990 को अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 878 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश, जो 10 अक्तूबर के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 834 (अ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गया। देखिये संख्या एल. टी.-1550/90]

(2) कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए 10 अक्तूबर के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1551/90]

(3) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 17 अक्तूबर 1990 को जारी की गई उद्घोषणा, जो 17 अक्तूबर 1990के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 849 (अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 (2) के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के संबंध में उनके द्वारा 10 अक्तूबर, 1990 को जारी की गईउद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1552/90]

संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत अध्यादेश तथा वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1990 को वापस लेने वाले आदेश

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : महोदय, मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 15 अक्तूबर 1990 को प्रख्यापित वित्त (संशोधन) अध्यादेश 1990 (1990 का संख्या 6)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1553/90]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 15 अक्तूबर, 1990 को प्रख्यापित भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्या 7)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1554/90]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 15 अक्तूबर, 1990 को प्रख्यापित वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश 1990 (1990 का संख्या 8)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1555/90]

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 19 अक्तूबर, 1990 को प्रख्यापित राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद (क्षेत्र-अर्जन) अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्या 9) तथा उसका शुद्धि पत्र

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1556/90]

(पांच) राष्ट्रपति द्वारा 23 अक्तूबर, 1990 को प्रख्यापित राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद (क्षेत्र अर्जन) प्रत्याहरण अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्या 10)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 1557/90]

(2) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (ख) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के 16 अक्तूबर, 1990 के आदेश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण), जिसके द्वारा वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 की संख्या 6) को वापस लिया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 1558/90]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों वचनों आदि परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : महोदय, मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 27—छठा सत्र, 1986		[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1559/90]
(दो) विवरण संख्या 25—सातवां सत्र, 1986		[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1560/90]
(तीन) विवरण संख्या 25—आठवां सत्र, 1987	आठवीं लोक	[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी-1561/90]
(चार) विवरण संख्या 22—आठवें सत्र का दूसरा भाग, 1987	सभा	[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल-टी-1562/90]
(पांच) विवरण संख्या 21—नौवां सत्र, 1987		[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी.1563/90]
(छह) विवरण संख्या 19—दसवां सत्र, 1988		[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1564/90]
(सात) विवरण संख्या 16—ग्यारहवां सत्र, 1988		[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1565/90]
(आठ) विवरण संख्या 12—बारहवां सत्र, 1988		[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1566/90]
(नौ) विवरण संख्या 11—तेरहवां सत्र, 1989		[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1567/90]
(दस) विवरण संख्या 12—चौदहवां सत्र, 1989		[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1568/90]
(एक) विवरण संख्या 9—पहला सत्र,1989		[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1569/90]
(दो) विवरण संख्या 5—दूसरा सत्र, 1989	नौवीं	[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1570/90]
(तीन) विवरण संख्या 1—तीसरा सत्र 1990	लोक सभा	[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1571/90]

हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का बिहिया में "हाल्ट" के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4284 के 4 दिसम्बर, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : महोदय, मैं हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का बिहिया में "हाल्ट" के बारे में श्री तेज नारायण सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं. 4284 के 4 सितम्बर, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1572/90]

11.11 म. पू.

मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अब मंत्रि-परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाले सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेगी।

6 नवम्बर, 1990 को दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ हुई मेरी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि यह चर्चा 7.00 म. प. पर समाप्त हो जानी चाहिए और तब प्रधान मंत्री इसका उत्तर देंगे। उस बैठक में यह भी सहमति हुई थी कि यह सभा मध्याह्न भोजन अवकाश के लिए स्थगित नहीं की जाएगी।

माननीय प्रधान मंत्री।

(व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुमारी मायावती, क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रधान मंत्री।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम धन (सासगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संसद सदस्य को जीवन रक्षा का सवाल है। मुझे बराबर धमकियां दी जा रही हैं जान से मार डालने की। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि जब मैं आजमगढ़ से बनारस होते हुए आ रहा था तो रास्ते में मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। वहां की स्थानीय पुलिस ने उस समय मेरी रक्षा की। कई बार टेलीफोन किया गया कि अगर आप चन्द्रशेखर का साथ नहीं देंगे तो आपको जान से मार डालेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री राम धन : मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं जिस तरह से आज माहौल में राजनीतिक दल के नेताओं को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं उनको आप कंट्रोल करें। ऐसे में आपको संसद सदस्यों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

मैं बोल रहा हूं। मैंने प्रधान मन्त्री का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रधान मन्त्री ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं चन्द्रशेखर जी को इसलिए बोलने की इजाजत दे रहा हूं क्योंकि राम धन जी ने उनका नाम लिया है ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल आपके जरिये श्री राम धन जी से नम्र निवेदन करूंगा कि अगर कोई ऐसी धमकी उनको दी गई है तो एक मित्र के नाते उनको पहले मुझे सूचना देनी चाहिए थी । मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि मेरी ओर से उनको कोई खतरा नहीं होगा । मैं प्रधान मन्त्री जी से कहूंगा कि वह उनकी सुरक्षा की वैसी ही व्यवस्था करें जैसी अपनी सुरक्षा की उन्होंने व्यवस्था की हुई है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें । प्रधान मन्त्री जब विश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे हैं तो आप सब कम से कम उन्हें ध्यान से सुनें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब क्यों खड़े हो गए हैं, आप सब बैठ जायें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सब से आशा करूंगा कि आप स्पीकर की परमिशन से बोलियेगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है ।" (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी जब बारी आयेगी तब बोलिये । अभी आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस वाद-विवाद को अच्छे तरीके से चलने दीजिए । कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम के द्वारा माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अपने मत-मतान्तर हमेशा से इस संदर्भ में रहे हैं। मतैक्य भी रहा है, मतांतर भी रहा लेकिन एक दूसरे का मत और विचारों को सुनने का यही देश का सबसे शीर्षस्थ सदन है और आज देश के सामने जो समस्यांएं आई हैं, आज जो फैसला होना है, वह बहुत गम्भीर मुद्दों पर होना है। मैं सही कहता हूँ कि सरकार का फैसला नहीं होना है, सिद्धांतों का फैसला होना है (व्यवधान) और आपने सही कहा है कि जहां तक सरकार का फैसला था, उसे तो मैंने आंख खोलकर उसी दिन कह दिया था, जिस दिन रथ यात्रा रोकी, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। आप ध्यान से प्रधान मन्त्री जी को सुनिए। आपकी बारी भी आयेगी।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : और जब यह स्पष्ट कर दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि अगर रथयात्रा रोकी गई तो (व्यवधान)

मैं उस पर भी आता हूँ। एक-एक महीने का मैं आपको ब्यौरा दूंगा।

[अनुवाद]

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : विश्वास प्रस्ताव के संबंध में यह एक गम्भीर वाद-विवाद है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दिनेश जी, आप देख रहे हैं, आडवाणी जी रोक रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : विश्वास प्रस्ताव के संबंध में यह एक गम्भीर वाद-विवाद है। क्या मैं सदस्यों से यह आशा कर सकता हूं कि वह प्रधान मन्त्री तथा अन्य वक्ताओं को अपने विचार रखने देंगे। यदि आवश्यक हुआ, तो मैं नेताओं में अपने सदस्यों को शांत रखने का अनुरोध करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने सदस्यों पर पूर्ण विश्वास है कि वे शांति बनाए रखेंगे। हमारे सदस्य शांति बनाए रखना जानते हैं। वे शांति बनाए रखेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी, आप तो इतने एक्सपीरिएंस्ड मैंबर हैं।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आवाज में अपनी आवाज जोड़ना चाहूंगा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्लीज। आडवाणी जी बोल रहे हैं और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं अपने साथियों से भी कहूंगा कि बहस आरम्भ हुई है और बहस में हर एक को (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : और इसीलिए बहस के दौरान हर एक अपनी बात पूरी-पूरी रख सके, इस दृष्टि से हर एक का दायित्व है, मेरी पार्टी का भी दायित्व है, मेरे सदस्यों का भी दायित्व है, उसको सभी को निभाना चाहिए। अलबत्ता मैं इस बात का भी स्मरण दिलाऊंगा कि विश्वास का प्रस्ताव का हेतु प्रमुखतः यह होता है कि बहुमत अभी भी है अथवा नहीं है, इस बात का निर्णय करना। अविश्वास को प्रस्ताव जो होता है, उसका कारण होताहै कि अविश्वास क्यों है। लेकिन मुझे याद है कि जब पिछले दिसम्बर में विश्वास का प्रस्ताव रखा गया था तो उस समय सरकारी पार्टी, मेरी पार्टी और कम्युनिष्ट पार्टी, तीनों ने कहा था कि बिना चर्चा के हम मतदान कर लें और उस समय कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए राजी नहीं थी इसीलिए विश्वास के प्रस्ताव पर बहस हुई थी। आज भी अगर कांग्रेस पार्टी सहमत हो, सरकारी पार्टी सहमत हो···

कई माननीय सदस्य : हम नहीं हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : तो बहस होगी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : चर्चा होनी चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : चर्चा होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : एक वाद-विवाद होना होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे वाद-विवाद से कोई आपत्ति नहीं। मैं कल भी वाद-विवाद के लिए तैयार था। मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। (व्यवधान)

[हिन्दी]

लेकिन यह जो टोका-टाकी हो रही है, इधर से टोका-टाकी हो रही है, उसका कारण समझ करके लोगों को और प्रधान मंत्री जी को समझना चाहिए कि यहां से टोका-टाकी क्यों होती है। पिछले दिनों जिस प्रकार का तनाव पैदा हुआ है पार्टियों के बीच में, और पार्टियों के बीच में तो छोड़िए, एक ही पार्टी के बीच में, उसके कारण अगर टोका-टाकी होती है, तो उसको समझना चाहिए। मैं फिर भी इस मत का हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे सारे सदस्य अनुशासन के साथ पूरी बहस में भाग लें। हर एक को अपनी-अपनी बात कहने का मौका मिले और प्रधान मंत्री जी का आदत तो हर एक को करना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आडवाणी जी ने जो बात रखी है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज की चर्चा में सभी गुट एक दूसरे की बात को सुनें फैसला तो अन्त में अपने हाथ में है। आज के मुद्दे को समझते हुए, अनुरोध यही है कि अगर कहीं कुछ लगे भी, तो उसको जब्त करके फिर अपनी बात रखें तर्क के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर बात को सदन के सामने रखें।

मैं निवेदन कर रहा था, जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार के बारे में हम लोगों ने आंख खोलकर तो फैसला कर लिया है। मैं जानता हूं, आज जो है फैसले की बात नहीं है, सरकार ने फैसला तभी कर लिया था, जब स्पष्ट रूप से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव रखा था कि अगर रथ-यात्रा या कार सेवा रोकी गई तो सरकार से समर्थन वापिस ले लेंगे। इस सदन का जो गणित है, उससे यह स्पष्ट था सरकार जो है, उसको हम चुनौती में डालें, उसको हम दांव पर डाल कर फैसला लें। प्रश्न उठा—क्यों उस समय यह प्रश्न उठाया? प्रश्न यह था कि उसके साथ कुछ जुड़े हुए मुद्दे थे। उन मुद्दों को आज यहां सदन में ला करके, यहां इस पर बहस करा कर देश के सामने सब के विचार क्या हैं, यह भी स्पष्ट हो जाय। इसलिए उस मुद्दे को यहां सदन तक लाया गया। केवल यही नहीं, यह बात सही है कि हम लोग दस-ग्यारह महीने-भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी पार्टी, जनता दल—नेशनल फ्रन्ट सरकार को चलाने में साथ रहे हैं। लेकिन उसके साथ क्या बात हुई कि यह फैसला सरकार को लेना पड़ा भिन्न हो करके और कौन-सी नई बात आ गई। केवल रथ-यात्रा या कार-सेवा नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए मुद्दे थे। उसको ला कर के एक मौलिक खड़ हुई। वह मौलिक बहस है एक क्या किसी का धार्मिक विश्वास संविधान के ऊपर है संविधान के तहत बनी हुई इस व्यवस्था के ऊपर है; दो-क्या इस देश का धार्मिक ध्रुवीकरण होगा?; तीसरा—क्या धर्म और राजनीति का गठजोड़ वांछनीय है?; चौथा—क्या देश की भावनात्मक एकता बनी रहेगी या नहीं?—ये चार मुद्दे उससे जुड़े हुए हैं। उस पर एक प्रश्नचिह्न बन करके आया और उसमें सरकार को फैसला करना पड़ा कि किस दिशा में जाना है और हम लोगों ने फैसला लिया। जब यह चुनाव हुआ, कि हम सत्ता को देखें कि सिद्धांतों को देखें, तो अपने विश्वास में जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर चलना श्रेयस्कर हम लोग अपने मन में माने, बजाय इसके कि सत्ता पर चिपके बैठे रहें, येनकेन-प्रकारेण समझौता कर के हो भी सकता है। अगर इन चार मुद्दों पर समझौता कर लेते तो सरकार चली चलती, लेकिन यही था कि सरकार को चलाना है या कि देश को चलाना है? इसकी जो पृष्ठभूमि है—रामजन्म भूमि और बाबरी मास्जिद का जो विवाद है, सबको अवगत है। इसमें कोई नई चीज हमको नहीं बतानी है लेकिन उसकी पृष्ठभूमि

में यह था कि विवादित जो स्थान है---बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इजलास का न्यायालय का आदेश है कि वहां पर यथास्थिति बनाये रखी जाये, अर्थात वहां जो बाबरी मस्जिद या जो ढांचा या स्थान है, उसमें कोई जोखिम न आवे। वे किसी तरह डिसट्रोय न हो, तोड़ा न जाये और साथ ही वहां पर जो भगवान राम की मूर्ति है, वहां जो पूजा चल रही है उसमें भी कोई बाधा न हो, जब तक कि कोई आखिरी फैसला नहीं हो जाता। इस यथा-स्थिति को बनाये रखना सरकार की जिम्मेदारी है। न्यायालय का, इजलास का जो फैसला हो जाये मस्जिद का फैसला हो जाये, मस्जिद हो जाये, रामजन्म भूमि का फैसला हो जाये तो रामजन्म भूमि के अनुसार कर दिया जाये। यह यथास्थिति है, न्याय है और जहां तक मन्दिर बने, अयोध्या में इसका विरोध तो आज तक किसी मुसलमान भाई ने भी नहीं किया और न ही यह कहा कि अयोध्या में राम का मन्दिर बने तो हम इसका विरोध करें। अयोध्या में राम मन्दिर नहीं बनेगा तो और कहां बनेगा। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। (व्यवधान)

आज भी मैं कहता हूँ कि माइनोरिटीस को, विवाद में खींचा जा रहा है। (व्यवधान) इससे कोई ऐतराज नहीं करता कि वहां मन्दिर बन जाये, भगवान राम की मर्यादा में। इसको कभी, किसी भी माइनोरिटीस के, किसी ने नहीं कहा। इसलिए इस मसले को हल करने के लिए कई उपाय किये गये, बहुत प्रयास किये गये और मैं मानता हूँ कि इस प्रस्ताव के अन्दर कई लोग जो विभिन्न दलों में थे, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए या धार्मिक जो हमारे गुरू रहे, दोनों वर्गों के या अन्य वर्ग के भी, उन्होंने बहुत प्रयास किया, यह बात नहीं कि नहीं किया और एक प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया कि इसके बगल में एक भूमि है, राम कथा पार्क के साथ ही लगी हुई भूमि है, उस विवादित स्थल से काफी अच्छी भूमि है और वहां पर सरकार भी उसको उपलब्ध करा रही थी कि यहां पर आप मन्दिर बनावें। (व्यवधान)

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : मन्दिर तो वहीं बनेगा, जहां राम का जन्मस्थान है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं अनुरोध कर रहा हूं और इजलास का जो मामला है, उसका फैसला जो है, मस्जिद को जाता तो बात खत्म हो जाती, अगर रामजन्म भूमि का फैसला होता तो उसके अनुसार उसको कर लें तो एक दिन में मन्दिर तो बनता नहीं। बताते हैं कि 6 करोड़ रुपये, इतना इकट्ठा हुआ है तो उसको बनते-बनते भी समय लगेगा, तो एक तरफ इस तरह से कहा जा रहा था कि स्पेशल बैंच बना दिया जायेगा, लगातार हियरिंग हो जायेगी और इसके लिए जो भी बात हो वह आपको माननी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : 4 महीने तक तो कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी, चार महीने के बाद सरकार को ससूरवार तो कर दीजिये लेकिन जो मासूम बच्चे हैं उनका क्या कसूर था। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : मण्डल कमीशन पर कितने लोग बलिदान हुए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री बोल रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री बोल रहे हैं। श्री लोढा जी अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तो इस तरह मान्यवर बहुत हो रीजनेबल प्रस्ताव रखे गए और कोशिश की गई, हर तरह से कोशिश की गई लेकिन बात अटक गई कि नहीं. इस मामले में इजलास का निर्णय मान्य नहीं है, अदालत का निर्णय मान्य नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, आपका नंबर भी आएगा, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाएं (व्यवधान)

श्री मोहम्मद शफी (श्रीनगर) : यह रथ यात्रा नहीं है, पार्लियामेंट हाउस है। (व्यवधान)

अयक्ष महोदय : बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, कुछ लोगों का यह प्रस्ताव आया कि एक आर्डिनेंस लाया जाए, सभवत: इससे इस समस्या का हल निकल सकता है और सरकार अगर इसको फेट अकंप्ली पेश करे तो संभवत: इसका हल निकल जाए और बाद में इसको सब मान्य करेंगे। जब सारे उपाय खत्म हो गए तो यह सोचा गया कि इसको भी आजमाकर देख लिया जाए, लेकिन इसके लिए भी दोनों पक्षों की तरफ से इन्कार किया गया। विश्व हिन्दू परिषद और बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए दोनों तरफ के लोगों ने इससे इन्कार किया। आडवाणी जी ने जकर कहा कि वैरों स्माल स्टैप इन दी राइट डायरेक्शन, अटल जी ने भी कहा।.....(व्यवधान)

लेकिन इसके साथ विश्व हिन्दू परिषद ने इसको रिजेक्ट किया और बाबरी मस्जिद से संबंधित लोगों ने भी इसको रिजेक्ट किया और आडवाणी जी का जो एक स्टेटमेंट आया, आर्डिनेंस की जो जान थी वह यह थी कि कोई उपाय किया जाए, जल्दी इसका फैसला हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में रख कर फैसला जल्दी हो जाए, बहुत वर्षों से विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से तमाम इस तरह का तनाव होता है। लेकिन उसमें एक चीज जो कही गयी कि कुछ भी हो, यह कदम थोड़ा-बहुत सही है, लेकिन मन्दिर तो वहीं गर्भ-गृह पर बनेगा, जहां जन्म स्थान है वहीं पर मन्दिर बनेगा दूसरा पक्ष जो आर्डिनेंस का था वह उसके स्टेटस को मेंटेन करने का था। जब तक सुप्रीय कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता उसकी स्पीरिट को खत्म करके उसके समर्थन का अर्थ यह नहीं था कि कहीं स्टेटस को तो नहीं बांट रहे। क्योंकि उसको अगर विवाद में ला देते हैं तो विवाद वहीं का वहीं रहा, मतलब नीयत में भी शिरकत हो। उससे एक और बड़ा विवाद खड़ा हो रहा था इसलिए

सरकार ने उसे वापिस लिया फिर निवेदन किया कि इसमें बातचीत द्वारा प्रमास करें और न्यायालय की बात मान्य की जाए। लेकिन बात टूटी इसी पर कि इस मामले पर हम आगे बात नही कर सकते, हम ठहर नहीं सकते और न्यामालय को भी मानने को तैयार नहीं हैं। उस समय सम लोगों को एक बात चुननी पड़ी और फैसला किया कि इसे स्वीकार नहीं करेंगे इससे बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं।

जहां तक इस समस्या का सवाल है, जब इस समस्या को लेकर पूरी सरकार को दाव पर डाला गया है, इसमें मैं तो कहता हूं मेरा प्रयास रहेगा, सबका प्रयास रहेगा, जीवन भर रहेगा, सत्ता के भीतर-बाहर का सवाल नहीं है, यह मसला किसी तरह हल हो। आपसी बातचीत से हल होगा तो जो आज विवाद की बात बनी हुई है वह राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। अगर राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का फैसला आपसी तालमेल से हल होगा। उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। उसका कोई न कोई रास्ता आपसी तालमेल से निकाल कर राष्ट्रीय एकता का बिन्दू बना लें जिसमें आम सहमति हो, जो इतने बड़े विवाद की चीज बनी हुई है।

एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो इसी से जुड़ा हुआ है कि जहां जिस देश में विभिन्न धर्म हैं और किसी की धार्मिक आस्था से बहस नहीं हो सकती है, हम विभिन्न धर्मों का आदर करते हैं, आस्थाओं से तर्क नहीं होता है, अगर कही पर दो आस्थाओं का टकराव हो जाए तो धार्मिक विश्वासों का टकराव हो जाए तो रास्ता क्या है ? किसी के विश्वास को आप खण्डित नहीं कर सकते। इसका या तो आपस में या फिर न्यायालय के मार्फत फैसला होगा। यह देश कैसे चलेगा ? अगर एक जगह उदाहरण हो गया, इसे स्वीकार कर लिया जाए तो हर जगह विभिन्न धार्मिक विश्वास के लोग इस तरह के मसले उठाते रहे तो बड़ी भारी बिडम्बना होगी। एक अच्छा सुझाव होगा कि किसी निर्धारित तिथि को लेकर जो भी धार्मिक स्थान हों, पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाए कि उन्हें यथावत रखा जाए। ताकि उसमे आगे विवाद न हों। यह अच्छा फैसला होगा। इसके लिए पूर्ण समर्थन है। इसमें पहले होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इसमें आम सहमति भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा तर्क है जब यह कहा जाए कि मेरा धार्मिक विश्वास संविधान और न्यायालय के ऊपर है, स्टेट के ऊपर है तो वह थ्योकरेटिक स्टेट की परिभाषा है, थ्योकरेटिक शिलान्यास है जब चुनाव चिह्न और धर्म को जोड़ दिया जाए... (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : ये सब पुरानी बातें हैं।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ये पुरानी नही हैं, आगे आने वाली बातें हैं। अगर पुरानी होतीं तो कोई बात नहीं थी। ये आगे आने वाली बातें हैं इसलिए हम लोगों ने रास्ता बदला, क्योंकि आगे आने वाली बात है। ...(व्यवधान) इस पर आज मौलिक बहस होनी चाहिए। सरकार के आने जाने की बात नहीं है। सरकार आती-जाती है और फिर सरकार बन जाती है और यह सरकार कोई नान-एवेलेबल चीज नहीं है, अब तो बहुत ही इजीली एवेलेबल होने वाली चीज हो गई है।...(व्यवधान) यह देखिए कि क्या धर्म और राजनीति जोड़ा जा सकता है और क्या इस देश का धार्मिक ध्रुवीकरण होगा। अगर धार्मिक ध्रुवीकरण शुरू हुआ तो पंजाब और कश्मीर तथा उत्तर भारत में उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। इसी धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ हमारे सशस्त्र बल

पुलिस और सेना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। .....(व्यवधान) मुझे अपनी सेना, सशस्त्र बलों और पुलिस पर गर्व है। वे इस देश की एकता के प्रतीक हैं और जाति धर्म भाषा से पहले वे सब भारतीय हैं। जो सैनिक वर्दी पहनता है और वह किसी भी सैनिक के मुकाबले तैयार रहता वह हमारा गर्व है। सबका लहू हमारी सीमा पर बहा है। हमारी धरती हर स्थान से पवित्र है। इसकी धूल माथे पर लगाए तो देश की एकता बनी रहेगी। .....(व्यवधान) किसी भी मन्दिर और मस्जिद की धूल पवित्र है। मैं यह नहीं कहता कि मानसिक प्रक्रिया चलती रहे और गलत प्रभाव पड़ता रहे और नौजवानों पर पड़ता रहे। यह परिणाम अन्य देशों में भी दिखायी पड़ता है और वही एक रास्ता होता है अधिकारवाद और जनतंत्र हनन का होता है जिसे दूसरी शक्तियां रोक नहीं सकती। इसमें आज मुद्दा बहस है और देश के जनतंत्र और रक्षा तथा सरकार आने-जाने का नहीं है। हमको यह फैसला करना होगा और यह नहीं कि सरकार कैसी होगी जैसी होगी वह नहीं होगी तो वह दिखाई पड़ रहा है। लेकिन देश कैसा होगा और किस तरह का देश हम चाहते हैं। हम मेल-मोहब्बत या नफरत का देश चाहते है तो इसका फैसला करना होगा। इस बहस को यहां तक ले आये और यह बीच में कहा गया कि कुर्सी पर चिपके हुए हैं। अगर कुर्सी पर चिपके होते तो इशारे पर इधर-उधर निकल जाते। कुछ और भी हो जाता .....(व्यवधान) आज खंजर रखा है। आज देखें कि खंजर कौन-कौन उठाकर वार करते हैं।... (व्यवधान) यह रिकार्ड रहेगा और देश साक्षी है कि किन मुद्दों पर वार किया है और इतिहास में लिखित रहे। आज उसी बहस में मुद्दा रखा जायेगा; मैं जानता हूँ ..(व्यवधान) मुद्दे हैं, यह नहीं कि देश के सामने प्रश्न नहीं हैं। उनपर बहस हो सकती है सरकार ने जो अच्छाइयां की हैं, बुराइयां की सफल रही है या विफल रही है इस पर बहस हो सकती है। दोनों पक्षों के तर्कों में बल है। पंजाब पर जम्मू और कश्मीर पर असम पर, मंहगाई पर, अर्थव्यवस्था पर, इन तमाम मुद्दों पर बहस हो सकती है और उसमें कीमया निकाली जा सकती है सरकार की, उसकी अच्छाइयां भी निकाली जा सकती हैं। लेकिन वह इसलिए लाया जा रहा है, ये मुद्दे इसलिए उठाये जायें कि जो आज प्रश्न है जिसपर सरकार ने आज फैसला करना है उस आइने में मुंह नहीं देखना चाहते, उसको ओझल करना चाहते हैं, इसलिए हम आईने को दिखाना चाहते हैं और मुद्दा यही होगा पब्लिक में इश्यू फ्रेम हो चुका है, राजनैतिक रूप से पूरे देश में फ्रेम हो चुका है। आज सरकार ने जो रथयात्रा रोकी है उस पर फैसला हो जाये, इसी पर सरकार कायम है और चीजों को कहकर भरमा कर अपनी नैतिक जिम्मेदारी को नहीं बदल सकती है। अगर अन्य चीजों पर बात करना है तो फैसला आज ही कर लीजिए पूरे देश में राजनीतिक रूप से मुद्दा फ्रेम हो चुका है और तुरंत दूसरा सदन बुला लीजिए और सरकार की कमियों के बारे में फैसला कर लीजिए लेकिन आज सरकार के और आपके सिद्धांतों की, ईमान की परीक्षा है... (व्यवधान) ..मान्यवर, धर्म जो है हम लोगों ने समझा है और जाना है भारत में, वह जोड़ने की चीज रहा है वह अन्तस की चीज रही है वह तख्त की चीज कभी नहीं रही है। तख्त पर बैठने वाले हमेशा वह सम्मान नहीं पायेंगे जो अन्तस के अन्दर एक ज्योति है वह पाती है। लेकिन उसके बाह्य तरफ टकराव का कारण होता है। धर्मों में टकराव नहीं है। हिन्दू धर्म है एकात्मकता का प्रतीक, उसने इनसान को इनसान से जोड़ा है, निर्जीव और संजीव को जोड़ा है, दोनों में है, आत्मा और परमात्मा दोनों को जोड़ा है, वह सब में है। हिन्दू धर्म ने अलगाव पैदा नहीं किया है, बल्कि एकता में सबको बांधा है। इस्लाम भाई चारे का प्रतीक रहा है, समानता का प्रतीक रहा है और ईसाई धर्म प्रेम का प्रतीक रहा है, बौद्ध और जैन धर्म हमारी अहिंसा के प्रतीक रहे हैं। यह हमारी धार्मिक भावना हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, थाती है, विरासत और ताकत है। इसी में हमारा पुराना

इतिहास रहा है, इसी में हमारा नया इतिहास मुड़ा जा सकता है । उसकी शक्ल को बिगाड़ कर हम अपने इतिहास, संस्कृतियों और भविष्य को बिगाड़ेंगे । आज उसका फैसला हो जाना चाहिए और उस पर मोहर लगनी है, इस पर हो जाये कि कौन इस तरफ है और कौन दूसरी तरफ है ।

गुरू नानकजी ने सब कुछ समेटा था । हरमन्दिर साहब में चारों ओर दरवाजे हैं । किसी भी विश्वास का व्यक्ति चाहे किसी भी ओर से आये उसके लिए सब दरवाजे खुले हैं । यह आप हर मन्दिर साहब में देख लीजिए । वहां पर अलगाव की बात नहीं है । टकराव धर्मों में नहीं होता है । वह रिचुअल्स में होता है धर्म में नहीं होता, लेकिन अब तो राजकरण में भी होने लगा है । लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और भी है । केवल इतना ही नहीं है । जो दलित और पिछड़े वर्ग के बारे में कदम उठाये गये...(व्यवधान) : क्या आप रिलेवन्ट चीज कह रहे हैं । मण्डल कमीशन के सिलसिले में जो पिछड़े वर्गों को आगे लाने की बात रही । इसका भी गुस्सा कहीं न कहीं छिपा है दर पर्दे । मान्यवर हम जानते हैं हजारों हजार वर्षों की व्यवस्था से हम लड़ने के लिए निकले हैं । अगर व्यवस्था संकट में डालें तो वह हमें संकट में डालेगी इसमें कोई संदेह नहीं है । इससे कुछ भाग्य भी जुड़ा हुआ है । चाहे मैं मुख्य मंत्री रहा तब, चाहे केन्द्र में वित्त मंत्री था या रक्षा मंत्री रहा तब, अब चाहे प्रधानमंत्री रहा हूँ तब भी सब कुछ ऐसे ही जुड़ जाता है ।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राकेश जी, आप बैठ जायें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब वित्त मंत्री था, आर्थिक व्यवस्था से कुछ टकराव की कोशिश की तो वहां से विदाई हो गई । रक्षा मन्त्री था तो राजनीति व्यवस्था से टकराव हुआ तो वहां से विदाई हो गयी । अब प्राईम मिनिस्टर रहा तो सामाजिक व्यवस्था से टकराव होने पर लोगों द्वारा मेरी आखिरी विदाई होने की बात हो रही है लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं । यह हजारों हजार वर्षों की व्यवस्था, इस अन्याय की, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था को हम 5 साल के चुनावी कटघरे में अपने आप को लेकर नहीं चल सकते हैं । एक चुनाव नही, सौ चुनाव भी आ जाए तो उससे परे होकर ही हमें लड़ना होगा और इनके दायरे में बांधकर हम न्याय की ओर नहीं बढ़ सकते हैं । यह वर्ष हमने भारत रत्न बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के जन्म शताब्दी के अवसर पर न्याय वर्ष के रूप में मनाया है और इस न्याय वर्ष के सिलसिले में जो हमने कदम उठाये हैं, कहीं-कहीं चुभते रहे हैं । अब सवाल यह है कि सत्ता गरीबों तक कैसे पहुचे ? उस लड़ाई को भी एक बार लड़ना होगा क्योंकि गरीब टुकड़ों में लड़ाई नहीं लड़ रहा है । वह अपनी इज्जत और इनसान की हैसियत से लड़ाई लड़ रहा है जो एक आखिरी लड़ाउ लड़ रहा है और इसीलिए मैंने तो कहा था कि जब तक पावर स्ट्रक्चर में कमेरे वर्ग नहीं आयेंगे, चाहे सदन में हों, या अपनी ब्यूरोक्रेसी में हों या मेहनतकश लोग ही क्यों न हों, उनकी समस्यायें तबतक हल नहीं होंगी जब तक उनका हिस्सा पावर स्ट्रक्चर में नहीं होगा । इसलिए एक लड़ाई लड़नी होगी ताकि कमेटे वर्ग, गरीब वर्ग इस सत्ता के ढांचे के अन्दर आकर इस देश की बागडोर को संभालें । इसके गठन में, इसके निर्देशक में, इसके भविष्य को बनाने में उनकी जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी, यहां बहसें होती रहेगी, वे लोग अपनी अपनी कुटियों में पड़े रहेंगे और अपने-अपने कर्मों को धोते रहेंगे ।

मान्यवर, हम लोग संघर्ष से आये जिसमें सरकार हमारा केवल एक पड़ाव होता है और सरकार में भी उन संघर्षों को लाते रहे जो केवल एक पड़ाव मात्र है । हम लोग बाहर तो संघर्ष करते ही रहेंगे, अन्दर भी संघर्ष करते रहेंगे और इन संघर्षों को नही छोड़ेंगे । आप यह न समझ

लीजिए कि यह हजारों हजार वर्षों में केवल हजार वर्ष लड़ना होगा। इतिहास में वे मोड़ भी आते हैं जब हजार वर्ष एक क्षण के अन्दर मोम की तरह पिघलकर सदियां गढ़ी जाती हैं, उस ओर हमको चलना होगा। अब यह प्रश्न पूछा गया और यह पूछा भी जायेगा इस बहस में कि आप 10-11 महीने बी. जे. पी. और वामपंथी पार्टियों के साथ रहे, आज क्या नयी चीज आ गयी ? तो मेरा यह कहना है कि एक नया प्रयोग इस देश के अन्दर हुआ। राष्ट्रीय मोर्चा के रूप में एक राजनैतिक विकल्प की चेष्टा हुई कांग्रेस के मुकाबले। आजादी के बाद कांग्रेस के विकल्प के रूप में कोई पार्टी नहीं थी। ठीक है आजादी के बाद भारत के सामने बहुत सी चुनौतियां थीं जिनके समाधान के लिए एक विकल्प जरूरी था।

12 मध्याह्न

लेकिन जैसे-जैसे दशक गुजरे आल्टरनेटिव पोलिटिकल चाहस नहीं उभर पाई। राष्ट्रीय मोर्चा एक प्रयास था कि सेंट्रिस्ट सेकेंड आल्टरनेटिव निकले। एक ओर लेफ्ट स्पेक्ट्रास, एक ओर भारतीय जनता पार्टी और बीच में कांग्रेस, लेकिन अगर कांग्रेस से किसी को नाराजगी हो और सेंट्रिस्ट आप्शन चाहता हो तो कोई नहीं था। राष्ट्रीय मोर्चा इस माने में उस चीज की पूर्ति करता था। एक नया प्रयास था और सरकार बनानी थी। आजादी के बाद देश के लोगों की जो एक आकांक्षा थी कि एक दूसरा विकल्प बने और उसमें सारी शक्तियां जो जुड़ीं पिछले चुनाव में, एक मुद्दा सबके सामने था कि ये विकल्प बने और जो एकाधिकारवाद हो गया है राजनीति में वह हटे उसमें हम लोगों का ज्वाइंट कैम्पेन तो नहीं रहा लेकिन सीटों का तालमेल जरूर रहा। उन सीटों के तालमेल के तहत एक राजनीतिक एकाधिकारवाद जो कांग्रेस का था उसको हटाने का जो राजनीतिक मुद्दा था उसके लिए हम लोगों से सैंक्शन लेकर आए थे, उसी सैंक्शन के तहत हम लोगों का वामपंथी पार्टियों और भारतीय जनता पार्टी से यहां पर एक तालमेल था। इस बीच में आपस में सलाह मशविरा होता था लेकिन मुख्य चरित्र राजनीतिक चरित्र का जो सैंक्शन मिला था वह कांग्रेस के विरुद्ध मिला था। हम लोग जितने भी आए कांग्रेस के विरुद्ध अपने मंचों पर कहकर आए हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि हमने अपने मंचों पर कांग्रेस के विरुद्ध नहीं कहा। मतभेद थे। कुछ मतभेद खुले थे, इसी सदन में आडवाणी जी ने 370 का मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि हम उसको निकालने के पक्ष में हैं, मैंने कहा कि हम उसके पक्ष में हैं लेकिन इसी एक मुद्दे पर रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर जब भी बात आई भारतीय जनता पार्टी ने यह जरूर कहा कि हम उसको मारल सपोर्ट देते हैं लेकिन यह हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है, हम उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते हैं केवल मारल सपोर्ट देते हैं। जब भी बात हुई यही कहा गया कि यह विश्व हिन्दू परिषद का आंदोलन है हमारा नहीं हैं, हमारा तो मारल सपोर्ट है।

प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा (दिल्ली सदर) : आप गलतबयानी मत करिए यह बात कभी नहीं कही।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आखिर यह फैसला विश्व हिन्दू परिषद ही करेगा क्योंकि यह उनका है और आप उनसे मुख्य बात करिए। यह जरूर कहते थे लेकिन यह मुद्दा उन्हीं का है इस लिए फैसला वही करेंगे तो भी हम लोगों से बात करते रहे। कभी भी यह बात न चुनाव के दरम्यान आई. न जब आपस में सहयोग की बात आई तब आई कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का मुद्दा

जो विश्व हिन्दू परिषद ने परिभाषित किया है उसी के आधार पर यह समर्थन है। उसी के आधार पर राष्ट्रीयमोर्चा को यह समर्थन है, इस तरह कभी परिभाषित नहीं हुआ। इसकी परिभाषा रथ-यात्रा के दौरान हुई। और भी कुछ मामलों में हमको दोषी ठहराया गया कि सलाह नहीं ली गई, लेकिन उस मामले में हमने सूचना जरूर दी थी। इस मामले में पूर्व सूचना दी थी पर यह उसी के साथ जुड़ गया और उससे साथ जुड़ जाना कोई बात नहीं लेकिन उसके साथ जो मुद्दे जुड़े गए यह बात कि मैं आम न्यायालय को और संविधान को मानने को तैयार नहीं हूँ, जो भी हमारी आस्था की बात है इस पर बहस नहीं होगी इसको स्वीकार कीजिए तब कोई चीज निकल पाएगी और इसी आधार पर जो मौलिक चीज आ गयी उसी आधार पर ही हम लोगों के आपस की बात टूटी।

अब हम अखबारों से पढ़ते हैं कि आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार को गिराने के मूड में है, लेकिन मैं इनसे जरा पूछना चाहता हूं... (व्यवधान)... अगर ये लोग सरकार गिराते है तो जहां ये सरकार को गिराने की जिम्मेदारी लें वहीं सरकार को चलाने की जिम्मेदारी भी लें। राजनीतिक ईमानदारी इसी में है कि जो गिराने की जिम्मेदारी लें, वे चलाने की जिम्मेदारी भी लें। हम लोगों ने भी सरकार गिरायी थी लेकिन चलाने की जिम्मेदारी भी ली। यदि आज ये लोग सरकार को गिराते है तो चलाने की जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते है, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। हम लोग 280 की स्ट्रेंथ में लगभग 140 थे या इसके आसपास कोई संख्या थी लेकिन अब सुनायी पड़ता है कि 190 एक ओर होंगे और 25 दूसरी ओर होंगे। यानी 190 की हिम्मत नहीं रही चलाने की और 25 सरकार चलायेंगे। अरे, कुछ तो हिम्मत करिये। आप में तो हिम्मत ही नहीं है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आप बैठ जाइए, मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इससे तो केवल राजनैतिक अवसरवादिता और जनादेश की अवज्ञा ही उभरेगी, इसके अलावा कोई दूसरा नतीजा निकलने वाला नहीं है। हम एक और नमूना अखबारों में पढ़ते है कि 25 हार्स पावर का इंजिन एक ओर होगा और 190 हार्स पावर का इंजिन दूसरी ओर होगा, अब कौन किसे को खींचेगा, 190 उन 25 को खींचेगा या 25 उन 190 को खींचेंगे (व्यवधान) मान्यवर, यह बात कुछ ऐसी है और हम लोग अमूमन देखते हैं कि जीप चलती है तो ट्रेलर उसके पीछे-पीछे चलता है। ठीक लगता है कि जीप आगे है क्योंकि उसमें हार्स पावर की शक्ति है, इंजिन है और ट्रेलर उसके पीछे-पीछे चलता है लेकिन आज लगता है कि ट्रेलर आगे चलेगा और जीप पीछे चलेगी। (व्यवधान)

श्री देवीलाल (सिकर) : आज तो हालत यह है कि जनमत तो हमारे साथ है और मोर्चा मारे ये बैठे हैं। बड़ी अजीब हालत हो गयी है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, अभी जो मैंने ट्रेलर और जीप का उदाहरण दिया, उसमें तभी यह सम्भव हो सकता है कि ट्रेलर आगे चले और जीप उसके पीछे चले, अब जीप को

रिवर्स गियर में चलाया जाते, तभी ट्रेलर आगे चल सकता है जब रिवर्स गियर में जीप को चलाया जाए, लेकिन अगर कभी राजीव जी ने फारवर्ड गियर में चला दिया तब तो जीप ही आगे चलेगी, ट्रेलर कभी आगे नहीं चल सकता।

मान्यवर, वह ज्यादा उचित होगा क्योंकि जो राजनीतिक लेजिटिमेसी है, वह विभिन्न दलों को मिली है। इसलिए जनता ने जो दल चुने हैं उनमें से कोई सरकार चलाए तो उसका अर्थ है। वह पिछले चुनाव से जुड़ी हुई चीज है। कहीं तो उसकी लैजिटिमेसी है, वह ज्यादा उपयुक्त होगा। अब आप जो फैसला करेंगे, हम तो उसका मानेंगे, विरोध पक्ष में बैठेंगे। अब जो स्प्लिटर ग्रुप और अनआथाराइज्ड ग्रुप की बात है, हम नहीं जानते हैं कि घर के अन्दर विवाद चलता है और आज भी अगर कोई अपने घर परिवार में आ जाता है उनको आंख खोलकर, तो उनको गले लगाने के लिए घर में लेने के लिए तैयार हैं। अभी शाम तक समय है। लेकिन परम्परा गलत होगी मान्यवर क्योंकि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है देश की,

[अनुवाद]

राजनैतिक शक्ति प्राप्त लोगों में राजनैतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए।

[हिन्दी]

उसी के अनुरूप राष्ट्र की सत्ता गढ़ी जा सकती है और कर्णधार बनायी जा सकती है। किसी भी स्प्लिंटर ग्रुप को राष्ट्र का कर्णधार बनाना या जिम्मेदारी देना जो पॉलिटिकल बिल है, उसकी सैंक्टटी और लेजिटिमेसी नहीं होगी, परम्परा गलत होगी। इसलिए ऐसी परम्परायें न चलायी जायें।

बात और चर्चा नेशनल गवर्नमेंट की भी चली है। यह बात कही गयी है कि देश के सामने बहुत से संकट हैं पंजाब की समस्या है, जम्मू-कश्मीर की समस्या है, असम है, महंगाई है, गल्फ है, इन सब का मुकाबला करने के लिए नेशनल गवर्नमेंट बनायी जाये। इस पर विचार हो सकता है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वाम-पंथी पार्टियों को छोड़कर मेरा दल कोई दूसरा हल नहीं खोजेगा और साथ ही जब भारतीय जनता पार्टी अपने को संविधान से ऊपर मानती है, कानून से ऊपर मानती है, तो संवैधानिक रूप से, उसके साथ भी नहीं बैठ पायेंगे। इसलिए मान्यवर, देश की एकता के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, संविधान की मर्यादा के लिए और दलित, शोषित उपेक्षित वर्ग के लिए मैं अपसे अपील करूंगा और माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि दलों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा से, अपनी कौंशस से फैसला करें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि यह सभा मंत्री परिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष महोदय, ये किस पार्टी के हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप पंठ जाइये । मैंने श्री चन्द्रशेखर को बुलाया है ।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त दुख के साथ इस बहस मे हिस्सा लेना पड़ रहा है । मैं कोई किसी की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ । मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि हम जरा अपने दिल को टटोलें कि पिछले 11 महीनों में हमने क्या किया है । जिन सिद्धान्तों का सवाल आज हम सोच रहे हैं और सही सोच रहे है, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए हमने क्या किया ? मैं आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों मे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सवालों पर हमारा आपसे मतभेद हो सकता है । जहां तक धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, हमारे मतभेद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं लेकिन मैंने जनतंत्र में यही सीखा है कि विभिन्न मतभेद होने के बाद भी हम एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुरोध करूंगा कि श्री चन्द्र शेखर जी को सुना जाए ।

श्री चन्द्रशेखर : न सुना जाय तब भी हम सुनने की कोशिश करेंगे । मैं समझता हूं कि विभिन्न विचारों के लोगों को साथ लेकर हम आपस में समझौते के रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और शायद इसी कारण हम सबने मिलकर इस सरकार को भी बनाया था । चाहे वे वाम-पंथी पार्टी के हमारे साथी हों, चाहे जनता दल के लोग हों,हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगर बी. जे. पी. से समझौता किया था तो उस समय यह सोचा था कि देश संकट में है, कठिनाई मे है और उस कठिनाई से निकलने के लिए सबको साथ मिलकर काम चलाना चाहिए । हमारे मित्रों को बहुत गुस्सा है, इस गुस्से से देश की समस्याओं का हल निकालने वाला नहीं है । जो ग्यारह महीने पहले की हालत में देश था आज उससे बदतर हालत में है । क्या यह सही नहीं है कि हमारे देश में आतंक बढ़ा है, क्या यह सही नहीं है कि हमारे देश में विषमता बढ़ी है, क्या यह सही नहीं है कि बेकारी, बेरोजगारी, मंहगाई बढ़ी है, क्या यह सही नहीं है कि हमारे देश में सामाजिक तनाव बढ़ा है, क्या यह सही नहीं है कि आज पंजाब पीड़ा से कराह रहा है, क्या यह सही नहीं है कि कश्मीर मे आज भी वेदना है, क्या यह सही नहीं है कि आसाम में आतंक बढ़ रहा है क्या यह सही नहीं है कि देश के गांव-गांव में धर्म और जाति के नाम पर आदमी-आदमी के खून का प्यासा हो रहा है ? ऐसी हालत में देश को लाने की जिम्मेदारी किसकी है, ऐसी हालत मे देश क्यों जाए, क्या यह आत्म-निरीक्षण कभी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ? मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि संसद को चलाना कोई ड्रामा नहीं है सवाल यह नहीं है कि जीप चलेगी या ट्राली चलेगी । प्रधान मंत्री जी को निर्जीव चीजें दिखाई पड़ती हैं । न जीप चलती है न ट्राली चलती है, जीप और ट्राली को ड्राईवर चलाता है, ड्राईवर निकम्मा हो तो न जीप चलेगी न ट्राली चलेगी । सवाल जीप और ट्राली का नहीं है, सवाल ड्राईवर का है । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ड्राईवर न जीप चला सकता है न ट्राली चला सकता है तो कैसे सही रास्ते पर चल सकता है इसलिए मे कहना चाहता हूँ कि यदि सिद्धांतों का सवाल उठाते हो तो सवाल उठाओ क्या है धर्मनिरपेक्षता ? धर्म-निरपेक्षता मानव संवेदना की पहली परख है । जिसमे मानव संवेदना है उसमे धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती । अगर हम एक-दूसरे को आदर की दृष्टि से नहीं देख सकते विचारों, सिद्धान्तों के मतभेद होने के बावजूद तो धर्मनिरपेक्षता की चर्चा करना एक थोथी दलील है । मैं यह बात कहना चाहता

है कि हमारे मित्र आडवाणी जी, आज उनके बारे में मैं क्या कहूं, आज से नहीं, बरसों से ग्यारह महीनों से मैं पूछना चाहता हूं कि बातचीत जब हुई थी तो मैं नहीं था, बातचीत में प्रधानमंत्री जी आडवाणी जी थे। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या बातचीत का यह तकाजा है ? बाबरी मस्जिद के सुझाव के लिए समिति बनाई। भारत के गृहमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उस समिति से इसलिए हटा दिया जाता है कि विश्व हिन्दू परिषद के कुछ नेता उनकी सूरत नहीं देखना चाहते। क्या इस तरह से देश को चलाना है, क्या इस तरह से देश की बागडोर को आगे बढ़ाना है ? क्यों हटाए गए मुलायम सिंह, क्यों हटाए गए श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, उस दिन किसने समझौता किया था ? चाहे वह समझौता विश्व हिन्दू परिषद से हो चाहे बाबरी मस्जिद के सवाल पर किसी इमाम से बैठकर समझौता करो। यह समझौते देश की हालत इस रसातल में ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अध्यादेश लगाया गया बड़े आराम से प्रधान मंत्री श्री ने कह दिया, हमने सोचा शायद इसी से रास्ता निकाला जाएगा, हम असफल हो सकते हैं प्रधान मंत्री जी आपकी सरकार जा सकती है लेकिन याद रखिए जो संस्थायें बनी हुई है, उनका अपमान आप मत कीजिए। क्या यह सही परम्परा है कि बातचीत चलाने के लिए देश में राष्ट्रपति के पद को इस्तेमाल किया जाए, शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। मैं 23 वर्षों से इस पार्लियामेंट को नजदीक से देख रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अध्यादेश लगाये जायें और 24 घंटे के अन्दर उसको वापिस ले लिया जाए (व्यवधान)...मैं यह कहना चाहता हूं कि तुगलकी मिजाज इस देश को इस रसातल में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। मैं इस तुगलकी मिजाज के खिलाफ हूं और देश को बचाने के लिए इस तुगलकी मिजाज का विरोध करना अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानता हूं। दोस्तों से कहा जा रहा है कि आप सिद्धांतों की चर्चा करो, सिद्धांत की चर्चा होनी चाहिए। हम भी मानते हैं कि राम कोई एक जमीन में नहीं है। मैं आडवाणी जी से कहूंगा कि इसी सदन के दूसरे सदन में हमने मैथिलीशरण गुप्त जी को यह कहते हुए सुना था कि—

माना राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या,
विश्व में रमे हुए सभी कहीं नहीं हो क्या,
तब मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे,
तुमसपरमो तो मन, तुम मे रमा करे।"

यह राम की परिभाषा है जो कि हमारे राष्ट्रकवि ने दी थी। आज उस परिभाषा को ध्यान में रखें तो आपसी बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है। हमें बातचीत का रास्ता निकालना चाहिये। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितना देश के लिये मुझ में प्रेम है उतना ही देश प्रेम आडवाणी जी और सिंघल जी में है। अगर हमारे विचार अगल-अलग हैं तो क्या हम आपसी बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकल सकते। मेरे मन में आदर सोमनाथ चटर्जी और इन्द्र जीत गुप्त के प्रति भी उतना ही है जितना कि दूसरों के प्रति है। लेकिन सिद्धांतों की चर्चा करने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि सिद्धांतों की चर्चा सरकारी पदों के गलियारों से नहीं हुआ करती है। जिसे की राजनीति सरकारी कुर्सियों से शुरू हुई, वह आदमी सिद्धांतों की चर्चा करे.....

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस बात को गांठ बांध लें कि सिद्धान्त के चर्चे सरकारी पदों के गलियारों से नहीं गुजरते हैं।

श्री चन्द्र शेखर : चलिये, मुझे मालूम है। सिद्धान्त संघर्षों से पलते हैं और संघर्ष करना जिस का इतिहास नहीं है वह सिद्धान्तों की बात करता है। (व्यवधान) मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि अपनी गलती को स्वीकार ही न करें। मुझ से भी गलतियां हुई होंगी। राजनीति में बहुत सी गलतियां हमने भी की होंगी, बहुत से गलत कदम उठाये होंगे लेकिन प्रधान मन्त्री जी सिद्धान्तों के लिये थोड़ा संघर्ष हमने भी किया है। जिस समय आप कुर्सियों से चिपके रहने के लिये हर प्रकार के सिलसिले समझौते कर रहे थे उस समय संघर्ष के रास्ते पर चल कर मैं हर मुसीबतों का मुकाबला कर रहा था। आप सिद्धान्तों की चर्चा हम से मत करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुझ से भी गलतियां हुई होंगी :

चमन को सींचने में पत्तियां झड़ गई होंगी,
यही इलजाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का।
मगर कलियों को जिसने नोंच डाला अपने हाथों से,
वही दावा करे इस चमन में रहनुमाई का॥

इस देश की करोड़ों कलियों की मुस्कान लूटने के लिये जिम्मेदार प्रधान मंत्री आज सिद्धान्तों की चर्चा इस सदन में न करते और इससे पहले त्यागपत्र दे दिये होते तो इस देश की इस राष्ट्र की, इस सदन की और शायद कुछ मात्रा में अपने गौरव की रक्षा कर पाते लेकिन गौरव सिद्धान्त मर्यादा, नियम, कानून आपके लिये कुछ भी नहीं। मैं भी बड़ी बहादुरी की बातें जानता हूं। मैंने कभी चर्चा इसलिये उस समय नहीं की क्योंकि दुनिया में जाना जाता है कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में कैबिनेट की कोलेक्टिव रिस्पांसिबिल्टी होती है। यह पहली बार हिन्दुस्तान में सिद्धान्त लागू हुआ कि प्रधान मन्त्री भ्रष्ट हैं, वित्त मंत्री जो हस्ताक्षर करता है वह ईमानदार है। अगर दुनिया का कोई दूसरा देश होता जहां सिद्धान्त की चर्चा होती तो ऐसे व्यक्ति को कभी राजनीति में कोई आगे उठने नहीं देता।

मैं जानता हूं, प्रधान मंत्री जी, सिपलिटर ग्रुप पर सरकार चलाना मुश्किल है, लेकिन हताश, निराश, फ्रस्ट्रेटिड इण्डीविजुअल के हाथों में सरकार आपने दी थी, दण्डवते साहब आपने दी थी, मेरे मित्र शरद यादव और जार्ज फर्नान्डीज और देवी लाल जी और अजीत सिंह जी, आप उसका हश्र देख रहे हो। आपको सिद्धांत उस दिन याद नहीं आया, जब आप नेता चुने गए थे, इस पार्टी के, क्या वह सिद्धान्तों का चुनाव हुआ था। आज हमको चुनौती दे रहे हो, आप हमसे यह बातें कर रहे हो। धर्मनिरपेक्षता का सवाल शाश्वत सवाल है। धर्म के नाम पर आदमी आदमी का खून न बहाये, धर्म के नाम पर अखिलयतों के मन में दहशत पैदा न की जाय। अगर दहशत पैदा की जायेगी तो हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे अगर आडवाणी साहब के रथ को रोकना था तो उस दिन तक इन्तजार क्यों करते रहे जब तक मुलायम सिंह पर मुसीबत के बादल न छा जायें? दिल्ली में उसको क्यों नहीं रोका गया, उसको पहले क्यों नहीं रोका गया। आडवाणी जी ने कहा कि चार महीनों में एक बार भी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, आपको हैरानी होगी कि एक कमेटी बनी है, एक समिति है राष्ट्रीय एकता परिषद् की, उसका मैं भी सदस्य हूँ, एक बड़े विद्वान व्यक्ति उसके कन्वीनर थे, उस कमेटी में मैं गया, सुलह समझौते का रास्ता निकालने की कोशिश हुई, मुझे कहने में संकोच नहीं कि आडवाणी जी ने और अटल जी ने उसमें सहयोग किया। दूसरे दिन प्रधान मंत्री के कार्यालय से उन सारी बातों को सबोटेज किया गया। क्या देश चलाने का यही तरीका है, है, क्या देश चलाने का यह रास्ता है ? हमें लज्जा आती है, शर्म आती है इस पर। हम कभी मंत्री नहीं बने लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं भी जानता हूँ कि राजनीति की, संसदीय जनतंत्र की क्या मर्यादाएं होती है। आडवाणी जी और अटल जी से बातें हों, हम यह कहें कि यह बातें अखबारों में नहीं जाएंगी और उसके दूसरे दिन वह सारी बातें अखबारों में आ जायें। आप शंकराचार्य से बात करें, आप अली मियां से बात करें और बात करने के बाद चार दिन में मुकर जायें, आपने किसी को नही छोड़ा, चाहे आपके साथ रोज डिनर खाने वाले आडवाणी हों, चाहे आपकी प्रशंसा करने वाले अली मियां हों और शंकराचार्य हों।

अध्यक्ष महोदय जी, यह सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है. विश्वास टूट रहा है, आस्था टूट रही है। अब आस्था और विश्वास इस सिस्टम से नहीं टूट रहा है बल्कि इस सिस्टम को, इस संस्था को, इस देश को, इस सरकार को चलाने वाले जो मुखिया हैं, उनमें लोगों की आस्था टूट गई है और इस टूटी हुई आस्था को फिर से जीवित करने के लिए हम सबसे सहयोग लेंगे।

मैं समझता हूं, आज देश एक तूफान के कगार पर खड़ी है, मैं जानता हूं कि बुराईयों की ओर जा रहा है। मैं यह जानता हूं, मुझे इस बात का कोई अभिमान नहीं कि हम इसी घड़ी इसको ठीक कर देंगे लेकिन हम कोशिश करेंगे, इसको बचाने के लिए। हतोत्साहित होकर हाथ पैर हमारे फूले नहीं हैं, हम प्रयास करेंगे, इस देश की इस बिगड़ी घड़ी को निकालने की। बड़े घड़ियाल के आंसू बहाये जा रहे हैं, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए।

आपने अपने मुख्य मंत्री पद की याद दिलाई है, मैं उसका जिक्र नहीं करता। मैं इनके मुख्य मंत्री पद की जिम्मेदारी की इनको याद नहीं दिलाता लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उस समय की विधान सभा की प्रोसीडिंग्स को उठाकर आप देख लीजिए,प्रधान मंत्री जी का, मुख्य मंत्री का वह चेहरा बड़ा काला चेरा है, जिस पर हजारों बेगुनाह लोगों की लाशों के धब्बे लगे हुए हैं। आप हमको यह बातें याद मत दिलाइये, हम इस विवाद को इस स्तर पर नहीं लाते लेकिन आप हमको सिद्धांतों की शिक्षा दें, आप हमको कहें कि कुछ लोगों को आसानी से सरकारें मिल जाती हैं, सारे दिनों आप सरकारों में रहे, कभी सरकारों से बाहर आकर राजनीति करोगे तब पता चलेगा कि राजनीति क्या होती है, सरकारों के गलियारे से राजनीति करने वाले सिद्धान्त नहीं देते हैं। मैं जानता हूं, राजा भी सिद्धान्त दे सकते हैं लेकिन कोई बुद्ध दे सकता है, कोई महावीर जैन दे सकता है जो एक वर्ष नहीं, जिसने वर्षों तक तपस्या की हो, जिसने भूख, पीड़ा को देखा हो, वह राजा नहीं जो केवल तिकड़म के सहारे राजनीति के हर गलियारे में खेलने के लिए तैयार है।

मैं कहना चाहता हूँ कि पिछड़ों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जाति परम्परा है, एक बिगड़ी हुई जाति परम्परा जिसकी वजह से हमारे पिछड़े वर्गों के लोग जो गरीब हैं, निर्धन हैं··· (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : अध्यक्ष महोदय, चन्द्र शेखर जी से मुझे एक सवाल करना है।···(व्यवधान)···इनसे मुझे एक बात पूछनी है···(व्यवधान)···मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतने आरोप लगाए, जब वे मुख्य मंत्री थे, जब वे वित्त मन्त्री थे, जब वे डिफैंस मन्त्री थे, लेकिन मैं चन्द्र शेखर जी से कहना चाहता हूँ, इन्होंने बंगलौर के सैशन में जहां सभी पार्टियों का मिलान हुआ, क्या आपने इनको पार्टी का प्रैजीडेंट नहीं माना ? कैसे दी आपने इनके हाथ में बागड़ोर और कैसे आन्दोलन चलाया, आज ये कैसे कहते हैं। आज आप इनको दोषी ठहराते हो कि राजीव गांधी की कैबिनेट में थे···(व्यवधान) मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले सालों के अन्दर···(व्यवधान)···प्रेजीडेंट लीडर थे···(व्यवधान) डिसीजन होता था, पार्टी का मैनीफैस्टो बना, आपस में सब लोगों ने कलैक्टिव रिसपांसिबिलिटी·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नो प्वाइंट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर। अध्यक्ष महोदय, मैं इन मामलों में पड़ना नहीं चाहता हूँ। जब ऐसे गृह मन्त्री जी सवाल पूछें तो, मैं दो व्यक्तियों का तो याद दिलाना चाहूंगा-एक माननीय दंडवते जी को और एक माननीय चौधरी देवी लाल जी को। इन्हें याद होगा, जब बंगलौर में बड़े नेताओं की मीटिंग हुई, उस समय मुझ से कहा गया कि आप विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का नाम अध्यक्ष पद पद के लिए प्रस्तावित कीजिए। अजिल सिंह जी आपको याद होगा, मैंने कहा मैं केवल नाम का विरोध नहीं करूंगा, पर इस नाम का समर्थन या प्रस्ताव मैं कभी भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं बहुत सी बातें जानता हूं। अगर उन बातों को पूछने लगिएगा, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और बुरा नहीं होगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं इस विवाद को व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लाना चाहता हूं। लेकिन अचानक अभिनयकर्ता के नाते जो-जो ड्रामें किए गए, आप महोदय जानते होंगे, ड्रामे का पात्र कभी-कभी जब आता है, तो लोगों को उससे प्रसन्नता होती है। लेकिन अगर किसी ड्रामे को वही पात्र पूरी तरह से अपने ऊपर अच्छादित कर ले, तो ड्रामा ड्रामा नहीं रह जाता है, वह माखोल बन जाता है। मैं उस पात्र के बारे में नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि आज देश की समस्यायें है गरीबी की, भूख की, प्यास की। पिछड़ों के लिए आरक्षण है, लेकिन नौकरियां कहां हैं ? उनको रोजी देने के लिये आपने पास क्या साधन हैं ? क्या कभी उनके बारे में आपने सोचा ? महंगाई से पीड़ित लोगों के बारे में आपने आँसू बहाए ? बेगुनाह और बेबस लोगों को रोटी-कपड़ा देने के लिए क्या कभी सोचा ? धारणा पत्र में केवल यही बात नहीं थी, उस घोषणा पत्र में और अनेक बातें थीं। मैं आपसे कहता हूँ, आरक्षण के नाम पर चार महीने, तीन महीने, छः महीने हम आश्वासन के नाम पर उनको जिला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास साधन नहीं हैं, अगर हम अपनी पूरी अर्थ-नीति को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर हम उनको कैसे रोजी दे सकेंगे ? हमारे पास क्या साधन हैं ? सबसे बड़ी हमारे पास मानवशक्ति और श्रम-शक्ति है तथा करोड़ों लोगों को बाहों की ताकता है, लेकिन, अध्यक्ष जी, हमें उन पर भरोसा नहीं है। हमें भरोसा विदेशी पूंजीपतियों के ऊपर है और उनके सहारे से हम देश को बनाना चाहते हैं।···(व्यवधान)···इसलिए, दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि उस समय उद्योग नीति बनी। मैंने उद्योग नीति का विरोध किया। उस समय कहा गया था कि जल्दी ही उसकी सफाई होने वाली है। आठ महीने हो गए, सरकार चली गई, लेकिन उद्योग नीति के बारे में देश के लोगों को कुछ मालूम नहीं है। अर्थ-नीति के बारे में कुछ पता नहीं चला। मैं सोमनाथ चटर्जी

जी से निवेदन करूंगा, ये बुनियादी सवाल हैं, इस पर हम और आप आज से नहीं बरसों से लड़े हैं। मैं यह जानता हूं, जो दुध-मुहे बच्चे हैं, जो थोड़े दिनों से राजनीति में आए हैं, उनकी बातों का मैं कुछ जवाब नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मेरी भी राजनीति का काफी बड़ा रिकार्ड है, मैं इससे बहुत घबराता नहीं हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इन बुनियादी सवालों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन मैं आज यह कहना चाहता हूं कि अगर एक महिला पहले इसी पार्लियामेंट में, इन्हीं कांग्रेस के लोगों से समझौता करके, विनती करके पंजाब में चुनाव टालने के लिए आपने सर्वसम्मति से या बहुमत से कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट किया था, अगर मेरे जैसा आदमी यह समझता है कि आज अगर चुनाव होगे तो गांव-गांव, गली-गली में खून बहेंगे, फिर देश टुकड़े-टुकड़े में बंट जायेगा। अगर हम यह चाहते हैं कि इस समय चुनाव मत कराओ, इसके लिये किसी तरह सरकार को थोड़े दिन चलाओ, किसी तरह देश में शांति बने। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्य महोदय, इन विनम्र शब्दों से मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि सरकार के पत्र हमारे पास बहुत दिनों से आ रहे थे, मैंने नहीं लिये। (व्यवधान) जिनके जीवन में मैं यह पद कभी देखने को नहीं मिला, उनके लिए इन पदों की बड़ी मान्यता है, उनको बहुत लालसा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर इस देश को बचाना है, नये रास्ते पर लाना है, अगर विपन्नता से, बेबसी, लाचारी और वेदना से इस देश को निजाद देना है तो हमको प्रधान मन्त्री से निजाद लेना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि वे अब भी स्वयं चले जायें, नहीं तो इस सदन को अपनी राष्ट्रीयता, सभ्यता का निर्वाह करने के लिए उन्हें यहां से हटाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा खास तौर से अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से, हम जानते हैं कि एक काम है, हम सब मिल कर सद्भावना का वातावरण बनायें। उसमें हम सहयोग चाहते हैं, लेकिन फिर भी याद रखिये कि इस प्रशासन को चलाने के लिये, सरकार को चलाने के लिये कभी-कभी अप्रिय कदम उठाने पड़ते हैं और दुख के साथ उठाने पड़ते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आप प्रधान मन्त्री बनने के अपने प्रयास को क्यों नहीं त्याग देते हैं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अपनी कार्यवाही से आप चुनाव नजदीक ले आये हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : मैं अपने मित्र भाई खुराना जी से कहूंगा उसका बुरा न मानें। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव पर अनावश्यक गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं वे टकराव नहीं चाहते हैं, वे नहीं चाहते हैं कि बात बढ़े। मैं यह चाहूंगा कि हम विवाद को मिटाने के लिये मिल-बैठ करके कोई रास्ता ढूंढें, लेकिन अगर प्रशासन में कभी कठोर कदम उठाने पड़ें तो उसको आडवाणी जी, मजबूरी मानियेगा, इच्छा नहीं है। (व्यवधान) उसी तरह से प्रधान मन्त्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरी बातों का बुरा न मानें। मेरे विचार जो आपके बारे में पहले थे, अब भी वही हैं, हम उसको कहना नहीं चाहते। हम आज भी नहीं चाहते, अगर आप अपने को इतना ऊंचा नहीं मान लेते कि आप हमको सिद्धान्तों की शिक्षा दे सकें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। भगवान के लिए मुझे केवल एक प्रश्न पूछने दीजिए। मुझे भी राजनीति में काफी समय हो गया है अतः मैं जानना चाहती हूं कि जब वामपंथी दल भूल्य वृद्धि के विरुद्ध आन्दोलन चला रहे थे तो श्री चन्द्रशेखर उस समय हमारे साथ शामिल क्यों नहीं हुए, और एक संयुक्त आन्दोलन क्यों नहीं चलाया। इस प्रश्न का उत्तर मैं जानना चाती हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार मल्होत्रा को बुलाने से पहले मैं माननीय सदस्यों से धीरज रखने का अनुरोध करता हूं। कुछ नेता बोल रहे हैं। हर सदस्य एक नेता है। देश आपसे कुछ अपेक्षा करता है। हमारे सम्मुख इतिहास की एक महत्वपूर्ण स्थिति है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जब मैं सदस्यों को बोलने के लिए पुकारूं तो सभी सदस्य धैर्य के साथ बोल रहे सदस्य की बात सुनें। मैं आप सब से अनुरोध करता हूं कि मैं जिन नेताओं और सदस्यों को बोलने के लिए पुकारूं, तो उन्हें ध्यानपूर्वक सुनें। मैं अब श्री विजय कुमार मल्होत्रा को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रो सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

प्रो. सैफुद्दीन सोज : कृपया मेरी बात सुनिए। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इससे पहले कि नेशनल कांफ्रेंस बहिष्कार करे, इससे पहले कि भा ज पा का कोई वक्ता बोले···

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : कृपया मेरी बात सुनिए। इस दल ने यह शपथ ली थी कि वे भारत के संविधान के उपबंधों का पालन करेंगे। उन्होंने यह शपथ ली थी।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : कृपया मेरी बात सुनिए। उन्हें भारत के संविधान के उपबंधों का पालन करना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार मल्होत्रा इस सभा के माननीय सदस्य हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : उन्हें उच्चतम न्यायालय का फैसला मान लेना चाहिए। हम उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। वे भारत को फासिज्म की ओर ले जा रहे है। (व्यवधान) वे भारतीय संविधान को नहीं मान रहे हैं। वे उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं व्यक्ति के रूप में उनका सम्मान करता हूं लेकिन पार्टी के तौर पर नहीं। हम अब बहिष्कार करेंगे।

12.43 म. प.

इस समय प्रो. सैफुद्दीन सोज और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, मैंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया था, उनके लिए आपको लिखा था, उसको पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, चाहिए तो यह था कि अविश्वास के प्रस्ताव पर पहले बहस की जाती, परन्तु आपने प्रधान मन्त्री को विश्वास का मत प्राप्त करने की इजाजत दी है, मैंने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा था, उसे प्रारम्भ करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आश्चर्य हुआ जब प्रधान मन्त्री जी ने यहां पर यह कहा कि रामरथ रोकने, धर्मनिरपेक्षता व मंडल कमीशन के अतिरिक्त अन्य मुद्दों को न उठाया जाए। यह मुद्दों का सवाल नहीं है। रामरथ रोकने की बात को लेकर उन्होंने अपने भाषण की शुरूआत की। अध्यक्ष महोदय इस देश में, इस देश की जनता ने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को रामरथ रोकने के लिए, हिन्दुओं का खून बहाने के लिए, रामजन्म भूमि पर मंदिर न बनने देने के लिए प्रधान मन्त्री नहीं बनाया था। उनको जनता ने प्रधानमन्त्री बनाया था कि वे नेशनल फ्रंट के मेनीफैस्टो को लागू करें। क्या उन्होंने नेशनल फ्रंट मेनीफैस्टो, चुनाव घोषणा पत्र की एक भी चीज लागू की, अगर की है तो वे यहां पर बताएं। उसको बताने की जरुरत होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जिक्र किया है कि उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए यह सब किया और संविधान की रक्षा के लिए आज यहां पर कुर्बानी देने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कश्मीर के अन्दर संविधान की रक्षा हुई है। क्या कश्मीर के अन्दर दो

लाख सिक्ख और हिन्दू जो रहते थे, उनको मजबूरी की हालत में कश्मीर छोड़कर भारत के बाकी हिस्सों में नहीं आना पड़ा। क्या ये उनकी रक्षा कर सके। क्या जो वहां पर सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, उनकी रक्षा कर सके। एक बाबरी मस्जिद के ढांचे की रक्षा के लिए सारी सरकार का पूरा जोर लगा देने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक बार भी कश्मीर में तोड़े गए मंदिरों का जिक्र नहीं किया। आज उन मंदिरों के अन्दर पूजा करने वाला कोई नहीं बचा है। आज वहां पर कोई हिन्दुस्तानी राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडा नहीं लहरा सकता। किसी जगह पर राष्ट्रीय झंडा लहराने का मतलब है मौत को न्योता देना गोली का शिकार बनना। काश्मीर में कोई भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकता। जिस देश का प्रधान मन्त्री अपने देश में राष्ट्रीय झण्डा न फहरवा सके, जिस देश का प्रधान मंत्री अपने देश में अपने देश की जयकार बोलने वालों की रक्षा न कर सके, लोगों पर गोलियां चलना रोक न सके, क्या उसे देश का प्रधान मत्री बने रहने का अधिकार है ? प्रधान मन्त्री जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि क्या आपने एक बार भी जम्मू-कश्मीर में जाने की कोशिश की ? आप भागलपुर में गए, आप देश के प्रायः सारे हिस्सों में गए, काश्मीर के अन्दर आपने कदम नहीं रखा। वहां पर जो दर-दर की ठोकरें खाते हुए शरणार्थी हैं उनको सहायता देना तो दूर की बात है, उनके आंसू पोंछने के लिए भी आपने काश्मीर में जाना मुनासिब नहीं समझा।

अध्यक्ष महोदय, पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब के अन्दर कांग्रेस पार्टी ने आग लगायी थी, परन्तु आपने उसे बूचड़खाना बना दिया। पिछले एक साल में 2500 लोगों की वहां पर हत्या हुई है। पंजाब के अन्दर लोगों को बसों से उतार कर मारा जा रहा है, रेलगाड़ियों में मारा जा रहा है, परन्तु पंजाब के अन्दर आपने कोई कदम नहीं उठाया। न राजनीतिक कदम उठाया, न सामाजिक कदम उठाया, न प्रशासनिक कदम उठाया और न ही सारे हिन्दुस्तान की ताकत लगा कर आतंकवाद को रोका, न आपने वहां पर आतंकवाद के खिलाफ लोगों को संगठित किया और न आपने वहां चुनाव करवाए। आपकी पदयात्रा का क्या हुआ ? प्रधान मन्त्री जी, यह आप देश को बताएं। अयोध्या में सेना तैनात की गयी, उत्तर प्रदेश के सब शहरों में सेना तैनात की गयी, राजस्थान में सेना तैनात की गयी, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में सेना तैनात की गयी, परन्तु आपने पंजाब में सेना तैनात नहीं की। पंजाब में सेना डिप्लाय नहीं की। क्योंकि आपकी नजर कुर्सी पर थी, आपकी नजर आने वाले मध्यावधि चुनाव के अन्दर वोटों के ऊपर थी। पंजाब के लोग अपनी लाशें गिनते रहे और आप अपने वोटों की गिनती करते रहे। आपने पंजाब को आज बरबादी के कारगर पर खड़ा कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के शासन काल में क्या हालत मंहगाई की हुई है। मंहगाई के आंकड़े मेरे पास हैं, परन्तु मैं उन आंकड़ों में अधिक नहीं जाना चाहता हूं। आज 10 रुपये किलो आलू है, 8 रुपये किलो प्याज हो जाए और महंगाई रोकने का दावा देश के अन्दर करने वाला प्रधान मंत्री महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम न उठा पाए हों और फिर भी यहां पर आकर अपने प्रधान-मंत्रीत्व काल की प्रशंसा करे तो यह एक विडम्बना है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा विश्वासघात इस सरकार ने किया है तो देश के नौजवानों के साथ किया है। देश के नौजवानों को कहा था कि हम काम का अधिकार मूलभूत अधिकार बनायेंगे,

हम काम के अधिकार में हर आदमी को रोजगार देंगे । इस बात पर देश के नौजवानों ने इकट्ठा हो कर पसीना बहाया, खून-पसीना एक किया और इनको प्रधान मंत्री पद दिया। परन्तु आपने उसके बाद उनको क्या दिया ? क्या आपने उनको रोजगार दिया ? आपने मण्डल कमीशन दिया । हम भी मण्डल कमीशन की भावना के हक में हैं। हम भी पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने के पक्ष मे है और उनको नौकरियों और दूसरी जगहों पर आरक्षण दिया जाए यह बात हमने भी कही है । परन्तु प्रधान मन्त्री जी, आप यह बात बताइये कि हिन्दुस्तान के साढ़े तीन करोड़ लोग जो बेरोजगार थे, जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज थे उसके बाद इस साल 65 लाख लोग और कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराने आए हैं, उसमें से नौकरी कितनों को मिली ? केवल दो लाख को। सरकारी नौकरियों पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है, जो कांग्रेस सरकार के शासन से चल रहा है, 1984 से चल रहा है उसको आपने नहीं हटाया । लाखों नौजवान अपनी सीमा को पार कर गए और उसके बाद भुखमरी और मौत का शिकार होने के लिए मजबूर हुए । आपने कोई कदम नहीं उठाया । आपने केवल शब्दों से शहीद होने के लिये इस सैशन को बुला कर कुछ मुद्दे रखने की कोशिश की है। आपने कहा, मैंने मण्डल कमीशन लागू किया और मण्डल कमीशन लागू करके मैंने पिछड़ों को आगे लाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इतने महीने बीत गए क्या पिछड़े वर्ग के एक आदमी को आपने इस आरक्षण के अन्तर्गत नौकरी दी है ? आपको मालूम था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आपको मालूम था किसी को नौकरी नहीं मिलेगी । आपने बिना पढ़े, बिना समझे, बिना किसी से बात किए, बिना सहयोगी दलों को विश्वास में लेकर बिना राष्ट्रीय सहमति बनाए उसे लागू कर दिया । उसको लागू करने के बाद सैकड़ों नौजवानों ने स्कूल व कालेज के बच्चों ने आत्म-दाह कर लिया, देश के कोमल फूल घू-घू करके जलते रहे और आप मे इतनी संवेदना नहीं थी कि उनको रोकने की कोशिश करते और बातचीत करके उन्हें बचाने की कोशिश करत। जितने लोगों ने आत्मदाह कर लिया उतने ही पिछड़े-वर्ग के लोगों को आपने नौकरी नहीं दी और गलत तरीके से आत्म प्रचार करते रहे सारे देश को जातिगत युद्ध के अन्दर आपने धकेल दिया । प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि आज केवल धर्म-निरपेक्षता के मुद्दे पर बहस होनी चाहिये । प्रधानमन्त्री जी ने कहा है कि आज केवल धर्म-निरपेक्षता के मुद्दे पर बहस होनी चाहिये । प्रधान मन्त्री जी कहते है कि यदि कोई पार्टी या वर्ग संविधान के ऊपर अपनी आस्थाओं को समझता है तो संविधान की रक्षा के लिए उन्हें उससे लड़ना पड़ता है । मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हू कि क्या संविधान में "कामन सिविल कोड" निदेशक सिद्धान्तों में नहीं है। संविधान में सभी देशवासियों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात कही गई है । पर आपने घुटने टेके और कहा कि मैं इसको कभी लागू होने दूंगा । यह संविधान के ऊपर महजबी आस्था को वरियता देने की बात है या नहीं ? आपने कानून की रक्षा की बात की है । हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं और उनकी आस्थाओं का किसी को विचार नहीं आता । रामजन्म भूमि विवाद पर तो हमारे नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी विस्तार से बात करेंगे ।

परन्तु धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है ? विश्व भर में धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कानून के आगे सब की बराबरी । सबको एक समान अधिकार । हिन्दू, सिख, मुस्लिम, इसाई सब बराबर के अधिकारी हों, हम इसे स्वीकार करते है । मेरी पार्टी इसे केवल स्वीकार नहीं करती, यह उसके लिए आस्था का प्रश्न है । परन्तु हिन्दुस्तान में हिन्दुओं को जो एक हजार वर्षों से दूसरे और तीसरे

दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया, वह स्थिति अब आगे नहीं चल सकती। 86 प्रतिशत की जनसंख्या वाले हिन्दुओं के लिये अपने देश में हिन्दू होना अपराध हो जाए, अभिशाप बन जाये तो ऐसी धर्म निरपेक्षता को हम स्वीकार नहीं करते। किसी मस्जिद का इमाम इस देश की सरकार को चलाये, उसके कहने से उठाये जाये यह धर्म निरपेक्षता नहीं है। हमें कहा जाता है कि आप इतिहास को भूल जाइये और भूल जाइये कि इतिहास में क्या-क्या नृशंस अत्याचार हुए थे। विदेशी आक्रमणकारियों ने मन्दिरों को तोड़ा, मूर्तियों को खण्डित किया था। भूल जाइये कि लाखों लोगों का खून बहाया गया था और यहां के लोगों को, स्त्रियों को गुलाम बनाकर विदेशों में जाकर नीलाम किया था। हम यह सब भूलने के लिये तैयार हैं परन्तु मुसलमानों को भी भूलना होगा कि अब बाबर इस देश में राज नहीं कर सकता। अब इस देश में हिन्दू अत्याचार सहन नहीं करेगा।

प्रधानमन्त्री ने स्वयं कहा है कि राम जन्म स्थान पर मस्जिद नहीं सिर्फ एक ढांचा है। सब जानते हैं कि वहां 1936 से नमाज नहीं होती। वहां कोई मुसलमान जा नहीं सकता। वहां भगवान राम की मूर्तियां रखी हुई हैं। जहां मूर्तियां रखी हों वह मस्जिद कैसे हो सकती है? वह तो केवल बाबर का स्मारक है। उसको हटाने में कैसे आपत्ति हो सकती है? जार्ज पंचम की मूर्ति आपने इंडिया गेट से हटाई। नवीन विक्टोरिया का बुत, एडवर्ड की प्रतिमा सब हटाये गये। हार्डिंग लाइब्रेरी, हार्डिंग पुल, इरविन के नाम से जुड़ा संस्थाओं के नाम सब बदले गये। सारे विदेशी स्मारक इस तर्क पर हटा दिए गए कि वे विदेशी आक्रमण के प्रतीक हैं। तब तो किसी ने ईसाइत का प्रश्न नहीं उठाया और विरोध किया कि ईसाइयों की पहचान का सवाल है?

[अनुवाद]

श्री अम्बुल समद (वेल्लोर) : क्या बाबरी मस्जिद के अन्दर कोई मूर्ति है? मैं यह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : राम मूर्तियां उसी जगह पर रखी हुई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रतिलाल जी आप बैठ जायें।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : जब कभी हिन्दुस्तान पर आक्रमण हुए, उन आक्रमणों के समय जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, लाखों लोग राम जन्म स्थान को मुक्त कराने के लिये मृत्यु को प्राप्त हुये। लाखों लोगों ने अपने सिर कटवाये और उनके बन्द-बन्द काटे गए। उस समय जब उनके सिरों की मीनार खड़ी की जा रही थी तो उनके मन में एक ही आशा और विश्वास था कि एक दिन हिन्दुस्तान आजाद होगा एक दिन हिन्दुस्तान स्वतन्त्र होगा और उस समय राम जन्म स्थान फिर से मुक्त होगा। उन्होंने यह नहीं सोचा था, उनको यह मालूम नहीं था कि हिन्दुस्तान की आजादी के 43 साल बाद जब निहत्थे, बिना हथियारों के राम धुन गाते हुए हिन्दुस्तान के लोग जब रामजन्म स्थान की ओर बढ़ेंगे तो इस देश के मुख्यमन्त्री उनको गोलियों से भून डालेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, आपका नेता बोल रहा है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं कहना चाहता हूं कि कोई आदर्श की बात नहीं है, कोई सिद्धान्तों की बात नहीं है। ये जितने लोग हैं ये सीधे सीधे मौत के सौदागर हैं और हिन्दुओं के खून की नदी पर बैठकर अपने सपनों को रंगीन करने का ख्वाब देख रहे हैं। ये शवों को नोच-नोच खा जाने वाले गिद्धों की तरह हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति और आने वाले समय में अपने वोट बैंकों को पक्का करने में लगे हैं।

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : आप भी हिन्दुओं का वोट बनाना चाहते हैं। बेकसूरों को आपने मरवाया है।

अध्यक्ष महोदय : मक्कासर जी आप बैठ जायें, ऐसा नहीं हुआ करता है. आपको धीरज से सुनना पड़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बार-बार कह रहा हूं कि जिसको मैं बोलने के लिये इजाजत देता हूं उसको डिस्टर्ब न करें, बीच में इंटरप्ट न करें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सैकड़ों लोगों का खून बहाया गया, यह दुखदायी है, परन्तु खून बहाने के बाद मुलायम सिंह को बधाई देने वाले, उस खून को नदी पर जश्न मनाने वाले ऐसे लोग भी इस देश में मौजूद हैं, धिक्कार है ऐसी भावना पर।

श्री शोपत सिंह (मक्कासर) : आपने दीवाली मनाई और लड्डू बांटे।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आज इस सरकार के सबसे बड़े समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लोग हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने इतिहास के अन्दर हमेशा से गद्दारों का साथ दिया है। वे वही कम्युनिस्ट लोग हैं जिन्होंने हिटलर के लिए तालियां बजाई थीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ बाबू बोलने वाले हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी इसका उत्तर देंगे, आप कृपया बैठ जाएगा। आप अन्य सदस्यों के भाषण सुनने का धैर्य भी रखिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : हिटलर का समर्थन करने वाले और 1942 में स्वतन्त्रता संग्राम में दमनकारी और हत्यारी अंग्रेज सरकार का समर्थन भी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था।

1.00 म. प.

अध्यक्ष महोदय, 1962 में हिन्दुस्तान और चीन की लड़ाई में कम्युनिस्टों ने चीन का साथ दिया और तिनमन स्क्वायर, पीकिंग में जब लाखों नौजवानों पर टैंक चला दिये गये तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उन लाखों नौजवानों को मारने का भी समर्थन किया था। अध्यक्ष महोदय, यही कम्युनिस्ट पार्टी इनका समर्थन कर रही है। इन्होंने श्री मुलायम सिंह यादव को बधाई भेजी है। इन्होंने जश्न मनाये हैं खून की नदी पर। इनको देशभक्ति और धर्मनिरपेक्षता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जयप्रकाश जी, आप बैठ जायें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, संविधान में धर्मनिरपेक्षता की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि इन्होंने राम रथ रोका और अपनी सरकार को दाव पर लगा दिया। वे राम रथ कैसे रोक सकते थे? कंस ने कितनी कोशिश की कि कृष्ण पैदा न हो, रावण ने चाहा कि राम सफल न हों लेकिन न कंस सफल हुआ, न रावण। मुलायम सिंह और वी. पी. सिंह कहां सफल होंगे? राम जन्म स्थान पर मन्दिर तो अब बनेगा। कोई संसार की ताकत इसे रोक नहीं सकती। हम चाहते हैं कि वह शान्ति से बन जाये, सदभावना से बन जाये। जनता दल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मुस्लिम लोग सब धर्मनिरपेक्षता का सवाल उठा रहे हैं। तो आप इस चक्कर में क्यों पड़े हैं कि यह पार्टी छोड़ दे या कोई और छोड़ दे। कौन सरकार बनाये? आप सब जनता के सामने क्यों नहीं जाते हैं? हम सारे दलों को चुनौती देते हैं कि राम जन्म भूमि के सवाल पर, पंजाब और कश्मीर के सवाल पर देश की जनता के सामने जायें और जनादेश मांगे तब पता चल जायेगा कि देश की जनता किस के साथ है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि हम समझते हैं कि इस प्रस्ताव के विरुद्ध मत इस देश की धर्म-निरपेक्षता के विरुद्ध है, यह साम्प्रदायिक और पक्षपातपूर्ण कारणों से इस देश के विघटन के लिए है। महोदय, जहां तक इस सभा के स्वरूप का संबंध है, यहां पर बहुमत उन लोगों के समर्थन से आया है जिन्होंने जानबूझ कर राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार को हराया और ऐसे चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर देश पर शासन करने के लिए एक सरकार आई जोकि राष्ट्रीय मोर्चे का घोषणा पत्र था, जिसका अन्य पार्टियों ने समर्थन किया था। महोदय, जहां तक मेरी पार्टी का

संबंध है, हमारे और जनता दल के घोषणा पत्र में भी अनेक मतभेद हैं। हमारे तथा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के बीच भी काफी अन्तर है। लेकिन जब इस देश के लोगों ने गैर कांग्रेसी सरकार के पक्ष में अपनी निश्चित इच्छा व्यक्त की और जब जनता दल, राष्ट्रीय मोर्चा, सरकार बनाने की स्थिति में था तब हमने और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने इस आधार पर इस सरकार को अपना समर्थन व्यक्त किया कि उनका चुनाव घोषणा पत्र कार्यान्वित होना चाहिए। यह माना गया था कि हमारे मतभेद और भारतीय जनता पार्टी तथा जनता दल के बीच मतभेद टकराव की स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे। इसी वजह से आडवाणी जी ने इस सभा-कक्ष में बार-बार कहा था कि वे संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के प्रति वचनबद्ध हैं लेकिन यह कभी भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा जिस पर वे सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। उन्होंने दूसरे मुद्दे भी उठाए हैं परन्तु उन्होंने कभी मतभेद या समर्थन वापस लेने की बात नहीं कही। आज ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। प्रधानमंत्री को सदन मे विश्वास का मत प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों हुई? इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन केवल एक ही कारण से वापस ले लिया है—स्पष्ट कारण यह है कि रथ यात्रा को रोक दिया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन बातों के अलावा इस देश के बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे पंजाब, कश्मीर असम की समस्याएं, मूल्य वृद्धि की समस्या, बेरोजगारी की समस्या और अन्य कई समस्याएं हैं। खाड़ी समस्या के कारण हमारी आर्थिक समस्याएं बढ़ गई हैं। इन सारी समस्याओं को भुला दिया गया। किसी ऐसे मसले पर जो देश की जनता के जीवन को तथा देश के भविष्य को प्रभावित कर सकती है और जिस पर चर्चा कराई गई थी और जिस पर समझौते का कोई आधार नहीं रहा होता तो उनका यह दृष्टिकोण मेरी समझ में आता है और वे उन्होंने अपनी नीति और कार्यक्रम बना सकते थे। लेकिन केवल इसी कारण कि रथ-यात्रा रोक दी गई है तथा विवादग्रस्त भूखंड पर मंदिर निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है, जो कि कानूनी प्रक्रिया का मामला है तथा जिस के लिए न्यायालय ने यथा स्थिति बनाए रखने का स्पष्ट आदेश दे रखा है और चूंकि सरकार ने इस स्थान पर मंदिर निर्माण की अनुमति नहीं दी गई इसलिये भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है।

आज हम जनता दल से अलग हुए धडे के संस्मरण को सुन रहे हैं जो देश के भविष्य की बातें कर रहे हैं। अब, उन्होंने वर्तमान प्रधान मंत्री से व्यक्तिगत द्वेष के कारण उस कांग्रेस (इ) दल का समर्थन जानबूझ कर प्राप्त करने का निर्णय किया है, जिसे लोगों ने अपमानजनक तरीके से नकार दिया था। क्या यही तरीका है देश के भविष्य का निर्णय करने का? मैं श्री चन्द्रशेखर से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह आडवाणी जी को अपने रथ यात्रा को आगे बढ़ाने और उस स्थल पर मंदिर निर्माण करने की अनुमति देंगे। वे क्या करना चाहते हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस (इ) उन्हें ऐसा करने की अनुमति देगी या नहीं। इस प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने तथा कांग्रेस (इ) ने यह तय कर लिया है कि वे विवादग्रस्त भूखंड पर मंदिर निर्माण की अनुमति दे देंगे अन्यथा वे इस सरकार का विरोध कैसे कर सकते जिसे आज मंदिर निर्माण के प्रश्न पर ही इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, श्री चन्द्रशेखर ने अब दूसरों का समर्थन मांगा है। उनका कहना है कि चालक अक्षम है लेकिन यहां किसी ओप, ट्राली अथवा ट्रालर चलाने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है

कि यदि वह सरकार बनाते हैं तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ? उनके हाथ में स्टीयरिंग हो सकता है लेकिन क्लच और गियर पर किसका नियंत्रण होगा (व्यवधान) । ऐसा लगता है कि उन्हें श्री राजीव गांधी से समर्थन पाने का पूरा भरोसा नहीं है इसीलिए वह आडवाणी जी को भी खुश करने का प्रयास कर रहे है । साथ ही इस पर देश की जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी वे इससे भी भयभीत हैं । इसलिये वे खुराना जी और आडवाणी जी को मित्रवत यह चेतावनी दे रहे हैं कि, 'आपके विरुद्ध मुझे कुछ कठोर कारंवाई करनी होगी' । मैं आडवाणी जी से पूछना चाहता हूं जिसे वह खुद अपने विवेक से समझ सकते हैं—महाकाव्य रामायण मे राम रथ रावण तथा उसके साथी राक्षसों जो बुराई के प्रतीक थे, के संहार के लिये लंका गया था । लेकिन आडवाणी जी की रथ यात्रा किसका नाश करने जा रही है या आज वे सांप्रदायिकता रूपी रावण और उसके असुरों जो कि कांग्रेस (इ) है उसे पुनर्जिवित करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, धर्म निरपेक्षता का मामला हमारे लिये विश्वास की बात है । यह एक ऐसा देश है जिसमें प्रत्येक संप्रदाय और प्रत्येक धर्म के लोगो को केवल यहां रहने का ही अधिकार नहीं है बल्कि वे सभी अधिकारों का पूरा लाभ उठाने के हकदार हैं । क्या हम यह चाहेंगे कि चूंकि उन्हें केवल एक मंदिर का निर्माण करना है इसलिये अल्प संख्यकों को अधिकार से वंचित कर दें तथा देश की एकता और अखंडता को खतरे में पड़ जाने दें ? क्या यही एक मात्र मुद्दा देश के भाग्य का निर्णय करेगा ? महोदय, दृष्टिकोण बहुत ही साफ है । हम प्रधान मंत्री का समर्थन इस लिये कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाया है और अपनी सरकार की कुर्बानी दी है तथा वे हमारे संवैधानिक स्थिति मे परिवर्तन करने के लिये सत्ता की कुर्सी से चिपके नहीं रहे ।

श्री बसन्त साठे (वर्धा):आप वास्तव में आप चाहते हैं कि वे कुर्बानी दें । परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया है । आप सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें कुर्बानी देनी चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : वह पहले से ही प्रधान मन्त्री हैं । आपने उनकी बात सुनी है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मूल प्रश्न यह है कि क्या वह इस देश की एकता बनाए रखेंगे, क्या हम अपना धर्म निरपेक्ष स्वरूप बनाए रखेंगे अथवा यह देश धर्म के आधार पर बंट जाएगा जिसने इस देश की एकता और अखण्डता को खतरे में , डाल दिया है ।

महोदय, इस सभा के गठन और विभिन्न राजनीतिक दलो के ज्ञात विचारो से हमें प्रतीत होता है कि इस प्रस्ताव के स्वीकार किए जाने की सम्भावना नहीं है । लेकिन आज हमें क्या मिला है । भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस (आई) और अलग हुए गुट के लोग धर्म निरपेक्षता के नाम पर इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस (आई) के बीच क्या अन्तर है ? हमें तो कुछ अन्तर प्रतीत नहीं होता है :

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : आप वह 11 महीने भूल गए हैं । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस (आई) के बीच लक्ष्यों और कार्यों की अजीब एकता देख रहे हैं । उनमें कोई अन्तर नहीं है ।

महोदय, सरकार के साथ हमारे अनेक मतभेद हैं। हमने इस सरकार की आर्थिक नीति का विरोध किया था। हमने इस सरकार की औद्योगिक नीति के प्रति भी काफी आपत्तियां की थी। महोदय यहां तक कि हमने आवश्यक सेवा अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग करने का भी विरोध किया है। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आडवाणी जी को गिरफ्तार करने का निश्चित रूप से विरोध करता हूं क्योंकि यह एक कठोर नियम है जिसका कभी भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आज का मुद्दा मूलभूत अधिक है। इन मुद्दों का समाधान किया जा सकता है और किया जाएगा। पंजाब और कश्मीर समस्या से निपटने के बारे में भी हमारे मतभेद है। ये ऐसे मुद्दे है जो इस देश के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन पर निर्णय किया जाना है और लिया गया होता। अब पंजाब, कश्मीर और असम के भविष्य का अथवा आर्थिक स्थिति का प्रश्न मुख्य नहीं हैं बल्कि अब मुख्य प्रश्न यह बन गया है कि धर्मनिरपेक्षता का भविष्य क्या है और क्या सम्प्रदायवाद धर्मनिरपेक्षता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा।

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप ये बातें पिछले 11 माह में भूल गए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इसे भूले नहीं थे। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : कांग्रेस दल कभी भी भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध नहीं रहा। आप ही 11 माह से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अब आप इस सभा के सामने आ रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आडवाणी जी को लगभग दो दशकों से जानता हूं। मुझे विश्वास है कि वह उनके प्रति मेरे व्यक्तिगत सम्मान को जानते हैं। लेकिन उन्हें इस देश के लोगों को यह उत्तर देना है और जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि सरकार भी कोई समझौता नहीं कर सकती है "क्या हम इस देश को अस्थिर होने देंगे ? क्या हम धर्म के आधार पर इस देश को अस्थिर होने देंगे ? क्या हम इस धर्मशासित राज्य बनने देंगे कि क्या हम इस देश को धर्मशासित राज्य में परिवर्तित होने देंगे ? जबकि कुछ मुद्दों पर हमने सहयोग किया लेकिन इस देश में सभी जानते हैं कि हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच बहुत मतभेद हैं और हम उन्हें मानते हैं। हमने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि जब तक जनता दल अपना चुनाव घोषणा पत्र लागू करती रहेगी हम उन्हें समर्थन देंगे। वह भारतीय जनता पार्टी की राम मन्दिर से सम्बन्धित नीति को समर्थन करना नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 की नीति का समर्थन करना नहीं है हमने उनका कभी समर्थन नहीं किया ये विषय इतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए हैं और उन्होंने इस देश के भविष्य, इसकी एकता और अखंडता पर इसके गम्भीर प्रभाव नहीं देखे। अगर एक बार सरकार विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी को वहां मन्दिर बनाने के लिए अनुमति देने हेतु विधि के शासन, न्यायालय के आदेश, संवैधानिक उपबन्धों और इस देश के अल्पसंख्यकों की भावनाओं को अनदेखा कर दे, तो उनकी यह मांग थी "यदि आप मस्जिद को नहीं गिराते तो उसे किसी दूसरे स्थान पर स्थापित कर दें।" उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ?

प्रश्न यह है कि यदि एक बार हम इसे स्वीकार कर लें तो खालिस्तान की मांग, इस देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में धर्मशासित राज्य की मांग के लिए आप क्या करेंगे ? आप क्या कहेंगे ? उनका उत्तर क्या होगा ?

जैसा कि मैंने कहा कि इस देश के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे और समस्याएं हैं। क्या यह समय सरकार को अस्थिर करने वाले मुद्दे उठाने का है ? इसका प्रभाव क्या होगा ?

हम जानते हैं कि 1989 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। वह आदेश बिल्कुल स्पष्ट था। इन्हें न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया था। न्यायालय का आशय था कि किसी भी पक्ष को यथास्थिति बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यथास्थिति का अर्थ है कि सभी पक्ष स्थिति वैसी ही रहने दें जैसी कि है। यह निदेश उन सम्पत्तियों के बारे में था जिनकी जांच हो रही है अथवा विवाद चल रहा है।

> "यथा स्थिति का अर्थ है कि इस मामले में दोनों पक्षों को यह आज्ञा दी जाती है कि विवादास्पद सम्पतियों की स्थिति में परिवर्तन अथवा संशोधन न करें। हमने स्पष्ट किया कि 14 अगस्त, 1989 के आदेश दावे में उल्लिखित सम्पूर्ण सम्पत्ति, जिसमें प्लाट सं. 586 और यहां तक कि स्थल योजना में ई आई जी एच शब्दों में उल्लिखित सीमा भी शामिल है, के सम्बन्ध में थे :"

विश्व हिन्दू परिषद ने 27 सितम्बर, 1989 को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया था जो अति महत्वपूर्ण हैं, हमें उसे याद रखना चाहिए। मैं उसे यहां उद्धृत कर रहा हूँ :

> "विश्व हिन्दू परिषद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के 14.8.1989 को दिए गए निदेशों को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करती है कि दावे के पक्षकार यथास्थिति बनाए रखेंगे और विवादास्पद सम्पत्ति की प्रकृति को नहीं बदलेंगे तथा इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि शांति और सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे।"

इस पवित्र समझौते, न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद ने इस बात पर जोर दिया और अब भी जोर दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लिया क्योंकि वे अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं जो इस समझौते व न्यायालय आदेशों के विपरीत है। (व्यवधान)

यदि श्री चन्द्रशेखर जो यहां होते तो मैंने उनसे यह पूछा होता कि कांग्रेस सरकार द्वारा उस क्षेत्र में शिलान्यास की अनुमति देने के निर्णय के प्रति उनका क्या रवैया रहेगा। (व्यवधान) निःसन्देह कांग्रेस को इसका उत्तर देना होगा। वह धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। उन्होंने शिलान्यास की अनुमति कैसे दे दी ? (व्यवधान) उन्होंने नींव रखने की अनुमति दी। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : हमने केवल गैर-विवादास्पद क्षेत्र में इसकी अनुमति दी थी न कि विवादास्पद क्षेत्र में। आपको यह पता होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने शिलान्यास की अनुमति दी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : साठे साहब, आप जब विस्तार से बोलेंगे तो हाउस को समझा देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी ने इस सदन में एक लिखित उत्तर में कहा है कि शिलान्यास मेरे-विवादास्पद क्षेत्र में किया गया है। (व्यवधान) क्या आप इसको चुनौती दे सकते हैं ? मैं उस उत्तर को यहां लाऊंगा। माननीय गृह मन्त्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि शिलान्यास गैर-विवादास्पद क्षेत्र मे किया गया है। श्री आरिफ मोहम्मद खां ने भी इस बात को दोहराया। (व्यवधान) महोदय, उन्हें तथ्यों को बिगाड़कर पेश करने की अनुमति न दें।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहना था वह कह लिया। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कांग्रेस (आई) ने हिन्दुओं में अपने मतदाता बनाने के लिए इसका समर्थन किया। उन्होंने जानबूझकर विवादास्पद क्षेत्र मे नींव रखने की अनुमति दी। यदि उनके अनुसार गैर-विवादास्पद क्षेत्र में नींव रखने की अनुमति दी जाती तो क्या वह समझते हैं कि मन्दिर वहां बनाया जाएगा ? उनकी मांग है कि उसी पवित्र स्थान में मन्दिर बनाया जाए जिसे वह गिराना चाहते हैं। कांग्रेस ने इसकी अनुमति दी। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : नहीं, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, तो शिलान्यास का उद्देश्य क्या था ? (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : एक वरिष्ठ नेता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री राजीव गांधी जी सरकार से मांग कर रहे थे कि रथ यात्रा को बन्द किया जाना चाहिए। जब इसे रोक दिया गया तो उन्होंने सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी···

श्री बसंत साठे : कब ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब इसे रोक दिया गया था तो उन्होंने यह कह कर सरकार की आलोचना शुरू कर दी कि स्थिति मे उचित तरीके से निपटा नहीं गया। (व्यवधान) अब वे इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : इस बारे में आपने क्या किया ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : रथ यात्रा को रोक देने के बाद अब कांग्रेस (ई) उसका लाभ उठा रही है। अब अपने राजनीतिक लाभ के लिए वे जनता दल का साथ छोड़ने वाले कुछ सांसदों का समर्थन कर रहे हैं। विडम्बना यह है कि आज व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए स्थिति को और बिगाड़ा जा रहा है। वे इस स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद ने साम्प्रदायिक सौहार्द और साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए एक संकल्प पारित किया है। कांग्रेस (ई.) ने सर्वदलीय सम्मेलन में और इसके पश्चात् राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में भाग

नहीं लिया था। बात 17 अक्तूबर 1990 की है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस (ई.) ने इसमें भाग नहीं लिया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बेंजामिन जी मेरे अनुमति के बिना आप बोल नहीं सकते हैं। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। क्या आप अपनी जगह पर बैठेंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब से आडवाणी जी ने अपनी रथ यात्रा शुरू की है देश में साम्प्रदायिक स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो गयी है। साम्प्रदायिक दंगे और भयंकर घटनायें हो रही है। देश के अनेक भागों में निर्दोष लोग बिना किसी कारण ही मारे जा रहे हैं।

श्री वसंत साठे : आपने उन्हें शुरू मे ही इसे रोकने की सलाह क्यों नहीं दी ? आपने उन्हें क्या परामर्श दिया ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, वे आपको बोलने की अनुमति नही दे रहे हैं। आपको हो क्या गया है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम यह बात भूल नही सकते हैं कि इस देश में हमेशा अराजकता फैलायी गयी है।

श्री वसंत साठे : उन्होंने हजारों लोगों की हत्या होने दी।

अध्यक्ष महोदय : साठे जी कृपया उनके भाषण में बाधा मत डालिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद हुए साम्प्रदायिक दंगों के कारण देश की एकता एवम् अखण्डता को गम्भीर खतरा हो गया है। क्या हम चाहते हैं कि धर्म के नाम पर इस देश के लोग आपस में झगड़ा करें ? क्या वे चाहते हैं कि देश जिन बड़े राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से जूझ रहा है उसका समाधान नहीं करने में हमें अपनी शक्ति नष्ट करनी चाहिए क्योंकि एक विशेष धर्म को मानने वाले निर्दोष व्यक्ति मारे जायेंगे ? क्या तरह से हम इस देश की एकता और अखंडता को बनाये रख सकते हैं ? क्या हम इस विघटनकारी प्रवृत्तियों को नहीं रोक सकते हैं ? हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि यह सिर्फ धर्म का मुद्दा नहीं है। अन्यथा हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को इतने स्पष्ट रूप से रथ पर नहीं देखते। (व्यवधान) श्रीमती विजयाराजे सिंधिया ने खुल कर कहा है कि अगामी चुनाव के समय राम जन्म-भूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान का मुख्य मुद्दा होगा। लेकिन क्या राजनीतिक कारणों से रथ निकाला गया था और रथ यात्रा शुरू की गयी थी ?

अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 अक्तूबर 1990 के बाद भी कार सेवक कार सेवा जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। यह बात बहुत ही गंभीर बात है। (व्यवधान)

श्रीमती मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण):सांम्यवादियों ने ग्यारह महीनों तक अपनी आंखे बन्द किए रखी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वामपंथी दल ही इसके विरुद्ध लगातार संघर्ष कर रहे हैं। (**व्यवधान**) साम्प्रदायिक सौहार्द और सद्भावना बनाये रखने के लिए वामपंथी दल ही बैठकें और प्रदर्शन कर रही हैं। और हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस मामले में उचित भूमिका अपनायी है। लेकिन 30 अक्तूबर 1990 को हमने क्या देखा ? वह देश के लिए दुखद दिनों में से एक था।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी बात एक या दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री मुरली देवरा : ग्यारह महीने तक वे आडवाणी जी के साथ रहे और अब वे यह कह रहे हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : पिछले चुनाव में आपने भी यह कहा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कार सेवकों ने कार सेवा जारी रखने की चेतावनी दी है। इस बात की अफवाह फैलायी गयी थी कि कार सेवा शुरू हो गयी है और यह 30 अक्टूबर को आरम्भ हो गयी है। ऐसा सिर्फ एक सम्प्रदाय के बहुसंख्यक वर्ग के लोगों की भावनाओं को जगाने के लिए किया गया था और कार सेवकों ने कार सेवा जारी रखने की चेतावनी दी थी। जब अचानक जनता दल विभाजित हो गया तो कार सेवकों ने कार सेवा जारी रखने की अपनी चेतावनी वापस ले ली।

अतः किसके लाभ के लिए वे कार्य कर रहे हैं ? किसके साथ उनका कोई समझौता हुआ था ? क्यों उन्होंने कार सेवा वापस क्यों ले ली थी ? देव पूजा करने के पश्चात् वे चुपचाप क्यों चले गये ?

महोदय, हम यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने देश की एकता और अखण्डता तथा धर्म निरपेक्षता के साथ कभी समझौता नहीं किया और हम इस बात पर कभी समझौता नहीं करेंगे (**व्यवधान**)

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे के इस विवादाग्रस्त प्रश्न पर शिलान्यास का विरोध करते हुए तथा साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने का अनुरोध करते हुए तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात-चीत द्वारा समस्या के निदान के संदर्भ में इस संसद ने 13 अक्तूबर 1989 को एक संकल्प पारित किया जिसका समर्थन सभी दलों ने किया। लेकिन जहाँ तक इस संसद के निर्णय का संबंध इसकी उपेक्षा की गयी है। इसी कारण आज जब इस देश की धर्म निरपेक्षता की परीक्षा की घड़ी है हम इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। आज इस बात की परीक्षा होनी है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहेगी अथवा नहीं। साम्प्रदायिक सद्भावना और शांति बनी रहेगी अथवा नहीं, इसकी भी परीक्षा होनी है। आज यह देखना है कि विधि का शासन बना रहेगा अथवा नहीं। क्या कोई सरकार न्यायालय के आदेशों का जानबूझ कर उल्लंघन करने की अनुमति दे सकती है ?

हम जानते हैं कि आज सत्ता की भूख हमारे देश की मौलिक आधारों को ही मिटाने की कोशिश कर रही है।

श्री मुरली देवरा : जैसा कार्य आप करेंगे वैसा ही फल मिलेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज हमारे देश की मौलिक संरचनाओं पर आघात किया जा रहा है।

श्री मुरली देवरा : आज नहीं, ग्यारह महीने पूर्व। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, जो व्यक्ति इस देश में सर्वोच्च पद प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं उन्होंने हमारी दृष्टि में इस प्रश्न को हल करने के लिए कोई परिश्रम नहीं किया है कांग्रेस (आई) ने इस जटिल प्रश्न को हल करने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया। (व्यवधान) कांग्रेस आई के कुप्रशासन और उसकी नीतियों के परिणामस्वरूप इस समय हम इन सदस्यों का सामना कर रहे हैं। श्री चन्द्रशेखर के मुंह से यह सुनना बहुत हास्यास्पद है कि वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध है और वे भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों के नियंत्रण के विरुद्ध है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? जिस कांग्रेस का उन्होंने आश्रय लिया है वही कांग्रेस इसके लिए उत्तरदायी है। शायद आज पूंजीवाद और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संघर्ष करने के लिए वे एक हो गए हैं। मैं श्री चन्द्रशेखर से जानना चाहूँगा कि क्या वे बिरला का समर्थन करते हैं। क्या वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का समर्थन करते हैं, क्या वे शिलान्यास' का समर्थन करते हैं, जिसे होने दिया गया। श्री देवीलाल, जो कांग्रेस के विरुद्ध लड़े थे, उनसे भी मैं यही जानना चाहूंगा। देवीलाल ने कांग्रेस को पराजित किया। देवीलाल जी ने कहा कि उनके साथ जनता है और मोर्चा प्रधानमंत्री के साथ है। कौन सी जनता ? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया था ?···(व्यवधान) या यह जनता का वह हिस्सा है जिसने कांग्रेस का समर्थन किया था। (व्यवधान) महोदय, मैं देवीलाल जी का बहुत आदर करता हूँ। कांग्रेस आई की हार में उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस जनता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी कांग्रेस (आई) पार्टी और उनकी सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया (व्यवधान) मैं नहीं जानता कि यह सिर्फ उनकी एक व्यक्तिगत भावना थी जिसके कारण वे प्रधानमंत्री या जनता दल से अलग हुए आज देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इस देश की धर्म-निरपेक्षता एकता और अखण्डता। हम पंजाब और कश्मीर की स्थिति के बारे में इतना चिंतित इसलिए है क्योंकि हम हर कीमत पर देश की अखण्डता बनाए रखना चाहते हैं। आज वहां यह स्थिति इसलिए है क्योंकि वी.पी. सिंह की सरकार ने धर्म के आधार पर देश के विभाजन, जो अब हो रहा है, के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की ··(व्यवधान) महोदय, लोग मूर्ख नहीं है। वे अनुभव करते हैं कि आज गलत रास्ते से सत्ता में आने के लिए और राजनैतिक लाभ लेने के लिए राम मन्दिर के मुद्दे का उपयोग किया जा रहा है। आज श्री आडवाणी के कार्यों का सर्वाधिक लाभ कांग्रेस (आई) को जा रहा है। जिसने स्वतन्त्रता के बाद चार दशकों तक जनता की आशाओं को पूरा नहीं किया है·····

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : आपके प्रधानमंत्री भी इसमें भागीदार हैं। यह मत भूलिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम सभा सभी के पक्षों से अनुरोध करते है कि वे इस प्रस्ताव के असफल होने पर उत्पन्न वाली होने स्थिति का आकलन करें। इस देश के अल्पसंख्यकों को यह संदेश मिलेगा कि क्योंकि इस सरकार ने अल्पसंख्यकों का दृढ़ता से पक्ष लिया, इसलिए आज इसे सत्ता

से बाहर किया जा रहा है। मैं चौधरी देवीलाल जी से जानना चाहूंगा क्या यह धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में होगा, क्या यह इस देश की एक ताकतवर अखण्डता के पक्ष में होगा, क्या यह अवध के आम आदमी के हित में होगा, कि आज यह सरकार इस मुद्दे पर गिरा दी जाए ? चौधरी देवीलाल जी, आप इस मुद्दे को एक उचित समय पर उठा सकते थे। आप इसे अपने दल में उठा सकते थे। आप इसे उचित रूप से सुलझा भी सकते थे। किन्तु क्या यह उचित है कि नेतृत्व के इस मुद्दे के लिए देश के सभी महत्वपूर्ण हितों को नकार दिया जाए ? कांग्रेस (आई) एक ऐसा सिद्धांतवादी दल है कि उन्होंने कहा हमें किसी अन्य पर आपत्ति नहीं है, कोई भी दल का नेता बन सकता है, पर विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं।" कांग्रेस दल की यह नीति है। वे कहते हैं :

"आप जनता दल का कोई भी नेता चुन लें और हम समर्थन देंगे।"

यह दर्शाता है कि उनका कोई आधार नहीं है; सिद्धांतों और नीतियों के प्रति कोई आग्रह नहीं है। इसलिए, कांग्रेस दल को सिर्फ विश्वनाथ प्रतापसिंह पर ही आपत्ति थी क्योंकि धर्म निरपेक्षता के पक्ष में उन्होंने जो सिद्धांतवादी रवैया अपनाया, इस देश के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने जो रुख अपनाया, उसने उन्हें बेचैन कर दिया··· (व्यवधान) मैं अभी अपना भाषण समाप्त नहीं कर रहा, बहुत हो चुका। कांग्रेस (आई) जिसमें अपने बलबूते पर सरकार बनाने की क्षमता नहीं है, वह श्री चन्द्रशेखर के द्वारा, बोफोर्स और अन्य मामलों की जांच को दबाने का प्रयास उठाना चाहती है ···(व्यवधान) यही उनकी वास्तविक मंशा है। श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में विपक्ष में जाने पहचाने चेहरों को हम देख रहे हैं। आज वे बहुत प्रसन्न है। किन्तु आज हम अवध में अम्बानियों और हिन्दुजाओं की पहचान सुन रहे हैं··· (व्यवधान) यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चौधरी देवीलाल और चन्द्रशेखर जैसे नेताओं ने उन्हें अपने गैर-कानूनी उद्देश्य पूरा करने के लिए वैधता दे दी है।

सभा के सभी वर्गों और देश से यह अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि इस देश में कई समस्याएं सुलझानी है हम अपनी शक्ति का उपयोग इन मुख्य और मूल मुद्दों और समस्याओं को सुलझाने में करें, साम्प्रदायिक प्रेम और सौहार्द खत्म करने के लिए, धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित न करें, क्योंकि संगठित लोग ही, जो पूर्ण रूप से संगठित हों, देश को इस दलदल से निकाल सकते हैं, जो राजीव गांधी और उनकी सरकार ने बनाया है।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, नियम 222 के अन्तर्गत मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहती है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नियम जानती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करती हूं, किन्तु मैं चिल्लाऊंगी नहीं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप धीमे बोलिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं जितना संभव हो सके उतना धीमा बोलने का प्रयास करूंगी। मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न कांग्रेस (आई) के मुख्य सचेतक श्री कुरियन के खिलाफ है। मेरा

विशेषाधिकार का प्रश्न यह है कि मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले सत्र में शून्य काल के दौरान मैंने आपकी अनुमति से एक मुद्दा उठाया था कि द्वारकापीठ के शंकराचार्य जी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने यह घोषणा की थी कि वे अयोध्या जायेंगे और मन्दिर का निर्माण शुरू करेंगे। विश्व हिन्दू परिषद ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था और समाचार पत्र में एक तस्वीर भी जिसमें यह दिखाया गया था कि इसमें दिल्ली के एक कांग्रेसी नेता ने भी भाग लिया था। मैंने साठे जी और सपूर्ण कांग्रेस पक्ष से अनुरोध किया था कि वे एक धर्मानरपेक्ष दल से हैं और उसमें कई धर्मनिरपेक्ष लोग है। और इसलिए वे इसकी भर्त्सना करें। मुझे आशा है कि उन्हें यह स्मरण होगा।

श्री वसंत साठे : हां, मुझे स्मरण है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, अगले दिन आपने कहा था, कि यह कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है और आपने इसे रद्द कर दिया। मैं बोलना नहीं चाहती, किन्तु दुर्भाग्य से आज फिर कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक श्री कुरियन ने वही बात उठाई··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : जब एक बार आपने मना कर दिया है तो यहां पर फिर से उसी मामले को उठाने की क्या जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए, आप एक सीनियर महिला सदस्य को नहीं सुनेंगे क्या।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : अभी उन्होंने वही बात उठाई है। यहां से मैं चिल्लाना नहीं चाहती, इसलिए मैं आपके पास और आपको सारे वृत्तांत से अवगत किया। यह मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है और यह स्वाभाविक ही है कि मैं चाहूंगी कि आप इस पर अपना विनिर्णय दें। कांग्रेस दल क्या कहना चाहता है, मैं यह भी जानना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवी लाल (सीकर) : स्पीकर साहब, मैं इस संबंध में कि यह जो विश्वास प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव आया है, इस पर बात करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, विश्वास प्राप्ति के प्रस्ताव के बारे में सरकार को यह कहना चाहिए कि हमने ये काम किए, ये उपलब्धियां प्राप्त कीं, इसलिए हमारे प्रति विश्वास प्रकट किया जाए, हमने 10 हजार के कर्जे माफ किए, 50 फीसदी बजट गांवों के लिए रखा, बजाए यह सब बताने के इन्होंने बात शुरू की रथ यात्रा से कि मैंने तो सरकार उसी वक्त खत्म कर ली थी, जब मैंने रथ यात्रा रोकी। मेरी समझ में नहीं आया कि सिर्फ दो इश्यू क्यों उठाए गए। उठाने तो वे इश्यू चाहिए थे जो जनहित के थे, जो जनहित के काम हमारी सरकार ने किए, उनके बजाए राम जन्म भूमि और

मंडल कमीशन की रिपोर्ट, के मुद्दों को आगे लाया गया। इसी बात से हमें खतरा है कि ये हालात इस किस्म के बनाए जा रहे हैं जिनसे मार-धाड़ हो, खून-खराबा हो और इलेक्शन में कामयाबी हासिल हो सके। मैं पहले ही इस ख्याल का था कि यह राम जन्म भूमि नहीं है बल्कि यह राम जन्म भूमि है। राम जन्म भूमि होती तो 250 साल अंग्रेज राज करके चले गए उस वक्त याद आनी चाहिए थी, राम जन्म भूमि होती तो 40 साल तक कांग्रेस का जो राज चला उस वक्त याद आनी चाहिए थी, राम जन्म भूमि होती तो साढ़े चार साल तक राजीव गांधी की सरकार चली उस वक्त याद आती, लेकिन अब राम जन्म भूमि याद आयी है। यह दरअसल पालिटीकल मामला है। मैं इस चीज के पहले से ही खिलाफ था कि यह रथ यात्रा नहीं अश्वमेघ यज्ञ है। पुराने वक्तों में जो चक्रवर्ती राजा बना करते थे वे घोड़े को छोड़ते छोड़ते थे, जो भी घोड़े को पकड़ता था वहां युद्ध शुरू हो जाता था और जीतने वाले चक्रवर्ती राजा कहलाते थे (व्यवधान)

यह रथ यात्रा जो है चक्रवर्ती राजा बनने के लिए है। (व्यवधान)

मैं इसके लिए लालू प्रसाद को शाबाशी देता हूँ जिसने यह रथ पकड़ा, जो रथ सोमनाथ से चला और जिसे कोई रोक नहीं पाए। लेकिन यह सारी जिम्मेदारी मैं वी. पी. सिंह पर डालता हूं क्योंकि वह प्रधान मंत्री थे। इनका फर्ज था कि इस चीज को हल करने के लिए रथ के सोमनाथ से रवाना होने से पहले ही धार्मिक नेताओं को, संतों और सूफियों को इकट्ठा करके कोई रास्ता निकालते। मैं समझता हूं कि नेक-नीयती नहीं थी। नेक-नीयती होती तो मण्डल कमीशन की रिपोर्ट पहले दे देते। मण्डल कमीशन की रिपोर्ट उस वक्त आयी जब मुझे ड्राप कर दिया और लोगों ने प्रोटेस्ट के तौर पर 9 अगस्त को दिल्ली में इकट्ठा होना था। तो जो दोनों इश्यू इन्होंने दिए उसके बारे में इनका कहना चाह रही हूँ। इन्होंने आर्थिक आधार को लेकर जो उपलब्धियां हासिल की वह भी मैंने बतायी। मैं मानता हूं इस सरकार ने बहुत कुछ किया है। लेकिन यह सरकार देश को ऐसे हालात पर ले गयी कि गांव-गांव में, गली-गली में फसाद हो गए और जलती में तेल बी. जे. पी. ने डाल दिया ताकि उधर से हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा हो और इधर झगड़ा हो जाए पिछड़ों और अगड़ों का।

जहां तक प्रस्ताव का ताल्लुक है, मैं स्पीकर साहब, मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं, प्रधान मंत्री को बताना चाह रहा हूं "है तो थोड़ी देर के लिए लेकिन अभी तो प्रधान मंत्री हैं" (व्यवधान) 12 दिसम्बर 1977 को पिछड़े वर्ग के प्रेसीडेंट थे, शायद अभी भी होंगे, रामअवधेश सिंह, एम. पी. उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। हरियाणा से सैंकड़ों आदमी गिरफ्तार हुए। हमारी मुश्किल यह थी कि रोटी का प्रबन्ध कौन करे। मेरे साथ एक जत्थेदार सतोख सिंह होते थे, वे महेन्द्रगढ़ जेल में रहे थे। मैंने कहा जत्थेदार रोटी का इन्तजाम आप करो, जेल हम भर देंगे। उन्होंने रोटी का इन्तजाम किया था। चौधरी चरणसिंह जो इसके हक में थे उन्होंने कैबिनेट मिटिंग बुला ली थी। लेकिन बदकिस्मती से, पता चला कि कोरम पूरा नहीं हो सका। कोरम अगर पूरा हो गया होता तो आपको यह क्रेडिट न मिलता, क्रेडिट चौधरी चरण सिंह को मिलता। मेरे कहने का मतलब है हम तो इससे बहुत आगे हैं। जो राम जन्म भूमि और मण्डल कमीशन है, यह जानबूझकर और पालिटीकली चलाया गया है। यह साजिश थी हमारे मौजूदा प्रधान मंत्री की कि जो राजनीतिक ताकत किसानों की, ग्रामवासियों की इस वक्त बढ़ती जा रही है, कांग्रेस के खिलाफ भावना थी उसको किसी भी तरीके से काबू किया जाए। चटर्जी साहब ने कहा कि पिछले चुनाव में हमें कांग्रेस विरोधी वोट

मिले थे। कांग्रेस विरोधी वोट मिलते तो आन्ध्र में, महाराष्ट्र में केरल में और कर्नाटक में मिल जाते (व्यवधान) कुछ साथियों का ख्याल है कि शायद बोफोर्स की वजह से मिल गये होंगे। बोफोर्स की वजह से मिलते तो तामलनाडु और केरल में भी मिलते। हरियाणा सरकार की उपलब्धियों से (व्यवधान) हिन्दुस्तान मे जो फिजी हवा बनी और उस हवा की वजह से गांव के सदस्य 319 आज यहां हाउस में बैठे हैं। कुछ वी आई. पीज. ऐसे हैं जो किसान हैं, यहां पर बैठे है और इलाहाबाद, दिल्ली, रोहतक या जोधपुर का एड्रेस देते हैं। जो वी. आई. पीज. यहां पर है मैं उनको बेरी इगनोरेंट पर्सन कहता हूं। उनको देहात का पता नहीं होता। जो देहात से आए है उनको पता होता है और गांव से आने वालों की वजह से गांव वालों का प्रभाव बढ़ा है। जो पैनिफेस्टो तैयार किया उस इलैक्शन मे तो उसको अमल में लाना फर्ज समझा और पीछे से दबाव भी पड़ रहा था। किसानों में जागृति फैल रही थी इसलिए मडल कमीशन की रिपोर्ट आई कि उनको दबाया जाए। मैं मंडल कमीशन के ताल्लुक कहना चाहता हूं (व्यवधान) मैं इसके आगे भी जाना चाहता हूँ। हरियाणा की सरकार द्वारा एक कमीशन बन चुका है। वे फैसला करने वाले हैं। मैं यह कहता हूँ कि "बन हाऊस बन सर्विस" होना चाहिए। शैडयूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लीडर भी हैं और हर घर से तीन चार आइ ए एस और आइ पी एस भी होते है। हमारे इलाके के लोग मंडल कमीशन के खिलाफ एजीटेशन करते हैं, लेकिन बेचारों को इसके बारे मे पता नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ। हरियाणा में दो सौ आई ए एस हैं जिसको हम अजगर कहते हैं "हम अजगरी" क्या हैं 'हम अजगर में है। "ह" से हरिजन, "म" से मुसलमान, "अ" से अहीर "ज" से जाट "ग" से गुजर और "र" से राजपूत। हम अजगर को बदलकर हमारे मुखालिफ लोगों ने इलजाम लगाया। कि ये अजगर का राज बनाना चाहते है। हरियाणा में अहीर पाच फीसदी है लेकिन आइ, ए. एस. एक है, गुजर तीन फीसदी हैं और दो सौ में से एक आई ए एस नहीं, राजपूत चार फीसदी हैं जैसे वी. पी. सिंह एक हैं और आई ए एस एक भी नहीं है और दो सौ में जाट 27 हैं। ये अजगर मिलाकर सात बनते हैं। बनिये पांच फीसदी हैं और दो सौ मे से 51 है और ब्राह्मण 26 हैं। खत्री और अरोड़ा सात फीसदी हैं। उनके 46 हैं और कुल मिलाकर दो सौ में से 129 बनते हैं। मुझे मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया तो लोगो में गुस्सा उठा और मैंने लोगों को समझाया। सिर्फ इन दो इश्यु को लेकर के हमारे प्रधान मंत्री ने कोशिश की है कि इलैक्शन करवाया जाए। बी. जे. पी. भी चुनाव कराने के

हक में है। ये भी चाहते हैं कि जो भावना भड़की हुई है उसके बहाने से हमें वोट मिल जायें। हम लोग और देश के लोग इससे बड़ा डरते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की, कल रात को साढ़े बारह बजे कोशिश की और कहा कि इनको हटा दो, न तो बदल दो। मुझे नेता बनाने की बात मानी लेकिन मैंने कहा वह पहले वाली बात और थी, मैं भूला नहीं हूँ। मैंने कहा कि यह डिवाइड एण्ड रूल छोड़ो। जहां कमिटमेंट करो वह पूरा करो। मैं जब कमिटमेंट करता हूँ तो उसे पूरा करता हूं। मेरा कमिटमेंट आज है कि चन्द्रशेखर को प्रधान मंत्री बनाना है, पार्टी को बचाना है। इनके सामने मुलक का या पार्टी का सवाल नहीं है इनके सामने तो सरकार बनाने का सवाल है। चाहे किसी भी तरीके से बने और हम सरकार रहें गद्दी पर। मैं और हमारे साथी यह चाह रहे थे कि हमने पार्टी को बड़ी मुश्किल से बनाया है इसको बचाया जाये। सारे हिन्दुस्तान में हमने दौरा किया, सारे दलों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद चुनाव घोषणा पत्र बनाया। हमारे मैनिफैस्टो को तारीफ करनी पड़ेगी कि उसकी बाबत हमारे प्रधान मन्त्री ने

यह हिदायत की है, सचिवालय में तकसीम किया है कि कोई फैसला करने से पहले यह याद रहे कि लोगों से क्या कमिटमेंट किया है। यह खूबी है इनकी और यह मानना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ-साथ यह ताकत से इतने चिपके हुए है कि छूटते ही नहीं हैं। इन्होंने इस ताकत को हासिल करने के लिए मेरे साथ ही धोखा नहीं किया, धोखा करने की इनको आदत है। शाहबुद्दीन को राजी किया और इलाहाबाद चुनाव में उसे ले जाया गया। उसी ढंग से जितने भी मेरे साथ बैठे हुए हैं इन सब के साथ कभी न कभी धोखा किया है। मैं तो कई बार शिकार हुआ हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ एक अखबार के एडीटर रामास्वामी ने कहा है, पढ़ लीजिए कि 9 अगस्त हमने इस वास्ते रखी थी ताकि इसी दिन 1942 को भारत छोड़ो आन्दोलन हुआ था। इस वास्ते यह तारीख रखी थी कि पूंजीपतियों से छुटकारा पायें और पूंजीपतियों को कहें कि हमें छुटकारा दो। इसीलिए हमें अब प्रधान मंत्री कहते हैं कि मुझे आप छोड़ दो। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप सबको मदद करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इनको रुखसत करो। हम कोई कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं चले हैं। हमारी तो कांग्रेस मदद करना चाहती है। इस लिहाज से देखा जाये तो कांग्रेस की हम मदद कर रहे हैं। अभी भी कांग्रेस की सरकार चल रही है, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब कांग्रेसी हैं, अरुण नेहरू शायद बैठे हैं या नहीं, वे भी कांग्रेसी हैं, ये सारे कांग्रेसी हैं। इसलिए हम तो कांग्रेस की सरकार चला रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस हमें मदद कर रही है। मैं चटर्जी साहब को यह कहना चाहता हूँ कि सिद्धांत की बात छोड़ो। सिद्धांत और नैतिकता तो हमने छोड़ दी थी, जब महम प्रकरण आया तो नैतिकता सही हो गई और 7 मंत्रियों ने इस्तीफे दिये, हमारे प्रधान मंत्री जो ने भी इस्तीफा दिया, हमारे एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दिया। 300 के करीब बच्चे जल गये, मिट्टी का तेल डालकर आग लगाते हुए वी. पी. हाय-हाय के नारे लगाते रहे, तब इनके दिल में दर्द नहीं आया। हिन्दू-मुस्लिम का फसाद करा दिया हजारों लोग कत्ल करवा दिये, अरबों रुपयों की जायदाद खत्म हो गई, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री को उनका रूप ल नहीं आया। इसलिए हालत सही करनी है तो इनको चलता करो। हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए।

यह कहते हुए मैं फिर दरख्वास्त करता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी रुखसत किया जाये।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी देवी लाल का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कुछ दिन पूर्व दिये गये अपने वक्तव्य की अपेक्षा आज इस सभा में यह बात और भी स्पष्ट कर दी है कि यह सरकार जो अभी तक चल रही है वह वास्तव में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। यहां पर उपस्थित मेरे मित्रों ने इस बात को नहीं समझा है। वे अब भी इस सरकार की निन्दा कर रहे हैं। परन्तु उन्होंने यह कह कर यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस तथा गैर-कांग्रेस से आपका क्या तात्पर्य है ? हर स्थान पर हम सभी कांग्रेसी ही हैं।" सारी समस्या हो यही है। कांग्रेस पार्टी ही सर्व व्यापक है। इसका सभी दलों पर काफी असर है तथा इसी से आज यह स्थिति हो गई है जिसका हम सामना कर रहे हैं। (व्यवधान)

आगे क्या स्थिति होगी, यह आज हमने देख लिया है। हमने भावी प्रधानमंत्री जो अभी प्रधानमंत्री नहीं है के वक्तव्य में हमने इसकी एक झलक देखी है। इस सभा में कुछ व्यक्ति वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक उपहास कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री जी के अपने पद से हटाने में केवल कुछ ही घंटे शेष हैं।

[हिन्दी]

अभी तो हैं थोड़ी-देर के लिए.....

[अनुवाद]

परन्तु जिस व्यक्ति को अभी प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालना है, जो अभी प्रधानमंत्री नहीं हुआ है उसने आज इस सभा में इस प्रकार के इतने उपदेश दिये हैं जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्य संभाल लिया हो। उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। उन्हें इन मामलों में अधीर नहीं होना चाहिए। उन्हें पहले पद-भार ग्रहण कर लेने दीजिए। पहले उन्हें उन व्यक्तियों के समर्थन से प्रधानमंत्री का पद-भार ग्रहण करने दीजिए जिन्होंने उन्हें अपने समय में से, बिना पारी के भी उन्हें बोलने के लिए अपना समय दिया है। महोदय, आपने उन्हें बोलने के लिए बुलाया था क्योंकि उन्होंने अत्यन्त उदारता पूर्वक कहा था कि वे बोल सकते हैं। उन्होंने कहा था : 'हमारे समय में से इनको समय दिया जाए' इस प्रकार से साझेदारी आरम्भ हुई है। खैर, हमें उससे शिकायत नहीं है। परन्तु मैं कोई नीति, कार्यक्रम जो यह नये प्रधानमंत्री तथा उनकी सरकार बनाना चाहती है उसके बारे में सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था... (व्यवधान) परन्तु उस संबन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया। हमें श्री चन्द्र शेखर जी से, जिन्होंने आज सभा में स्वयं वक्तव्य दिया था यह आश्वासन मिला है कि वह मध्यस्थ की भूमिका अदा करना चाहेंगे। किसकी मध्यस्थता करना चाहेंगे ? क्या वह भारती जनता पार्टी तथा मुलायम सिंह यादव के बीच में मध्यस्थता करना चाहेंगे क्योंकि उनके आपसी सम्बन्ध अत्यन्त कटु तथा खराब हो गए हैं। वह अनुरोध करते हुए कह रहे हैं कि आप उन्हें गलत न समझें, आपको पुनः एकजुट करने के लिए कोई मध्यस्थता कायम करने वाला होना चाहिए। ठीक है, मैं उन्हें अपनी शुभकामना देता हूं। मैं जानता हूं कि श्री चन्द्रशेखर श्री मुलायम सिंह यादव के अच्छे मित्र हैं। परन्तु मुझे सन्देह है कि क्या मुलायम सिंह यादव अपने मित्रों द्वारा की गई इस प्रकार की मध्यस्थता तथा वह भी ऐसी शर्तों पर कायम की गई मध्यस्थता पसन्द करेंगे ? अन्य कोई कार्यक्रम नहीं है। श्री चन्द्रशेखर जी के द्वारा अपना पद-भार ग्रहण करते ही एक और अन्य कार्यक्रम जिसके बारे में वह घोषणा कर सकते हैं वह यह होगा तथा शायद यहां पर उपस्थित उनके मित्र भी उनका साथ दे सकते हैं तथा वह एक आश्वासन के रूप में हो सकता है कि बोफोर्स मामले में की जाने वाली कोई भी जांच पड़ताल रोक दी जाएगी :

एक माननीय सदस्य : आप क्या कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपका भी अपनी बात कहने का समय आ रहा है। यदि आप इसी प्रकार मुझे बीच-बीच में टोकते रहे तब आपके साथ भी मैं यही व्यवहार करूंगा। हम आपके नेता को भी बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : इस प्रकार से मत बोलिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।
(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भारतीय जनता पार्टी के श्री मल्होत्रा तथा एक दो अन्य मित्रों ने यह जिक्र किया है कि वास्तव में इस सभा में यहां पर विश्वास प्रस्ताव पर नहीं बल्कि अविश्वास प्रस्ताव

पर चर्चा की जानी चाहिए थी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने 24 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया था। उस आदेश द्वारा प्रधानमंत्री को सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का अधिकार दिया गया था। तथा प्रधानमंत्री ने 7 नवम्बर, 1990 तक या उससे पहले अपना बहुमत सिद्ध करना स्वीकार भी कर लिया है अतएव प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति के आदेश का पालन कर रहे हैं। वह उस आदेश को अवहेलना नहीं कर सकते। यदि आप राष्ट्रपति के आचार के प्रति आपत्ति उठाना चाहते हो तब ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति जी ने अपनी बुद्धि तथा विवेकशीलता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री को बताया है कि इस स्थिति में जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है अब उनका कार्य यह है कि वह सभा में जाएं तथा विश्वास मत प्राप्त करें। तत्पश्चात् उन्होंने आज 7 नवम्बर को विश्वास मत प्राप्त करने का निर्णय किया। अतः अविश्वास प्रस्ताव तथा अन्य बातों पर इसके पश्चात् चर्चा की जा सकती है। इन पर किसी भी समय चर्चा की जा सकती है। परन्तु आज यह असंगत है। अतएव यह विश्वास प्रस्ताव आपकी सहमति से आज की कार्यसूची में शामिल है तथा हम इस पर चर्चा कर रहे है। मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि वह यह विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम यह अच्छी तरह जानते हैं। यह संख्या का सवाल है। यह आंकड़ों तथा गणित सम्बन्धी प्रश्न हैं। इस बारे में कोई रहस्य नहीं है। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया हैं तथा एक बार वे तथा कांग्रेस इस सरकार को गिराने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तब इसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। इसके लिए ज्यादा तर्क-वितर्क की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) अब मैं ग्यारह महीनों की अवधि के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं जिससे आपको बहुत अधिक परेशानी हो रही है। मैंने कुछ दिनों पहले अपने दल की तरफ से विपक्ष के नेता को विनम्रता पूर्वक सुझाव दिया था। मैं इस समय आपको बता सकता हूं कि मैं विपक्ष के नेता से भेंट हेतु गया था तथा मैंने उनसे कहा था' मैं आपसे मिलने आया हूं। मैं आपको काफी लम्बे अर्से से जानता हूं। मैं आपकी मां को आप से भी बेहतर जानता था। कृपया एक बात पर विचार कीजिए। कांग्रेस दल धर्मनिपेक्षता के प्रति वचनबद्ध है तथा सम्प्रदायवाद के खिलाफ है। आप कृपया इस पहलू पर विचार करे कि क्या 7 नवम्बर को जिसे मुद्दे पर बहस की जा रही है क्या यह वही मुद्दा है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया था तथा सरकार ने अपना बहुमत खो दिया था, क्या उस दिन विशेष पर आप यह चाहते हैं कि इस सरकार को गिराने में भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ आपके दल अर्थात् कांग्रेस का भी हाथ रहे? अब यह आप निर्भर करता है। यह आपका दल है। यह मेरा दल नहीं है। आप जो ठीक समझें वही करे। यह आपकी समस्या है। यह मेरी समस्या नहीं है। समस्या यह होगी कि यदि इस दल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मत-दान नहीं किया तब इसका अर्थ संभवतः यह होगा कि श्री वी. पी. सिंह की सरकार को थोड़ा समय और मिल जाएगा...(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव: वह सभा को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने इसका केवल आधा पक्ष ही बताया है। उन्होंने कहा था "आप इस समय श्री वी. पी. सिंह को समर्थन दीजिए तथा दो महीने पश्चात् आप अविश्वास प्रस्ताव लायें तथा हम आपका समर्थन करेंगे।" उन्होंने वह बात नहीं बताई है। (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर). आप ये सारी बातें कैसे जानते हैं?

श्री संतोष मोहन देव: मैं यह जानता हूँ। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने आपकी बात पूरी नहीं की है। वह मेरे से इस बात का लाभ उठा रहे हैं क्योंकि वह बाहर जाकर अच्छा भोजन करके आये हैं तथा मैंने अभी भोजन नहीं किया है। अत: वह स्वयं को काफी शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं तथा चिल्ला रहे हैं। मैं श्री संतोष मोहन देव को जानता हूं।

मैंने अभी पूरी बात नहीं कही है। मैंने ईमानदारी से श्री राजीव गांधी को यह सुझाव दिया था कि यदि वह इस सरकार को हटाना चाहते हैं तब वह किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं तथा उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है परन्तु इस विशेष अवसर पर जबकि पूरे देश की निगाहें उनकी ओर लगी हुई हैं कि इन घटनाओं के प्रति उनका क्या रवैया है...(व्यवधान) इतने बड़े दल को परामर्श देना मेरे लिए भी काफी साहस का कार्य हो सकता है तब भी मैंने ऐसा किया मैंने कहा था कि वह इस बारे में विचार कर लें कि क्या वह यह चाहते हैं कि इस विशेष दिन भी उनका दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस सरकार को गिराने के लिए इसके खिलाफ मतदान में हिस्सा ले। मैं उनके पास बैठा था तथा श्री वी. पी. सिंह के गुणों के बारे में काफी लम्बा चौड़ा भाषण भी सुना था तथा तत्पश्चात मैं वापस आ गया था।

खैर उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है। इस देश के करोड़ों लोग विशेष रूप से कमजोर वर्ग मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग तथा पिछड़े वर्ग...(व्यवधान) प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा सुन रहे हैं। यह उनपर निर्भर है, उन्होंने अपना निर्णय कर लिया है। इसका मुझसे कोई संबन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : इन मामलों में हमारे दल का रवैया बिल्कुल स्पष्ट है। हमने अब तक एक भी दिन अपने आपको भारतीय जनता पार्टी अथवा किसी अन्य सांप्रदायिक दल से सबद्ध नहीं किया है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक को मुझे दिये गये समय में बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने कितना समय मेरे लिए निर्धारित किया है।

अब सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि 11 माह तक आप क्या करते रहे थे आपको अभी भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक प्रकृति के बारे में पता चला है। अत: इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ऐसा कैसे हुआ। दुर्भाग्यवश अथवा सौभाग्यवश यह पिछले वर्ष के चुनावों का परिणाम था। पहले किसी भी आम चुनाव में ऐसे परिणाम नहीं आए थे। लोगों ने जो भी सोचा हो, लेकिन उन्होंने किसी भी दल को बहुमत नहीं दिया। हां, कांग्रेस को सत्ता से अवश्य हटा दिया गया। जहां तक अन्य दलों का संबन्ध है, चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। न तो भारतीय जनता पार्टी को, न वामपंथियों और न ही राष्ट्रीय मोर्चे को बहुमत प्राप्त हुआ। ऐसा बहुत ही असाधारण और असामान्य स्थिति में हुआ था। अन्यथा एक विकल्प यह था कि मतदाताओं से यह कहा जाए कि चूंकि आम चुनावों के बाद भी कोई सरकार नहीं बन सकती है, इसलिए एक माह के भीतर दुबारा चुनाव कराया जाए। मेरे ख्याल से कोई भी इस बात को पसंद नहीं करता।

अत: यह व्यवस्था की गई थी। यह दुख की बात है कि यह व्यवस्था संतोषजनक सिद्ध

नहीं हुई। लेकिन जनता दल के साथ हमारा समझौता था जिसके बारे में श्री चटर्जी ने भी बताया है।

एक माननीय सदस्य : भारतीय जनता पार्टी के साथ भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं था आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लें। (व्यवधान) मेरा कहना है कि इन 11 महीनों में जब भारतीय जनता पार्टी इस सरकार का समर्थन कर रही थी, इस सरकार ने अयोध्या में मंदिर निर्माण अथवा शिलान्यास की कभी भी अनुमति नहीं दी थी। जब पहली बार बल प्रयोग द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया गया तो एक संकट पैदा हो गया और उसके बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ। लेकिन पिछले वर्ष कांग्रेस सरकार ने क्या किया जबकि उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता भी नहीं था। क्या यह बुरे कार्य में उनका सहयोग नहीं है। क्या इससे न केवल हिन्दू बल्कि मुस्लिम साम्प्रदायिकता का निकृष्ट स्वरूप प्रदर्शित नहीं होता है? क्या वहां वह सहयोगी नहीं थे अथवा केरल में मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने सहयोग नहीं किया है। (व्यवधान) हमने कभी भी उन से इस विषय पर समझौता नहीं किया (व्यवधान) मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है; बल्कि मैं अपनी बात कह रहा हूं; यदि आप बिना किसी बात से उत्तेजित हो जाए तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह अभी बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए :

(व्यवधान)

श्री वक्कम पुरुषोत्तम (अलेप्पी) : महोदय, एक वरिष्ठ नेता इस प्रकार से क्यों बोल रहा है? पहले वह सरकार में थे लेकिन अब वह ऐसा कह रहे। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप अपनी बात अलग से कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : महोदय, यदि किसी कनिष्ठ सदस्य ने ऐसी बात कही होती तो मैं उसे मान लेता। लेकिन श्री गुप्त जैसे नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह गलत बात है कि श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में इस दल ने शाहबानों मामले में जानबूझकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना की थी? ऐसा किसने किया था? किन्होंने ऐसा करके रूढ़िवादियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया था? श्री बशीर आप मुसलमान हैं आप इस प्रश्न का उत्तर दें। आप अब अपने स्थान पर क्यों बैठे हैं; कृपया आप बताइए कि ऐसा करके मुसलमानों में रूढ़िवादियों को तुष्ट किस ने किया, सभी मुसलमान रूढ़िवादी नहीं होते हैं। एक मुसलमान मंत्री महोदय ने इसी कारण त्यागपत्र दिया था (व्यवधान) मैं आपके प्रश्न का उत्तर क्यों दूं (व्यवधान) आप कौन होते हैं मुझसे यह पूछने वाले? (व्यवधान) महोदय इस बात पर सोच-विचार करने के बाद कट्टरपंथी मुस्लिम वर्ग को इस प्रकार की छूट दी गई है, हिंदू अवश्य नाराज होंगे, अतः उन्हें तुष्ट करने के लिए ऐसा किया गया। श्री चटर्जी ने विस्तार से इस बारे में कहा है इसलिए मैं इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

पिछले वर्ष श्री नारायण दत्त तिवारी और श्री बूटासिंह की उपस्थित में यह समझौता किया गया था। मैं जानना चाहता हूं; वह मेरा विवादस्पद स्थान था और विश्व हिन्दू परिषद के नेता

श्री सिंहल और अन्य व्यक्ति इतनी आसानी से उन कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या तैयार हो गए थे। वह समझौते के कागजात यहां उपलब्ध है। आपने कहा था कि वह एक गैर-विवाद-स्पद स्थल था और विश्व हिन्दू परिषद के वह नेता...(व्यवधान) प्रा. कुरियन, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूं। यदि आप में कुछ धैर्य है तो कृपया मेरी बात सुनिए और जब आपका अवसर मिलेगा तो उत्तर दीजिए (व्यवधान) अतः प्रश्न यह नहीं है कि क्या 11 महीनों में इस सरकार को समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा किसी भी प्रकार का समझौता था। लेकिन इन 11 महीनों में संप्रदावाद बनाम धर्मनिपेक्षता के मुद्दे पर कोई छूट नहीं दी गई थी। इस अवधि में ऐसी कोई छूट नहीं दी गई थी। जब इसे लागू करने का प्रयास किया गया था और सरकार ने कड़ा रुख अपनाया तब उन्होंने सरकार से समर्थन वापिस ले लिया। लेकिन पिछले वर्ष आप क्या करते रहे थे ? उस समय आपके साथ भारतीय जनता पार्टी अथवा मुस्लिम लोग नहीं था। आप ऐसा क्यों कह रहे थे ? आपने सोचा था कि आपको हिंदू और मुसलमान, दोनों के वोट मिल जाएंगे। अतः आपने दोनों पक्षों के रुढ़िवादियों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया; इसीलिए आपकी हार हुई। इसी कारण न तो हिंदुओं ने न मुसलमानों ने और न ही आम लोगों ने आपको वोट दिए। (व्यवधान) महोदय, मैं यही बात कहना चाहता हूं। हम वामपंथी इस प्रस्ताव का समर्थन करते है क्योंकि सरकार ने संविधान की सुरक्षा, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और इस देश के सामाजिक ढांचे के प्रति सही रवैया अपनाया है। (व्यवधान) महोदय सदन में काफी शोर हो रहा है। (व्यवधान)

महोदय, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। (व्यवधान)

मैं आपकी तरह नहीं बोल सकता। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम आपको बोलने नहीं देंगे . (व्यवधान)...मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस के परिणामों को सोचा है जो रास्ता उन्होंने अपनाया है उन्हें यह अधिकार किसने दिया कि वह पड़ोसी देशों में हिन्दुओं तथा अल्पसंख्यकों की हत्याओं और मन्दिरों के नष्ट होने का कारण बनें ? आपके अभियान के कारण ही बंगलादेश तथा नेपाल की कुछ शरारती पार्टियों को हिन्दु-विरोधी दंगे भड़काने का अवसर मिल गया। शरणार्थियों की समस्या का सामना आपको नहीं करना है...(व्यवधान) आप बहुत ही चतुर लोग हैं। बंगलादेश से शरणार्थी गुजरात राजस्थान अथवा मध्य प्रदेश में नहीं आयेंगे। दंगों के पश्चात शरणार्थियों की बाढ़ का सामना हमें त्रिपुरा और बंगला में करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : कश्मीरी शरणार्थियों के बारे में आपका क्या कहना है ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कश्मीरी शरणार्थी हमारे द्वारा यहां पर की गई किसी कार्यवाही के कारण यहां नहीं आ रहे है। इसलिए मैं नहीं समझता कि आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए आप शान्त मन से उन खतरनाक बातों पर विचार कीजिए, जो कि आप कर रहे हैं इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम अच्छी तरह जानते है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया तब क्या हुआ था उसी तरह वही परिणाम हो सकता है अगर हम समर्थन वापस लें। यह आंग आंकड़ों का प्रश्न है। यह सरकार चलेगी नहीं क्योंकि इसका बहुमत उनके समर्थन पर आधारित है। हम इसे अच्छी प्रकार जानते हैं। परन्तु वामपंथी दलों ने उस दिन यह निर्णय लिया कि

इस समय देश का भविष्य तथा अखण्डता दांव पर लगी हुई है। मैं इन लोगों की प्रति सम्मान की भावना रखता हूं जो यह कहते हैं कि उनका हृदय तथा मस्तिष्क यह मानता है तथा उन्हें यह विश्वास है कि वह विशेष स्थान भगवान राम की जन्म-भूमि है। इसलिए किसी और प्रमाण अथवा सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रश्न करोड़ों हिन्दुओं के विश्वास का है। परन्तु समस्या यह है कि कुछ और लोग भी हैं जिनके पास अपना दिल और दिमाग है। परन्तु क्या आपके दूसरे समुदायों की भावनाओं का आदर नहीं करना चाहिए जिनका विश्वास तथा दिल और दिमाग उन्हें अपने धर्म तथा जीवन की रक्षा के लिए कह सकता है? अगर मुस्लिम लोग यह कहना आरंभ कर दें कि उनका दिल और दिमाग यह विश्वास करता है कि यह मस्जिद है और आप यह कहते रहें कि यह मस्जिद नहीं है तो समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या यह समस्या दंगों तथा मारा मारी से सुलझाई जायेगी? मेरी सहानुभूति उनके साथ है और मैं इस संकल्प को पारित होने में सहयोग देना चाहता हूं क्योंकि अयोध्या में मरे व्यक्तियों के प्रति मैं शोक व्यक्त करना चाहते हैं। इसका मुझे बड़ा खेद है। परन्तु इस के साथ साथ जयपुर बिजनौर, करनैलगंज तथा कर्नाटक और केरल में, जहां सामान्यतः ऐसी घटनायें नहीं होती हैं, मारे गए लोगों के प्रति आपको शोक व्यक्त करना चाहिए। हमें उन लोगों के प्रति भी सुहान शोक व्यक्त करना चाहिए जो विगत कुछ दिनों की इन दुर्घटनाओं में मारे गए हैं महोदय, हमें इस बात का गर्व है कि हम एक ऐसे देश के निवासी है जहां विभिन्न धर्मों संस्कृतियों और भाषाओं के लोग एक साथ रह रहे हैं तथा विभिन्न वर्गों के अनुयायी एक साथ रह रहे हैं। कुल मिलाकर भारत एक है। यदि कोई यह विशेष दृष्टिकोण जबरदस्ती थोपने का प्रयास करता है कि इस देश के एक हिन्दु-राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए तो इस देश की एकता खतरे में पड़ सकती है। देश टुकड़ों में बट जायेगा। हमारा एक पड़ोसी देश है, जिसने अपने आपको इस्लामिक देश घोषित कर रखा है। मैं नहीं जानता कि मेरे कुछ सहयोगी उस उदाहरण से प्रेरित होकर यह कहते हैं कि यदि वे इस्लामिक राष्ट्र है तो हम एक हिन्दु राष्ट्र की घोषणा क्यों नहीं कर सकते। परन्तु इस देश के उन लोगों का क्या होगा जो हिन्दू राष्ट्र में विश्वास नहीं करते है? वे कहां जायेंगे? बौद्ध, मुसलमान, जैन, और इसाई कहां जायेंगे? क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार मिलना चाहिए, और प्रत्येक के अधिकारों का सम्मान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। हमें यह कोई नहीं बता सकता कि हिन्दुओं के धार्मिक अधिकारों को दबाया गया है। यही बात है।

इसलिए इस मूलभूत आधार पर हमें अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना है। यह सरकार जान-बूझ कर बलिदान की जा रही है क्योंकि यह धर्म निर्पेक्षता के सिद्धांतों का जोकि संविधान का मूल तत्व है, का अनुपालन करती है। इसीलिए, वामपंथियों ने निर्णय किया है —जीतें या हारें इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता—एक सिद्धांत और नीति का समर्थन किया जाए। अतः हम इस संकल्प के पक्ष में वोट दे रहे हैं और इसके बाद जो कुछ होगा, हम बाहर लोगों का सामना करेंगे और इस के परिणामों को देखेंगे।

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दंडवते) : अध्यक्ष महोदय, जब प्रधानमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ की तो सभा में कुछ वक्तव्यों ने कहा कि वह अन्य सभी मुद्दों को छोड़कर केवल धर्म-निरपेक्षता और राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद के एक ही मुद्दे पर चर्चा केन्द्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रारम्भ में ही सारी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहना चाहूँगा कि सभा में विभिन्न वर्गों

ने कुछ भी सन्देह और आशंकाएं व्यक्त की हों, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और इन मुद्दों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्टता तथा परिभाषा के लिए उसे श्रेय देता हूं। उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा अपना मत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और शुरू में उन्होंने अन्य मुद्दे नहीं उठाए, उन्होंने आर्थिक और राजनैतिक समस्याएं नहीं उठाईं और यह स्पष्ट कहा कि यदि रथ यात्रा रोकी गई या श्री लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया तो वे राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। उन्होंने इस संबंध में अपने प्रस्ताव को यह कहकर और अधिक कारगर बना दिया कि इस संबंध में पुन: बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है और जिस क्षण सरकार ये दो कदम उठाएगी तब स्वत: ही राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन वापस हो जाएगा और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह अधिकार दिया गया कि वह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन वापस लेने की सूचना राष्ट्रपति को दें।

अत: यह स्पष्ट है कि हमें हराने के उद्देश्य से अब कुछ भी कहा जाए लेकिन यह तो स्वयं सिद्ध है कि उनका उद्देश्य यही था कि रथ यात्रा को रोकने और श्री लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने पर समर्थन वापस लेना था।

अध्यक्ष महोदय, किसी पर निजी आक्षेप न करने की आपकी अपील के उत्तर में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह वाद-विवाद किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि मुद्दों के बारे में जो मेरे विचार से अधिक महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से हमें अपने कुछ साथियों और मित्रों के विचारों के विरुद्ध मुद्दे उठाने और इनके साथ हमारे माननीय संबंध है। मेरे माननीय सभी श्री आडवाणी जी और चन्द्रशेखर के मत से पूर्णतया असहमत होते हुए हमें खुशी नहीं नहीं है लेकिन हम माननीय संबंध एक स्तर पर रखते हैं और राजनैतिक नीतियां और सिद्धान्त दूसरे पर रखते हैं। इन दोनों के सम्बन्ध में भ्रमित नहीं होना चाहिए। हम इन साथियों की निन्दा कैसे कर सकते है ?

यहां पर भारतीय जनता पार्टी के श्री आडवाणी तथा कांग्रेस से प्रो. रंगा है जिनके नेतृत्व में मैंने अपनी युवावस्था में स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लिया। यहां पर मेरे पुराने साथी चन्द्रशेखर मौजूद है। हम स्वतन्त्रता संघर्ष समाजवाद आन्दोलन आपात काल विरोधी संघर्ष में एक साथ लड़े हैं उन्होंने सत्ता में आने वालों का व्यंग्यात्मक रूप में उल्लेख किया। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब समाजवादी आन्दोलन किसानों के आन्दोलन, श्रमजीवी वर्ग के आन्दोलन, पुर्तगालियों और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष तथा कांग्रेस द्वारा लाए गए आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष में भाग लेते रहे है। हम इन सभी संघर्षों में सहभागी थे। अगर आज हम सत्ता में आए हैं तो सीधे संघर्ष के स्थान से आये हैं और यदि हमें सामाजिक न्याय और धर्म-निरपेक्षता के पक्ष में लड़ने के लिए फिर संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा तो हमें इसमें एतराज नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य के तहत हमारे साथियों पर कोई आक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री मुरली देवरा : यह आक्षेप तो केवल श्री वी. पी. सिंह के विरुद्ध है।

प्रो. मधु दंडवते : मुझे अपनी बात कहने दें। जब आप बोल रहे थे तब मैंने बीच में एक भी शब्द नहीं कहा।

जहां तक हमारे साथी श्री आडवाणी का संबंध है, हमने न सिर्फ 1977 में एक ही सरकार में भाग लिया था बल्कि इस सरकार से पूर्व हमने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में भी भाग लिया

था और सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से हमें बंगलौर जेल में एक ही बैठक में रखा गया था और इस संघर्ष के दौरान हमारे बीच जो मानवीय संबंध स्थापित हुए थे, अगर श्री आडवाणी मुझसे पूर्णतया मतभेद रखते हैं तो भी इस सम्बन्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता। आडवाणी जी के प्रति हमारे निजी सम्मान के बारे श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो कुछ कहा है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूँ।

जहां तक श्री चन्द्रशेखर का संबंध है, दुर्भाग्य से वह हमसे अलग हो गए हैं। उनका गुट कांग्रेसियों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं लेकिन उन्हें सावधान भी करना चाहता हूं। 1990 में 1979 की स्थिति को मत भूलिये। कांग्रेस (आई) के मौजूदा अध्यक्ष का सहयोग लेते समय कांग्रेस (आई) के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा स्थापित परम्परा को मत भूलिये। यह मत भूलिये कि 1979 में चौ. चरणसिंह से कांग्रेस (आई) के 74 सदस्यों के समर्थन का वायदा किया गया था : उन्हें लोक सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये 30 दिन का समय दिया गया था। उस समय हम सब विपक्ष में बैठे थे क्योंकि वह 11 बजे विश्वास मत प्राप्त करने वाले थे। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस दिन सुबह 9 बजे घोषणा की कि वह कांग्रेस (आई) का समर्थन वापस ले रहा है और इसलिए वह सभा में आये ही नहीं। कहा जाता है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। मैं अपने मित्रों से कहता हूँ कि इतिहास पूरे वेग से स्वयं को दोहराएगा। यह बात समझने का प्रयास करिए कि आप किससे समर्थन लेने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस (आई) का एक इतिहास और मनोविज्ञान है जिसे आप भुला नहीं सकते।

श्री मुरली देवरा : श्री वी. पी. सिंह को भी सभा में नहीं आना चाहिए था।

प्रो. मधु दंडवते : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं यह समझ सकता हूं कि आप मुझे सुनना नहीं चाहते। मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप उसे न माने लेकिन कम से कम मुझे सुनने का प्रयास तो कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक विश्वास प्रस्ताव का संबंध है, मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी और इसके नए सहयोगी तथा भारतीय जनता पार्टी हमारे विश्वास प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं हम इस प्रस्ताव का परिणाम जानते हैं फिर भी राष्ट्रपति के निर्देशानुसार हम इस वाद-विवाद के माध्यम से विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सभा में आए हैं और श्री आडवाणी ने कहा था कि हम यह जान सकते थे कि इस संबंध में सभा की गणना अत्यन्त स्पष्ट थी और बहुमत के समाप्त होने के कारण हम यह घोषणा कर सकते थे और जा सकते थे लेकिन हम इस प्रकार नहीं जाएंगे, हम सारे संसार को यह बताना चाहेंगे कि विश्वास मत में कौन-कौन से मुद्दे निहित हैं। हम चाहते हैं कि सारा संसार इस सभा की कार्यवाही देखे और यह जाने कि धर्म-निरपेक्षता के प्रश्न पर इस सभा के प्रत्येक सदस्य का क्या मत है।

महोदय, आडवाणी जी ने यह सही कहा कि पिछली बार भी विश्वास मत लिया गया था लेकिन वह सभा को यह बताना भूल गये कि सत्र के प्रारम्भ में जब प्रधानमन्त्री द्वारा विश्वास मत मांगा गया था तब काफी चर्चा हुई थी आडवाणी जी ने स्वयं सक्रिय रूप से इस वाद-विवाद में भाग लिया था और उन्होंने अपने दृष्टिकोण पेश करने का प्रयास किया था।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : मैंने उसका जिक्र इसीलिये जान बूझकर किया था, क्योंकि, उस अवसर पर सरकारी पार्टी, मेरी पार्टी और मार्क्सवादी पार्टी, तीनों ने कहा था, मेरे पास रिकार्ड है, कि इस समय तो राष्ट्रपति ने केवल यह कहा है कि आप प्रमाणित करिये कि बहुमत आपके साथ है तो बिना चर्चा के हम मतदान कर लें, यह हम तीनों का प्रस्ताव था लेकिन कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं थी, इसीलिए बहस हुई थी इसी बात को स्मरण करते हुए, मैंने कहा कि आज मैं फिर से प्रस्ताव रखता है, सहमत ये नहीं होंगे या वे नहीं होते हैं तो एक बहस करवायेंगे, लेकिन उस समय आपकी पार्टी भी सहमत थी कि बिना बहस मतदान करके और निर्णय कर लिया जाए।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दंडवते : आपने तथ्यों को ठीक से ही पेश किया है। मैं इससे असहमत नहीं हूं। वास्तव में मैं इन्हीं का उल्लेख करने की कोशिश कर रहा था यह ठीक है कि कुछ कारणों की वजह से उस वक्त सभा के कुछ वर्ग इन मुद्दों पर चर्चा और वाद-विवाद चाहते थे। आज हम ही मांग कर रहे हैं कि इससे संबद्ध मुद्दों पर चर्चा की जाय यह इसलिए क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि सभा का वह प्रत्येक वर्ग जो इस प्रस्ताव का समर्थन या विरोध कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है।

यह मुद्दे बहुत स्पष्ट है। हमारे समक्ष मुख्य प्रश्न धर्म निरपेक्षता और भारत में इसके भविष्य के बारे में है। सभा के सभी वर्गों की धार्मिक भावनायें बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारे जैसे बहुत्ववादी समाज में धार्मिक अल्पसंख्यकों, भाषायी अल्पसंख्यकों, राजनैतिक अल्पसंख्यकों आदि के अधिकारों की कैसे और किस हद तक रक्षा की जा सकती है ? यह हमारे बहुत्ववादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

अत: आज धर्म निरपेक्षता का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर यहां गौर किया जाये भारतीय संदर्भ में हमारी धर्म निरपेक्षता की धारणा धर्म विरोधी या गैर धार्मिक नहीं रही है। भारतीय संदर्भ में धर्म निरपेक्षता से हमेशा तात्पर्य सर्व धर्म सम्भाव अर्थात विभिन्न धार्मिक समूहों का सौहार्द और शान्तिपूर्ण ढंग से मिल जुल कर रहना रहा है।

जो वाद-विवाद हो रहा है उसमें धर्म निरपेक्षता के इस मूलभूत सिद्धान्त पर गौर करना चाहिए। मैं सभा को बताना चाहूँगा कि धर्म निरपेक्षता की हमारी अवधारणा रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद से बहुत निकट है। मैं इस सभा को यह याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानन्द धर्म परायण हिन्दू थे। इसी वजह से वह प्रतिष्ठित और समर्पण की भावना रखने वाले भारतीय थे।

महोदय, इस देश में डा. जाकिर हुसैन और मौलाना अबुल कलाम आजाद इस्लाम धर्म के समर्पित अनुयायी थे। इसी वजह से वह भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीयता के समर्पित अनुयायी थे।

डा. बी. आर. अम्बेदकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। वह एक बहुत अच्छे बौद्ध थे। इसी वजह से वह एक अच्छे भारतीय थे।

गुरु नानक एक समर्पित सिख थे। इसी वजह से वह एक समर्पित भारतीय थे।

मदर टरैसा, जिन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण की है एक धर्म परायण ईसाई थीं। ईसाई मत में निहित करुणा की भावना के अनुकरण ने उन्हें एक अच्छा भारतीय बना दिया।

दादा भाई नौरोजी, जोकि भारतीय राष्ट्रवाद के जन्मदाता है, ने पारसी धर्म अपनाया, इसी वजह से वह भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थन में किसी से पीछे नहीं रहे। वह वस्तुतः भारतीय राष्ट्रवाद के संस्थापकों में से एक थे।

हममें से जो भी धर्म निरपेक्षता को मानते हैं कुछ ऐसे तुष्टीकरण का दर्शन कहकर इस का उपहास उठा सकते हैं उन्हें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि हमें धर्म निरपेक्षता महात्मा गांधी ने नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में विरासत में मिली है। यह विरासत, जो हमें मिली है हमे उसे सुरक्षित रखना है। राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में केवल मन्दिर का ढांचारी दाव पर नहीं लगा है बल्कि धर्मनिरपेक्षता की वह भावना दाव पर ही जो भारतीय की स्वतन्त्रता संग्राम में फली-फूली थी। इस वाद-विवाद में हम यह सुनिश्चित करना चाहते है कि जहां तक धर्म निरपेक्षता के इस अवधारणा का सवाल है, हमारे साथ कितने लोग हैं।

जब हम राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद पर चर्चा करते हैं तो हम उन भारतवासियों में से नहीं है जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि भारत में एक पहले दर्जे की और एक दूसरे दर्जे की नागरिकता है। जहां तक नागरिकता का सवाल है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। देश में देश भक्ति की भावना का दावा करने का एकाधिकार किसी भी विशेष धार्मिक समूह को नहीं है। यह एकाधिकार न तो बहुसंख्यक समुदाय का है न अल्प संख्यक समुदाय का है। जैसे कोई भी धार्मिक समूह देशभक्ति एवं राष्ट्रीय निष्ठा के एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता है, इसी तरह हम किसी भी धार्मिक समूह विशेष पर लांछन नहीं लगा सकते हैं और यह आरोप नही मढ़ सकते हैं कि वह देशद्रोही है। यही वह मूलभूत सिद्धान्त है जिस पर हमारी सही धर्म निरपेक्षता आधारित है। जिस तरह से यह बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि मन्दिर विवाद चलाया जा रहा है और आन्दोलन किये जा रहे हैं, मुझे उसका खेद है। हम समझते हैं कि लोकतान्त्रिक धर्म निरपेक्षता और धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद के मूलभूत सिद्धान्त को नष्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि हम चिंतित है।

हमें 1965 नहीं भूलना चाहिए, 1962 नहीं भूलना चाहिए, बांगलादेश की लड़ाई नहीं भूलनी चाहिए और यदि हम इन युद्धों पर गौर करें (व्यवधान) जी हां, 1947 के विभाजन के बाद की स्थिति भी यदि आप हमारे देश पर किये गये विभिन्न युद्धों का इतिहास देखें तो आपको पता चलेगा कि कई देश भक्त और शहीद ऐसे शहीद हुए हैं जो विभिन्न धार्मिक गुटों से संबद्ध थे और इसी तरह कई देशद्रोही और भेड़िए हुए हैं जो विभिन्न धार्मिक समूहों से संबद्ध थे। भारत पाकिस्तान की 1965 की लड़ाई में यह पता लगाने की कोशिश कीजिए कि जिन लोगों को खुफिया गतिविधियों के लिए दोषी पाया गया, वह कौम थे और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप इस प्रकार की विभाजन वाली बात कहने में गर्व नहीं समझेंगे कि किसी एक विशेष समुदाय का ही देश भक्ति पर एकाधिकार है और दूसरे देश के साथ धोखा करते रहे है।

इस संदर्भ में जहां तक आज उठाये गये मुद्दों की बात है मैं सभा के ध्यान में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू लाना चाहता हूं कि जहां तक राष्ट्रीय मोर्चे के चुनाव घोषणा पत्र की बात है, हमने जब मतदाताओं से मत मांगे थे तो अपना दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट किया था। हमने कहा था "राष्ट्रीय मोर्चे का मत है कि बाबरी मस्जिद नहीं गिरायी जानी चाहिए और साथ ही वहां भगवान राम का मंदिर बनाने की हिन्दू भावनाओं का भी आदर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मोर्चा महसूस करता है कि इस आधार पर एक सर्वमान्य समझौता किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में इस मामले में समझौता होने या न्यायालय के फैसला देने तक किसी भी समूह द्वारा हड़बड़ाहट में कोई भी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।"

भारतीय जनता पार्टी का अपना दृष्टिकोण है। हमारा दृष्टिकोण है। एक घटना हुई थी और चूंकि आडवाणी जी सभा में हैं, मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं, जब कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद 370 का प्रश्न उठाया था और कहा था "प्रधान मंत्री जी आपका एक दृष्टिकोण है और श्री आडवाणी जी का एक दम भिन्न दृष्टिकोण है तो आडवाणी जी ने खड़े होकर कहा था" यह सच है कि अनुच्छेद 370 पर हमारा एक भिन्न मत है। अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रीय मोर्चे और प्रधान मंत्री का एक दम भिन्न मत है। यह जानते हुए भी कि हमारे मत भिन्न हैं, हम इन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने और इन मुद्दों पर उनका समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर हमारा समझौता है और जहां तक अनुच्छेद 370 की बात है, भिन्न मत रखने का हमें भी अधिकार है।"

मैं सभा को कहना चाहूंगा कि हमें इन तथ्यों को नहीं भूलना चाहिए। मैं अपने उन सभी साथियों को याद दिलाना चाहता हूं जो दुर्भाग्य से आज हमारे साथ नहीं हैं कि पिछले चुनाव में क्या जनादेश प्राप्त हुआ था। कुछ विपक्षी दलों ने समझौता किया था। हमने वामपंथी दलों के साथ चुनावी समझौता किया था, हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यह समझौता किया था, हमने निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ भी यह समझौता किया था, हमने अन्य दलों, जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ भी यह समझौता किया था। परन्तु देश भर में, उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक एक भी ऐसा निर्वाचन क्षेत्र नहीं था। जहां हमने कांग्रेस (इ) के साथ यह समझौता किया हो। इसलिए हम सभी, जो इस समझौते के साथ या इसके बगैर चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के विरुद्ध समारी लड़ाई के बारे में स्पष्ट रूप से जानते थे, और हम सभी को चाहे आप हमारे साथ रहें या न रहें अथवा आज आप कांग्रेस से समर्थन प्राप्त करने हेतु हमसे अलग हो रहे हों यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो भी मत मिला, वह कांग्रेस के कुकृत्यों के खिलाफ मिला था। चौधरी देवीलाल जी ने यह ठीक कहा है। यह मत हमें कांग्रेस के कुकृत्यों और इसकी नीतियों के विरुद्ध मिला था। (व्यवधान) कुछ साथी जो अब हमसे अलग हो गये हैं, वे आज भूतलक्षी प्रभाव से यह कह रहे हैं कि वह वास्तव में कांग्रेसी हैं। यही समस्या है। (व्यवधान) परन्तु यह स्पष्ट है कि उन्हें और हमें मिला प्रत्येक मत वस्तुतः कांग्रेस के विरुद्ध मिला मत था।

यह एक स्वतन्त्र देश है। प्रत्येक व्यक्ति, जिसे पार्टी छोड़नी है, दल-बदल कानून के अधीन पार्टी छोड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी साथी चुन सकता है। राजनैतिक समझौतों पर कोई रोक नहीं है। और इसलिए आप अपनी पार्टी चुन सकते हैं और उन्हें समर्थन दे सकते हैं। परन्तु इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप मतदाताओं के साथ किए गए वायदों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।

वर्ष 1989 के चुनाव के दौरान जिन लोगों ने प्रचार किया था, उन सभी के भाषणों को देखिए, प्रत्येक मंच से यही कहा गया था कि हम कांग्रेस की राजनीति के बिलकुल विरुद्ध हैं। अब कुछ लोग हमसे अलग हो सकते हैं। उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई विद्वेष नहीं है। और यदि हम उन पर आक्रमण करें तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वर्षों से हम साथ लड़े हैं' पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि यह एक राजनैतिक वैधता का प्रश्न है। और मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। जब आप कांग्रेस के विरुद्ध चुने गए हैं तो आपको जो भी मत मिला, वह कांग्रेस के विरुद्ध मत था। यदि आप आज कांग्रेस का सहयोग मांगते हैं तो उसे वामपंथी दलों के साथ किये गये सहयोग या भारतीय जनता पार्टी के साथ किए गए चुनावी समझौते के समकक्ष नहीं माना जा सकता क्योंकि पिछले चुनाव में हमने पूरे देश को यह कहा था कि हमने कांग्रेस के साथ तिकोने संघर्ष से बचने के लिए इन गैर-कांग्रेसी दलों के साथ समझौते किए हैं। यह बात उन्हें बिलकुल स्पष्ट कर दी गई थी। और इसलिए उन लोगों के लिए राजनैतिक वैधता कैसे हो सकती है कि जो कांग्रेस के खिलाफ जीते थे, किन्तु जो सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पर निर्भर करने जा रहे हैं। मैं अपने साथियों का मजाक उड़ाना नहीं चाहता। मैं इस विचारधारा में नहीं जाना चाहता कि कांग्रेस (इ) और असंन्तुष्ट खेमे के सम्बन्ध में कौन बड़ा गुट अर्थात् 'ट्रक' है और कौन छोटा गुट अर्थात 'जीप' है। आप कहीं भी स्थान पा सकते हैं। यदि आप 'जीप' को पसन्द करते हैं तो 'जीप' में बैठिए, यदि आप 'ट्रक' को पसन्द करते हैं तो 'ट्रक' में बैठिए, यदि 'ट्राली' में बैठना चाहते हैं तो 'ट्राली' में बैठिए। परन्तु यह आत्म सन्तुष्टीकरण दृष्टिकोण मत अपनाइए कि वाहन चाहे कोई भी हो, चालक मैं हूं। मेरी कामना है कि चालक आप ही हों। परन्तु जब आप 210 लोगों पर निर्भर कर रहे हैं तो याद रखिए कि 58 सांसद यह नहीं कह सकते कि चालक हम हैं और खलासी 210 लोग हैं। याद रखिए कि खलासी वे नहीं होंगे अपितु पीछे बैठने वाले चालक होंगे। (व्यवधान)

वर्ष 1979 में, जिन्होंने यह सोचा था कि चालक वे थे, यह महसूस किया कि चालक कहीं और था, और पीछे बैठने वाले चालक ने, जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था, सरकार गिरने के बाद कल "कहां बेवकूफ बनाया" (मैंने उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया। मैं नहीं चाहता कि आसन्न सरकार के 'रिमोट कन्ट्रोलर' उन लोगों को, जो 210 सदस्यों के समर्थन पर आश्रित हैं, वही कहानी दोहराये ··(व्यवधान) उनके इतिहास तथा दर्शन को याद रखिए। उसे भूलिए मत।

बाबरी मस्जिद-रामजन्म भूमि तथा सम्बद्ध मुद्दों पर, मैं एक बात बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पिछले चुनावों में, मूलभूत रूप से, जैसाकि चौधरी जी ने ठीक ही कहा, लोगों ने कांग्रेस के कुकृत्यों और उनकी नीतियों के विरुद्ध मत दिए थे। इन तथ्यों के बावजूद कुछ लोग अपनी अति-उत्साहिता में अपनी जीत को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे के प्रश्न पर हुई जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि मैं गलत हूं तो मैं अपनी बात ठीक करने के लिए तैयार हूं। श्री जसवन्त सिंह इस सभा के सदस्य हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी राज्य सभा के सदस्य हैं। परन्तु चुनावी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया था और लोगों के आदेश का गलत अर्थ न लगाने की चेतावनी दी थी यह राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर लोगों के आदेश को अभिव्यक्ति नहीं थी, यह कांग्रेस के विरुद्ध लोगों के असंतोष की अभिव्यक्ति

थी। यही बात श्री जसवन्त सिंह और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी। और इसलिए मत-दाताओं के आदेश के इस पहलू को नहीं भुलाया जाना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि एक बात को बिलकुल स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए। राम मन्दिर के हमारे मन में बहुत प्यार है। हमने कहा था कि बाबरी मस्जिद को नहीं गिराया जाना चाहिए और साथ ही यह भी कहा था कि राम मन्दिर भी बनाया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि संयुक्त सर्व दलीय बैठक में जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं थीं, इस दृष्टि-को स्वीकार किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमें स्पष्ट बता दिया था कि "सर्व-दलीय बैठक में बाबरी मस्जिद का प्रश्न आएगा। उन्होंने हमें बता दिया था कि इस मुद्दे पर उनका मत भिन्न है और इसलिए बैठक में आने और अलग रहने तथा उनकी उपस्थिति से दूसरों को परेशानी में डालने की बजाय यह बेहतर है कि वे बैठक में शामिल न हों।" मैं उनका तर्क समझ सकता था। मैंने प्रधान मन्त्री को बताया कि अटल जी और आडवाणी जी बैठक से अनुपस्थित रहने का दृष्टिकोण न्यायोचित है। परन्तु केवल वे ही नहीं अपितु कांग्रेस पार्टी वाले भी उस बैठक में सम्मिलित नहीं हुए। मुझे सभा को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि सर्वदलीय बैठक में जिसमें मुस्लिम लीग तथा अन्य दल भी उपस्थित थे, एक बहुत ही संतुलित संकल्प पारित किया गया था।

2.57 अ. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह बताना चाहता हूं कि मुस्लिम सदस्यगण, जो बैठक में उपस्थित थे, उनमें से एक ने ही नहीं बल्कि कईयों ने कहा था कि वे राम मन्दिर के निर्माण के विरुद्ध नहीं हैं।" उन्होंने कहा : "हम उसी परिसर में मन्दिर के निर्माण के विरुद्ध नहीं है।" और यह भी कहा "वहां यथा स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए; मामला न्यायालय में भेजा गया है। यदि परिसर में किसी गैर-विवादा-स्पद भूमि पर निर्माण किया जाता है तो हम इसमें बाधा नहीं डालेंगे।" यह बहुत संतुलित दृष्टि-कोण था। मुझे प्रसन्नता थी कि उस बैठक में शिव सेना के सदस्य भी उपस्थित थे और हमने सर्व-सम्मत प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमें बताया "हम भी यह नहीं कह रहे कि मस्जिद को गिराया जाना चाहिए और मन्दिर बनाया जाना चाहिए।" भारतीय जनता पार्टी के कुछ मेरे मित्रों ने इसकी बहुत ही रोचक व्याख्या की। उन्होंने कहा, "जब हम कहते है कि मन्दिर बनाया जाना चाहिए, हम नहीं कहते कि मस्जिद गिराई जानी चाहिए। वे दावा करते हैं कि प्रौद्योगिकी के आधुनिक दिनों में हम पूरी मस्जिद को वहां से हटाकर इसे दूसरी जगह स्थापित कर सकते है।

मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति की याद आती है। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। वह न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वह भाषण के शब्दानुसार के लिए जाने जाते हैं। जब कोई गिरता है' तो मैं यह कहूंगा कि वह व्यक्ति गिर गया है। लेकिन वह बुद्धिमान इस घटना का इस साधारण तरीके से वर्णन नहीं करेगा। वह कहेंगे, 'गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धान्त की वजह से वह व्यक्ति खड़े हुए से लेटने वाली स्थिति में आ गया है' आश्चर्यजनक। इसका अर्थ भी वही है जैसे कहा जाता

है कि वह व्यक्ति गिर गया है। लेकिन थोड़े में कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति गिर गया है, उसने इसके बारे में सब कुछ कह दिया।

मेरे मित्र कहते हैं कि ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे पूरी मस्जिद को दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मुस्लिम जनता को यह बताना कि इस मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा बल्कि अति-आधुनिक तरीके से उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं कि वे इन विचारों से सतुष्ट हो जाएंगे ? इसीलिए, हमने सुझाव दिया कि हम दोनों धर्मों की भावनाओं को अपने दिमाग में रखें। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक ही कहा कि जब हम देश से हिन्दुओं की भावनाओं का आदर करने के बारे में कहते है, तो वहां मुस्लिम लोगों की भावनाओं का भी आदर किया जाए। इस बात को याद रखा जाए कि हमने सैद्धान्तिक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है, हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध लोग इस देश के लिए पराये है। हमने इस देश की एकता सभी धार्मिक गुटों की मैत्री का स्वीकार किया था, हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हिन्दुओं की भावनाओं की रक्षा की जाए लेकिन ईसाईयों, मुस्लिम और बौद्ध लोगों तथा सिक्खों की भावनाओं की भी रक्षा की जाए। क्या हम इस बात को भूल गए है कि जब 'ब्लूस्टार आपरेशन' की घटना हुई तो सिक्खों की आत्मा को दुख हुआ था और मुझे याद है कि कांग्रेस के व्यक्तियों ने भी उन दिनों कहा था कि यदि ब्लूस्टार आपरेशन से सिक्खों की आत्मा को दुख पहुंचाया गया है तो हमें उनकी दुखी आत्मा को मरहम लगाने के लिए कुछ करना चाहिए। यदि इस देश में किन्हीं धार्मिक गुटों की आत्मा को दुख हुआ है, तो धर्म-निरपेक्ष वातावरण ही नष्ट हो जाता है। हम वर्तमान सदर्भ से इसे सुनकर इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा बहुत से अन्य मुद्दे हैं। वे आज के वाद-विवाद से सम्बद्ध नहीं है। और जैसाकि चौधरी साहब ने कहा था, यहां ऋणों को समाप्त किया गया, उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यहां लोक पाल विधेयक लाया गया। हमने विधान मण्डलों में अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने के लिए कुछ नीतियां शुरू की। हमने महिलाओं के लिए आयोग का विचार दिया। हमने दूरदर्शन को स्वायत्तता देने का निर्णय लिया। यहां खाड़ी के संकट है। ये सभी विषय यहां पर सुसगत है इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन आज के वाद-विवाद में बहुत ही गंभीर विषय धर्म निरपेक्षता का है।

श्री टी. बशीर (चिरायिंकिल) : आपने क्या स्वायत्तता दी है ?

प्रो. मधु दण्डवते : आप इस मामले को देखिये (व्यवधान) जैसाकि श्री सोमनाथ चटर्जी ने

ठीक ही कहा था। आज का मुख्य विषय धर्म निरपेक्षता के प्रति हमारे दृष्टिकोण का है।

मैं अब अन्य महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं। मैं कुछ सदस्यों को इसके बारे में परेशानी है। मैं उनकी सदभावना को चुनौती नहीं दे रहा हूँ। मैं उन पर कोई छींटाकशी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे बहुत ही स्पष्ट तरीके से विश्लेषण करने दीजिए। जब 'रथ यात्रा' शुरू हुई, तो देश में निश्चित सामाजिक वातावरण था। यहां सभी दलित वर्गों के हितों की एकता के लिए एक नई

लहर प्रकट हो रही थी। हमने देखा कि इस देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के बीच एकता की नई लहर यहां प्रकट हो रही थी। कुछ लोग दलित वर्गों तथा उनकी एकता शक्ति को इस प्रकट हो रही एकता से भयभीत हो गए थे। वह केवल एक तरीका हो सकता है जिससे दलित तथा पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों की एकता शक्ति को नष्ट किया जा सकता और वह था कि नई हिन्दु लहर द्वारा उस लहर पर काबू पाने का प्रयास किया गया। और यही वजह है कि यह आन्दोलन शुरू किया गया है था। यह मेरा अनुमान है और यदि इसे गलत साबित कर दिया जाए तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। प्रश्न उठा कि सरकार को क्या करना होगा। अध्यादेश के बारे में प्रधान मंत्री ने क्या कहा है, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। बातचीत की गई थी। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता शुरू में कुछ सीमा तक इसके प्रति अनुकूल रवैया अपनाए हुए थे। जब विश्व हिन्दु परिषद ने प्रतिकूल रूख अपनाया तो मुसलमानों ने भी उसी प्रकार का रूख अपनाया, हमने देखा कि बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि विवाद के हल के लिए यह अध्यादेश का आधार नहीं हो सकता, और इसीलिए उस अध्यादेश को वापस ले लिया गया था। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से पैदा होने वाले साम्प्रदायिक मनोभाव जैसे ज्वलंत विषय यहां हैं। जब श्री एल. के. आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की थी, तो उन्हें यह पता नहीं होगा कि यहां हिंसा होगी। यह रथ यात्रा एक बाघ की तरह थी। आप बाघ की सवारी कर सकते हैं और जब तक आप बाघ की पीठ पर सवार रहेंगे वह बाघ अन्य लोगों को निगल सकता है। लेकिन जिस क्षण आपने बाघ की पीठ से नीचे उतरने का प्रयास किया, वही बाघ आप को भी निगलने का प्रयास करेगा क्योंकि वह मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद नहीं करता। प्रश्न यह है कि बिहार में 'रथ यात्रा' को क्यों रोका गया था? यदि यह 'रथ यात्रा अयोध्या में प्रवेश कर जाती और इसमें वहां लाखों लोग प्रवेश कर जाते, तो वहां क्या होता? दर्शक अलग रह सकते हैं। लेकिन उनके साथ क्या होता जो प्रशासन चला रहे हैं? प्रशासन द्वारा बरती गई सावधानियों के बावजूद, कुछ सैकड़ों लोग आगे बढ़ गए थे। उनमें से कुछ मस्जिद की गुम्बद पर चढ़ गए थे। इसके कुछ फोटो भी छपे हैं। उन्होंने पैसा किसी संगठन के निर्देश की वजह से लिया। उनमें से कुछ हिन्दु निर्मित पैदा होने वाले मनोविचारों की वजह से मस्जिद के गुम्बद पर चले गये थे और बाद उनमें से कुछ जो डाइनेमाइट और विस्फोटक पदार्थ लिए हुए थे और यदि वे उन्हें मस्जिद पर फेंक देते और यदि मस्जिद नष्ट हो जाती, तो क्या हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि इनसे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता? जब 'ब्लू स्टार आपरेशन' की घटना घटी, तो बहुत से लोगों ने 'ब्लू स्टार आपरेशन' के सम्बन्ध में अपने विचार बताए। लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव यह था कि ब्लू स्टार आपरेशन की घटना से सिक्खों की आत्मा को दुख हुआ था। कल यदि हिन्दुओं के किसी पवित्र मन्दिर को अपना बौद्ध लोगों के किसी बुद्ध विहार अथवा ईसाइयों के किसी गिरजाघर को इस तरीके से अपवित्र किया जाता, उन पर बम फेंके जाते और यहां तक कि वहां विस्फोट हो जाता, तो वहां धर्मों की बुरी भावनाओं का विस्फोट होगा। और इसीलिए, सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े थे (व्यवधान) जहां तक धर्मनिरपेक्षता का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मेरे अत्यन्त दृढ़ विचार हैं तथा मैं उन्हें अत्यन्त दृढ़तापूर्वक तथा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त करना चाहता हूँ···(व्यवधान)

मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। हमारे कुछ मित्रों ने जिन्होंने अब हमारा साथ छोड़ दिया है कहा है कि हमें सत्ता से मोह है तथा प्रधान मंत्री कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। हममें से कई ने कई वर्षों तक साथ-साथ विभिन्न संघर्ष किए हैं। हम जितने महीनों अथवा वर्षों तक सत्ता में रहे हैं उससे कहीं अधिक वर्षों तक हमने विभिन्न संघर्ष किए हैं तथा जेलों में रहे हैं। हम अपने

संघर्ष की शक्ति से सत्ता में आए है। आज यदि हम सत्ता से चिपके हुए होते तो प्रधानमन्त्री के लिए सबसे आसान विकल्प क्या होता ? यदि उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी के साथ राम जन्म भूमि मसले के बारे में केवल समझौता कर लिया होता तथा विश्व हिन्दू परिषद के साथ इस समझौते पर तैयार हो जाते कि हम विवादास्पद स्थल पर ही राम मन्दिर बनवाने को तैयार है तब भी कांग्रेस के समर्थन के बिना भी हमारी सरकार बनी रहती। परन्तु हमने धर्मनिरपेक्षता की खातिर ऐसा न करने का निर्णय लिया था हम सत्ता से बाहर जाने को तैयार हो गए। मैं इस सभा में प्रत्येक सदस्य से यह कहूंगा कि चाहे सरकार के पक्ष में मतदान करे अथवा सरकार के खिलाफ, इस सभा में यह बताये कि वह कौनसा धर्मनिरपेक्षा मे विश्वास करता है। इसका सारे विश्व को पता लग जाना चाहिये तथा उसे भी यह देखना चाहिये। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम तो धर्मनिरपेक्षता की खातिर ऐसी सैकड़ों सरकारें कुर्बान करने को तैयार है।

*श्री आर. मुथिया (पेरियाकुलम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने आज एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमे इस सभा का मंत्री परिषद में विश्वास मांगा गया है। यह एक आम परम्परा है कि सरकार अपने कार्यों के आधार पर ही इस सभा का मंत्री परिषद में विश्वास हासिल करती हैं। आज इस सरकार द्वारा हमारे समक्ष यह विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो कि केवल एक घटना पर आधारित है। चूंकि उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया है तथा रथ यात्रा को रोका है इसीलिए सरकार इस सभा का समथन चाहती है।

इस प्रस्ताव पर बोलते हुए विभिन्न दलो के कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस समय मुझे केवल ग्यारह महीने पूर्व का वह दिन याद आ रहा है जब पहली बार इस सरकार ने सभा का मंत्री परिषद मे विश्वास मांगा था। जब ग्यारह महीने पूर्व माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहली बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तब साम्यवादी दलो के माननीय सदस्यो ने तथा भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इन प्रतिद्वन्द्वी गुटों के लिए वास्तव में यह एक प्रशंसनीय उपलब्धि थी जो पहली बार किसी विषय पर एकमत हुए थे। परन्तु आज हमें यह जानकर दु.ख हो रहा है कि आज साम्यवादी दलों के वे ही सदस्य जिन्होंने ग्यारह महीने पूर्व इस सरकार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस सरकार को गिराने के लिए इकट्ठा हो गए है। कांग्रेस तथा अन्य समर्थनकारी दल आज इस सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता का साथ क्यों दे रहे हैं, यह प्रश्न बार-बार पूछा जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हमें अनुवाद सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री आर. मुथिया : महोदय, यदि आपको कोई अनुवाद सुनाई नहीं पड़ रहा है तब इसका अभिप्राय यह हुआ कि आप जानबूझकर सभा की कार्यवाही में से हमारी भाषा को हटा रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने नोटिस दे दिया है ?

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री आर. मुथिया : मैंने नोटिस दिया था कि मैं तमिल में वक्तव्य दूंगा। जब इसका कोई अनुवाद नहीं किया जा रहा है तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारी भाषा को जानबूझकर कार्यवाही से निकाला जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अनुवादक आ गए हैं। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

***श्री आर. मुथिया** : साम्यवादी दलों के माननीय सदस्य तथा प्रधानमंत्री भी केवल एक बात पर जोर दे रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री, माननीय मधु दण्डवते तथा साम्यवादी दलों के माननीय सदस्य भी बार-बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि पिछले चुनावों में जनादेश कांग्रेस के खिलाफ था। इसी के अनुसार वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का अभिप्राय जनता के जनादेश के खिलाफ मतदान करना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप सभा में दलों की संख्या देखें तो आप पायेंगे कि कांग्रेस को 195 सीटें हैं। सभा में अन्य दलों ने कम स्थान प्राप्त किए हैं। तब यह कैसे समझा जा सकता है कि पिछले चुनावों में जनादेश कांग्रेस के खिलाफ गया था। दूसरी ओर इस देश की जनता ने पिछले चुनावों में कांग्रेस को इतने वोट दिए थे कि इस दल को लोक सभा में सबसे अधिक स्थान मिले हैं। आज कांग्रेस दल विपक्ष में है क्योंकि माननीय नेता राजीव गांधी ने सत्ता की अपेक्षा सिद्धांतों को अधिक महत्व दिया जबकि कुछ अन्य दलों ने अवसरवादी रुख अपनाते हुए सिद्धांतों, उद्देश्यों तथा उसूलों को तिलांजलि देकर सत्ता से चिपके रहने को अधिक महत्व दिया है। यदि कांग्रेस ने भी ऐसे दलों के साथ समझौता करने का निर्णय किया होता जो सिद्धांतत: उससे बिलकुल भिन्न हैं तो कांग्रेस भी बड़ी आसानी से सत्ता में होती। उन्होंने सिद्धांतों की खातिर सत्ता को त्याग दिया। अतएव यह बड़े दुख की बात है कि ऐसे दल को जनविरोधी दल समझा जा रहा है।

इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करके आप हम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाने का आरोप मढ़ रहे हैं। मैं अपने साम्यवादी दलों से पूछना चाहूंगा। उस मामले में जब कुछ समय पूर्व हमने मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तब आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान क्यों किया था ? तब क्या वह एक उचित निर्णय था ? ये साम्यवादी इस प्रकार का दोषारोपण क्यों कर रहे हैं ?

हम इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें इस बात का इतमिनान हो गया है कि यह सरकार सत्ता में बने रहने के लायक नहीं है। माननीय प्रधान मन्त्री ने तीन मुद्दों अर्थात् धर्मनिरपेक्षता, अखंडता तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान पर बल दिया है।

परन्तु पिछले ग्यारह महीनों की अवधि में इस सरकार ने जो इस समय अचानक प्रकट हुई "धर्मनिरपेक्षा" की अवहेलना की है उस पर मैं अपनी निराशा व्यक्त करना चाहूंगा। इस सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए दो अभिभाषणों में भी इस धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहीं कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। प्रधान मन्त्री जो ने भी जो इस समय धर्म निरपेक्षता शब्द पर इतना बल दे रहे हैं, राष्ट्रपति के इन दो अभिभाषणों के पश्चात अपने धन्यवाद प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्षता का कहीं कोई जिक्र नहीं नहीं किया। इन ग्यारह महीनों के दौरान उन्होंने सभा को

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कोई ऐसा दृढ़ आश्वासन भी नहीं दिया है कि वह रामजन्मभूमि मसले के सम्बन्ध में न्यायालय के निर्णय को मानेंगे। अब इस समय अचानक ही वह इस आधार पर हमारा समर्थन मांग रहे हैं कि उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया है। जब धर्मनिरपेक्षता को पंगु बनाने वाली अनेक घटनाएं इस देश में घटी थीं तब उस समय प्रधान मन्त्री जी शांत तथा निष्क्रिय बैठे हुए थे। उदाहरण के लिए, जम्मू तथा कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति का ही मामला लीजिए। जब साम्प्रदायिकता के कारण कश्मीर में तनाव फैला हुआ था उन्होंने ऐसे व्यक्ति का स्वयं साम्यवादियों की इच्छाओं के खिलाफ भी वहां का राज्यपाल बनाने का चयन किया था जिसकी धर्मनिरपेक्षता के बारे संदेह ही किया जा सकता है। जो अराजकता का साम्राज्य वहां पर राज्यपाल ने आरम्भ किया था उस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आज इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आप धर्मनिरपेक्षता की भावना को उकसा रहे हैं।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे रक्षा बलों की उनकी सत्यनिष्ठा के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। मैं प्रधान मंत्री जी को एक बात याद दिलाना चाहूंगा। भारतीय शांति सुरक्षा बल को श्रीलंका में शांति बनाने के लिए तथा तमिलों के हितों की रक्षा करने के लिये भेजा गया था। जब वह बल उसे सौंपे गये कार्य को पूरा करके वापस लौटा तो तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री ने उसे जाति संहार करने वाली हत्यारों की सेना बताया। वहां से वापस आने वाली सेना को दिए गए स्वागत समारोह में आने से उन्होंने इन्कार कर दिया। यह सबसे बड़ा अपमान था जोकि हमारे सशस्त्र बलों का किया गया था। हमारे दल के श्री पी. आर. कुमारमंगलम तथा अन्य दलों के श्री सैफुद्दीन चौधरी तथा प्रो. मल्होत्रा जैसे अनेक माननीय सदस्यों ने भी सभा में इस मुद्दे को उठाया था। प्रधान मन्त्री जी ने अपने स्थान से कम से कम एक बार भी उठकर मुख्य मन्त्री की निन्दा नहीं की थी। आज अखंडता के नाम पर विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए प्रधान मन्त्री जी का क्या औचित्य है ?

इन ग्यारह महीनों में उन्होंने श्रीलंका की समस्या के समाधान की दिशा में क्या किया है ? लाखों शरणार्थी यहां पर आ गए हैं तथा अभी भी इनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। लंका स्थित तमिलों के हितों की सुरक्षा हेतु इस सरकार द्वारा कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं ? क्या इस सरकार के विदेश मन्त्री ने समस्या को सुलझाने के लिये कभी श्रीलंका का दौरा किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

***श्री आर. मुथिया** : मुझे 25 मिनट दिए गए हैं। कृपया मुझे कुछ और मिनट दीजिए। मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

जब तमिलनाडु में कई साम्प्रदायिक घटनाएं हुई थीं, जिसके कारण कई अवसरों पर एकता और अखण्डता को खतरा पैदा हो गया था, क्या इस सरकार ने राज्य की निंदा की थी ?

गृह मंत्री ने उस समय कितनी बार तमिलनाडु का दौरा किया था जब कई अवसरों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति को गम्भीर खतरा पैदा हो गया था ?

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आप तमिलनाडु को सामन्त राज्य और वहां के मुख्य मंत्री को नामजद राजकुमार समझते रहे थे। आपने मुख्य मन्त्री के कुकृत्यों पर कभी ध्यान नहीं दिया जिनके कारण देश की एकता और अखण्डता को खतरा पहुँचा है।

आप हमारा समर्थन चाहते हैं क्योंकि आपने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है। किन्तु जब हमने सर्वदलीय बैठक में अपने विचार रखे थे तो आपने उन विचारों पर ध्यान नहीं दिया था। 1951 और 1952 से गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष करने की हमारे दल की लम्बी परम्परा रही है। यदि कोई अन्ना और पेरियार न होते तो हमारे सामने यह मंडल रिपोर्ट नहीं आती। हम, ऐसे दल के सदस्यों के रूप में जो पेरियार और अन्ना द्वारा निर्मित किया गया था, मंडल आयोग की सिफारिशों का तहेदिल से स्वागत करते हैं। हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि यह सरकार पिछड़े वर्गों का वास्तव में उत्थान करना चाहती है तो उसे इस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिये। ऐसी स्थिति में हमारा दल इसके लागू किए जाने का सबसे पहले स्वागत करेगा।

महोदय, हमारी मांग थी कि 52 प्रतिशत आरक्षण जिसकी मंडल आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी, दिया जाना चाहिए। हमने यह भी मांग की थी कि आरक्षण को अनिवार्य रूप से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिये भी लागू किया जाना चाहिए। इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया है। मैं श्री यादव से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। वे गम्भीरता से इसका जवाब दें। पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत के आरक्षण की घोषणा के अलावा, आपने इसे ईमानदारी से लागू करने के लिए और कौन कौन से कदम उठाए हैं? आपने और कोई कदम नहीं उठाया है। किन्तु आप डींग हांक रहे हैं कि आपने मंडल रिपोर्ट को लागू कर दिया है। श्री देवी लाल ने ठीक कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए की गई यह घोषणा एक पिछड़े वर्ग के नेता को मात देने के लिए और सस्ते राजनैतिक फायदे उठाने के लिए की गई है।

वह दल, जिसे पेरियार और अन्ना ने बनाया और राजनीतिक रूप से चलाया उन खोखली घोषणाओं से धोखे में आने वाला नहीं है जो राष्ट्र के हित का ध्यान रखे बिना एक पिछड़े वर्ग के नेता के प्रभाव को समझ करने के लिए और सस्ते राजनैतिक फायदे उठाने के लिए की गई है।

अन्त में, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिन तीन मुद्दों पर यह सरकार सदन का विश्वास चाहती है उन तीनों मुद्दों, अर्थात् धर्मनिरपेक्षता, देश की एकता और अखण्डता और पिछड़े वर्गों का उत्थान, पर यह सरकार बुरी तरह से असफल रही है और इसलिए उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ए. आई. ए. डी. एम. के. दल की ओर से विश्वास प्रस्ताव का दृढ़ता से विरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। यद्यपि जहां से मैं प्रारम्भ कर रही हूँ वह बात कुछ अप्रासंगिक लग सकती है लेकिन अभी दो-तीन दिन पूर्व, दिल्ली आने पर, मुझे लोकसभा की तरफ से प्रेषित एक छोटा-सा कागज मिला है, जिसके अनुसार, मुझे 28 अक्तूबर,

1990 को गिरफ्तार किया गया और 31 अक्तूबर को रिहा किया गया। मुझे आश्चर्य हो रहा है इस बात पर कि अगर मुझे 31 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने कागजों में रिहा दिखाया है, तो जिस परिवार की गाड़ी में बैठ करके मैं अयोध्या तक गयी थी उस परिवार के लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत एक क़ैदी को फरार होने में सहयोग करने के आरोप में बन्द किस कारण से किया गया; और दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि यदि 31 तारीख को बांदा के सर्किट हाउस में जिस को वहां के प्रशासन ने जेल बनाया हुआ था, वहां से सिर्फ मुझको ही रिहा क्यों किया; क्योंकि मेरे साथ में मेरी अन्य माननीया सांसद बहनें भी थीं श्रीमती वसुन्धरा राजे, श्रीमती सुमित्रा महाजन और श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता, उनको वहां पर क्यों रखा गया; और 31 तारीख की रात को मेरे गायब हो जाने के बाद में, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का घेरा और कस दिया गया और अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी विशेष लाड़ली थी कि सिर्फ मुझ को ही रिहा किया गया, और बाकी सबको वहां पर रखा गया, तो अयोध्या की गलियों में मुझे जानवरों की तरह घसीट कर फिर कोतवाली के अन्दर क्यों ले जाया गया; यह बात मैं इसलिए कह रही हूं क्यों कि जो कागज मुझे मिला, उस पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य सोमनाथ चटर्जी जब यह बात कह रहे थे कि सदैव साम्प्रदायिक ताकतों का सहारा लिया गया जैसे कि पहले भारतीय जनता पार्टी का और अब शायद कांग्रेस की ओर देखा जायेगा, यद्यपि माननीय चटर्जी यहां पर विद्यमान नहीं हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं उन तक अपनी बात पहुँचाना चाहूंगी कि अभी पिछले सत्र तक वे भी हमारे साथ में गल-बहियां किये हुये थे और हमारे साथ रहकर उसी दल का समर्थन कर रहे थे जिसका हम कर रहे थे। आज भले ही वे हमें चिमटे से छूने के लिए तैयार नहीं हो रहे हों, लेकिन अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, जब वे हमारे साथ में बैठकर एक विशेष सरकार का समर्थन कर रहे थे।

माननीय भू. पू. उप प्रधान मंत्री, चौधरी देवी लाल जी ने एक बात कही है जिसका तुरन्त उत्तर देना बहुत आवश्यक लगा। यद्यपि वे भी सदन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन महोदय, आपके माध्यम से मैं सारे सदन के सामने यह बात रखना चाहती हूं कि अंग्रेजों के जमाने में राम जन्म भूमि का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया और इसी समय पर राम जन्म भूमि का अभियान क्यों छेड़ा गया, मैं माननीय चौधरी साहब और सारे सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहती हूं कि यह लड़ायी उसी दिन से लड़ी जा रही थी जिस दिन से राम जन्म भूमि पर बने मंदिर को तोड़ा गया। अंग्रेजों के जमाने में भी वहां पर लगातार लड़ायी लड़ी गयी। उसके कारण लाखों लोगों के बलिदान हुए और अंग्रेजों के ही जमाने से यह लड़ायी चली आ रही है। यह जानकर आश्चर्य होगा उपाध्यक्ष महोदय कि अमीर अली नाम के एक मुसलमान सज्जन ने 4-5 हजार मुसलमान बंधुओं की फौज को एकत्रित करके स्वयं उन्होंने यह प्रयास किया था कि वह राम जन्म भूमि के ऊपर मंदिर बनवा दें और हिन्दु भाइयों के साथ उनके मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जायें, लेकिन अंग्रेजों की चूंकि-डिवाइड एण्ड रूल की पॉलिसी थी, जब उन्होंने देखा कि अगर ऐसी बात हो गयी तो हिन्दू और मुसलमान एक हो जायेंगे और फिर हम टिक नहीं पायेंगे, तो अमीर अली को किसी एक अभियोग में देशद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया और अन्त में फांसी दे दी गयी थी।

जो अमीर अली के साथ अंग्रेजों ने उस जमाने में किया था, वही हिन्दू और मुसलमानों को विभाजित करने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुलायम सिंह यादव ने अब किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि इस समय पर उपस्थित हूं, यह बात बताने के लिए कि अयोध्या की वास्तविकता क्या है और वह क्या कारण है जिससे कि हमें अपना समर्थन वापस लेना पड़ रहा है, इसके लिए मैं अपने अत्यधिक संक्षिप्त वार्तालाप को यहां से प्रारम्भ कर रही हूं जब 1 नवंबर को श्री राम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण का संकल्प विश्व हिन्दू परिषद ने लिया था, उस समय पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह अपील की थी कि हम नये-नये सरकार में आये हैं, इसलिए हमें थोड़ासा समय दिया जाये। हमें 4 महीने का समय दीजिये, ताकि हम इस मामले को सुलझा सकें। इस समय मेरे पास अखबार की वह प्रति भी है जिसमें प्रधान मंत्री सचिवालय की ओर से यह अपील छपी थी, जिसमें प्रधान मन्त्री जी ने यह अपील की थी कि यदि आप हमें 4 महीने को समय दे देते हैं, तो हम एक-एक दिन इसके समाधान में लगायेंगे। हम निश्चित रूप से चार महीने के अंदर इसका समाधान कर देंगे। चार महीने के अंदर समाधान की दिशा में जिस प्रकार से प्रयास होना चाहिए था वह प्रयास नहीं किया गया, एक प्रकार से माना जाए तो राम जन्म भूमि के इस मसले को बिल्कुल भी गम्भीरता से नहीं लिया गया। जब चार महीने पूरे होने वाले थे और सिर्फ चार दिन बाकी रह गए थे उस समय भी विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं को बातें प्रधान मंत्री जी से हुई थी और उस समय प्रधान मन्त्री ने हंसकर अपनी सर्वविदित शैली में कहा था कि अभी तो चार दिन बाकी हैं, कुछ भी हो सकता हैं, अभी आप जरा रुक जाइए। उसके बाद वो चार दिन भी पूरे हो गए, प्रधानमंत्री ने जो अवधि मांगी थी वह अवधि भी पूरी हो गई। 24-25 और 26 जून को विश्व हिन्दू परिषद की केन्द्रीय मार्ग दर्शक मन्डल की बैठक हरिद्वार में हुई और 30 अक्टूबर को श्री राम जन्म भूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा, यह संकल्प वहां पर लिया गया। यह श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह का सौभाग्य था कि पहले चार महीने उनके मांगने पर मिल गए और बाकी के चार महीने उनके भाग्य से बिना मांगे उनको मिल गए। अगर वे चाहते तो उन चार महीनों में समाधान किया जा सकता था, विवाद को एक तरफ रखकर वार्तालाप के द्वारा समाधान दिया जा सकता था लेकिन फिर भी उन चार महीनों में समाधान की दिशा में गम्भीरता से प्रयत्न करने की जगह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुली छूट दे दी गई और वे उत्तर प्रदेश में जगह-जगह घूम-घूमकर सदभावना रैली के नाम पर तो कहीं साम्प्रदायिकता के विरोध के नाम पर विश्व हिन्दू परिषद के आन्दोलन को पूरी तरह से साम्प्रदायिक बताने में तुल गए। माननीय मधु दण्डवते जी यहां पर उपस्थित हैं। अभी जब यह बात कही जा रही थी कि उस राम जन्म भूमि में बनी हुई विवादास्पद इमारत को, जिसको कुछ लोग मस्जिद कहते है, जो लोग उसको मस्जिद कहते है मुझे उन पर सन्देह होता है क्योंकि शरीयत के मुताबिक वह जगह मस्जिद नहीं हो सकती क्योंकि मस्जिद में मूर्ति नहीं हो सकती है। यदि वहां पर मूर्ति है तो वह मस्जिद नहीं है, यदि वहां मस्जिद है तो फिर वह मूर्ति क्यों है? इसलिए मैं बता देना चाहती हूं कि यदि कोई हिन्दू उस जगह को मस्जिद कह भी दे तो मैं यह मान सकती हूं कि उसको मुस्लिम धर्म का ज्ञान नहीं होगा किन्तु यदि कोई मुसलमान उसको मस्जिद कह देगा तो मुझे उसके ज्ञान पर शंका हो जाएगी और उसके सच्चे मुसलमान होने पर भी शंका हो जाएगी। इसलिए जब यह बात इस सदन के अन्दर कही गई एक माननीय वरिष्ठ सदस्य के द्वारा तो जो उस इमारत के ऊपर केसरिया झंडा फहरा रहे थे, मैं सदन की जानकारी के लिए बता दूं कि हमने 30 अक्टूबर को जो संकल्प लिया था उसमें एक बार भी यह बात नहीं कही थी कि हम मस्जिद को तोड़ेंगे। न तो आडवाणी जी ने

यह कहा था कि हम मस्जिद को तोड़ेंगे न विश्व हिन्दू परिषद के प्रवक्ता ने यह कहा था, न राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा था कि हम मस्जिद को तोड़ेंगे। हमने यह कहा था कि हम वहां पर मन्दिर का निर्माण करेंगे। मस्जिद तोड़ने की बात हमारे मुंह से नहीं निकली। लेकिन यदि कुछ नौजवान उत्तेजित होकर इमारत पर चढ़ गए तो इसमें हमारी गलती नहीं है। इसकी पूरी जिम्मेवारी मुलायम सिंह पर है जिसको श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने छूट दे दी थी और मुलायम सिंह यादव पूरे उत्तर प्रदेश में घूम-घूमकर चुनौती देते रहे कि वहां पर एक परिन्दा भी पर नहीं मार सकता है। नौजवानों को कहां तक रोका जा सकता है। उनके मन में यह आवेश आ गया कि ठीक है परिन्दा पर नहीं मार सकता है तो उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने हाथ जरूर मार सकता है। यह मुलायम सिंह यादव के लिए वास्तव में शर्म की बात थी कि जिस नौजवान ने उस इमारत के ऊपर खड़े होकर झंडा फहराया वह नौजवान फैजाबाद जिले के सुहावल गांव का सुनील यादव था। जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था, राम जन्म भूमि पर मन्दिर बनने का विरोध किया तो स्वयं यादव जाति के लोगों को शर्म आने लगी थी और उस कलंक को सुनील यादव नाम के नौजवान ने धोया जिसने उस इमारत पर केसरिया झंडा फहराया। उसमें उस नौजवान को दोष नहीं था। एक बार आडवाणी जी ने नहीं बोला था कि मस्जिद को तोड़ो, मस्जिद को स्थानान्तरित करने की बात हुई थी तोड़ने की बात नहीं हुई। मुलायम सिंह यादव ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ा और पूरी सेना तैनात कर दी, मस्जिद को तोड़ने की बात नहीं कही गई और जिस मस्जिद को तोड़ने की बात नहीं कही गई उस मस्जिद की रक्षा के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को सैनिक छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, संविधान के अनुच्छेद 25-26 का सरासर उल्लंघन किया गया। पंचकोसी परिक्रमा पर रोक लगायी गई। मध्य प्रदेश और बिहार के लोगों को उत्तर प्रदेश में जाने से वंचित कर दिया गया। यही कारण था जिससे उत्तेजित होकर कुछ नौजवान उस इमारत के ऊपर चढ़े लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि हिन्दू नौजवानों के मन में तोड़-फोड़ की बात नहीं थी। आज मैं पूरे सदन से यह बात पूछना चाहती हूं यद्यपि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूं लेकिन मैं अयोध्या में जमा हुए नौजवानों की आवाज यहां रखना चाहती हूं, क्या आपको यह जानकारी है कि अयोध्या में राम जन्म भूमि के ऊपर केवल वही इमारत नहीं है इसके अलावा और भी कई मस्जिद अयोध्या में हैं, सैकड़ों मजारें अयोध्या में हैं, हजारों मुसलमान अयोध्या में हैं, मुझे एक भी व्यक्ति यहां आकर बता दे कि लाखों नौजवान इकट्ठे थे जिन्होंने मस्जिद की ईंट उखाड़ी हो, एक मजार भी तोड़ी हो जिससे मुसलमानों को तकलीफ हुई हो, इससे यह साफ होता है कि नौजवान मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन वह मुलायम सिंह यादव की चुनौती का जवाब देना चाहते थे।

बांदा जिले के सर्किट हाऊस जिसको कि जेल बना कर रखा गया था, वहां मैं भी नजरबंद थी। हमारे साथ 20 हजार लोग बांदा में बंदी बनाकर रखे गये थे। वे इंटर कालेज में बंदी थे। 20 हजार लोग हर-हर महादेव, और 'जय-जय श्रीराम' के नारे लगातार बांदा में लगा रहे थे। वहां 30 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है और जब 30 अक्टूबर को उपवास का दिन आया तो एक मुसलमान व्यापारी ने ट्रक पर केले भिजवा दिये, उसने कहा कि आज कोई भूखा नहीं रहना चाहिये। मुसलमान बन्धुओं की गलियों में हिन्दू 'जय-जय श्रीराम' कहते फिरे और मुसलमानों ने उनको अपने घरों में बैठा कर चाय पिलायी। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूं कि काफी बड़ी तादाद में हिन्दू नौजवान उस जीर्ण-शीर्ण इमारत पर खड़े हुए थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज अपनी बात कह कर रहूंगी। मैं आपकी घंटी के बाद भी अपनी बात रोकने वाली नहीं हूँ। मैं आपसे भीख मांगती हू, आपसे याचना करती हूं। बेकसूर. धर्मपरायण, राम भक्त नागरिकों के रक्त से सने हुए हाथों से विश्वनाथ प्रताप सिंह आज विश्वास मत की याचना कर रहे है मैं उन्हें बता दू वह इस बात का अधिकार खो चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का आप पूरा अवसर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने के लिए 10 मिनट दिए गए थे और आप 15 मिनट बोल चुकी हैं। आप अपनी बात संक्षेप मे करिये।

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष महोदय, जब सब लोग अयोध्या में उपस्थित थे, उस समय एक नवम्बर को मैं अयोध्या पहुँची थी। मुझे 30 अक्तूबर की घटना के बारे में जो जानकारी दी गई उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ लोग जबर्दस्ती उस इमारत के ऊपर चढ़ गये। उस दिन भी कुछ भक्त, राम नाम का कीर्तन करने वाले लोगों की वहां पर हत्यायें की गई जो कि बिल्कुल निर्दोष थे, बिल्कुल बेकसूर थे और कहीं कोई उन्माद नहीं था, उस दिन थोड़ा बहुत पथराव हुआ और इसी कारण फायरिंग हुई। महोदय, यह प्रमाणित हो गया है कि फैजाबाद की बगल के जिले के सांसद ने कुछ लोग राम भक्त बना कर कार सेवकों के बीच शामिल कर दिये। जब वे पकड़े गये और कोतवाली में उनकी पिटाई हुई तो उन्होंने कबूल किया कि अमुक सांसद ने उन्हें भेजा था और कहा था कि तुम जाकर बसें और जीपें जला दो। इस सारे कांड के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रधान मंत्री दोषी हैं।

न्यायालय के फैसले को मानने की बात कही गई। अगर कोई कहे कि इस फैसले को एक पल के लिए भी मान लिया जाये तो हम मान लें लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे व्यक्ति यह बात कहें तो मुझे यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि जब स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने न्यायालय में आदेश की अवहेलना करके इस देश मे एमरजेंसी लागू की थी मुझे लगता है कि उस समय इन्दिरा गांधी जी के साथ यही विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, जब राजीव गांधी ने न्यायालय की अवहेलना करके शाहबानो प्रकरण के मामले में मुसलमान महिला विधेयक लागू किया था, तब भी यही विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के साथ थे, जब न्यायालय ने आदेश दिया कि आडवाणी की रथ यात्रा न रोकी जाय, तब भी यही विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधान मंत्री थे. जब न्यायालय ने य आदेश दिया कि पंचकोसी परिक्रमा न रोकी जाय तब भी यही विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधान मंत्री थे, तब भी वही मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री थे। मैं पूछना चाहती हूं कि "पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहिं ते नर न घनेरे।"

रामायण में जो उपदेश रावण को दिया गया था, वह मैं आज यहां बता देना चाहती हूं कि जो उपदेश दूसरों को देते हो. उस उपदेश का स्वयं भी पालन करते हो या नहीं करते हो।

राम जन्म भूमि का मामला न्यायालय की परिधि से बाहर है। मुझे बताइये, कौन सा जज इस बात को तय करेगा कि यहा पर श्री राम जन्म हुआ था या नहीं हुआ था। एक बात और माननीय प्रधान मंत्री जी ने कही कि आस्थाओं की जब टकराहट होती है, इसके बारे में भी माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मैं बता दूं कि राम जन्म भूमि के मामले में आस्थाओं की टकराहट की

भाषा का प्रयोग कदापि न करें, क्योंकि, राम जन्म भूमि हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र है। मुसलिम साथुओं की आस्थाओं का केन्द्र बाबरी मस्जिद कभी नहीं हो सकती, मक्का मदीना हो सकता है। अगर हम मक्का मदीना में बजरंग बली का या राम जी का मंदिर बनाने की बात करें तो आस्थाओं की टकराहट की बात आयेगी। मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद आस्था का केन्द्र नहीं हो सकती है लेकिन हिन्दुओं के लिए राम जन्म भूमि आस्था का केन्द्र है और उसका कारण यह है कि बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिदें हजारों की संख्या में इस देश में हैं लेकिन राम जन्म भूमि सिर्फ एक ही है। हम राम जी को नहीं बोल सकते है कि आप एक बार फिर जन्म लीजिए ताकि प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को कुछ संतोष मिल जाय, कुछ राहत मिल जाय यह बात हम राम जी को नहीं बोल सकते हैं। तो आस्था की टकराहट की जब बात आयेगी तो राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद की तुलना नहीं हो सकेगी। तुलना होगी तो राम जन्म भूमि और मक्का मदीने की होगी।

मैं एक निवेदन और कर दूं। माननीय चन्द्र शेखर जी ने यहां पर कहा, एकात्मता की बात कही, मैं पूछना चाहती हूँ यहां पर उपस्थित सभी वामपंथी विचारधारा के लोगों से सभी जनता दल के लोगों से भी यह सवाल आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूछना चाहती हूँ कि आपने सर्वधर्म समभाव के प्रयोग के लिए या धर्मनिरपेक्षता के प्रयोग के लिए हिन्दुओं की आस्थाओं को ही क्यों चुन लिया है। आपने उनको गिनीपिग समझ रखा है? आप सारी एक्सपेरीमेण्ट्स उन्हीं के ऊपर क्यों करना चाहते हैं? इसके बारे में मैं पूछना चाहती हूं कि अगर एकात्मता का प्रयोग होगा, अगर सर्वधर्म समभाव का प्रयोग होगा तो सबके लिए होगा, सिर्फ राम जन्म भूमि के लिए नहीं होगा इसलिए राम जन्म भूमि की तुलना मक्का मदीना के साथ तो हो सकती है लेकिन किसी जीर्ण शीर्ण इमारत के साथ नहीं हो सकती है जिसको कि कुछ लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो नवम्बर वह काला शुक्रवार है जो हिन्दुस्तान भविष्य में कभी नहीं भूलेगा, जो अतीत में भी कभी नहीं हुआ। दो नवम्बर की उस समय घटनाक्रम की मैं स्वयं गवाह हूं। एक नवम्बर की शाम को जब हम लोगों की सभा हुई तो उस सभा में यह तय हुआ कि दो नवम्बर को सवेरे 9 बजे से

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको 10 मिनट दिये थे लेकिन अब 20 मिनट हो गये, समाप्त करिये।

कुमारी उमा भारती : और उस समय यह तय हुआ कि दो नवम्बर को जो जत्था निकलेगा, वह जत्था कंकड़ भी मारेगा। यह भी तय हुआ कि जहां पुलिस रोक देगी, बैरियर लगा देगी, हम वहीं बैठ जायेंगे। यह बिल्कुल तय नहीं था कि हम जोर जबरदस्ती राम जन्मभूमि की ओर बढ़ेंगे। यह उस दिन निश्चय हुआ था कि जैसे ही पुलिस रोक देगी, हम सब फर्श पर बैठ जायेंगे और वहां पर राम नाम संकीर्तन करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, उस दिन वहां उपस्थित करीब 50 हजार राम भक्तों को यह समझाया गया कि न तो कोई गाली देगा, न कोई कंकड़ मारेगा, न कोई तोड़-फोड़ करेगा और सबसे हाथ उठाकर राम की सौगन्ध ली गई कि आप यह काम नहीं करोगे। सब ने यह वचन दिया कि हम यह काम नहीं करेंगे।

जत्थे निकले, तीन तरफ से जत्थे निकले, एक तरफ के जत्थे के साथ मैं भी निकली, जब हमारे जत्थे के साथ बैरियर आया, हम लोगों ने अपने-अपने जत्थे रोक लिए और निर्देश के अनुसार वहां पर बैठकर राम नाम संकीर्तन करने लगे। हमारे पास वहां के प्रशासनिक अधिकारी आये, उन

लोगों ने कहा कि आप यहां से उठिये, हमने कहा कि देखिये, हम यहां से नहीं उठेंगे, यह अयोध्या है, राम जी की भूमि है क्या हम जमीन पर बैठकर प्रभु नाम का संकीर्तन भी नहीं कर सकते। हमें बलात् उठाने की चेष्टा की गई, तो हमारे नौजवानों ने हाथ जोड़े, पुलिस बल के पांव पकड़े, उनके चरण छुए, उनके चरणों में लोट गये, उनके पांव पकड़ लिये लेकिन न तो गाली दी, न एक कंकड़ मारा, न बसों में, जीपों में आग लगाने की कोशिश की, जैसा कि बताया गया है। यह तो बाद में उस जबरदस्त नरसंहार को जस्टीफाई करने के लिए पुलिस के अधिकारियों ने स्वयं ऐसा किया। (व्यवधान) अधिकारियों के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी कि अब मुख्य मंत्री को क्या जवाब देंगे, जबकि यह तय था कि एक भी इंच हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जहां पर कि हम को रोक दिया जाएगा। उसी समय तत्काल पता नहीं किसका आदेश हुआ और फायरिंग शुरू हो गई। जिस तरह की फायरिंग और जिस प्रकार का नरमेध अयोध्या की गलियों में किया गया, मुझे लगता है कि यह नर मेध हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं देखा होगा। दुनिया में कहीं भी नहीं देखा होगा। उपाध्यक्ष महोदय कार-सेवक जो भयभीत होकर के कमरों में घुस गए थे, लोगों के घरों में घुस गए थे, वहां की एक गली में हरिओम भारती नाम की एक प्राध्यापिका रहती थी, उसके घर से पांच कार-सेवकों को बाहर खींच कर सड़क पर लाया गया और उनको गोली से मार दिया गया। तीस अक्टूबर को कल-कत्ता के दो नौजवानों ने उस इमारत के ऊपर केसरिया फहराया था, अलग-अलग तीन गुंबदों में से एक पर केसरिया फहराया था, उन दोनों नौजवानों को एक मकान में से खींच कर और गली में लाकर कनपटी के पास रिवाल्वर रख करके गोली से मारा गया (व्यवधान) वहां पर जब मैं हवालात में बन्द थी, मेरे सामने एक घायल नौजवान को लाया गया, वह दक्षिण भारत का रहने वाला लग रहा था, तड़प रहा था, उसके पेट में गोली लगी हुई थी, आंतें बाहर निकल आई थीं, रक्त से सराबोर था, मैंने वहां सभी उपस्थित अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि इसकी चिकित्सा का प्रबन्ध करिए, तो उन्होंने कहा कि वाहन नहीं है। मैंने कहा मुझे तो वाहन दीख रहे रहे हैं, इन वाहनों को ले जाइए और उस का इलाज कराइए। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरे ख्याल से···

उपाध्यक्ष महोदय : भारतीय जी, अब समाप्त करिए।

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं। वह मेरी आंखों के सामने मर गया और उसको घसीट कर गाड़ी में ले गए, उसका हमें आज तक पता नहीं चला है। जहां तक मुझे अंदाज है, जो कुछ भी वहां मेरी आंखों के सामने घटा, वहां मैंने देखा कि कम से कम वहां हजारों लोग मारे गए हैं। सैंकड़ों लोगों की जानकारी तो हमें स्वयं है और लोग कहते हैं कि हजारों लोगों की लाशें सरयू नदी में फैंक दी गई और समूह रूप में उनको जला दिया गया। अभी हम पूरी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि कहां-कहां से कितने-कितने कार सेवक आए थे। आपको आश्चर्य की बात बताऊं उन कार-सेवकों में हिन्दू ही नहीं थे मिण्ड से 108 मुसलमान आए थे, मेरे जिले के दस मुसलमान बन्धु आए हुए थे, महाराष्ट्र से दो मुसलमान बन्धु आए हुए थे, उनमें से एक मुसलमान भाई का अभी भी पता नहीं लग सका है, हो सकता है वह भी उसी नर-संहार में मारा गया हो। जिस प्रकार से अयोध्या में हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, इस में मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जिस तरह से नर्नबर्ग में ट्रायल हुआ था, नारी अत्याचार का ट्रायल किया गया था, उसी प्रकार से विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुलायम सिंह यादव का ट्रायल हो रहा

है।···(व्यवधान)···महिलाओं पर नरसंहार हुआ है, उनमें दोषी पाए जाने वाले लोगों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए।

मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, अंत में एक बात और कहना चाहती हूं। आप लोग यह कहते हैं कि यदि उस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो यह भी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि समाधान होने वाला नहीं है। 45 साल को तुष्टीकरण की राजनीति ने और इस साल के पूरे घटनाक्रम ने विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुलायम सिंह यादव की राम जन्म भूमि के बारे में गलत नीतियों ने हिन्दुओं और मुसलमानों के दिल अब ऐसे कर दिए हैं कि मुसलमान जब भी वहां जाएगा तो उसको राम-लला की मूर्ती दिखेगी और वहां हिन्दू जब भी जाएगा तो उसको जीर्ण-शीर्ण इमारत, जिसको कि मस्जिद कहते हैं, वह दिखेगी और दोनों वहां से हटाने की दिशा में सोचेंगे। इसलिए इसका समाधान हो सकता है और 30 अक्टूबर को भी हो सकता था। उसका समाधान एकमात्र यही है, अबदुल्ला बुखारी के नाम जो "जनसत्ता" में एक पत्र प्रकाशित हुआ है, वही बात मैं कहूंगी कि अभी भी समाधान निकाला जा सकता है। उसका समाधान यही होगा कि मुसलमान स्वयं आगे बढ़कर आए और वहां मन्दिर बनाने में हमारा सहयोग करें। इस प्रकार आने वाला भारत का भविष्य ऐसा होगा जब मस्जिद में बैठ कर पूजा होगी और मंदिर के अन्दर बैठकर मौलवी नमाज पढ़ेगा। हम उसी भविष्य की कामना करेंगे। मैं अंत में एक दो लाइनों की चौपाई बोल कर समाप्त कर रही हूं। कहते हैं—बहती गंगा में हाथ धोया जाता है। मैं बता दूं—बहती गंगा में हाथ धोने की कहावत तो आपने सुनी है, लेकिन जो बहते रक्त में हाथ धोयेंगे, निर्दोष, बेकसूर राम भक्त के रक्त में हाथ धोयेंगे, उन्हें आने वाले भारत का इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। दो लाइनों की चौपाई है—

"राम विमुख अस हाल तुम्हारा
रहा न कोऊ कुल रोपनिहारा"

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, आप लोग बैठ जाइये। यादव जी आप शुरू कीजिए।

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : उपाध्यक्ष जी, मैं आज सदन में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है इसमें किसी तरह की व्यक्तिगत रागद्वेष से कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं आज इस सदन में चुनाव लड़ने के बाद पहली बार अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरी आप सभी से यह विनती है कि हमारे जनता दल के जितने मेम्बर हैं उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के और चाहे चन्द्रशेखर जी बोले हों, हमने किसी को भी छेड़ने का काम नहीं किया। मैं आज यहां एक मंत्री के नाते से नहीं खड़ा हुआ, बल्कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते से खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान) और ये जानकर आया हूं कि आज हम विश्वास का मत, कोई बहुमत लेने के लिए नहीं, हम हिन्दुस्तान में जो आजादी के, गांधी जी के, महात्मा जी के मूल्य हैं, चाहे वे लाचारी, बेबसी और मजबूरी के हों। (व्यवधान) आप जान लीजिए कि आज हम जो विश्वास का मत हासिल करने के लिए आये हैं, कोई बहुमत के लिए नहीं आये हैं इस राज को बचाने के लिए नहीं आये हैं, आज जो हम यहां खड़े हुए हैं आप इस राज को 40 वर्ष तक चलाने वाले लोग हैं। कुर्सी और सत्ता आपकी भूख हो सकती है, हम तो गरीबी, बेबसी और लाचारी की लड़ाई-लड़ते यहां पहुंचे हैं।

मैं आपसे इस मौके पर विनती करना चाहता हूँ कि हम जिस सवाल पर आये हैं, इस दुनिया का जो सबसे शानदार आदमी था, महात्मा जी, जो हिन्दुस्तान में कोई मजहब, धर्म, राम और रहीम, जो इन्सान और इन्सान की राजनीति करता था, जो हमारा राष्ट्रपिता था, जिसने इसी सवाल पर अपनी जान और जिस्म को कुर्बान करने का काम किया था, उस सवाल के लिये मैं यहाँ आया हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी कोई बुत नहीं था, कोई चलता-फिरता इंसान नहीं था मेरी आस्था ही मेरी मान्यता है मेरा धर्म, मेरा जन्म कांग्रेस पार्टी के घर में हुआ है। मेरे बाप ने भी 5 वर्ष की जेल भोगी है। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि महात्मा जी, जिसमें एक विचार था, जिसने विचार के मामले में अकेले हिन्दू और मुसलमान, राम और रहीम के लिये नहीं किया, महात्मा जी का विचार जो हमारे हिन्दुस्तान की सम्पूर्ण देश की चलती हुई, आगे जाने वाली आजादी की जो व्याख्या है, इसके बारे में उनका विचार था। चाहे वह सामाजिक न्याय हो, चाहे आर्थिक न्याय हो, तो महात्मा जी वह पहला आदमी था जिसने आजादी की लड़ाई में सबसे पहले जान लिया कि हिन्दुस्तान की गुलामी हिन्दुस्तान में हाथ से काम करने वाले बुनकर, आर्टिसन की गुलामी थी, उनकी उंगलियों कमाल को समाप्त करने के लिए यह गुलामी आई है। उस गुलामी को तोड़ने के लिए महात्माजी स्वयं वीवर बन गए, बुनकर बन गए थे।

आज हिन्दुस्तान में कोई सवाल जो देश में चल रहा है उसमें महात्माजी का विचार कितना गहरा है, मैंने देखा है कि आजादी की लड़ाई की उम्र बढ़ती जाती है और महात्मा जी के बुत बढ़ते जाते हैं, लेकिन महात्मा जी के विचारों की लगातार अवमानना, देश के खेत और खलिहानों में, गलियारों में, देश की जनता में उनके विचार का अवमूल्यन हो रहा है। इस सदन में भी मैंने देखा है, मैं इस सदन में चौथी-पांचवीं बार खड़ा हूं, 4 बार जीता हूँ और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सदन को पहले कभी इतना अनुदार नहीं देखा जितना आज देखा है। (व्यवधान)

मैं विनती करना चाहता हूँ कि मैं आपके खिलाफ भी नहीं बोलने वाला, सिर्फ मेरी बात को सुनिए। इस देश की महान संस्कृति है, यह देश बड़ा गौरवशाली है, इस देश का भूगोल, इतिहास, देश का कल्चर, संस्कृति दुनिया की तहजीब में सबसे पुरानी है, लेकिन हिन्दुस्तान के साधारण नागरिक के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम किन बातों पर गौरव करें। जो लोग आज संस्कृति और महान संस्कृति का गुणगान करते हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे के इस देश में किस बात पर अभियान कर सकते हैं। हम खुजराहो पर अभियान कर सकते हैं, कोणार्क पर अभियान कर सकते हैं, जो हिन्दुस्तान के लाचार, बेबस और गरीब के हाथों से बने हुए हैं, पं. रविशंकर पर अभियान कर सकते हैं, अलाउद्दीन साहब पर अभियान कर सकते हैं, और आप बताइए कि किस बात पर आप अभियान कर सकते हैं, हम किस बात पर गौरव करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब इस देश में सोते हैं या सबसे ज्यादा अंधे लोग हिन्दुस्तान में पैदा होते हैं, इस देश में जुल्म और जालिम से गली गली पटी हुई है, किस बात पर आप गौरव करना चाहते हैं। दुनिया में काले-गोरे के नाम पर हम मंडेला का स्वागत करते हैं, लेकिन हम इस बात पर क्या गौरव कर सकते हैं कि सदियों से चौथाई आबादी को हमने छूने का काम नहीं किया है। किस बात पर गौरव करें, इस बात पर कि हिन्दुस्तान में लोगों को पेशों से बांध दिया गया है, लोग पेशों से बंध गए हैं। आज लकड़ी देखो तो बढ़ई दिखता है, लोहा देखो तो

लोहार दिखता है, मल्लाह देखो तो पानी दिखता है, पानी देखो तो मल्लाह दिखता है, गाय देखो तो यादव दिखता है, गोप दिखता है, ग्वाला दिखता है, ग्वाला देखो तो भैंस दिखती है। हिन्दुस्तान में हम किस बात पर गौरव करना चाहते हैं। मंडेला जी का ताली पीटकर स्वागत करते हैं, सिर्फ काले गोरे का वहां पर अंतर है, लेकिन यहां पर हिन्दुस्तान में, दिल्ली में चांदनी चौक और यहां पर जहां यह सदन है, 21वीं शताब्दी है और यहीं पर चले जाओ यमुना-पार तो यहीं पर सोलहवीं शताब्दी है, जहां पर लोग गटर में बसे हुए हैं, क्या इस बात पर हम गौरव कर सकते हैं क्या हम इस बात पर गौरव कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान में सबसे अधिक अंधे और कोढ़ी पैदा होते हैं या हम इस बात पर गौरव कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान हमने पैदा किए हैं। येरूशलम से लेकर बंगाल की खाड़ी के पार भगवान नहीं है, लेकिन येरूशलम से लेकर यहां पर ईसा, मोहम्मद साहब, महावीर, बुद्ध, गुरूनानक, राम, रहीम पैदा हुए, हिन्दुस्तान ने इस बात में सबसे ज्यादा कमाल हासिल किया है। मैं हिन्दू हूं और किसी से कम हिन्दू नहीं हूं, लेकिन हिन्दू धर्म के जो बदनिमाग हैं, बदशकल हैं, उसको मैं इन्सान विरोधी मानता हूं। हिन्दुस्तान गौरव कर सकता है कि उसने सबसे ज्यादा भगवान पैदा किए, महात्मा बुद्ध को पैदा किया, जिसे यहां से भगा दिया, लेकिन दुनिया में उसको माना गया। यह देश गौरव कर सकता है कि यहां पर 33 करोड़ देवी-देवता हैं, 62-63 करोड़ हिन्दुओं पर 33 करोड़ देवी-देवता, यानी 2 हिन्दुओं की छाती पर एक भगवान है, लेकिन इस देश की दुर्गति कहां है।

4.00 म. प.

यह देश कहां पहुंचा है ? कहां पहुंचाने का काम किया है आपने ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग यहां आए हैं बहस करने के लिए, हम यहां विश्वास प्राप्त करने नहीं आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि मण्डल कमीशन हम लालच में लाए, राजनीति के लिए लाए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राईब्स का, दलित का आरक्षण महात्मा जी ने किस सवाल पर किया ? बाबा भीम राव अम्बेडकर ने, जवाहर लाल नेहरू ने, लोहिया, जय प्रकाश ने किस अरमान से किया ? कौन सा अरमान था ? संविधान का अरमान था। एक बात बताओ, मैं सदन में खड़ा हूं, यह माईक, मल्टीपल वायस कहां से लाए हो, आपकी कलाइयों पर जो घड़ियां हैं वे बाहर से लाए हो। तुमने अकेला जन्तर-मन्तर बनाया है। तुमने एक भी क्रिएटिव काम नहीं किया 2500 वर्षों में। इसलिए नहीं किया कि आपने सिर्फ भगवान पैदा करने के सिवा यहां के इन्सानों को कुछ नहीं दिया। यहां के लोगों को कुछ नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं, मैंने आपकी किसी बात को नहीं टोका, मेरा वेदना सुन लो, शायद मन बदले या नहीं बदले, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, यहां नर-संहार हुआ, यह देश रसातल में चला गया। मैं कहना चाहता हूं कि 11वां अवतार यदि पैदा होगा तो देश पाताल में चला जाएगा। राजनीतिक दल किस लिए होते हैं ? मैं सारे सदन से पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों का कर्म क्या है, धर्म क्या है ? यदि आपका कर्म और धर्म जिन्दा इन्सानों के तन की इबादत नहीं है, पूजा नहीं है, अर्चना नहीं है तो आपका धर्म आगम और निगम के परे है। उन धर्मों का काम इस सदन में नहीं है। यह सदन संविधान के तहत् बना है। यह सदन क्या बना है इंसानों को सड़क, पानी देने, तन के लिए, शरीर के लिए, उसकी सब तरह की राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास के लिए। यह सदन इसलिए बना है।

राम और रहीम के नाम पर सदन वालो, हिन्दुस्तान की पचायत में, सबसे बड़ी संस्था मे खड़े लोगों, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं दुनिया में हिन्दुस्तान से ज्यादा किसी युद्ध में लोग इतने नहीं मारे गये जितने इस अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर, उनका भजन करने वाले बन्दों के कत्ल होने का काम हुआ है, खून बहाने का काम हुआ है। ऐसा इतिहास के किसी युद्ध में नहीं हुआ। ऐसा पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नर-संहार, राम और रहीम के नाम पर लड़ने का जरूर काम किया लेकिन जब राम और रहीम वाले लोग इतिहास में कमी हुए हैं तो इतिहास बदला है, देश आजाद हुआ है. 1857 क्रिएट हुआ है। याद रखना इतिहास में गारव करने लायक आपके पास कुछ नहीं है। दुनिया मे सबसे लम्बी उम्र की गुलामी झेलने मे हमारा नाम इतिहास में सबसे ऊपर है। इसमें हम सबसे ज्यादा टॉप करते है। हमको कभी रंज नहीं होता लज्जा नहीं आती, हमारा अपमान नहीं होता। अमेरिका वाले हमको जोकर मानते है, हमारा कभी अपमान नहीं होता। लेकिन हिन्दू और मुसलमान के सामने हम अपमानित महसूस करते हैं। इतिहास म इतने पन्ने लिखे हुए है। इसका हर पन्ना झूठ है इस देश मे। हर पन्ने म लिखा हुआ है बड़ा बहादुरी स लड़े, बड़ा मुकाबला किया, बड़ा काम किया, लेकिन जयचन्द के हाथो हार गए। कभी लिखा रहता है कि हाथी न रौंद दिया इसलिए हार गए कभी लिखा रहता है कि बिरादरी म बैठे थे, इसलिए हार गए। अध्यक्ष जी, एक मौका नहीं है, एक बार मौका आया था चीन स लड़ने का, हिन्दुस्तान का पाकिस्तान स युद्ध काई युद्ध नहीं है पाकिस्तान और हिन्दुस्तान एक जस हे मतलब बद-दिमाग लोग है, दिमाग उनका सड़ा हुआ है, इसलिए 07 पर 70 जीत जाते हो। लेकिन एक बार चीन पर हमला करने का, उनकी तरफ निगाह करने का काम किया तो फौज भाग गयी थी, जनरल भाग गया था। जवाहर लाल जी जिनसे मैं भी मुहब्बत करता हूँ, वे कह रहे थ, हमारे साथ धोखा हो गया। वे कह रहे थे कि बम दिल्ली में गिर सकता है, चीन ने धोखा कर दिया। फिर लता मंगेश्कर को बुलवा कर हमने क्या गीत गवाया "ऐ मेरे वतन के लोगो, जरा आंख मे भर लो पानी" इसलिए कि बहुत पिटाई हुई है, ठुकाई हुई है। हिन्दुस्तान मे आपने जाति व्यवस्था के चलते यहां कायरों की फौज बना दी है यह बहादुरी की बात नहीं है। चीन ने हमला किया था और चीन से हारे थे और आप हार के बाद रोते हो। इतिहास मे ऐसा मौका नहीं कि आप जीत हो। हमने उस दिन बैठकर फैसला किया था कि इस्तिफा देंगे और श्री आडवाणी जी ने कहा था कि हम तीन तारीख को मन्दिर बनायेंगे और राम जन्म स्थान पर मंदिर बनायेंग। राष्ट्रपति जी ने कहा कि वर्तमान मे जो स्थिति है, वही रहेगी .....(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी के साथ यहां आए हैं और आस्था के लिए आए है। हम कुर्सियां का अभियान नहीं करते, सत्ता का नहीं करते और गांधी, लोहिया तथा जयप्रकाश के अरमानों के लिए कुर्बान हो जायेंगे। सरकार का सवाल क्यों उठाते हो। हम कुर्बान होने के लिए तैयार है। हिन्दुस्तान का दलित, पूरे देश मे बाबा साहब की मूर्ति उतार कर, मर गया और उसे कुछ मिला नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश का हर नागरिक हमारा है। मनभेद हो सकता है लेकिन यहां मन-भेद नहीं है और मैं यह कहूंगा कि मतभेद है। इस देश का शोषित, पीड़ित सदियों से लाचार दुर्बल और गुरबत साधनों से और बधनों से बधा हुआ आदमी था, उसको हमने बोलने का प्रयास किया। हम कोई साधू नहीं है। जो अरमान हम सड़क पर देख रहे थे और अपनी पार्टियों मे देख रहे थे कि हम राज मे आयेंगे। हमने उनको पूरा किया हमने सामाजिक न्याय को किया और राइट टू वर्क का काम करने का काम किया था। सैक्युलरीज्म

के लिए गांधी जी ने जान दी थी, उससे बड़ी कुर्बानी हमसे नहीं होगी। सैक्युलरीज्म से बड़ी कुर्बानी हुई है और देश बंटा और लाखों लोग यहां से वहां आ गए और वहां से यहां चले गए। मकान टूट गए और लोग तबाह हुए। इन लोगों की एकता को देखते हुए मंडल कमीशन को हम आज खत्म करने के लिए तैयार है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि 43 बरस में क्या आपने एक जाति को उठाया है। इस सदन में चालीस साल से आप चले आ रहे है।

4.09 म. प.

[अध्यक्ष महोदय : पीठासीन हुए]

क्या अपनी बहन-बेटी की शादी अपनी जाति में करते हो। आप अपनी जात-पात मिटाने को आए हैं तो इसके लिए संविधान में संशोधन करो। जैसे पानी में नमक मिलता है तो क्या इस तरह जाति टूट जाए। हम माफी मांगकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वापस कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि पिछड़े रहें, हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में समाज एक हो जाए। हमारी इच्छा है कि हम हिन्दू रहना चाहते हैं लेकिन अभियान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। आपकी शर्तों पर नहीं रहना चाहते। मंडल कमीशन के नाम पर आपके मन में शंकाएं थी। मैं आडवाणी जी का आदर करता हूं। जिस दिन से मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो आपके पैर कांपते हुए देखे। पिछड़ी जाति और जाति के जो सांसद थे उन्होंने दबाव डालकर बराबर मीटिंग में रखा था और आपने मैनिफैस्टो में रखा हैं कि इसको बदल नहीं सकते। आपके पैर कांपते थे। मैं आपका आदर करता हूं आपने जो रथ लिया है यह राम का नहीं, यह भा. ज. पा. का रथ था, यह आडवाणीजी का रथ था। आपने यह मण्डल की जगह कमण्डल लिया है तो यह राम के लिए नहीं लिया। आपके एक सदस्य जो सदन में नहीं हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा उन्होंने कहा कि शरद यादव तुम ने कबाड़ा कर दिया। मुझे अपराध बोध होता तो मैं सदन में माफी मांगता। मुझे अभिमान ज कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी जाति से अपने धर्म वालों से जितनी गालियां खाई हैं आप बता दें कि कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसने इतनी खाई हों। अपने वर्ग से जो आदमी पिटा हो, मंडल कमीशन में जिसकी बिरादरी न आती हो उसके लिए यह कहना कि अपने स्वार्थ के लिए यह किया और चुनावों के लिए किया। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, अगर यह चुनाव के लिए है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे यह बात किसी से या विश्वनाथ प्रताप सिंह से पता नहीं है, आप बना ला कयर टेकर प्रधान मंत्री जो सदन का सबसे पुराना हो सबसे ज्यादा उम्र का हो और चालो चुनाव में। हम देखेंगे कि हमसे बड़ा हिन्दू कौन है। हम आजमाना चाहते हैं कि कौन इस देश में जात-पात फैला रहा है, इसकी आजमाइश होना चाहिए। 62 करोड़ हैं लाइये चुन कर, हम वे लोग हैं गर्दन कट जाये तो कोई परवाह नहीं, लेकिन देश की रक्षा करेंगे। आरक्षण के बारे में श्री राजीव गांधी कहते हैं कि कालियत पर जायेगी, आर्थिक आधार होना चाहिए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपकी मां श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री न होती तो किस कोवलियत में आप यहां प्रधान मंत्री बनते। कौन सी परीक्षा आपने पास की थी। मंडल कमीशन पर तीन घंटे तक बोलने वाले राजीव गांधी से मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसके चुनाव क्षेत्र में लड़ा था तो उस वक्त यह एक वाक्य भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के बेटे होने के कारण

यह इतने काबिल हो गये कि यहां प्रधान मंत्री बन गये ।

हम विश्वास का मत यहां प्राप्त करने आये हैं । आजादी की लड़ाई का, सामाजिक न्याय का दस्तावेज, साम्प्रदायिकता के खिलाफ सद्भावना का और इनसानियत का मत लेकर आये है । याद रखो हिन्दुस्तान टूट जायेगा जिस दिन किसी भी धर्म और मजहब को कुचलने का प्रयास किया जायेगा । यहां पर चन्द्रशेखर जी बोल रहे थे अच्छा है वह यहां नहीं हैं । वे भी पहले पी. एस. पी. सोशलिस्ट पार्टी से कांग्रेस में गये, फिर कांग्रेस से जनता दल में आये और अब जनता दल से फिर कांग्रेस में जा रहे हैं । हम जब से जन्मे जब से राज वाली पार्टी को तरफ नहीं भागे . दल बदल का मतलब है लालच, उस कामतलब है कुर्सी के लिए लड़ना । जो हमारे भीतर से लोग जा रहे हैं वे कुर्सी के लिए जा रहे हैं, इसलिए यह दल-बदल है : जो लोग हमको सिद्धांत के खिलाफ बताते हैं हम जानते हैं कि वे कितने सिद्धांतवादी लोग हैं । माफिया के सहारे यह देश नहीं चलेगा, आज हिन्दुस्तान में धीरू भाई अम्बानी लोक सभा के दरवाजे खटखटा रहा है लोगों की खरीद फरोख्त हो रही हैं (व्यवधान) हम यहां यह विश्वास का मत प्राप्त करने आये हैं । हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा बेनकाब हो ताकि जो सही चेहरा है वह सामने आये । आप जो कहते है कि आडवाणी जी का रथ रोको, हमने गिरफ्तार किया तो आप स्वागत करते हैं तो आप धर्म-निरपेक्षता के इस विश्वास मत का समर्थन करें, कल हम इस्तीफा दे देंगे । हिन्दुस्तान में आज सवाल अकेले धर्म का हो नहीं है, राम-रहीम का नहीं है, जिन्दा लोगों की हालत की राजनीति होगी और जो राजनैतिक दल है वे लोगों की समस्याओं और मसाइलों के लिए हैं । राम/रहीम मन्दिर मस्जिद निर्माण के लिए नहीं हैं । मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भीख मांगकर विवेदन करता हूं कि आज देश लाचार है, बेबस हैं । पहले ही गुरबत में फसा हुआ है बहुत तरह की समस्याओं में फंसा हुआ है । वे हिन्दुस्तान को बनाने का काम करें । राम और रहीम तो उस दिन मजबूत हो जायेगा जिस दिन यह देश मजबूत हो जायेगा । हिन्दू मजबूत हो जायेगा, इस देश का मुसलमान मजबूत हो जायेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री राजीव गांधी ।

श्री चित्त बसु (बरसाट) : महोदय, क्या हमें बोलने की अनुमति मिलेगी या नहीं ? हम यहां तीन घण्टे से बैठे हुए हैं । आप यह स्पष्ट कर दें कि हमें बोलने की अनुमति दी जाएगी ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : खड़ी हो गई

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं ।

[हिन्दी]

चित्त बसू आप भी बैठ जायें । आप दोनों को समय मिलेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी तो राजीव जी बोल रहे हैं ।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाएं : अब श्री राजीव गांधी ।

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने आज सुबह एक प्रस्ताव पेश किया था—मैं इसे कार्य सूची में से पढ़ना चाहूंगा : "कि यह सदन मंत्रिमंडल में अपना विश्वास व्यक्त करता है" और फिर वे शायद लगभग 30 या 40 मिनट तक बोले और उन्होंने इस सरकार के कार्यों पर, और इस विषय पर कि सदन सरकार में विश्वास क्यों व्यक्त करे, एक भी तर्क प्रस्तुत नहीं किया प्रधान मंत्री ने कहा कि मुद्दा धर्मनिरपेक्षता का है; किन्तु कार्य-सूची के अनुसार मुद्दा धर्मनिरपेक्षता का नहीं है। कार्यसूची के अनुसार मुद्दा मन्त्रिमन्डल में विश्वास का है। यह पूर्णतया अलग मुद्दा है। आज सदन के सामने जो मुद्दा है, वह है पिछले ग्यारह महीनों में इस सरकार ने क्या किया ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी और श्रीमती गीता मुखर्जी, कृपया बैठ जाएं। श्री निमेलदा, कृपया बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : सिर्फ इसलिए कि आपका ग्यारह महीने का किस्सा समाप्त हो गया है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गांधी अपना भाषण बीच में रोकने को तैयार नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष केवल एक मसला है। क्या सरकार ने पिछले ग्यारह महीनों के दौरान इस सदन और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप कोई कार्य किया है और क्या यह सदन उस कार्य निष्पादन के आधार पर मन्त्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है ? हमने यही प्रश्न ... ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी वह अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। वह अपना भाषण बीच में रोकने को तैयार नहीं हैं। वह अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : जब हम अपने देश को देखते हैं आज जब हम भारत को देखते है तो भारत का वह रूप नहीं पाते हैं जो एक वर्ष पूर्व हमने देखा था या भारत का वह रूप जो हम 40 वर्षों से बनाते आ रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं।

श्री राजीव गांधी : स्वतंत्र भारत के इतिहास में सरकार की ओर से कभी भी इतना अधिक आडम्बर नहीं हुआ, स्वतन्त्र भारत के इतिहास में पहले कभी भी इतना अधिक धोखा नहीं हुआ पहले कभी इतनी अधिक लापरवाही नहीं हुई, पहले कभी इतना छल-कपट या नृशंसता; शैतानी नहीं हुई थी (**व्यवधान**) हमारे लोगों को चुप रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री राजीव गांधी : इस सरकार की नीतियों के कारण इन ग्यारह महीनों में, फूट डालने वाली सभी ताकतें उभर कर सामने आई। आज हमारा समाज देश के विभाजन के समय की तुलना में अधिक विभाजित है। इस छोटी ही अवधि में देश के प्रत्येक संवेदनशील मुद्दे को उभारा गया था। यह सब परस्पर विरोधी विचारों के तुष्टीकरण का परिणाम है। मैं आप पर अपना समय नहीं गवांना चाहता हूं (**व्यवधान**) इस अवधि के दौरान, जातीयता अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई थी; पार्टी की आन्तरिक कलह से निपटाने के उद्देश्य से जातीयता को बढ़ावा दिया गया था।

श्री चित्त बसु : आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मानों पहले जातीवाद की कोई भावना ही नहीं थी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : डा. बिप्लव दास गुप्त क्या यह आपके लिए यह जरूरी है कि आप उस प्रत्येक मुद्दे पर टिप्पणी करें जिसका उन्होंने उल्लेख किया है?

श्री राजीव गांधी : कभी-कभी लोगों में सोच विचार की शक्ति समाप्त हो जाती है; कभी कभी राजनीतिक पार्टियों में सोच विचार की शक्ति समाप्त हो जाती है; पार्टी की आन्तरिक समस्याओं के कारण जातीवाद भड़काया गया था इसे और भड़काया गया क्योंकि सरकार को ऐसे करने में सुविधा थी।

यदि हम केवल अगस्त और सितम्बर की घटनाओं को देखें तो स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। आन्दोलन स्वयं शुरू हो गये थे। सरकार ने इन आन्दोलनों के विरोध में आन्दोलनों को भड़काया था और फिर महोदय, यदि आपको याद हो तो अगस्त के तीसरे सप्ताह के दौरान आन्दोलन शान्त हो रहे थे। और यह सरकार की जानबूझकर की गय कार्यवाही थी जो प्रधान मंत्री निवास के बाहर गोल मैंथी चौक पर हुई थी जहां उन्होंने आरक्षण विरोधी तथा आरक्षण समर्थकों के प्रदर्शन को लगभग एक ही समय पर करने की स्वीकृति दी थी। यहीं से हिंसा की वारदातें; विद्यार्थियों की, विशेष रूप से छात्राओं की पिटाई गई थी और तब से यह आग भड़की थी। सरकार ने दो परस्पर विरोधी प्रदर्शनों को एक ही स्थान पर, एक ही समय अनुमति देकर भड़काया था। सरकार द्वारा यह जानबूझ कर किया गया था क्योंकि सरकार इसे समाप्त नहीं होने देना चाहती थी (**व्यवधान**) क्या इस सरकार ने दोहरी भूमिका नहीं निभाई थी? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नानी बाबू कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : अब सरकार ने उच्चतम न्यायालय के बाहर अलग मत व्यक्त किया और उच्चतम न्यायालय के अन्दर अलग। प्रधान मंत्री यह कहते रहे कि वह बात करने को तैयार हैं लेकिन इसके साथ-साथ वह यह भी कहते रहे कि वह अपनी राय बदलने को तैयार नहीं हैं। क्या यह जानबूझकर भड़काने वाली कार्यवाही नहीं है ? क्या सरकार लगभग 170 से 180 लोगों द्वारा किए गए आत्मघात के प्रयासों के बावजूद आन्दोलन जारी रखना नहीं चाहती थी ?

प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह ही छात्रों के मरने की बात कही है। जब छात्र मर रहे थे तब प्रधानमंत्री कहां थे ? (व्यवधान)

समाज के एक हिस्से को जानबूझकर विभाजित करके सरकार ने साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। अगर आप हाल ही के तीन या चार महीनों की घटनाओं को देखें तो आप पाएंगे कि सरकार की इस कार्रवाई से साम्प्रदायिक ताकतों ने अपनी स्थिति मजबूत बनानी शुरू कर दी थीं। और फिर सरकार ने साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जातीवाद का खेल खेलना शुरु कर दिया (व्यवधान)

डा. बिप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : क्या आप कृपया-दोहरायेंगे ? हम आपकी बात समझ नहीं पाये (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिप्लव बाबू कृपया आप बैठ जाइये। वह अपना भाषण बीच में सेकने की तैयार नहीं हैं। आप अध्यक्ष पीठ पर आसीन नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : क्या यह सच नहीं है कि इस सरकार ने सम्प्रदायवाद के विरुद्ध जातीवाद का खेल खेला है ? क्या यह सच नहीं है कि इस सरकार ने जानबूझ कर सूचनाएं जारी करके अचानक अध्यादेश जारी करके और समुदाय के विभिन्नवर्गों विशेषतया एक समुदाय को धोखा देने का प्रयास करके मैं समझता हूं कि नक्शा बनाया गया प्रधान मंत्री ने स्वयं ऐसा नक्शा बनाया जिसमें बाबरी मस्जिद को उसके स्थान से अन्यत्र ले जाने के लिए चिन्हित कर दिया गया था; क्या यह लोगों के साथ धोखा नहीं है ? क्या आपने उस तरीके से बाबरी मस्जिद कमेटी भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद को धोखा नहीं दिया ? आप कौन सा खेल खेल रहे थे ? जब आप यह खेल खेल रहे थे तो क्या जल रहा था के प्रधान मंत्री महोदय, आपने जो क्षति इस देश को पहुंचाई है; जो सामाजिक तनाव उत्पन्न किया है, इसे शान्त करने में कई दशक लग जायेंगे। इन ग्यारह महीनों के दौरान जो क्षति हुई है उसे दूर करने में बहुत वर्ष लग जायेंगे .. (व्यवधान) महोदय लगभग एक सप्ताह पूर्व प्रधान मंत्री को अचानक धर्मनिरपेक्षता की याद आई है। इस समूचे एक वर्ष में धर्मनिरपेक्षता कहां चली गई जी ? आप इसे भूल गये थे। जब आप चुनावों में स्थानों में हिस्सेदारी कर रहे थे, आप धर्मनिरपेक्षता को भूल गये थे। अब सब कुछ समाप्त हो गया है। आपने एक वर्ष तक उन लोगों से सहयोग लिया जिनको आज आपने साम्प्रदायिक घोषित कर दिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी मतभेद हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात जरूर कहूंगा। जो कुछ उन्होंने निर्णय लिए उसे उन्होंने किसी भी समय छिपाया नहीं वे प्रत्येक मुद्दे पर साफ-साफ कहते रहे कि वे क्या चाहते हैं। आपने उनके साथ सहयोग किया है

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) :अब आप उनके साथ सहयोग कर रहे हो... **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : महोदय ग्यारह महीने तक सहयोग करने के पश्चात्.....**(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब आप किसके साथ सहयोग करना चाहते हैं ? .....

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं अपना भाषण नहीं रोक रहा हूं । पिछली बार उन्होने मेरे लिए अपना भाषण नहीं रोका था । इसीलिए मैं भी अपना भाषण नहीं रोक रहा हू । अन्यथा मैं अपना भाषण रोक कर उन्हें बोलने देता ।

इन ग्यारह महीनों में प्रधानमंत्री ने क्या भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों पर एक बार भी रोकने का प्रयास किया, जिन्हें वे उठा रहे थे ? क्या उन्होंने उन्हें इसके खतरों के विरुद्ध सावधान किया था ? क्या उन्होंने किसी भी समय उन्हें रोकने का प्रयास किया था ? जी नहीं । आज अचानक धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न उत्पन्न हो गया है क्योंकि उनकी आज कुर्सी बचाने का प्रश्न पैदा हो गया है ...(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : क्या आप आडवाणी जी से सहमत होकर सत्ता में बने रह सकते थे ?

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : अब बहुत देर हो चुकी है और बाबरी मस्जिद कमेटी के साथ अध्यादेशों पर धोखा करने के बाद अब, इस समय कोई भी आपके धर्मनिरपेक्षता के नारे पर विश्वास नहीं करेगा । इस तथ्य के बाद कि आपने स्वयं अपने हाथों से नक्शा तैयार किया है जिसमें विवादास्पद भूमि के हिस्से दे दिए गए है, कोई भी कैसे यह विश्वास कर सकता है कि आप धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में हैं ? इस समय अपने आपको धर्मनिरपेक्ष कहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपकी कलई खुल गई है; आपका असली स्वरूप देश के सामने आ गया है ।

श्री वसंत साठे : यह एक भयानक दृश्य होगा ।

श्री राजीव गांधी : धर्म निरपेक्ष लोग ऐसा नहीं करते कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ही मंच पर खड़े न हों और दूसरे दिन अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए उनकी सहायता मांगे । जब एक राजनैतिक सहयोगी साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर रहा हो और एक विशेष समुदाय के लोगों को बदनाम कर रहे हों, तो धर्मनिरपेक्ष लोग चुप नहीं रहते । किन्तु आप चुप रहे ? आपने मौन सम्मति दी । पाखण्डी लोग सच्चे धर्मनिरपेक्षतावादी नहीं हो सकते **(व्यवधान)**

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वामपंथियों को बड़ी तकलीफ हो रही है । दुनिया में अकेले खड़े हैं, शायद यहां भी छूट जाएं ।

[अनुवाद]

इस सरकार ने जो जातिवाद और सम्प्रदायवाद पैदा किया है, उसके भयानक परिणाम होंगे। प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर और प्रत्येक गली में भय व्याप्त है। पूरे उत्तर भारत में दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। मुसलमान मारे गए हैं, हिन्दू मारे गए हैं। शायद विभाजन के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग कभी नहीं मारे गए··· (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : जब आप प्रधानमन्त्री थे तब कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए थे? क्या आप यह भूल गए हैं? जब भागलपुर में दंगे शुरू हुये थे, तो प्रधानमन्त्री कौन था? यह आपके समय के दौरान शुरू हुआ था। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : और जम्मू और कश्मीर को ही लीजिए। एक वर्ष में आपने कश्मीर में क्या किया है?

श्री वसुदेव आचार्य : यह समस्या किसने पैदा की थी—आपने।

श्री राजीव गांधी : आपने जम्मू और कश्मीर की जनता को मुख्यधारा से बिल्कुल अलग कर दिया। आपने ऐसी स्थितियां उत्पन्न की कि गैर-मुस्लिम लोगों को घाटी छोड़कर भागना पड़ा। आपके शासन के दौरान यह हुआ।

श्री वसुदेव आचार्य : यह आपके शासन के दौरान शुरू हुआ था।

श्री राजीव गांधी। आपने एक राज्यपाल नियुक्त किया और 200 दिनों के अन्दर ही आपने वह राज्यपाल बदल दिया। गृह मन्त्री की पुत्री के बदले आपने कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ दिया और आपने अपहरण, और उसके बदले में छोड़े गए आतंकवादियों पर दिसम्बर में हुई बहस के दौरान पूछे गए प्रश्नों का अभी तक उत्तर नहीं दिया। आपने एक लोकप्रिय निर्वाचित सरकार को अस्थिर किया। आपने विधानसभा को भंग कर दिया और इस प्रकार पाकिस्तान के झूठे प्रचार को पुष्ट किया। कश्मीर में आपने पाकिस्तान का साथ दिया। कश्मीर की जनता पर आपने बेहिसाब आर्थिक बोझ लाद दिया है। सामान्य जीवन पूरी तरह अस्तव्यस्त हो गया है। संचार और दूरसंचार सम्पर्क टूट गये हैं। व्यापार, उद्योग और कश्मीर का निर्यात ठप्प हो गया है। पर्यटन समाप्त हो गया है। घाटी की जनता संकटग्रस्त है। क्या आपने उन्हें राहत देने की एक भी कोशिश की है? क्या कश्मीर पर आपके पास कोई नीति थी? क्या कश्मीर के लिए आपके पास कोई कार्य योजना थी? कई समितियां बनाई गई थी। कई वार्ताएं··· (व्यवधान)

डा. विश्ववास गुप्त : पाकिस्तानी झंडे को फहराने की अनुमति किसने दी थी?

श्री राजीव गांधी : इस सरकार ने पाकिस्तान को शिमला समझौते से पीछे हटने और पाकिस्तान को इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की अनुमति देकर; यहां तक कि वह ओ. आई. सी. में एक प्रस्ताव पारित करवाने में भी सफल हो गया, भारत की सुरक्षा और हमारी विदेश नीति को गिरवी रख दिया। सरकार की यह घोर असफलता है।

फिर, कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की ज्यादतियों का प्रश्न है। क्या यह सत्य नहीं है कि

कश्मीर में सामान्य व्यापारी, जिनका आतंकवादियों या अलगाववादियों से कोई सम्बन्ध नहीं है, 20,000 या 30,000 रुपए की छोटी राशि के पीछे कश्मीर से गायब हो रहे हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया था ? और क्या यह सत्य नहीं है कि राज्यपाल ने कहा था कि अगर वे कार्यवाही करेंगे तो इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा ? क्या यह देश चिली या पेरू बन रहा है कि लोग गायब हो रहे हैं ? पुलिस लोगों को उठा रही है और वे गायब हो रहे हैं। भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। (व्यवधान)। एक पत्रकार को पुलिस ने, सेना ने उठा लिया था···(व्यवधान)।

[हिन्दी]

अरे, बंगाल में मुद्दा है, मैं जानता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विप्लव बाबू, कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री राजीव गांधी : महोदय, क्या यह सत्य नहीं है कि एक पत्रकार सेना द्वारा पकड़ लिया गया था और सरकार ने इस बात पर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। सरकार ने इस बात से इंकार किया था कि सेना या पुलिस का इसमें हाथ है। क्या उन्होंने उच्चतम न्यायालय में भी ऐसा नहीं कहा था ? और तब अचानक हमें पता चला कि सेना ने उसे पकड़ लिया था। क्या हो रहा था ? अगर हमने संसद में दो दिन तक शोर न मचाया होता तो क्या हुआ होता ? महोदय, वह पत्रकार वापस ही न आया होता। इस सरकार के कामकाज के तरीकों ने संसार की नजरों में देश की विश्वसनीयता कम कर दी है। कश्मीर में यह सब कैसे हुआ ? क्या यह सत्य नहीं है कि राज्यपाल ने घाटी के दो राष्ट्रवादी, दलों नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस को हटाने और इनकी जगह एक नई राजनैतिक शक्ति को लाने की योजना बनाई थी ? उन्हें यह नई राजनैतिक शक्ति कहां से मिलनी थी ? उन्होंने घाटी में जो नई राजनैतिक शक्ति खड़ी की है, हम उसे देख चुके हैं। कश्मीर में आपकी यह नीति है।

पंजाब में आपका कार्यनिष्पादन कैसा रहा है। क्या यह पहले से बेहतर है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विप्लव बाबू, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, क्या यह सत्य नहीं है कि आपकी सरकार के पदभार सम्भालने के कुछ दिनों बाद ही अमृतसर में खालिस्तान की मांग की गई थी ? और क्या यह सत्य नहीं है कि प्रधानमन्त्री के विलम्बित हस्तक्षेप के कारण उन व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था ? क्या उन दिनों प्रधानमन्त्री और राज्यपाल के तार सन्देश समाचार पत्रों में नहीं प्रकाशित हुए थे ? महोदय, आप क्या कर रहे थे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या आप आज कोई प्रश्नावली दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव यही होता है। यह आपके कार्य निष्पादन पर एक प्रश्नावली है। क्या पंजाब में आतंकवादियों का खुल्लमखुल्ला तुष्टीकरण नहीं

किया गया ? और क्या जिन आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था, उनमें से अधिकांश ने दोबारा आतंकवाद की राह नहीं पकड़ी ? महोदया, क्या यह एक तथ्य नहीं है ? क्या यह सत्य नहीं है कि अब आतंकवाद पंजाब के प्राय: प्रत्येक जिले में फैल चुका है ? पंजाब में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो आतंकवादियों से मुक्त है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, क्या यह सच नहीं है कि गुरद्वारे जिनका केवल धार्मिक प्रयोजनों तथा प्रार्थना के लिए उपयोग किया जा रहा था जबसे यह सरकार सत्ता में आई है, वे आज आतंकवादियों के हाथों में हैं और उनका आतंकवादियों को छुपाने सहित सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, क्या आपने प्रश्नकाल फिर से चालू कर दिया है ?

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : ग्रंथियों को एक बार फिर से आतंकित नहीं किया जा रहा है ? क्या तीर्थ यात्रियों को डराया नहीं जा रहा है ? आपको फिर छ: महीनों के अन्दर राज्यपाल को बदलना पड़ा था।

डा. बिप्लव दास गुप्त : हर तीन महीनों में आपने मुख्यमन्त्री बदले थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. बिप्लव बाबू, क्या यह आवश्यक है जब श्री राजीव गांधी बोले तो उनकी हर बात पर आप व्यवधान करें ? यह आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं इससे पूर्व के व्यवधान के बारे में एक बात आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

मैं एक बात बता रहा हूं कि मैंने अपने पिछले (व्यवधान) इण्टरवेशन में दो घण्टे 20 मिनट बोला लेकिन जब मैंने प्रोसीडिंग्स पढ़ी तो···

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह रावत (अहानाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जायें, रामाश्रय प्रसाद सिंह जी।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैंने 2 घण्टे और 20 मिनट बोला था। इसके बाद जब मैंने व्यवधान में लिया गया समय उसमें से निकाल कर उसे पढ़ा, तो मेरा भाषण केवल 40 मिनट का था।

प्रो. मधु दण्डवते : वह भाषण बहुत लम्बा था।

श्री राजीव गांधी : महोदय, ये लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विप्लव दास गुप्त, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राजीव गांधी : महोदय, क्या इस सरकार ने पंजाब में तथा दूसरी ओर असम में आतंकवादियों, तमिलनाडु में एल.टी.टी.ई. और शायद आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों के बीच सम्बन्धों को तोड़ने के लिए कुछ किया है ? इस सम्बन्ध में वास्तविकता यह है, चालों और खाली विचारों से समस्या का हल नहीं होगा। हमने 11 महीने चार्ल देखी, 11 महीने 'नोटकी' देखी और आज राष्ट्र को उसका सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के लिए कोई राजनीतिक पहल नहीं की गई, वहां के लिए कोई प्रशासनिक उपायों की घोषणा नहीं की गई। पंजाब के लिए आपकी क्या योजना थी ? आज हर सप्ताह कहीं अधिक लोगों को मारा जा रहा है जितने के गत वर्ष हर महीने मारे जा रहे थे और ऐसा श्री वी. पी. सिंह के असहाय होने को वजह से है। असम में क्या हुआ जहां राष्ट्रीय मोर्चा सरकार है ? असम का परिषद की सरकार राष्ट्रीय मोर्चा का एक हिस्सा है। आपने क्या किया है ? बोड़ो और कारबियों ने युद्ध का रास्ता क्यों अपनाया है ?

[हिन्दी]

अगर इस तरह से सरकार को चला रहे हैं, तो मैं क्या कहूं।

[अनुवाद]

क्या आपके प्रधानमन्त्री इतने निराशाजनक है ?

महोदय, मेरे माननीय वामपंथी मित्र खुले तौर पर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस प्रधान मन्त्री का जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा असम पर कोई नियन्त्रण नहीं है। वे यही बात कह रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम आपका तथा अन्य का पिछली सीट से नियन्त्रण देखेंगे।

श्री राजीव गांधी : यह सरकार वास्तव में उल्फा के आगे झुक गई है। भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को लगातार सताया जा रहा है और उन्हें डराया जा रहा है, लगातार हत्याएं की जा रही है और असम में उद्योगपतियों और अन्य लोगों से धन एंठा जा रहा है। इसके बारे में आपने क्या किया है। क्या आपने कुछ करने के लिए एक भी कदम उठाया है। बिल्कुल नहीं।

प्रो. मधु दण्डवते : क्या आप दो मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे ?

श्री राजीव गांधी : जरूर सुनूंगा।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, वास्तव में श्री राजीव गांधी विभिन्न प्रश्नों का उल्लेख कर रहे हैं। मैं योही उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या यह सच है कि विश्वास प्रस्ताव का सम्पूर्ण प्रश्न केवल इस अकेले सच से पैदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 'रथ यात्रा' को रोके जाने की वजह से ही अपना समर्थन वापस लिया है ? यदि ऐसी बात है, तब आप मूल विषय के बारे

में क्यों नहीं बोलते जिसके परिणामस्वरूप यह विश्वास प्रस्ताव इस सभा के सामने आया है ? आपके तारांकित, अतारांकित प्रश्नों के रूप में प्रश्न-उत्तर बाद में दिये जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, दण्डवते जी ने जो बात कही है उसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर आज भी अल्होत्रा बब के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती तो शायद दण्डवते जी जो बात कह रहे हैं उसमें वजन होता, लेकिन प्रस्ताव का स्वीकार नहीं हुआ और जो प्रस्ताव सरकार और प्रधानमंत्री ने रखा और जिसमें कहा कि हमारे प्रति विश्वास प्रकट करो, तो जिनका पहले भी विश्वास नहीं था और जिन्होंने पिछले साल भी उसका विरोध किया था वे अपने आधार पर उसका विरोध करें, यह स्वाभाविक नहीं है। (व्यवधान)

मैं इनको बताऊंगा कि दण्डवते जी ने भी हमारा प्रस्ताव पढ़ा नहीं है उन्होंने जो हमारी बात कही वह भी ठीक नहीं है। दण्डवते जी इसका जवाब दें।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : भारतीय प्रथम पार्टी और कांग्रेस (इ.) की पहचान साबित हो चुकी है।

श्री राजीव गांधी: क्योंकि हम तथा भारतीय जनता पार्टी एक ही तरफ वोट दे रहे हैं इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से संबन्ध है। हमें इस बात को बहुत ही स्पष्ट करना है। हमने इस सरकार का पहले ही दिन से विरोध किया है। हमें आज ही नहीं बल्कि स्वयं दिसम्बर, 1989 से ही इस सरकार पर विश्वास नहीं है। आज जो परिवर्तन आया है वह केवल भारतीय जनता पार्टी में आया है न कि कांग्रेस (ई.) में आया है। भारतीय जनता पार्टी का एक सप्ताह पहले तक आप में विश्वास था। उन्हें अब आप पर विश्वास नहीं रहा। यह मामला आप में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। एक सप्ताह पहले तक सी.पी.एम., सी.पी.आई. और अन्यों को आडवाणी जी के पास बैठने और रात्रि भोज लेने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आज वह अचानक ही अछूत हो गए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : देश इस ढोंग को भूलेगा नहीं। आप इसे जितना भी चाहे शोर मचा कर उसके छुपा सकते, आप जितना भी चिल्लाना चाहे आप उतना चिल्ला सकते हैं लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहेगी और यह बाहर आकर रहेगी वास्तविकता यह है कि इतिहास यह याद रखेगा कि वामपंथियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा किया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने कभी भी सीटों का बंटवारा नहीं किया।

श्री राजीव गांधी : जनता दल और श्री वी. पी. सिंह का नाम इतिहास में जाएगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समान प्लेट फार्म रखा लेकिन मंच अलग-अलग रखा।

[हिन्दी]

प्लेटफार्म एक है लेकिन मंच दो होंगे।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में आपने क्या किया है ? श्रीलंका के सम्बन्ध में आपकी नीति पूरी तरह से असफल रही। आप तमिलनाडु में आतंकवाद ले आए हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : एल. एल. टी. ई. को धन किसने दिया है।

श्री राजीव गांधी : तमिलनाडु में मादक-पदार्थों का व्यापार आपने शुरू किया है। आपके राष्ट्रीय मोर्चा साथी, डी. एम. के. और एल. टी. टी. ई. के बीच सम्बन्ध बहुत ही स्पष्ट है। क्या यह सच नहीं है कि तटीय क्षेत्रों पर आपका नियंत्रण है ? क्या यह सच है कि तटीय जल दर आपका नियंत्रक नहीं है ? यह किस तरह की सरकार है।

प्रो. मधु दंडवते : एक सा उत्तर है, नहीं।

5·00 अ. प.

श्री राजीव गांधी : यह भी सच नहीं है कि यह सरकार मद्रास में श्रीलंका के राजनैतिक शरणार्थियों की रक्षा नहीं कर सकी ? आपने उन्हें किस तरह की शरण दी है कि 10-11 लोगों को एक साथ गोली से उड़ा दिया जाता है ? आप इसे मजाक समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह बहुत दुख की बात है। यह और भी ज्यादा दुख की बात है कि आप स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं।

आपने अर्थव्यवस्था का क्या हाल कर दिया गया है ? अच्छा मानसून होने तथा शायद सदियों के बाद अच्छा मानसून होने के बावजूद मुद्रा स्फीति पहले से कहीं अधिक बढ़ रही है। कौन नुकसान उठा रहा है ? यह कैसे हुआ ? प्रो. मधु दण्डवते जी कभी यह कर बढ़ा देते हैं लेकिन इन्हें कौन भुगतता है ? प्रो. मधु दण्डवते जी आप जानते हैं कि बाहर सब्जियां किस कीमत पर बिक रही हैं ? पिछली बार मैंने प्रधानमंत्री को कहा था कि गेहूं और चावल काफी महंगे हो गये हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें सीमेंट खाने दीजिए। आप इस सभा में है।

सभी चीजों की कीमतें आसमान रही है। जिस घाटे की आज घोषणा की गयी है वह लगभग 24,000 करोड़ रुपये होगा। इस देश में क्या होने जा रहा है ? विदेशी मुद्रा कोष का क्या हुआ है ? कर उगाही काफी नीचे आ गई है। फिर इस सरकार का क्या प्रयोजन रह है ? विदेशी मुद्रा कोष 3000 करोड़ रुपये से 4000 करोड़ रुपये नीचे आ गया है। यह पहले इतना कम कभी नहीं था। और मुझे बताया गया है कि वे इसे 1200 करोड़ रुपये से 1500 करोड़ रुपये प्रतिमाह की दर से खाली कर रहे हैं। आपके पास केवल दो या तीन महीनों के लिए विदेशी मुद्रा शेष है। आप सही समय पर जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि कौन आ रहा है। लेकिन जो भी आयेगा वह आपकी इस छोड़ी हुई अर्थव्यवस्था से काफी परेशानी में रहेगा।

प्रो. मधु दंडवते : आप जानते हैं कौन आ रहा है। वह आपकी सम्मति से आ रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : आप तो अब वो काम कर रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया था। आप भारत का सोना बेचने जा रहे हैं (व्यवधान) आप 2000 करोड़ रुपये मूल्य का सोना बेचने जा रहे हैं और इसमें वह सोना भी शामिल है जो चीनी आक्रमण के दौरान एकत्र किया गया था। यह गांवों के गरीब से गरीब तथा कमजोर से कमजोर व्यक्ति ने दान में दिया था। यह इस तरह एकत्र हुआ था लेकिन आपके खराब प्रदर्शन की वजह से यह बेचा जा रहा है। इसमें मंगल सूत्र भी थे। भुगतान संतुलन के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : केवल एक चीज। ये सब प्रश्न जो किये जा रहे हैं वह गलत आधार पर या गलत तथ्यों पर किये जा रहे हैं। पिछली बार 2 घंटे 20 मिनट में से भाषण 45 मिनट का था लेकिन इसमें सार तत्व पांच मिनट का भी नहीं था और इस समय यह इससे भी कम का है।

प्रो. मधु दंडवते : आप गलत बात का सहारा ले रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : हमारी आठवीं योजना का क्या हो रहा है ? इसमें काफी गड़बड़ है। योजना आयोग एक चीन रहा है, सरकार कुछ और कर रही है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रश्न पढ़िये।

श्री राजीव गांधी : जब हम सरकार में विश्वास के बारे में बात करते हैं तो यह सरकार के प्रदर्शन का प्रश्न है। और यह क्या है ? विश्वास प्रस्ताव किस लिए है। आप पर अकुशलता और आपको इसका उत्तर देना है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं उत्तर दूंगा।

श्री राजीव गांधी : यदि आप उनका उत्तर नहीं देते हैं तो आपकी पोल खुल जायेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं एक मिनट ले सकता हूँ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं मान रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह मान जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विपक्ष के माननीय मैं एक सैकिंड लूंगा।

(व्यवधान)

महोदय, वह एक और प्रश्न पूछना भूल गये हैं। क्या प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बिजिंग एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है? वह इसके लिए भी जिम्मेदार हैं। उन्हें इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : इसका जवाब मैं क्या दूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखें।

श्री राजीव गांधी : महोदय, आपको याद होगा कि सरकार का उस वक्त काफी दुर्दशा हुई थी जब हमारे वामपंथी मित्र तब बीजिंग के ऐशियाई खेल देख रहे थे जब पंजाब विधेयक यहां अस्वीकृत हो रहा था। जहां तक मुझे याद है 13 वामपंथी सदस्य बीजिंग में थे। यह पंजाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे वहां खेल देख रहे थे। शायद यह बात अभी तक आपके विभाग में कौंध रही है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उन्हें हर बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिर इसके लिए भी क्यों नहीं?

श्री राजीव गांधी : गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के विकास के बारे में क्या हो रहा है? क्या हुआ है? आज दिन तक वही स्थिति बनी हुई है। यदि आप खेलों में जायें यदि आप गांवों में जाये तो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के गांवों में जाने का समय नहीं है। इसलिए वह नहीं जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है। जब मैं फतेहपुर गया था तो मुझे यह सौभाग्य मिला। उन्होंने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री को फतेहपुर आने का समय नही है। फतेहपुर में एक वर्ष से कोई विकास नहीं हुआ है···कुछ भी नहीं।

श्री विप्लव दास गुप्त : साराधन तो केवल अमेठी में गया था।

श्री राजीव गांधी : विकास कार्यक्रम वही के वहीं है। मुख्य क्षेत्रों का क्या प्रदर्शन रहा है? कोयला क्षेत्र का क्या प्रदर्शन है, बिजली और अन्य सभी मुख्य क्षेत्रों का क्या प्रदर्शन रहा है? प्रत्येक क्षेत्र में पिछले वर्ष से 6 से 12 प्रतिशत गिरावट आयी है। यह पिछले वर्ष से 6 से 12 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए थी। प्रदर्शन के मामले में 20 से 25 प्रतिशत का अन्तर है।

प्रो. मधु दंडवते : आप गलत बात का सहारा ले रहे है।

श्री राजीव गांधी : इसे कौन भुगतेगा। किसको नुकसान होगा?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : खाड़ी संकट के लिए कौन जिम्मेवार हैं? (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के लिए क्या किया गया है? प्रत्येक कार्यक्रम

धीमा चल रहा है और उन्हें तोड़ा मरोड़ा गया है···(व्यवधान) भारत की अन्तर्राष्ट्रीय ऋण दर का क्या हुआ है ? मुझे बताया गया है कि सरकार की तरफ से कुछ लोग ऋण लेने गये थे लेकिन कोई भी भारत को ऋण देना नहीं चाहता है मुझे बताया गया है कि अपने कतिपय योजनाओं के तहत बंध पत्र जारी किये हैं जो कि अन्तर्राष्ट्रीय दरों से आधे से एक प्रतिशत ज्यादा के हैं। और अभी तक कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया है। क्यों ? यह इसलिए कि देश आपकी सरकार की वजह से अपनी ऋण साख खो चुका है (व्यवधान) इस दयनीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से गरीब को वेतन भोगी वर्ग को नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप गलियों में जाये और देखें कि उन पर क्या बीत रही है तो आपको पता चल जायेगा कि आपने इन 11 महीनों में क्या किया है। जब आप सत्ता में आए तो आपने राज्यपालों के बारे में क्या किया ? जिस ढंग से बहुत से राज्यपालों को हटाया क्या यह शर्म की बात नहीं है ? उन सभी को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया। आपने राज्यपालों के बारे में क्या किया ? जब भारत के मुख्य न्यायाधीश लन्दन में बीमार थे तो आपने क्या किया ? आप पूरी तरह असफल रहे। उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिल सकें और अवकाश वाणी तथा दूरदर्शन को स्वायतत्ता देने के बारे में कहने जाने वाली बड़ी बड़ी बातों का क्या हुआ ? क्या आपने आजकल दूरदर्शन देखा है। (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : केवल आपकी ही तस्वीर आ रही है। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : आप जानते है कि 2 नवम्बर हाल ही के सप्ताहों में विभिन्न कारणों से मरने वाले लोगों चाहे वे पुलिस की गोली से मरे दंगों में मरे या अन्य वजहों से मरे के संदर्भ में सबसे बुरा दिन था। और दूरदर्शन की समाचार कवरेज क्या थी ? इसमें केवल जनता दल की बैठक को शामिल किया गया था और उन्होंने अपने चिल्लाने वाले वामपंथी दोस्तों को काफी समय समाचार में 21 मिनट का समय दिया। (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : मुझे खुशी है कि आपको एक मन्त्री तो मिल जिसने आपका अनुसरण किया।

श्री राजीव गांधी : उपेन्द्र जी, आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में जो कहते हैं उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा ? आकाशवाणी और दूरदर्शन पर हो रही हर बात के लिए हम पर आरोप लगाया गया था। आपकी तुलना में हम बिल्कुल निर्दोष थे।

प्रो. मधु दंडवते : निर्दोष होने के लिए उन्हें नोबल पुरस्कार दीजिए।

श्री राजीव गांधी : अन्त में मैं प्रधानमंत्री की बात पर आता हूं। याद है कि प्रधान मंत्री महोदय ने सभा में यह अपील की थी कि दलगत राजनीति से हट कर मत दें। जी हां, सरकार की कार्य कुशलता पर हमें दलगत राजनीति से हट कर मत देना चाहिए। ग्यारह महीने में कश्मीर, पंजाब और असम में 5000 लोगों से अधिक मर चुके हैं। वह हरिजनों के प्रति हो रहे अत्याचारों के बारे में बात कर रहे थे। प्रधान मन्त्री भारत रत्न के बारे में जो उन्होंने डा. अम्बेडकर को दिया है, बहुत भावुक होकर बोले थे। हां, हम इस बात की सराहना करते हैं। वह केन्द्रीय कक्ष में लगाए गए उनके चित्र के बारे में काफी चावुकता से बोले। क्या वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक भी हरिजन से मिले ? जब उन्हें जलाया जा रहा था उस समय आप वहां थे ? जी नहीं आप एक बार भी नहीं गए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, आप झूठ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : फतेहपुर में कितने हरिजन मरे हैं ? क्या आप आगरा गए थे ? क्या आप राजस्थान गए थे ? इस देश में ग्यारह महीने में 5000 लोग मर चुके हैं। (व्यवधान) मुसलमान मरे हैं, हिन्दु मरे हैं इतनी संख्या में मरे हैं जिसकी पहले कल्पना हो नहीं की गई थी। बच्चे मरे हैं। सभी क्षेत्रों-राजनैतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों, में तेजी से अपहरण हुआ है। भारत की एकता को खंडित किया जा रहा है। आज भारत की अखंडता पर संदेह किया जा रहा है। भारत की सुरक्षा खतरे में है। आज भारत का भविष्य खतरे में है। भारत का भाग्य एक ऐसे प्रधानमन्त्री के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता जो सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे घायल राष्ट्र को पुनः स्वस्थ किया जाना चाहिए और मैं इस सभा से अपील करता हूं कि वह एक मत होकर वोट दें, इस सरकार के विरुद्ध वोट दें क्योंकि इस सरकार ने सारा विश्वास खो दिया है जो इसको मिलना चाहिए था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो विश्वास का मत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। 11 महीने पहले भी एक विश्वास का प्रस्ताव इस सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत हुआ था और ये जो दो विश्वास प्रस्तावों की गाथा है 11 महीनों की वह देश के लिए भी बहुत कष्टदायी है और मेरी पार्टी के लिए भी क्रमशः आधिकाधिक परेशानी वाली बनती गई। मुझे याद है जब 21 या 22 दिसम्बर को यहां पर विश्वास का प्रस्ताव प्रधान मंत्री जी ने रखा था तो कांग्रेस पार्टी की ओर से शायद अन्तुले जी बोले थे प्रमुख वक्ता के रूप में या कम से कम आरंभिक वक्ता के रूप में। मुझे याद है कि उनकी आलोचना का उत्तर देने का दायित्व मुझ पर पड़ा था। क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में कश्मीर का और पंजाब का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि,

[अनुवाद]

"हमने आपको एक अखंड देश दिया था और अब देश का सर्वनाश हो रहा है।"

[हिन्दी]

लगभग इन्हीं शब्दों में अन्तुले जी ने बात कही थी। मैंने कहा था कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है कि जिसको सत्ता सम्भाले हुए 15 दिन हुए हैं, अगर वास्तव में अन्तुले जी को या कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सदस्य को यह लगता है।

[अनुवाद]

आज देश का सर्वनाश हो रहा है।

[हिन्दी]

और आज देश का सर्वनाश हुआ है तो उस सर्वनाश का दोष इन 15 दिनों की सरकार पर लगाया जाता है, अगर किसी पर लगाया जाना चाहिए तो आपको अपने नेता पर लगाना चाहिए।

यह मैंने उस समय कहा था और तब भी मैंने कहा था कि मेरे दल ने इस सरकार को समर्थन दिया है तो उसका कारण बहुत सीधा है, मेरा कोई सब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं है इस सरकार के बारे में, मेरा कहना यह है कि इस जनादेश का जो नवम्बर, 1989 के चुनाव में से उभर कर आया है। उसका केवल एक अर्थ मानता हूं कि हिन्दुस्तान का मतदाता परिवर्तन चाहता है और दूसरा अर्थ यह मानता हूं कि हिन्दुस्तान का मतदाता कांग्रेस-पार्टी को नापसंद करता है। ये दो अर्थ जनादेश से निकालता हूं। मैं इसको किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी कम्बीनेशन आफ पार्टीज के लिए पाजिटिव वोट नहीं मानता हूं। इसलिए कभी-कभी जब कहा जाता है कि जनादेश हम तीनों के लिए है तो मैं नहीं मानता कि हम तीनों के लिए जनादेश मिला है। यह जनादेश···

प्रो. मधु दण्डवते : कांग्रेस के लिए तो नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, कांग्रेस पार्टी के लिए जनादेश नहीं है और परिवर्तन जनादेश है और उसका आदर करते हुए मेरी पार्टी ने निर्णय किया कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह या प्रमुख पार्टी जो जनता दल है, उसके साथ 2-4 पार्टियां जिनकी सदस्य संख्या 2-3 है, वे कुल मिलाकर नेशनल फ्रंट कहलाता है, ने राष्ट्रपति जी के पास जाकर दावा किया कि सरकार बनाने के लिए तैयार है तो हम उस समर्थन देने के लिए तैयार है लेकिन हमारा समर्थन कम्युनिष्ट पार्टी की भांति अन-कंडीशनल नहीं रहेगा। अपनी पार्टी का समर्थन देते हुए मैंने जो पत्र उन्हें लिखा उसमें बल दिया था कि आपका घोषणा पत्र और मेरा घोषणा-पत्र दोनों अलग हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनल फ्रंट के घोषणा पत्र को समर्थन दिया होगा लेकिन मेरी पार्टी ने नेशनल फ्रंट के घोषणा पत्र का समर्थन नहीं दिया और हम दोनों में मतभेद हैं। उन मतभेदों को आप ध्यान में रखकर चलें। इस बात की आपसे अपेक्षा करेंगे यद्यपि हम शर्त नहीं बना रहे हैं। हम आपका समर्थन देते हुए यह नहीं कहते हैं कि हमारी अमुक मांग मान लो या दूसरी कोई मांग मानें या नहीं मानेंगे तो हम आपको समर्थन नहीं देंगे लेकिन हम ध्यान जरूर दिलाना चाहेंगे कि हमारे और आपके घोषणा-पत्र में कई बातें समान हैं लेकिन कई बातों में उनमें अन्त भी है और उनमें से कई ऐसे हैं कि जिनको मेरी पार्टी बहुत महत्वपूर्ण मानती है। पिछले चुनाव में मेरी पार्टी को अगर समर्थन मिला तो उसमें कुछ हिस्सा निश्चित रूप से कांग्रेस के विरोध के कारण था लेकिन उसमें काफी हिस्सा इस कारण भी था कि हिन्दुस्तान के मतदाताओं में मेरी पार्टी की जो अलग से पहचान है जिसके आधार पर बाकी सब पार्टियां मुझे कम्युनल कहती हैं, उस पहचान का आदर करते हुए कहा कि हम कम्युनल नहीं हैं। अब मैं कभी-कभी अपेक्षा करता था कि 11 महीनों में हम से भी उन विषयों पर चर्चा होगी। कि अगर हम भी पांच साल तक मिलकर चलना चाहते हैं तो अमुक बातों के बारे में या तो आप हमको समझाइये या हम आपको समझायें ताकि कहीं न कहीं मेल मिलाप हो जाये। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि 11 महीनों में इस प्रकार की बात कोई न हो और 11 महीनों के बाद किसी दिन हम किन्हीं कारणों से तय करें कि हम इस सरकार का समर्थन आगे नहीं कर सकते और हमें कहा जाय कि हम कांस्टीट्यूशन के खिलाफ हो गए हैं। मैं बाद में उस बात का उल्लेख करूंगा कि मैंने क्यों तय किया कि इस सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। प्रधान मन्त्री कहते हैं कि मैं कांस्टीट्यूशन के खिलाफ हूं, मैं न्यायपालिका के खिलाफ हूं। कम्युनल तो मुझे सब लोग कहते ही हैं। यह बात पुरानी है जिसे मैं समझता हूं। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर हिन्दुस्तान में सरदार वल्लभभाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टण्डन, डा. सम्पूर्णानन्द को कम्युनल कहने वाले

कांग्रेस में थे और मार्क्सिस्ट पार्टी सबसे आगे हुआ करती थी। यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे महापुरुषों की पंक्ति में मुझे अगर रखते हैं तो ऐसे कम्युनिलिक की मुझे चिन्ता नहीं है। लेकिन आज जब प्रधानमन्त्री ने सदन में मुझे संविधान के खिलाफ कहा तो मुझे चोट पहुँची क्योंकि मैं संविधान में विश्वास रखकर ही शपथ लेता हूँ। इस सदन में मधु जी बैठे है, चन्द्रशेखर जी बैठे हैं, जार्ज फर्नान्डीज जी बैठे हैं, वे नहीं कहते है लेकिन जब श्री वी. पी. सिंह के मुख से सुनता हूँ कि आडवाणी जी संविधान के खिलाफ हैं तो यह पार्टी के खिलाफ है।

अध्यक्ष जी, मेरे पास समय सीमित है क्योंकि मेरे से पहले मेरे दो साथी बोले हैं, इसलिए मैं कुल मिलाकर के जितनी सरकार को विफलतायें हैं, उनका उल्लेख तो नहीं करूंगा लेकिन रिकार्ड के लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा। क्योंकि प्रधान मन्त्री जी ने कहा और उसके बाद दंडवते जी ने भी कहा जिनसे मैं ज्यादा संवेदना की अपेक्षा करता था कि इन्होंने केवल एक कारण से अपना समर्थन वापस लिया। उन्होंने दूसरा कोई कारण नहीं बताया जबकि वस्तुस्थिति यह है कि मेरा प्रस्ताव मेरे पास है (व्यवधान) मैं इस प्रस्ताव का एक हिस्सा पढ़ता हूं :—

[अनुवाद]

देश ने स्वागत किया था और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी आशाओं के साथ जनता दल को समर्थन दिया था। परन्तु ये सभी आशाएं मिथ्या साबित हुई हैं।

[हिन्दी]

उसके बाद हमारे प्रस्ताव ने पंजाब का जिक्र किया है, काश्मीर का जिक्र किया है, टैररिज्म का जिक्र किया है, असम का जिक्र किया है, आंध्र प्रदेश में भी टैररिज्म का जिक्र किया है और उसके बाद इकनामिक पालिसीज का जिक्र किया है कि किस प्रकार से गलत फिस्कल पालिसीज के कारण

[अनुवाद]

कीमतें आसमान को छू रही हैं जिसके कारण लाखों लोगों का जीवन दयनीय होता जा रहा है।

[हिन्दी]

उसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ कहिए जिसको मैं क्वोट करूंगा

[अनुवाद]

भारतीय जनता पार्टी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में रही है। बहरहाल, मंडल आयोग की रिपोर्ट को जिस ढंग से सहयोगी दलों से परामर्श किये बिना और आर्थिक मानदण्ड अपनाए बिना लागू करने हेतु सरकार ने अपने निर्णय की घोषणा की वह बिलकुल गलत है। यह निर्णय पिछड़े वर्गों के लिए चिन्ता से प्रेरित होकर नहीं लिया गया बल्कि राजनैतिक स्वार्थों को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार का यह निर्णय केवल समाज को बांट सकता है। इसके परिणामस्वरूप केवल शांति ही भंग और जन-धन की हानि ही नहीं हुई है परन्तु हमारे कुछ युवाओं ने आत्मदाह भी किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव 17 अक्तूबर का है। मैं इस चीज को पूरे संदर्भ में रखना चाहता हूं कि हमारी स्थिति लगभग जून के महीने से यह हो गई थी कि इस सरकार के साथ जुड़े रहना, यह जनता के मन में अपने बारे में अश्रद्धा पैदा करता है। जब हम कहते थे कि हम काश्मीर की नीति से सहमत नहीं हैं, हम पंजाब की नीति से सहमत नहीं हैं, बजट के बारे में जो कुछ इन्होंने कहा है वह ठीक नहीं है तो कहते थे कि आप समर्थन क्यों कर रहे हैं ? और समर्थन क्यों कर रहे हैं इसका उत्तर देने के लिए हमारी तरफ में जवाब हमेशा होता था कि आखिर आपने परिवर्तन चाहा था, वह परिवर्तन आपको मिला और उस परिवर्तन में हम भी हिस्सेदार थे। अगर उसमें हम कोई अपना निर्णय बदलेंगे तो वह निर्णय सोच विचार कर के बदलेंगे, जल्दबाजी में नहीं बदलेंगे। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जिस दिन 17 अक्तूबर को हमने यह प्रस्ताव लिखा उस समय तक हम इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि नवम्बर 1989 के चुनावों में जनता से जो जनादेश प्राप्त हुआ वह जनादेश अब समाप्त हो गया। लेकिन आज अगर अचानक हम कोई निर्णय करते हैं तो उस निर्णय का कोई आधार चाहिए। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि निर्णय का आधार इस समय हमारे पास सबसे बड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने 25 सितम्बर से रथ यात्रा शुरू की है राम जन्म-भूमि के स्थान पर मंदिर बनाने के बारे में जन समर्थन जुटाने के लिए। मैं उसकी चर्चा थोड़े विस्तार से बाद में करूंगा लेकिन इस समय मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि केवल एक विषय पर हमारा यह निर्णय नहीं है। यह निर्णय 11 महीने की इस सरकार के कार्यकलापों से जुड़ा हुआ है और उसमें सबके सब कारण हैं। अलबत्ता जिसको कह सकते हैं कि प्रेसपिटेट किस समय होता है, किस आधार पर होता है, उसका निर्णय करते हुए हमने एक साथ चेतावनी दी सरकार को कि अगर आपने रथ यात्रा रोकी, क्योंकि 17 अक्तूबर का मतलब यह है कि तीन सप्ताह रथ यात्रा चली थी और तीन सप्ताह नहीं रोकी थी।

अध्यक्ष जी, यहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से कह दिया कि जनता दल तो इनको नहीं रोकेगा लेकिन अगर हमारी सरकार के क्षेत्र में आयेंगे तो हम इस रथ यात्रा को नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : आडवाणी जी, यह मैंने नहीं कहा था। मद्रास में एन. आई. सी. में मैंने यह कहा था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जो भी केन्द्र सरकार चाहेगी, वह एक्शन लेंगे और अगर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह जी को लगेगा कि कांग्रेस के स्टेट से लहरों में लोग आ रहे हैं, कुछ कार्यवाही करनी है तो हमारे मुख्यमंत्री उनकी मदद करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं नहीं जानता, कम से कम अखबारों में जो मुझे इण्डीकेशन मिला, वह मैंने बताया।

श्री राजीव गांधी : जहां तक मुझे मालूम है, केन्द्र सरकार ने हमारे किसी भी मुख्य मंत्री को ऐसा नहीं कहा कि रथ यात्रा को रोकना है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ठीक है, किसी को नहीं कहा, उन्होंने तो खुद भी नहीं रोका। दिल्ली में भी किसी ने नहीं रोका। (व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं यह मानता हूं कि रथयात्रा जिन्होंने

देखी, रथयात्रा के अवसर पर जिन्होंने भाषण सुना और रथयात्रा के दौरान जिन्होंने इस बात को नोटिस किया कि अगर किसी ने भी यह नारा लगाया कि "बाबरी मस्जिद तोड़ दो" तो आडवाणी ने सार्वजनिक रूप से उसकी भर्त्सना की और कहा कि यह गलत बात है। यह नारा हमारे आंदोलन को कमजोर करेगा। भारतीय जनता पार्टी का मत है कि हिन्दुस्तान के सभी हिन्दुओं की भावनाएं उस स्थान से जुड़ी है और मुसलमानों की भावनाएं उस ढांचे से जुड़ी हैं और इसलिए कोई न कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए जिसमें दोनों की भावनाओं का आदर हो। उसी संदर्भ में मैंने यह प्रस्ताव रखा था, जिसका मजाक आज यहां हमारे प्रो. दण्डवते जी ने कोई साइंस की परिभाषा देकर, उड़ाने की कोशिश की कि

[अनुवाद]

खड़ी हुई स्थिति से लेटने वाली स्थिति में आ गए हैं।

[हिन्दी]

आज मैं आंध्र प्रदेश में जाकर देखता हूं कि वहां की सरकार ने वहां के बीस प्राचीन मंदिरों को, जब वहां तीस डैम बनाये और उनके डूब जाने का खतरा उत्पन्न हो गया तो उनको पूरे के पूरे सब का सब री-लोकेट कर दिया। इसीलिये अगर मैं यहां कोई प्रस्ताव रखता हूं कि इनको री-लोकेट किया जाये तो

[अनुवाद]

यह केवल एक मंगलभाषी तरीका नहीं हैं कि इसे गिरा देना चाहिए। यह एक ठोस प्रस्ताव है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि

[हिन्दी]

आज चाहे मैजोरिटी नहीं होगी लेकिन हमारे बहुत से मुसलमान भाई हैं जो यह कहते कि यह सुझाव अच्छा है क्योंकि हिन्दुओं की भावना उस स्थान से जुड़ी हुई है, इसलिये अगर री-लोकेट हो सकता है तो बहुत अच्छा है, क्यों नहीं होना चाहिये। अब मैं जिस बात पर आ रहा हूं वह यह है कि मेरी उस रथयात्रा के बारे में जितना प्रचार किया गया, खासकर सरकारी प्रचार माध्यमों से, टी. वी. और रेडियो के द्वारा यह कोशिश की गयी कि भाई अब रथयात्रा होने के बाद तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का कत्लेआम होगा, अब सिवाय यहां पर दंगे होने के कुछ नहीं होगा यदि कोई चर्चा भी करेंगे और उस चर्चा में 10 लोग होंगे तो उनमें एक भी आदमी दूसरी बात कहने वाला नहीं होगा। इतना ही नहीं, साधारणतः मेरे घण्टे भर के भाषण में, मैंने तीन कहा था, लोगों को भी कहता हूं कि यह नारा मत लगाइये, यह गलत है। इसे मैं गलत मानता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो हिन्दुस्तान में सद्‌भावना बनाये रखना चाहते हैं, वे उसी को हाईलाइट करेंगे, रेडियो कोई दूसरी बात नहीं कहेगा, रेडियो यह इम्प्रैशन देगा कि रथयात्रा है ही बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ने के लिये। आपका रेडियो भी यही कहेगा, टेलीविजन भी यही कहेगा, अध्यक्ष जी, मैं इंकार नहीं करता कि इस सारे प्रचार के कारण हमारे मुसलमान भाइयों में एक आतंक का भाव पैदा हुआ, चिन्ता का भाव पैदा हुआ और मैं स्वयं चिन्तित था कि जब मेरी रथ-यात्रा का आरम्भ सोमनाथ से होने वाला था, मैं जानता था कि गुजरात ऐसा प्रदेश है और उसमें

अहमदाबाद, बड़ोदा, सूरत, भडूच आदि चार-पांच ऐसे स्थान हैं जहां किसी मामूली कारण से भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाया करती है, बिना कारण के भी गड़बड़ हो जाया करती है। इसलिये रथयात्रा के बाद, मुझे चिन्ता थी और मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करूंगा कि मैंने चाहे कभी चौरीचौरा की बात नहीं की होगी, अखबार वालों ने भले ही कुछ लिखा होगा, मेरे मन में जरूर था, मैं बहुत साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, और अहिंसा को बड़े सिद्धान्त के रूप में अपनाया है, उनमें से भी मैं नहीं हूं, लेकिन मैं यह जरूर समझता था कि अगर कहीं पर कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाती है, तो मेरे ऊपर रेस्पांसिबिलिटी है और हां, सचमुच रथ-यात्रा का निर्णय करते हुये मैंने अपने पत्रकार भाइयों से भी कहा कि मैं इसके कारण देश के लिये कोई संकट पैदा नहीं कर रहा हूं। बल्कि शायद अपनी प्रतिष्ठा के लिये संकट पैदा कर रहा हूं। अगर कुछ हो गया मेरी रथयात्रा के दौरान तो लोग कहेंगे कि आप कितने गैर-जिम्मेदार है, कितने बे-जवाबदार हैं और इसीलिए मैं पूरे गुजरात के अन्दर यात्रा करते समय चिन्तित रहा। पूरे गुजरात में रथ यात्रा चल रही है, मुसलमान भी आ कर के उसका जगह-जगह पर स्वागत कर रहे हैं और उस समय सदन में यहां पर, दोनों हाउसेस में, बातें हो रही हैं। जहां पर मुलायम सिंह यादव भाषण करने के लिये गये, अगर 3 दिन बाद वहां दंगा हुआ, तो उसका उल्लेख भी मेरी रथा-यात्रा के साथ कर रहे हैं और मुझे इसका अफसोस हुआ, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस सरकार के जब सारे कार्यकलापों को हम देखते हैं, तो रथ यात्रा को छोड़कर भी जो कुछ सरकार ने किया है, उस पर सरकार गर्व कैसे कर सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। असम्भव है। आखिर तो प्रधान मंत्री एक पार्टी के नेता रहते हैं, सत्तारुढ़ पार्टी के प्रधान मन्त्री संसद के भी नेता हैं, प्रधान मन्त्री राष्ट्र के भी नेता हैं और राष्ट्र का नेता और प्रधान मन्त्री हो उसमें गुण तो बहुत होने चाहिए, लेकिन मैं अगर किसी गुण को सबसे अधिक अहमियत देता हूँ, तो वह है "टीम लीडरशिप" टीम का लीडर होना चाहिये। अपने जिन लोगों के साथ वह काम कर रहा है उसका नेता उसका विश्वास प्राप्त करने वाला होना चाहिए और क्या प्रधान मन्त्री जी कभी इस पर विचार करते हैं कि 11 महीनों में

[अनुवाद]

वह देश को इकट्ठा नहीं रख पाए हैं।

[हिन्दी]

सोसायटी में जितने क्लैशेस हुए हैं, उनका वर्णन सभी लोगों ने किया है, अखबारों ने भी किया है।

[अनुवाद]

वह अपने मन्त्री मण्डल को भी इकट्ठा नहीं रख पाए हैं। वह अपने दल को भी इकट्ठा नहीं रख पाए हैं। यह पार्टी है पार्टी छोड़िये, उस पार्टी मे मिलने वाले जो फंक्शन्स थे, उस जन-मोर्चा को भी साथ नहीं रख पाये, चीफ मिनिस्टर्स को भी साथ नहीं रख पाये। छः चीफ मिनिस्टर्स थे, तो 3 चीफ मिनिस्टर छोड़कर चले गये।

[अनुवाद]

यह दल के रूप में किस प्रकार का नेतृत्व है ? क्या इससे बड़ी विफलता भी हो सकती है ?

[हिन्दी]

इससे भी कोई बड़ी विफलता हो सकती है प्रधान मन्त्री के लिये ऐसी स्थिति में प्रधान मन्त्री जी खड़े होकर के यह सोचें कि मैं यहीं पर विश्वास का प्रस्ताव पेस्तुन कर के एक इलैक्शन के लिये अपना कोई कैम्पेन प्लैन्क बना लूंगा, मैं नहीं समझ सकता यह कैसे हो सकता है, लोग किसी को माफ नहीं करते। इनको माफ नहीं किया हमको भी माफ नहीं करेंगे और जहां-जहां आप जायेंगे, मौका मिलेगा, हम को भी माफ नहीं करेंगे। आज लोक तंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है—

[अनुवाद]

आप लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

कोई भी हो, यह नहीं मान सकता है कि कुछ भी कर लो। अब जनता माफ नहीं करती है। राजनैतिक चेतना आ गयी है।

अध्यक्ष जी, यद्यपि इस प्रस्ताव का उल्लेख करना मेरे लिये इसलिये जरूरी था कि प्रधान मन्त्री जो ने, मधु दण्डवते जी ने और शायद सोमनाथ चटर्जी ने और इन्द्रजीत गुप्ता जी ने भी कम से कम आभास यह दिया था कि जैसे हमारी नाराजगी इस सरकार से केवलमात्र अयोध्या के कारण है' (व्यवधान) यह वो चीज है, रथ यात्रा न भी होती अयोध्या का विषय भी आता तो भी मुझे साम्प्रदायिक कहने वाले लोग लगातार रहे। मैं अपनी तरफ से उसका बचाव नहीं देता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि रथ यात्रा न होती तो भी क्या आप अपना समर्थन वापस ले लेते ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आडवाणी जी, अगर सरकार रथ यात्रा को नहीं रोकती तब भी क्या आप सरकार को गिरा देते ? (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप मुझे बताइए। अपने आप को और कांग्रेस (आई) जैसे अन्य को धोखा देने का प्रयास मत कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : पूरे देश के लोग आपको मना कर रहे थे कि रथ यात्रा मत निकालो। (व्यवधान) मुसलमानों की दुकानें जली हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक अत्यन्त स्पष्ट वक्तव्य दिया है इसलिए मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि उनकी पार्टी की तरफ से

सरकार को यह चेतावनी दी गई थी कि अगर वह रथ यात्रा को रोकेगी और कार सेवा करने की अनुमति नहीं देगी तो वे अपना समर्थन वापस ले लेंगे।

आपने उन्हें यह चेतावनी नहीं दी कि आप अन्य अनेक मामलों पर अपना समर्थन वापस ले लेंगे। क्या यह सच नहीं है ? अन्ततः आपने केवल इस मुद्दे पर अपना समर्थन वापस लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस संबंध में आपका पत्र तैयार था। आपने अपना पत्र तैयार रखा और केवल आपकी गिरफ्तारी पर यह पत्र भेजा गया। इससे स्पष्ट है कि आपने इसे अपनी गिरफ्तारी से जोड़ा। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपकी बात में सच्चाई यह है कि उस रजोल्यूशन में जिस में हमने सारी उनकी गलतियां गिनायी थी, उसके अंतिम पैराग्राफ में हमने राम जन्म भूमि का उल्लेख करते हुए यह चेतावनी दी थी कि राम जन्म भूमि के विषय में अगर रथ-यात्रा को रोकेंगे या कार-सेवा को रोकेंगे तो हम अपना समर्थन वापिस ले लेंगे। (**व्यवधान**) मेरी इस सरकार के प्रति निराशा कोई अभी आकर शुरू नहीं हुई, वह निराशा तो अनेक कारणों से बढ़ती गई।..... ...(**व्यवधान**).. अध्यक्ष जी, मैं महाभारत का वह उदाहरण तो नहीं देना चाता था लेकिन मेरे मित्रों का आग्रह है कि मैं वह उदाहरण दे दूं। एक समय जब शिशुपाल ने गालियां देनी शुरू की तो वह गाली पर गाली देता गया और एक के बाद दूसरी गाली देता गया, सब लोग हैरान थे कि इतनी गालियां क्यों सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं और क्या मजबूरियां सुनने की थीं. कृष्ण न तो मन-मन में तय कर रखा था कि जब वह सौवीं गाली देगा तो उसी समय उसका विरोध करूंगा... ...(**व्यवधान**) अध्यक्ष जी, इसे अयोध्या के बारे में भी स्मरण दिलाना चाहूंगा कि.....

(**व्यवधान**)

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरदार) : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि आडवाणी जी धर्म के गुरु कब से बन गये ? (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैं धर्म के क्षेत्र में नहीं हूं। मैं यह बात कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में जब लोक मान्य तिलक ने गणेशोत्सव शुरू किया तो उनके ऊपर भी वहीं आपत्तियां उठी थीं जो भारतीय जनता पार्टी पर उठ रही हैं। मैं आपको वह ग्रंथ भी दिखा सकता हूं कि कितनी आलोचना उन पर हुई। कहा गया कि यह धार्मिक नहीं है, यह तो राजनीतिक नेता है, यह कैसे गणेशोत्सव का प्रचार करते हैं। लेकिन लोक मान्य तिलक और गांधी जी जैसे नेताओं की दूरदृष्टि थी जिन्होंने इसको पहचाना। गांधी जी को लोग कहते थे कि राम-धुन क्यों करते हो। मैं पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि मेरी इस रथ-यात्रा ने मेरा विश्वास और दृढ़ किया है। (**व्यवधान**(

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाय।

श्री बाऊ दयाल जोशी (कोटा) : एक को भी नहीं बोलने दिया जायेगा। प्रधान मन्त्री को भी नहीं बोलने दिया जायेगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, मैं खड़ा हूं।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : हम प्रधान मन्त्री जी को बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सब सदस्यों से कहूंगा, आडवाणी जी जब बोल रहे हैं तो कोई इण्टरप्शन नहीं होना चाहिए। आप बैठ जायें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ कि गांधी जी की जो कार्यशैली थी, उसके बारे में मुस्लिम लीग के नेता क्या-क्या बोलते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे, उसकी कितनी जानकारी हमारे इन मित्रों को है, इनको तो होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग में उस वक्त पाकिस्तान का भी समर्थन करने वाले थे, उनका कहना था, मैं 1942 का जिन्ना का कोट करता हूँ :—

[अनुवाद]

"कांग्रेस केवल एक हिन्दू निकाय है। गुमराह और गुप्त उद्देश्यों हेतु इसमें सम्मिलित हुए थोड़े से मुसलमानों के कारण यह राष्ट्रीय संस्था नहीं बन सकती।"

उन्होंने 1943 में अपने अध्यक्षीय भाषण में भी यह कहा :

"सेवाग्राम, वर्धा में गांधी आश्रम इसलिए स्थापित किया गया है कि वह 'गांधीवाद का वैटिकन बने और कांग्रेस की राजधानी बने'; गांधी हरिजन सेवा संघ इसलिए है कि 'पीड़ित वर्गों को हिन्दुत्व का एक अखण्ड भाग बनाया जाए और इस्लाम तथा इसाई धर्म में उनके परिवर्तन को रोका जा सके'; गांधी हिन्दी प्रचार संघ इसलिए है कि 'संस्कृत निष्ठ हिन्दी का भारत की राज्य और राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचार किया जा सके और उर्दू की प्रमुखता और लोकप्रियता की जा सके, गांधी नागरी प्रचार सभा इसलिए है कि 'इस विचार का प्रचार किया जाए कि सभी भारतीय भाषाएं देव-नागरी लिपि में लिखी जाएं और उर्दू लिपि समाप्त हो'; गांधी वर्धा तालीम संघ इसलिए है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की राज्य-नियन्त्रित व्यवस्था के माध्यम से धर्म, अध्यात्मवाद, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रवाद पर गांधीवादी सिद्धांतों का प्रचार किया जाए। वर्धा योजना के अन्तर्गत गांधीवाद का प्रचार करने के लिए देश की सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को सहायक के रूप में प्रयोग करना था (यह बाकि सभी धर्मों को छोड़कर हिन्दुत्व का एक नया रूप था)"। (व्यवधान)

आज जब प्रो. मधु दण्डवते अथवा यहां मेरे मित्रों अथवा दूसरे पक्ष द्वारा भी अक्सर यही आरोप लगाए गये तो मुझे दुख हुआ।

[हिन्दी]

जब इनका मौका आयेगा, दे दीजिए। मैं आपत्ति इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि, एक कम्सटेंड एफर्ट शुरू किया है, इन 15 दिनों से, जब से लेकर 23 तारीख को हमने समर्थन विथड्रा किया, यह पेन करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी देश में एक थियोक्रेटिक राज लाना चाहती है जिसमें कि गैर हिन्दू नहीं रह पायेंगे। उनका दूसरे दर्जे का स्थान होगा। मैं यह मानता हूं···

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : प्रैक्टीकली तो आप यही चाह रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : भारतीय के नाते, भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले के नाते और एक हिन्दु के नाते भी मैं मानता हूं कि मजहबी राज की कल्पना हिन्दुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है, हिन्दुस्तान की परम्परा के खिलाफ है, हिन्दुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है, हिन्दुस्तान के इतिहास के खिलाफ है और मैं केवल कहता नहीं हूं। मैं अपने घोषणा पत्र में से कोट करके बताना चाहूंगा :—

[अनुवाद]

"धर्मतन्त्रीय राज्य का विचार भारतीय विचार धारा के लिए एक अभिशाप है और भारतीय जनता पार्टी समझती है कि भारत में राज्य सदैव ही एक सिविल संस्था रहा है जो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है और एक दूसरे नागरिक के बीच भाषा, लिंग, जाति अथवा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता।

राज्य का यह कर्तव्य है कि वह भाषाई, धार्मिक अथवा जातीय-सभी अल्पसंख्यकों को न्याय और सुरक्षा देने की गारंटी दें। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों में अल्पसंयक होने की भावना न पनपे।

भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक धर्म-निरपेक्षता में विश्वास रखती है जिसका अभिप्राय हमारे संविधान-निर्माताओं के अनुसार सर्व-धर्म-सम-भाव था और इससे एक गैर-धार्मिक राज्य का संकेत नहीं मिलता है।"

[हिन्दी]

हमारे मार्क्सिस्ट बन्धुओं की कितनी आलोचना होती है।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मजेरी) : इसके सन्दर्भ में आप "हिन्दू-हिन्दुस्तान" के नारे को कैसे सही ठहराते हैं ? (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की बुनियाद, हमारे इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को नकारा जाए। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए न्याय और किसी का तुष्टीकरण न करने के पक्ष में है।

[हिन्दी]

मैं अपना घोषणा-पत्र पढ़ चुका हूं, उसको फिर से नहीं करूंगा। पिछले दिनों "इलसट्रेटिड विकली" में एक वरिष्ठ पत्रकार का आर्टिकल छपा है। मैं उनसे एक बार मिला हूं, मेरा उनसे कोई विशेष परिचय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी परिचय ज्यादा नहीं होगा। उनका नाम है

श्री ननपुरिया। ननपुरिया जी ने "इलसट्रेटिड विकली" में जो लेख लिखा है, मैं उसका एक पोरशन पढ़ कर सुनना चाहता हूं, क्योंकि वह आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उनका कहना यह है कि :—

[अनुवाद]

"जनसंघ-भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ का संप्रदायवादी रूप धीरे-धीरे वक्तव्यों, व्यंग्योक्तियों और छल-कपट वाली नीतियों से सामने आया जिसने भारतीय राजनीति में स्थान पा लिया और इसकी वैधता के लिए कभी भी प्रश्न नहीं उठाया गया।"...

"और "नेहरूवादी समाजवादिता" के लिए उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया है वह है कि 'यह इस बात की ओर संकेत करता है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 'हिन्दू' का अर्थ धर्मांधता, संकीर्णता, व्यावसायिकता और शिक्षा तथा 'प्रगतिशील आधुनिकीकरण' के साथ असंगत परंपरावाद है।"

तत्पश्चात् उन्होंने कहा :—

"युद्ध के पश्चात् भारत में ऐसी राजनीतिक गलत बयानी कभी नहीं हुई जैसी अब हुई है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर प्रत्येक राजनीतिक दल का इसे पूरा समर्थन प्राप्त था इसलिए यह राष्ट्र की नैतिकता का अंग बन गया।"

[हिन्दी]

और फिर आगे उसका एक्सप्लेनेशन है :—

[अनुवाद]

"भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का 'अलगाव' उन मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों की देन है जो ब्रिटिश काल में भी चल रहा था और उस समय हिन्दुओं को भ्रामक, भ्रष्ट और अनुत्तरदायी माना जाता था तथा मुसलमानों का पक्ष लेना साम्राज्यवाद की नीतियों एक अंग था।"

अब यह सब बीत चुका है और इस पर आपको मुझे और हम सबको विचार करना है। यह गैर-हिन्दू रवैया है और ऐसा क्यों हुआ ?

[हिन्दी]

अंग्रेज पूरी तरह से प्रचार करता था, इंडिपेंडेंस की लड़ाई हिन्दू लड़ रहे हैं गांधी जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में, सरदार बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में। मुसलमान जो हैं, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में उनका पूरा साथ दे रहे हैं। इसीलिए मुसलमान के पक्ष में उनको बायस था, जो हर बात में टपकता था। हिन्दू के खिलाफ जो उनका बायस था, वह भी टपकता था। इसीलिए जिन्ना साहब कहते हैं

[अनुवाद]

कांग्रेस स्वतंत्रता की बात करता है। मैं पूछता हूं कौन सी स्वतंत्रता है ? मैंने आपको बार-बार चेतावनी दी थी कि उनका आशय हिन्दू भारत की स्वतंत्रता और मुस्लिम भारत की दासता है।"

[हिन्दी]

मुझे बहुत अफसोस होता है, जब भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए जितने आलोचक हैं, वे भी इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उससे मुसलमानों का भला नहीं करते हैं, हो सकता है कि वे कुछ वोट जुटा लें, लेकिन कुल मिलाकर के मुसलमानों का अहित कर रहे हैं। (व्यवधान)

6.00 म. प.

मैं तो ये मानता हूँ कि अगर इस अयोध्या के मामले में सरकार इससे दूर हो जाये, सरकार इसमें न पड़े और हिन्दुओं और मुसलमानों के नेता बैठकर इस समस्या का हल करें, अपनी समस्याओं को सुलझायें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी, कृपया आप बैठे जाइए। उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं 19 तारीख को कलकत्ता जाने वाला था, 14 तारीख को मैं दिल्ली आया था, रथयात्रा के दौरान में, क्योंकि 14, 15 तारीख को दिल्ली में कार्य क्रम थे, 16,17 और 18 तारीख को दीवाली के दिन, में दिल्ली में ठहरा था। 19 तारीख की प्रात: काल को मैं कलकत्ता जाने वाला था, उन तीन दिनों में यहां पर एक बार फिर से प्रयत्न हुआ कि कोई न कोई रास्ता निकले और उस प्रयत्न के दौरान मे मेरे सामने प्रस्ताव लाये गए और उनमें से कुछ प्रस्ताव को मैंने कहा कि इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरी मान्यता रही है और यह मान्यता कोई आज की नहीं है, यह मान्यता पालमपुर में जून '0 में हमने जो प्रस्ताव पास किया था उस प्रस्ताव में ब्लैक एण्ड व्हाइट में दर्ज की हुई है कि इस प्रकार की समस्याओं का हल लिटिगेशन से नहीं निकलेगा और इसमें हमेशा यह कहा जाता है कि मैं कोर्ट की बात को नहीं मानूंगा, जब कि मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोर्ट अगर निर्णय भी देगा तो भी इस प्रकार की समस्या में जिसके खिलाफ निर्णय होगा वह इसको मानेगा। इस लिये अगर इसका हल करना है तो इस समस्या का हल मुकदमेबाजी से नहीं होगा। जिसके लिए बार-बार हमारे मित्र और प्रधान मंत्री सहित यह कहते हैं कि आडवाणी जी कहते हैं कि मैं तो कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा।

हमारा कहना हमेशा यह रहा है, समस्या यह है कि हिन्दू समझता है कि 40 साल के बाद भी हमारी छोटी सी बात को भी सरकार क्यों नहीं मानती, जिस स्थान पर हमारा विश्वास है कि

जहां पर राम का जन्म हुआ, वहां पर मन्दिर बनाया जाये और दूसरी तरफ मुसलमान की भावना है कि मन्दिर बनाते हुए उस मस्जिद के ढांचे को, जिस मस्जिद में 1954 से किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। जिसके बारे में मुसलमानों को ये भी जानकारी नहीं कि वहां पर मुसलमानों का प्रवेश भी निषिद्ध है, वहां पर मुसलमान जा नहीं सकता, 1951 की कोर्ट की क्लिंग के कारण, 1951 में कोर्ट 1951 में कोर्ट ने रूल दिया था कि यहां पर मूर्ति रखी है और यहां पर पूजा होती है इसलिये इस मूर्ति को यहां से नहीं हटाया जायेगा और कोई मुसलमान यहां पर आ नहीं सकेगा, जिसके बारे में अब ये निर्णय दिया है (व्यवधान) हरेक को यह बताता है कि आज जो हिन्दू और हिन्दुओं का नेता है ये तुम्हारी इस मस्जिद को तोड़ने वाले हैं। (व्यवधान) हमारे मित्रों ने सवाल किया कि आपने शिलान्यास क्यों किया, ये भूल गये कि शिलान्यास तो कांग्रेस पार्टी के जमाने में हुआ होगा। अब मैं सारे कोटेशन नहीं देना चाहता हूं, मुफ्ती साहब बैठे हैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सोज साहब ने सवाल पूछा, मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये डिसप्यूटेड नहीं है, यहां पर जो शिलान्यास हुआ था वह डिसप्यूटेड नहीं है। क्वेश्चन न. 70, दिनांक 28-12-89 (व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : मामला आज कोर्ट में है, डिसीजन नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं शिलान्यास वाली बात कह रहा हूं। शिलान्यास के बारे में जो सवाल पूछ रहे थे, शिलान्यास का स्थान डिसप्यूटेड नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : बाद में माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं इसमें सुधार किया। यह रिकार्ड में है (व्यवधान)

डा. बिप्लब दासगुप्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि संपत्ति विवादास्पद नहीं है। लेकिन मेरे पास उच्च न्यायालय का आदेश (1989 का मूल मुकदमा सं. 4) है जिससे यह पता चलता है कि जिस स्थान पर शिलान्यास किया गया है वह विवादास्पद स्थान है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : 18 तारीख रात्रि को प्रधान मंत्री जी ने मुझे फोन किया, क्योंकि पिछले तीन दिनों में कुछ चर्चाएं हुई थीं कि अध्यादेश जारी किया जाए, क्योंकि अध्यादेश जारी करते ही, जो चीज हम शुरू से कहते आए थे कि इस समस्या का निर्णय या तो आपसी बातचीत से हो सकता है, या फिर सरकार के निर्णय से हो सकता है और अध्यादेश सरकार के निर्णय की दिशा में बढ़ाया हुआ एक कदम था और वह अध्यादेश जारी करते ही क्या होता था कि जो टायटल का डिसप्यूट था, वह कोर्ट में नहीं रह जाता और वह सारी जमीन जितनी है, वह पूरी की पूरी सरकार के अधीन हो जाती है और वह टायटल जो थे जो टायटल के पहले पहले लिटिगेंस थे मुकदमें में, वे नहीं रहते पिक्चर में और फिर सरकार के ऊपर दायित्व आता है कि वह क्या निर्णय करे। और जैसे ही हमारे सामने यह प्रस्ताव रखा तो मैंने कहा कि यह सुझाव अच्छा है, ठीक है और इस

दिशा में सोचना चाहिए। और फिर तीन दिन में वहां से कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, आकर बात करता है और एक स्टेज पर यह भी कहा कि डिस्प्यूटेड लैंड जो है वह भी हम विश्व हिन्दू परिषद को देने को तैयार हैं, केवल स्ट्रक्चर नहीं देंगे। (व्यवधान) अब मैं इसके बारे में इतना जरूर कहूंगा कि मैं नहीं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के कहने पर उन्होंने यह बात कही या नहीं, लेकिन एक स्टेज पर यह भी प्रस्ताव आया और अलग अलग स्टेज न रहे। ठीक है, कुल मिला कर कांप्लेक्स 70 एकड़ का है, और 70 एकड़ के कांप्लेक्स में केवल ढाई एकड़ डिस्प्यूटेड है, बाकी 67 एकड़ लैंड है, जिसमें शिलान्यास वाला स्थान भी है इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसलिए हम वह साढ़े 67 एकड़ अनडिस्प्यूटेड लैंड विश्व हिन्दू परिषद को या राम जन्म भूमि न्यास के सुपुर्द कर देंगे, जिससे कारसेवा वहीं पर हो सके। कार सेवा वहीं पर नहीं होनी चाहिए, जहां पर डिस्प्यूट है। उसके लिए भी मेरे सामने प्रस्ताव रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हम केवल एक विषय रैफर करना चाहते हैं कि क्या इस स्थान पर किसी समय मन्दिर था, जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, यह सवाल नहीं कि वहां पर राम का जन्म हुआ या नहीं हुआ, अमुक-अमुक, हम भी कहते थे कि क्या कोई कोर्ट इस बात का फैसला कर सकता है कि यहां पर राम का जन्म हुआ या नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि कोई भी कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या सेशन कोर्ट, वह यही कहेगा कि दिस इसू इज नाट अण्डर ज्यूडिशली डिटर्मिनेबल, यह जो इस प्रकार का इशू है कि राम का जन्म हुआ या नहीं हुआ, दिस इसू इज नाट ज्यूडिशली डिटर्मिनेबल, सिर्फ यह जो मामला है कि यहां पर मंदिर था या नहीं था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई या नहीं बनाई गई, इस बात को इतिहासकारों आर्कालाजिस्ट्स के साथ और उनकी जो जानकारी है, उसके आधार पर अगर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, दैट इज ज्यूडिशली डिटर्मिनेबल, इसलिए जब यह प्रस्ताव हमारे सामने आया तो मैंने कहा कि

[अनुवाद]

इस पर कार्य किया जाए। मैंने कहा आप इस पर काम करें। मैं नहीं जानता कि अन्त में क्या होगा लेकिन इस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए और मैं इसका समर्थन करूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी आप कितना समय और लेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बस 10 मिनट में समाप्त करूंगा।

उस समय दो मन्त्री भी आर. एस. एस. के कार्यालय में आए, आर. एस. एस. के नेताओं से बातचीत की, विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं से बातचीत की और कोई हल निकालने की दिशा में प्रगति हो रही थी, उसके आधार पर संभव था कि कोई हल निकल आए। रात्रि को प्रधानमन्त्री जी फोन करते हैं, 18 तारीख रात्रि की और कहते हैं कि कल आप कलकत्ता जा रहे हैं, लेकिन आपकी रथयात्रा का कार्यक्रम धनबाद में तो परसों से है, इसलिए आप कल रुक जाएं, कल यहां पर रुक जाएं और कुछ प्रकाश की किरण दिखाई पड़ने लगी है, तो पूरा प्रकाश हो जाए तो अच्छा होगा, तो हम भी साथ-साथ चलकर वहां पर कारसेवा करेंगे। यह खुशी की बात है। मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में यह जो बात अखबारों में छपी है जिस पर चर्चा हुई है अरुण शौरी के आर्टिकल की, उन्होंने एक साल पहले की किसी बात का उल्लेख करते हुए कहा था लगभग वही बात कई बार बातचीत में अभी भी कही गयी है। वह सही भी है। मैं तो अपने सार्वजनिक भाषणों में यह कहा करता हूं कि बाबर ने वहां पर मन्दिर को तोड़ा, लेकिन अयोध्या के मुसलमानों ने उस मस्जिद को छोड़ा। इस चीज को हिन्दुओं को समझना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। अयोध्या के मुसलमानों ने 1936 में उस मस्जिद को छोड़ दिया। अयोध्या में और भी बहुत सारी मस्जिदें हैं। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर : मूर्तियां कहां से आयीं ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मूर्तियां स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद आयीं और मस्जिद छोड़ी 1936 में, आजादी के 11 साल पहले।.. (व्यवधान) तो रात्रि को मैंने प्रधान मन्त्री जी को जवाब दिया कि मैंने कलकत्ता का कार्यक्रम बनाया हुआ है। मैं उनसे बात करके निर्णय करूंगा। बाद में ज्योति बसु साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इसलिए मैंने कलकत्ता का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और मैं अगले दिन यहां पर रूका। शाम को जब मैं चला और धनबाद पहुंचा तो मन में आशा थी कि जितनी बातचीत इन तीन-चार दिनों में हुई है वह कहीं सिरे चढ़ जाएगी। अगले दिन प्रातःकाल जब अखबार में आर्डिनेंस के इश्यू होने का समाचार पढ़ा, आर्डिनेंस की डिटेल उसमें नहीं थी, तो मुझे लगा कि जो बातचीत हुई है उसी के आधार पर आर्डिनेंस होगा मैंने कहा कि मैं इसको मानता हूं, यह एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। कितनी मात्रा में समाधान हो जाएगा, समस्या का हल हो जाएगा, यह तो जब तक पूरा आर्डिनेंस नहीं देखता, मैं नहीं कह सकता। लेकिन आर्डिनेंस पास कर दिया, टाईटल का जो विवाद है, 40 साल से अनिर्णित पड़ा है और अगले 40 साल तक अनिर्णित रहता वह तो कम-से कम खत्म हो गया। अब क्या होगा कि दोनों पार्टियों से बातचीत करके जो उचित निर्णय सरकार को लगेगा और सभी को लगेगा, सर्वमान्य होगा, उसको स्वीकार करना सम्भव होगा। अचानक मैं अगले दिन पढ़ता हूं कि बाबरी एक्शन कमेटी के लोग मिले और उन्होंने आर्डिनेंस वापिस ले लिया। मैंने कहा हिन्दुस्तान में 40 साल में ऐसी सरकार नहीं हुई। या तो सरकार आर्डिनेंस इश्यू नहीं करती, अगर आर्डिनेंस इश्यू किया तो किसी के दबाव में आकर आर्डिनेंस वापिस ले लिया।.. (व्यवधान) इस बात से मेरी और पुष्टि हुई कि इस सरकार के शासन में तुष्टीकरण की नीति जिस प्रकार की पराकाष्ठा लांघकर चली गयी उससे देश का हित नहीं होगा, अल्पसंख्यकों का भी हित होगा और किसी का हित नहीं होगा। मैं अभी भी मानता हूं कि हिन्दुस्तान में अगर 40 साल में यह तुष्टीकरण की नीति न अपनायी गयी होती तो सैक्यूलरवाद असली मायनों में अपनाया गया होता, जिसका अर्थ है हिन्दुस्तान का हर नागरिक बराबर है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सदन की जानकारी के लिए यह भी जरा बता दीजिए कि विश्व हिन्दू परिषद ने आर्डिनेंस का विरोध क्यों किया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वे मुझे नहीं मिले हैं। (व्यवधान) विश्व हिन्दू परिषद के साथ मिलकर हम काम करते हैं। आपके मन्त्रिमंडल में दो मन्त्री अलग-अलग बातें करते हैं, ये तो अलग अलग संस्थाएं हैं, इनकी प्रक्रिया में थोड़ा सा फर्क है तो कौन सी बड़ी बात हुई है। यहां पर हमला

जो हो रहा है वह मेरे ऊपर और मेरी रथ-यात्रा पर हो रहा है। उसका मैं जवाब दे रहा हूं। वाजपेयी जी ने भी कहा कि विश्व हिन्दू परिषद ने बात नहीं की होगी तो उसका कारण यह हो सकता है कि वे दिल्ली में बैठे हुए थे और उनको पता है कि धीरे-धीरे करके यह सरकार जिन दबावों में आ रही है उन दबावों के कारण कितनी पीछे हट जाएगी। और कितनी पीछे हटी, उसका उदाहरण मैं जानता हूं।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री जी से नम्र शब्दों में यह जानना चाहूंगा कि एक प्रश्न जो आडवाणी जी से किया है और आडवाणी जी ने जो कुछ कहा कि गुप्त समझौते में क्या वह सही है, क्या आपको सैक्युलरीज्य पर बात करने का अधिकार है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं जवाब दूंगा और पूरा दूंगा। आप बैठे रहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : तीस अक्टूबर और दो नवम्बर को रक्तपात हुआ है और जिसका धार्मिक वर्णन उमा जी ने किया है। अगर 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वापिस लेने के बाद अगर यह सरकार तुरन्त इस्तीफा दे देती तो जो नरसंहार हुआ है, उससे बच जाता। 91 तारीख तक क्षेत्र को अनडिस्प्युटेड माना जाता था वह साढ़े सड़सठ एकड़ भूमि थी। यह कहा जाता था कि वहां जाकर कार-सेवा कीजिए। मेरे साथ प्रमोद महाजन थे। उन्होंने कहा कि क्या यह सरकार मूर्ख है कि आपकी रथयात्रा को पकड़ रही है। वहां जाकर जो अन-डिस्प्युटेड टैरीटरी है वहां जाकर कार-सेवा करेंगे। आप डिस्प्युटेड टैरीटरी में नहीं जायेंगे। आप इसलिए जायेंगे और सरकार को कहेंगे कि मुझे गिरफ्तार कर लो ..... (व्यवधान) सरकार ने यह निर्णय किया कि पंचकोसी परिक्रमा नहीं होगी और किसी दिन अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। आज तक हिन्दुस्तान में ऐसी स्थिति नहीं आई कि किसी प्रदेश को कहना पड़े कि हम किसी को प्रदेश में घुसने नहीं देंगे और दीवार खड़ी की। सरकार ने यह निर्णय किया कि पंचकोसी परिक्रमा को रोका जाए.....(व्यवधान) उस दिन उन्होंने गैर-जिम्मेदारी का परिचय दिया। लाखों लोग वहां गए और उन्होंने कहा कि जो विवादित अनडिस्प्युटेड टैरीटरी है वहां जाकर पत्थर और ईंट नहीं रख सकते। जो होना था, वही हुआ। सरकार समझ रही है कि हमने सैक्युलरीज्य की रक्षा की सरकार चाहे चली जाए तब भी हमने सैक्युलरीज्य की रक्षा की। मैं यह स्वीकार करता हूं कि 17 तारीख को हमने यह प्रस्ताव पास किया कि जिस दिन रथयात्रा रोकेंगे और कार-सेवक नहीं होने देंगे तो हम अपना समर्थन वापिस लेंगे। आपने एक प्रकार से समझौते के सारे द्वार बंद कर दिए। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई सरकार किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह अध्यादेश मेरे सामने आने लगा लेकिन आठ महीने तक अध्यादेश कहां गया था। प्रधान मन्त्री जी बार-बार कहते हैं कि यह विश्व हिन्दू परिषद का मामला है। हम नैतिक समर्थन दे रहे हैं। जून महीने में मण्डल आयोग की बात हो रही थी। मैंने एक लंबा इन्टरव्यू दिया था.....(व्यवधान) चार महीने समाप्त होने के बाद अयोध्या की समस्या के निराकरण के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसका निराकरण करें। अगर इस विषय पर सरकार और जनता के बीच में टकराव हुआ। तो हिंदुस्तान में एक ऐसा जन-आंदोलन होगा जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हमारे मित्र अकबर जी यहां बैठे हैं जिन्होंने उस पर लम्बा लेख लिखा था। मैंने यह बात जून के महीने में कही थी। उस समय मैं समझता था कि सरकार इसको समझेगी। क्या 17 नवम्बर को मैं यह कहूं कि अगर रथयात्रा रोकोगे तो विद्रोह करेंगे उस

तरह की चेतावनी लेने के लिए उसके बाद अध्यादेश जारी करने की बात सोचनी है उससे पहले कोई बात नहीं सोचनी है, क्या यह इस बात का परिचायक नहीं है कि इस सिलसिले में यही एक चिन्ता रही कि मेरी सरकार कैसे बनी रहे, और कोई चिन्ता नहीं रही। इसके अलावा और क्या प्रमाण हो सकता है वहां मण्डल कमीशन की बात करते हैं। हुक्मदेव नारायण जी बैठे हैं। वे मण्डल कमीशन पर जनता दल की ओर से प्रमुख वक्ता थे और इस पर बोले थे। उन्हें स्मरण होगा, वे गवाही देंगे कि मैंने उनको बाद में बधाई दी और कहा कि आपका भाषण सभी दृष्टि से उत्कृष्ट था आर्थिक दृष्टि से उत्कृष्ट था ओज की दृष्टि से उत्कृष्ट था और सबसे बढ़कर मैं प्रमाणिकता की दृष्टि से उत्कृष्ट मानता हूं। मैं आपकी प्रमाणिकता का आदर करता हूं जब आप कहते हैं कि हिन्दुस्तान में सवाल केवल गरीबी का नहीं है, हिन्दुस्तान मे सवाल गैरत का भी है और गरीबी का और गैरत दोनों को स्थान जब तक नहीं मिलेगा तब तक समस्या का हल नहीं होगा। मैं पूरी तरह से इस चीज का आदर करता हूं, लेकिन उसी समय मैंने कहा था कि यह प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट मैं आपकी सरकार को देने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि आप दो दिन रुक जाइये, परसों सोमनाथ जी और हम मिलेंगे, कल आप घोषणा न करें, परसों हम मिलेंगे, हमारे कुछ रिजर्वेशन हैं इस पर कि किस प्रकार मण्डल आयोग इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वे कहते हैं कि नहीं मैं कल ही घोषणा करूंगा। आप भी समझ सकते हैं कि क्या उन्हें यह करना पड़ा। रैली का कोई शब्द नहीं था, उनके शब्द ये इतने ही थे, आप भी समझ सकते हैं कि मुझे कल क्यों इसकी घोषणा करनी पड़ रही है। मैं यह मानता हूं अगर मुलायम जी ने बार-बार यह घोषणा न की होती कि मैं आडवाणी जी के रथ को रोकूंगा उनका गिरफ्तारी करूंगा तो हो सकता है कि बिहार में मेरी गिरफ्तारी नहीं होती और शायद मैं आखिर तक कार सेवा पर चला जाता और कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा जो अनुमान है वह सही है तो मन में और चिन्ता होती है कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय अगर पार्टी के अन्दर विवादों के कारण तय होंगे उसके बारे में निर्णय उनके आधार पर कि जायेंगे तो क्या स्तर है किस प्रकार की सरकार है और नई दिल्ली में बैठी हुई सरकार ऐसी हो और साल भर हो गया चार साल हम और सहन कर लें, क्या हम देश का भला करेंगे। इसीलिए मेरी पार्टी ने निर्णय किया कि इस सरकार का समर्थन देने का कोई सवाल नहीं है।

हमको बार-बार कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वोट दोगे। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वोट देना है तो कितने इश्यू पर हमने दिया है। यही बात कांग्रेस वाले इनको कहा करते थे कि क्या बी. जे. पी. के साथ मिलकर आप इनका समर्थन लेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं यह जो अस्पृश्यता की राजनीति है उसकी सीमायें पहचानिये। यह देश बहुत बड़ा है और उस देश में जहां सामाजिक अस्पृश्यता गलत है वहां राजनीतिक अस्पृश्यता भी उतनी ही गलत है। अगर आप राजनीतिक अस्पृश्यता के कदम पर चलेंगे तो उसका परिणाम किसी के लिए अच्छा नहीं होगा और देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अलबत्ता इसके बाद क्या होने वाला है इसके बारे में दो शब्द कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यह प्रस्ताव तो आज अस्वीकार होगा और इस सरकार को कुछ घंटों बाद इस्तीफा देना पड़ेगा...(व्यवधान)...तैयारी करके आना चाहिए।

मैंने पिछले दिनों एक किस्सा पढ़ा हैरोल्ड विल्सन का। हैरोल्ड विलसन ने जब कैलाहन के सुपुर्द काम किया था तो उन्होंने कैलाहन को कहा कि तुम्हारे सामने कोई संकट आये तो मैं तुम को संकटों के लिए तीन लिफाफे देता हूं। पहला लिफाफा पहले संकट पर खोलना दूसरा लिफाफा दूसरे

संकट पर खोलना और तीसरे संकट पर तीसरा लिफाफा खोलना। पहला संकट आया तो उन्होंने पहला लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि इस संकट के लिए तुम पूर्व की सरकार को दोष दो उसके बाद दूसरा संकट आया तो दूसरा लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था कि आपका जो सेकण्ड इन कमाण्ड है उसकी छुट्टी करो। और फिर तीसरा संकट। उसके लिए तीसरा लिफाफा था। इसके बारे में मैं क्या बताऊं उसके पहले मैं कहूंगा कि जिस दिन यहां पर इस प्रस्ताव को पास किया, उस प्रस्ताव को पास करने के बाद मैंने सोचा कि अब इसका समय आ गया है तीसरा लिफाफा खोलने का। तीसरे लिफाफे को खोलने पर लिखा था : "तीन लिफाफे तैयार करो"

[अनुवाद]

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : क्या आप नये माननीय प्रधानमन्त्री जी को सुझाव दे रहे हैं

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं सभी को यह सुझाव दे रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी 7 नवम्बर के बाद जो मैं देख रहा हूं, उससे तो इतना ही कह सकता हूं :

1999 का रिप्ले फिर से देख रहा हूं और उस रिप्ले में कौन कौन सिस्सेदार होंगे यह तो उन्हीं को निर्णय करना है, मैं तो इतना ही समझ सकता हूं कि आज की स्थिति में जहां पर देश पहुंचा है उसमें कोई कहता है कि आप जब "मिड-टर्म पोल" की बात करते हैं और आप इसलिए कहते हैं कि आपको पार्टी को ज्यादा लाभ होने वाला है। लेकिन मैं इस दृष्टि से नहीं कहता हूं। मैं यह मानता हूं कि आज की परिस्थिति में दूसरा और कोई तरीका है ही नहीं। देश के जनादेश को प्राप्त किये बिना कोई दूसरा स्थिर तरीका नहीं है और इसी कारण से मैं कहता हूं कि जिनको निर्णय करना है, उनको खुद से ही निर्णय लेना है। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह से सुनता था जब हमने भोपाल में कहा था :

[अनुवाद]

हमारे समर्थन को यूं ही मत लीजिए।

[हिन्दी]

क्योंकि हमने ऐसा अचानक ही कुछ नहीं कर डाला। लगातार अपनी आलोचना का स्तर जून के महीने से बढ़ाते गये हैं, चेतावनी देते गये हैं और भोपाल में भी सार्वजनिक रूप से मैंने कहा कि जिस प्रकार से यह सरकार गलतियों पर गलतियां करती जा रही है उनको हमारा समर्थन क्यों का त्यों मानकर नहीं चलना चाहिये और सचेत होना चाहिए तो तुरन्त उसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेगी, मैं विपक्ष में बैठ जाऊंगा। उस घोषणा के बाद जब 23 तारीख को श्री वाजपेयी जी राष्ट्रपति जी से मिले और अपना पत्र दिया तो सारा देश यह अपेक्षा करता था कि प्रधान मन्त्री ने जो पहले बात कही थी

उसके अनुसार तुरन्त इस्तीफा दे देंगे और विपक्ष में जाकर बैठ जायेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे भी लोग लेख लिखते रहे और कहा कि जो अपेक्षा करते थे वे पहचान नहीं पाये हैं। कम से कम तुम तो हमें पहचानते हो वे यह नहीं करने वाले हैं और वे आखिर तक कोशिश करते रहेंगे। यहां तक कि मेरी पार्टी के लोगों को भी टेलीफोन आते रहे कि आप हमारा समर्थन करेंगे। पार्टी और चरित्र का जो अज्ञान हो सकता है उसी का परिचयक यह हो सकता है कि इस प्रकार के टेलीफोन और वह भी प्रधान मंत्री के स्तर पर... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे : आप इसका उत्तर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात कही है। मैं अभी भी इस बात को कहता हूं कि चाहे जिस कारण से हमने निर्णय किया हो.....

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : किसी एम. पी. को तोड़ने की बात हुई है ? (व्यवधान)

श्री बाबू राव परांजपे (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं रात को सो रहा था, कोई सवा दस बजे का समय था। मेरे यहां श्री बाल मुकुन्द सोनी फोन के पास बैठे हुए थे। इतने में फोन आया कि प्रधान मंत्री मुझसे बात करना चाहते है मुझे जगाया गया और मैंने उधर से आवाज पहचान-कर नमस्कार कहा। उन्होंने मुझसे पूछा-क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है। मैंने कहा—मैं तो सोल्जर हूं, हम तो अपने कमांडर की बात मानेंगे। फिर नमस्कार हुआ और फोन बन्द हो गया मैं आवाज अच्छी तरह से पहचान गया कि यह प्रधानमंत्री की आवाज थी। (व्यवधान)

सवा दस बजे रात को फोन आया। उस वक्त श्री बालमुकुन्द सोनी फोन पर बैठे हुए थे। उनको कहा गया कि प्रधान मन्त्री परांजपे जी से बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे जगाकर बुल-वाया और कहा कि प्रधान मन्त्री आपसे फोन पर बात करना चाहते हैं। उधर से किसी ने कहा कि प्रधानमन्त्री आपसे बात करना चाहते हैं। बाद में आपकी आवाज आई—नमस्कार, क्या हाल-चाल हैं, क्या होने वाला है ?

मैंने कहा—हम तो सोल्जर हैं हमारे कमांडर की बात हम मानेंगे। नमस्कार हुई, फोन बंद हुआ। आपकी आवाज मैं पहचानता हूं, कोई नई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने ऐसा कोई फोन नहीं किया था। (व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी : प्रधान मन्त्री जी कहते हैं उन्होंने फोन नहीं किया, मैं स्वीकार करता हूं। आपको किसी और ने फोन किया होगा, प्रधान मन्त्री जी ने नहीं किया होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया शांत रहें, कृपया बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम आपसे यह उम्मीद नहीं करते।

श्री संफुद्दीन चौधरी : उन्हें टेलीफोन किसने किया। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस बात को मानता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया शांत रहें, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि मेरे निर्णय के कई कारण थे लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि फोकस आज इस बहस पर हो गया है कि हिन्दुस्तान में सिक्यूलरवाद का अर्थ क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, राष्ट्रवाद क्या है और मैं चाहूंगा कि केवल इस सदन में ही चर्चा न हो, आम जनता में चलकर के हम इसी विषय पर चुनाव करें, इसी विषय पर चुनाव लड़े, तुरन्त चुनाव हो जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आर्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फर नगर) : अध्यक्ष जी, आज सुबह से जिस मोशन पर यहां चर्चा हो रही है, उससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि हमारी सरकार अगर आज जा रही है तो उसके दो ही मुख्य कारण है : एक तो मण्डल कमीशन की सिफारिशों पर अमल और दूसरा बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि का विवाद। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक अन्य कारण भी है और वह है कि हमारी सरकार ने देश में कानून पर अमल करना आवश्यक समझा। ऐसी परिस्थितियों में, जब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गयी कि अगर कानून पर अमल होता है, रथयात्रा के सम्बन्ध में तो भारतीय जनता पार्टी इस सरकार से समर्थन वापस लेने का काम करेगी। अभी यहां लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी पार्टी के उस प्रस्ताव को चर्चा को, उसे पढ़कर सदन में सुनाया और 17 अक्तूबर के उस प्रस्ताव में आपने अनेक मुद्दों को हमने उठाया था आर्थिक, राजनैतिक, इत्यादि, और इसीलिये सरकार से समर्थन लेने के पीछे केवल राम जन्मभूमि का प्रश्न ही नहीं है, ऐसा आभास निर्माण करने का प्रयास यहां पर हुआ। लेकिन अध्यक्ष जी यह बात न केवल इस सदन भीतर ही स्पष्ट हो चुकी है बल्कि समूचे देश के पैमाने पर भी स्पष्ट हो चुकी है और वह लाल कृष्ण आडवाणी जी के ही शब्दों में हो चुकी हैं, अब इन्होंने कहा था कि जिस क्षण हमारी गिरफ्तारी होगी, जिस क्षण हमारी रथयात्रा को रोका जायेगा, उसी क्षण हम इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का काम करने वाले हैं। 17 अक्तूबर को भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की जानकारी निश्चित रूप से थी कि अगर राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का सवाल आपसी बातचीत से हल नहीं होता हो, और चूंकि कानून के माध्यम से उसे हल करने का हमारा संकल्प था, इस

दिशा में हमने जितने प्रयास किए, यदि उन प्रयासों में हमें कामयाबी नहीं मिली तो फिर रथयात्रा को रोकना अनिवार्य हो जाता था। इसका कारण है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, काफी बहस इस मुद्दे पर हो गयी कि किन परिस्थितियों में कहां पर दगे फसादात होते हैं, तो इस मामले में चाहे कोई कुछ भी कहे परन्तु अयोध्या में जिस दिन कार-सेवा का ऐलान हुआ था, जितने लोगों को वहां पहुंचाने का फैसला हो चुका था, और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद, जिन प्रयासों की सराहना अभी चन्द्र शेखर जी ने अपने भाषण में यह कहकर की कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां सख्ती करनी पड़े तो उन परिस्थितियों में सख्ती भी करनी पड़ती है। इसके बावजूद वहां पर जो काण्ड हुआ, मस्जिद को गिराने का प्रयास या उसे कम से कम चोट पहुंचाने का प्रयास हुआ तो हम उसी से कल्पना कर सकते हैं कि अगर सख्ती नहीं की गयी होती तो कौन सी घटना वहां उस दिन हो सकती थी। जहां तक राम जन्म-भूमि का सवाल है, अध्यक्ष जी मेरी अपनी यह मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद आज हमें कसौटी पर नहीं ले जाती अगर मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का काम हम लोगों ने नहीं किया होता। इसके सबूत की चर्चा में यहां नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है, जिन्हें कहने की जरूरत नहीं होती और हम नहीं करेंगे।

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, क्या आपने इनको, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये आपको यील्ड नहीं कर रहे हैं, उमा जी आप बैठ जाइये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसके अनेक सबूत हैं, व्यक्तिगत बातचीत के हैं, जो लोगों के साथ हो चुकी है, निर्णय लेने वालों के साथ हो चुकी है और अन्य सुबूत हैं, वे इस बात को बताते हैं कि अगर अगस्त महीने में मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का काम हमारी सरकार ने नहीं किया होता, तो यह प्रश्न निश्चय ही नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई लोग बड़ी खुशी के साथ इंतजार कर रहे हैं और इस इंतजारी में लोग बैठे हैं कि यह सरकार कब गिरती है। वह इंतजारी आज की नहीं है। हम लोग इस इंतजारी को उस दिन देख चुके थे, जिस दिन मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था।

अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता चले गये। विरोधी पक्ष के नेता ने अपने भाषणों को यहां पर पढ़ कर सुनाया और उसी ढग से सुनाया जैसे कि कोई महा विद्यालय में वाद-विवाद चल रहा हो। मैं उनको दोष नहीं देता हूं बल्कि मैं मानता हूं कि उनकी समझ, उनकी बुद्धि जितनी है, वहीं तक वे बोल पायेंगे, वहीं तक वे जा पायेंगे। इससे ज्यादा उनसे मेरी अपेक्षा कभी नहीं रही है, लेकिन उन्होंने और चन्द्रशेखर जी ने, इस बहस को जिन मुद्दों पर केन्द्रित किया था अन्य लोगों ने, उसको उठाकर आर्थिक और राजनीतिक सवालों की भी चर्चा यहां पर होनी चाहिए और कैसे हमारी सरकार इन सवालों को हल करने में नाकामयाब रही है, यानी सरकार की कमी साबित हुई है, उस पर ला दिया है। उसी प्रकार और उन्हीं प्रश्नों को इन्होंने छेड़ा है, बहस नहीं हुई सिर्फ प्रश्नों को छेड़ दिया गया। चन्द्रशेखर जी जी बहस करने नहीं आये हैं, जिन प्रश्नों पर अध्यक्ष जी, बहस होनी चाहिए, उन प्रश्नों पर उन्होंने बहस नहीं की।

अध्यक्ष जी, देश की आर्थिक समस्याओं के बारे में बहस होनी चाहिए, पिछले 11 महीनों में

हम लोगों के सारे कामों के बारे में और जो वायदे हमने लोगों से किये थे आर्थिक और राजनीतिक मसलों को हल करने के बारे में, कहां तक हम सफल हुए हैं, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जब भी विरोधी दल के नेता इस बहस को करना पसन्द करें, यह बहस होनी चाहिए, हम इसके लिये तैयार हैं। क्योंकि इस बहस के बगैर हमारे द्वारा किये काम लोगों के सामने नहीं आयेंगे और जो सवाल इन्होंने किये हैं उनको भी हल कर दिया जायेगा। इस सारे विवाद का हल सबको सोच कर निकालने के लिये सबको मिलकर बैठने की जरूरत है। यह बहस आवश्यक है और यह निश्चित तौर पर होगी, लेकिन मैं विरोधी पक्ष के नेता के दो-चार सवालों का जवाब देना जरूरी समझता हूं।

सबसे पहले उस सवाल का जवाब देना जरूरी समझता हूं जो उन्होंने जातिवाद कास्टिज्म' के शब्द का इस्तेमाल कर के हमारे प्रधान मंत्री और हमारी सरकार पर आरोप लगाने का प्रयास किया है। उनके शब्द हैं जातिवाद को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस देश में बढ़ाने का काम किया है दो चीजें रखना चाहता हूं सदन के सामने हिन्दुस्तान के सबसे बड़े अखबार टाइम्स आफ इंडिया ने पिछले कुछ हफ्तों से यह उचित समझा है और इसीलिए उचित समझा है कि अपने पाठकों को जो सुविधा मिलनी चाहिये, विज्ञापनों को बढ़ने में, वह सुविधा रहे और इस हफ्ते में, खुद के बारे में विज्ञापन देकर कहा कि हम नेतृत्व कर रहे हैं और अन्य लोग हमारा अनुकरण भी कर रहे हैं। कौन से पाठकों को सुविधा की बात है, दूसरे पन्ने से लेकर 5वें, छठे पन्ने तक शादी के विज्ञापन होते हैं, मैट्रीमोनियल्स होते हैं। शुरू होते हैं। शुरू होते हैं ब्राह्मण से, वहां से आगे जाता है वनिया, वैश्य, वहां से आगे जाता है, अन्य जातियों के नाम, फिर जाता है—कौन बंगाली है, कौन मद्रासी है। एक प्रकार का अपशब्द दक्षिण भारत के लोगों के बारे में है, जो उत्तर भारत के लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहां बम्बई में बाल ठाकरे इसको खूब इस्तेमाल करते हैं –यंडु-कुंडु भाषा बोलने वाले मद्रासी। दक्षिणी भारत के 4 राज्यों के बारे में उत्तर के लोगों की ऐसी समझ है। टाइम्स आफ इंडिया की अक्ल भी वही है मद्रासी, दक्षिण के लोग। इस तरह से शादियों के विज्ञापन हिन्दुस्तान की जनमत को बनाए जाने वाले के जरिए जातियों का नाम देकर किया जा रहा है और हम लोगों को कहा जा रहा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जातीयता को इस देश में लाने का काम किया।

एक माननीय सदस्य : यह तो पेपर है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह पेपर है लेकिन उन्हीं पेपरों के आधार पर जिस बात की चर्चा छेड़ी गई, जो प्रश्न छेड़े गए और कहा गया कि नौजवान अपने को जलाकर मर गए, अग्रलेख लिखे गए, अग्रलेख लिखकर इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि संघर्ष होना चाहिए। टाइम्स आफ इंडिया ने अग्रलेख लिखकर समर्थन किया कि संघर्ष होना चाहिए। नानावती पालखीवाला, हिन्दुस्तान के समर्थकों का, हिन्दुस्तान में दकियानूसी निर्णय के समर्थन में खड़ा होने वाला नानावती पालखीवाला बोलता है कि इसके सिवाए दूसरा कोई मार्ग नहीं है।

(व्यवधान)

इसलिए जो हमारी सरकार के ऊपर आरोप है कि हमने जातीयता को प्रोत्साहन देने का काम किया, यह कितना गैर-जिम्मेदाराना आरोप है। एक उदाहरण से कुछ हद तक तो स्पष्ट हो

जाता है कि बहुत हो पढ़े-लिखे लोग, अंग्रेजी पढ़ने वाले बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, एक तरफ जाति का विज्ञापन और उसके नीचे सरकारी अफसर, डाक्टर्स, इंजीनियर्स मगर वह डाक्टर करके, इंजीनियर करके सामने नहीं आ रहा है, डाक्टर, इंजीनियर, सरकारी अफसर लिखने के बाद फिर वह राजपूत ब्राह्मण में कौन से खेमे का है, जाति में कौन से खेमे का है, अपनी-अपनी जाति का सबसे पहले ऐलान करके शादियों का सिलसिला हिन्दुस्तान में चला है। यह कास्टीजम, जातीयता नहीं तो इसको क्या कहा जाए। मगर उस बात को छोड़ दीजिए। विरोधी दल के नेता यहां मौजूद नहीं हैं, वे मौजूद होते तो उनके मुंह पर यह बात कहने के लिए मैं कई सालों से इन्तजार में था। 1980 की दिसम्बर का अमेठी का चुनाव था। लोकसभा के श्री शरद यादव वहां के उम्मीदवार थे। उनके प्रचार के लिए हम उस क्षेत्र में चार दिन और रात रहे थे। जिस दिन में क्षेत्र में पहुंचा, हमने तीन चीजों का अनुभव किया। एक तो क्षेत्र की दीवारों पर लिखा हुआ था "शरद यादव वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ"। दूसरा हमने अनुभव किया कि जलूस निकला और उस जलूस में हमने अनुभव किया कि जहां मेरी सभाएं होती थीं वहां से जलूस जाते थे लाठियां लेकर और हमने इसी नारे का अनुभव किया जो जबानी तौर पर मोहल्ले-मोहल्ले में देने का काम हुआ था "शरद यादव वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ"। तीसरा यह किया गया कि शरद यादव को वोट मिलना चाहिए। यादव केवल भैंस चराने के लिए नहीं हैं, बीसवीं सदी में और विशेषकर इक्कीसवीं सदी शपथ लेने वाले लोगों की जबान से यादव को भैंस चराने वाले.....

(व्यवधान)

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। श्री राजीव गांधी पर इल्जाम लगाना कितनी बेबुनियाद बात है। कोई भी पार्टी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकती है लेकिन राजीव गांधी पर इल्जाम लगाना सरासर अन्याय है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तीसरा अनुभव यह हुआ कि जब मैं इन सभाओं में बोलने के लिए पहुंचा तो मुझे पथराव का, लाठियों की चोट का शिकार होना पड़ा। क्या वह जातीयता नहीं थी? किस नाम से वोट मांग रहे थे, शरद यादव के खिलाफ किस बात को लेकर प्रचार हो रहा था कि याद है।...(व्यवधान) भजनलाल जी, आप इसको नहीं समझ पायेंगे, यह आपके समझ से बाहर की बात है। जो पायलट रहकर यहां बहस चलाता है उसको वस्तु स्थिति की जानकारी ठीक से नहीं है। जब भाई मरा तो जीन, पेंट, टी-शर्ट उतार कर गाना बजाना शुरू कर देता है और नौटंकी, नाटक करना उसको आ जाता है। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि क्या ब्लूजीन, टी-शर्ट और कैप पहनना भारतीय सभ्यता का प्रतीक है? खादी जो कि भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, उसको वह दिखावे के लिए बाद में पहन लेता है और नेता हो जाता है। ऐसे नेता जिस को शरद यादव का चरित्र मालूम नहीं है और काबलियत भी मालूम नहीं है, वह यहां बड़ी बड़-चड़ कर बातें करता है। जातीयता किस के मन में है और किसकी सोच में है इसको आप पहले देखें।...(व्यवधान) विरोधी दल के नेता ने साम्प्रदायिक दंगों के बारे में कहा कि हिन्दुस्तान के अन्दर पिछले 11 महीनों में इतने साम्प्रदायिक दंगे हुए जो कि इतिहास में कभी नहीं हुए होंगे। इस सम्बन्ध में डाक्टर राय की जो किताब है उसको उनके दोस्त जरा पढ़ाने का कष्ट करें। उन्होंने तो इसको पढ़ा नहीं है इसलिये उनके दोस्त ही उसको पढ़ाने का कष्ट करें। इन्होंने खुद एक बार कहा था कि इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है इतिहास निर्माण के काम में हमको लगाना चाहिए। (व्यवधान)

विरोधी दल के नेता ने कश्मीर की स्थिति के बारे में भी यहां बात की। डाक्टर राय की किताब उनको पढ़नी चहिये। उससे इन्हें पता चल जायेगा कि कहां कितनी घटनायें हुई। साम्प्रदायिक दंगों और हिंसा की बात उन्होंने बहुत जोर-शोर से उठायी। उन्हें हिन्दुओं और मुसलमानों की ही बात नहीं करनी चाहिये। 31 अक्तूबर, 1984 को इन्दिरा गांधी जी की हत्या हो गयी। उसके अगले तीन दिनों में इस दिल्ली में क्या हुआ, कितने लोग मारे गये, क्या उसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। उस दौरान पांच हजार लोग मारे गये और उनको दिल्ली की सड़कों पर जिन्दा जला दिया गया। टेलीविजन पर यह प्रचार किया गया कि खून का बदला खून से लिया जायेगा। निर्दोष, निहत्थे लोगों को, बाल-बच्चों को औरतों को, बूढ़ों को पकड़ कर जलाने का, मारने का और कुचलने का काम किया गया। बात वहीं समाप्त नहीं होती है। एक महीने के बाद 20 नवम्बर को इसी संसद भवन की थोड़ी सी दूरी पर बोट क्लब पर 40 फुट ऊंचा मंच खड़ा करके और श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की तस्वीर लगा कर इसी विरोधी दल के नेता ने कहा था कि

[अनुवाद]

"जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती जरुर हिलती है।"

[हिन्दी]

उस दौरान पांच हजार सिखों का कत्ल हो गया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, अभी मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) महोदय, माननीय सदस्य को याद होना चाहिए कि यह वही राजीव गांधी है जिन्होंने जब इन्दिरा जी का शव घर में पड़ा हुआ था तो इस देश में गलियों में लोगों की जान बचाई थी। आपको वह बात याद करनी चाहिए। उन्होंने गलियां में अव्यवस्था समाप्त करने का प्रयास किया।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या बात करते हो, क्या हो रही है। अध्यक्ष जी, वे 5000 लोग जो मारे गये, उनकी विधवाओं को राहत का इन्तजाम, उनके मकानों का इन्तजाम, उनके बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम पिछले 11 महीनो मे हमारी सरकार ने कर दिया है, इस पर हमको गर्व है। ये लोग क्या बात कर रहे हैं। इन्होंने तो उनको उठाने का काम किया है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री कश्मीर की बात करें, यह तो सीमा हो गई कि इनके मुंह से हमारे प्रधान मंत्री और सरकार के सामने प्रश्न छेड़ा जाय कि कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीर मे प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार

1983 में फारूख अब्दुल्ला को इन्होंने निकाल बाहर की थी, उनको क्या कहकर इन्होंने निकाल बाहर किया था कि यह एण्टी नेशनल है·····

(व्यवधान)

श्री एम. जे. अकबर (किशनगंज) : कश्मीर के मामले में इनके साथ क्या हुआ ? मिनिस्टर आफ कश्मीर को किस बेशर्मी से निकाला गया···(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप अपने नेता को सुधारो, मिनिस्टर आफ कश्मीर की चिन्ता मत करो।

श्री एम. जे. अकबर : यह जज्बात का सहारा लेकर झूठ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कश्मीर के ऊपर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इनके साथ क्या किया है ? इन्होंने देश का बंटवारा किया है, आपके मित्रों ने किया है, कितनी हत्यायें हुए हैं, आप अपने दोस्तों से पूछिये। आप वहां क्यों बैठे हैं, आज ये इस प्रधान मंत्री के समर्थन में हैं (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : जार्ज साहब, आपकी कितनी बेइज्जती प्रधान मंत्री ने की है, कश्मीर के मामले में, उतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है यह ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अकबर, कृपया बैठ जाइए। श्री कुमार मंगलम का व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के अनुसार भिन्न-भिन्न दलों को समय दिया गया है। राष्ट्रीय मोर्चे को 1 घण्टे 27 मिनट का समय दिया गया था लेकिन वह 2 घण्टे 11 मिनट से अधिक का समय ले चुके हैं। वह इसे अच्छी तरह से जानते हैं और जबकि यह उनका अन्तिम अवसर है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : विशेष बहस हो रही है इसलिए मैंने बोला।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : महोदय, श्री फर्नान्डीज ने जो कहा है वह बिल्कुल झूठ है (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो अध्यक्ष जी, जहां कश्मीर कर सवाल यहां उठाया जाता है मैं आपको 1983 की याद दिलाऊं, उसके बाद 1987 के चुनाव की याद दिलाऊं, दरम्यान के समय में वहां पर जो जुल्म किये गये, जो अत्याचार चलाये गये, उनकी याद दिलाऊं, सोज साहब वहां पर सदन में बैठे हैं··· ···

प्रो. सैफुद्दीन सोज : जरूर बोलूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं केवल गवाह के रूप आपका नाम ले रहा हूं। जब फारूख अब्दुला की सरकार उखाड़ी गई तो गद्दार, देशद्रोही, पाकिस्तानी दलाल ये सारे नाम इन्हीं के मुंह से लिये गये, विरोधी दल के नेता के मुंह से निकाले गये थे और उनको निकाला गया। उसके बाद उसी आदमी को ··(व्यवधान)···उसके बाद उसी गवर्नर का, जिसके बारे में इन लोगों को बड़ी शिकायत थी, उनको वहां पर भेजकर उन साहब को बैठाया गया।

7.00 म. प.

जो आदमी आज पाकिस्तान का सार्वजनिक तौर पर प्रचार कर रहा है, उन को वहां पर बैठाने का काम किया। सन् 1987 के चुनाव में···(व्यवधान)···लूटने का काम किया। जो नौजवान लोग काश्मीर की वादी में थे, आतकवादी कहलाए जाते हैं। चुनावों के प्रचारक रहे हैं, पोलिंग एजेंट रहे हैं···(व्यवधान)···उनको जूते मार कर आज आतंकवादी कहलाने का काम किया·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पिछले ग्यारह महीनों में वी. पी. सिंह की सरकार ने इस देश को बहुत गिराने का काम किया। यह उनकी एक बात है। जिस दिन लाल जी प्रस्ताव गया और समर्थन वापिस होने की बात हो गई, उसके बाद लंदन के इकोनोमिस्ट में, जो कि साप्ताहिक है···(व्यवधान)···जिस अखबार को हमारे श्री एमजे अकबर भी मानेंगे ··(व्यवधान)···अध्यक्ष जी, उस अखबार ने हिन्दुस्तान की नई घटनाओं की टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि वी. पी. की सरकार अभी जा रही है, मगर अन्तिम बात अभी नहीं कही जा सकती है। लेकिन अगले हफ्ते उसका पता लग जाएगा। उसमें लिखा है—

[अनुवाद]

क्या भारत राजीव गांधी माफियां अथवा छोटे स्तर के चोरों द्वारा शासित रहेगा ?

[हिन्दी]

यह एक इकोनोमिस्ट की टिप्पणी है···(व्यवधान)···वहां हम लोग जरूर गिरे हैं। अन्तर-

राष्ट्रीय क्षेत्र की बात जो आपने कही है, उसमें हम इतना जरूर आपको कह सकते हैं। .....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, मैं केवल इस बात की ओर ध्यान दिला रहा हूँ कि पूरे विश्व में श्री राजीव गांधी को माफिया के मुखिया के रूप में जाना जाता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, चन्द्रशेखर जी का जब भाषण हो रहा था, तब विरोधी दल के नेता ने एक प्रश्न पूछा था। क्या ये सारी बातों को काश्मीर पर, देश के भीतर की समस्याओं पर, पंजाब और असम राज्य में जो परिस्थितियां बनी हैं, उन तमाम चीजों पर टिप्पणियां की जा रही हैं, क्या ये सब चीजें उनको मंजूर हैं। आर्थिक समस्याओं के बारे में उन की अपनी भूमिका रही है, क्योंकि बेरोजगारी का सवाल उन्होंने उठाया। बेरोजगारी का सवाल कब से हिन्दुस्तान में चला है? शोषण की बात आपने छेड़ा, कानून और व्यवस्था की बात आपने छेड़ी। ये सारी समस्यायें कब से हिन्दुस्तान में चल पड़ा है? ग्यारह महीने का समय इस सरकार का रहा है। इन ग्यारह महीनों में अधिक समय वैसी ही समस्याओं का निर्माण करके उन समस्याओं को उलझाने का काम किया और यह बात हम से छेड़ी जा रही है कि किस तरह से इस देश के लोगों की बुनियादी समस्याओं को हल करने का काम हम से हो सकता है।

अध्यक्ष जी, लाल जी यहां पर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लोगों को और वी एच पी के जिन लोगों से आपका गहरा संबंध है और जिनके उठाए हुए मुद्दों को लेकर आने यह आंदोलन छेड़ने का काम किया। उन बुनियादी बातों को मर्यादा के साथ छेड़ना चाहते हैं और यह बहुत जरूरी समझते हैं। अपने भाषण के अन्तिम क्षणों में आपने चर्चा की किस तरह से देश की व्यवस्था को चलाना है, किस तरह से सामाजिक क्षेत्रों में, धार्मिक मामलों में आपसी टकराव बढ़ रहा है, इस प्रश्न को उठाना चाहिये, इसके बारे में उन्होंने बहस की। अब बहुत से लोग हमारे सामने इस को लेकर कि हम अपने मेनिफेस्टों में क्या लिखते हैं, हम अपने भाषणों में क्या कहते है, सवाल यहां तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारे व्यवहार से लोगों के मन में किस प्रकार का माहौल बन जाता है और देश के पैमाने पर किस प्रकार का माहौल तैयार हो जाता है, इस पर भी हम लोगों को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

बाबरी मस्जिद के मसले पर भी मैंने लाल जी से बातें की हैं, वी जे पी तथा अन्य नेताओं से भी मैंने बातें की हैं (व्यवधान) बाबरी मस्जिद और एक्शन समिति से भी मैंने बातें की हैं। (व्यवधान) मैंने इस बारे में हर तरह से बात करने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने यह चाहा कि मस्जिद को तोड़कर ही मन्दिर बनेगा। इस बात पर वी जे पी वालों ने इस पर किसी प्रकार का भी समझौता करने से इन्कार किया और वे यह कहते हैं कि जहां पर मस्जिद है, वहीं पर मन्दिर बनेगा और कोई समझौता नहीं होगा।

हम यह कहना चाहते हैं कि मन्दिर और मस्जिद पहले बहस हो। हिन्दुस्तान के इतिहास से जुड़े हुए इस मसले से, ये इतिहास को कितना पीछे ले जाना चाहते हैं। (व्यवधान) इसलिए ये मन्दिर और मस्जिद के मसले पर कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को सोचना पड़ेगा, इसकी चर्चा होगी, मुसलमानों के बारे में बात होगी, लेकिन एक बात हम सब लोग क्यों भूल गये हैं कि हिन्दुस्तान मे चाहे कोई ईसाई हो, हिन्दू हो या किसी भी जाति का हो या किसी भी मजहब का हो, मुसलमान हो, हम सब लोग इस देश के निवासी हैं और हम मानते है कि हिन्दू समाज को समझने मे इस देश में चाहे अल्पसंख्यक या किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो··· (व्यवधान) इसलिए हम सब को मिल कर अब यह सोचना है कि हम ऐसा काम करें जहाँ समाज को तोड़ने जैसी परिस्थिति न हो। इसलिए मेरी इस सदन के माध्यम से वी जे पी तथा अन्य लोगों से यह प्रार्थना है कि इस विवाद को आपसी बातचीत और सदभाव से हल करने का काम करना होगा और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर अदालत छोड़कर कोई और दूसरा उपाय नहीं है। (व्यवधान)

मैं सरदार पटेल की बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। सन् 1949 को जब बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखने का काम हुआ, इस बात को लेकर एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई, उस समय गोविन्द बल्लभ पन्त जी मुख्य मंत्री थे। सरदार पटेल जी को टेलीफोन करके बुलाया गया, सरदार पटेल वहां पर सारी परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए गये। जनवरी 9, 1950 का ये पत्र है, इसको पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, केवल दो-तीन जुमले ही पढ़ कर मैं सुनाऊंगा।

[हिन्दी]

घटना यही थी कि रामलला की मूर्ति को मस्जिद में रखने का काम हुआ था।

[अनुवाद]

मैं महसूस करता हूं कि जो घटनाक्रम रहा है। उसके पीछे लोगों की भावनाएं रही हैं। इसके साथ ही, यदि हम मुस्लिम समुदाय की सहमति भी लें तभी ऐसे विषयों को शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : हमारा भी यही कहना है।

श्री आर्ज फर्नाण्डीज : नहीं है, अगर होता तो यह कार सेवा की समस्या खड़ी ही नहीं होती। अगर आपका कहना यही होता तो अभी भी बात हो सकती है, बैठ सकते हैं। आगे सुन लीजिए :—

[अनुवाद]

"ऐसे विवाद बल का प्रयोग करके नहीं सुलझाए जा सकते। ऐसी स्थिति में, कानून और

व्यवस्था बनाए रखने वाले बल अर्थात पुलिस, अर्द्ध सैन्य और सैन्य बलों को हर स्थिति में शांति बनाए रखनी होगी।"

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह आप कह रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : यह सरदार पटेल ने कहा है, जिनके आप प्रशंसक हैं। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : सरदार पटेल ने हैदराबाद में क्या किया था।(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : जब रेल कर्मचारियों पर अत्याचार हुए थे, पुलिस ने अत्याचार किए थे, तब मैंने आपका भाषण सुना था, आपने उसको क्रिटीसाइज किया था। आप उस समय उनके लीडर थे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : "इसलिए, यदि शांतिपूर्ण और आग्रही तरीके अपनाए जाते हैं, तो किसी आक्रामण रुख या बलप्रयोग के रवैये पर आधारित एकपक्षीय कार्यवाही को स्वीकृति नहीं दी जा सकती।"

[हिन्दी]

ये सरदार पटेल के शब्द हैं। इसके जवाब में पं. गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था, 13 जनवरी को,—

[अनुवाद]

"अयोध्या वाले मामले के संबंध प्राप्त हुए आपके पत्र का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें यहां इससे बहुत मदद मिलेगी। स्थिति को शांतिपूर्ण तरीकों से ठीक करने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और सफलता की काफी संभावनाएं हैं।"

[हिन्दी]

13 जनवरी 1950 की यह चिट्ठी है। (व्यवधान)

40 साल जनता दल की सरकार नहीं थी, सिर्फ 11 महीने से है और जो सरदार पटेल की प्रशंसा करने वाले हैं, सरदार पटेल के विचार उनको पसंद नहीं आए। श्री मुलायम सिंह यादव और श्री लालू प्रसाद यादव, इन लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ इस गम्भीर स्थिति पर, जो विस्फोटक हो सकती थी, काबू पाने की कोशिश की और अगर इस परिस्थिति पर काबू पाते समय कोई ऐसी घटना घटी, जिसमें इस तरह की स्थिति का निर्माण हो गया।

श्री गुमान मल लोढ़ा : जनरल डायर ने जलियांवाला बाग काण्ड के सम्बन्ध में भी यही कहा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अयोध्या के कुछ हिस्सों में जो कुछ हुआ, उसका हम सब को खेद है, दुख है, लेकिन मैं आज भी यह विनती करना चाहूँगा, जैसा कि आडवाणी जी ने अपने भाषण के अन्त में कहा कि मंदिर तो बनेगा, आपने भी नारे के तौर पर यह बताया, लेकिन मेरा आग्रह है, विनती है कि सरदार पटेल के शब्दों को अपने सामने रख कर आप कोई फैसला करें।

श्री गुमान मल लोढ़ा : सरदार पटेल ने हैदराबाद में क्या किया था। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि सवाल यह नहीं है कि हम घोषणा पत्र में क्या कहते हैं, सवाल यह है कि उस पर अमल करने से किस प्रकार की भावनाओं का निर्माण होता है। काश्मीर की बात का अनेक वक्ताओं ने जिक्र किया, कश्मीर समस्या है, लेकिन कश्मीर के नौजवानों के मुंह से, बुजुर्गों के मुंह से मैंने यह बात सुनी है। हिन्दुस्तान के अनेक हिस्सों में दंगों की चर्चा उन्होंने छेड़ी है और उन्होंने कहा है बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ कहा है कि हमने उस हिन्दुस्तान के साथ अपने को जोड़ने का काम किया था जो सैक्यूलर हिन्दुस्तान था। मस्जिद की जगह पर मन्दिर बनाने की लड़ाई हो जाएगी, कोई और लड़ाई हो जाएगी, यह हमने उस वक्त नहीं सोचा था।···(व्यवधान)

मैं अपने तमाम साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ, काश्मीर की बात होती है, आज काश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान की सेना जमा है, आज हिन्दुस्तान के काश्मीर सीमा पर इतना भारी खतरा खड़ा है, कहीं ऐसी स्थिति न बने कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में काश्मीर को लेकर या किसी और समस्या को लेकर युद्ध हो जाए। कहीं परिस्थिति हाथ से बाहर न चली जायें अगर कल पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला करने का काम किया तो मैं एक बात सदन को कहूंगा, देश को कहना चाहूँगा कि काश्मीर की सुरक्षा में इस देश का जो सुरक्षा बल आज खड़ा है, हमारी सेना का जो कमाण्डर है: अगर सीमा पर युद्ध हो गया तो सबसे पहला बन्दूक का वार लेने वाला जो हमारा कोर कमांडर है उसका नाम जनरल वशीर है, वह एक मुसलमान है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। किसी को भी सैन्य बल को साम्प्रदायिक बनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पर सेना के कमाण्डर का नाम लेना संविधान की भावना के विरुद्ध सबसे खराब बात है। महोदय सैन्य बल में साम्प्रदायिकता फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या वे ऐसा कर सकते हैं ? उन्हें सैन्य बल में साम्प्रदायिकता नहीं फैलानी चाहिए। इतने नीचे स्तर पर न आए। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं सेना में साम्प्रदायिकता नहीं फैला रहा हूं। मैं केवल एक तथ्य बता रहा हूं। (व्यवधान) भारत के लोग धर्मनिरपेक्षता चाहते हैं। (व्यवधान) लोगों का देशप्रेम उनके धर्म से नहीं जाना जा सकता। मैं यही बात कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। आज देश में लोगों को उनके धर्म से पहचानने का प्रयत्न किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मजहब के साथ राष्ट्रीयता को जोड़ने का काम होता है।

श्री वसंत साठे : इन बातों का पता आपको अब लगा है। (व्यवधान)

प्रो मधु दंडवते : उन्होंने सेना के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के बारे में कहा था; वे सेना में साम्प्रदायिकता की भावना नहीं फैला रहे थे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई आज सब कश्मीर की रक्षा के लिए तैनात है। कश्मीर का कोर कमाण्डर मुसलमान है। कश्मीर राज्य में हमारे डिवीजन का कमाण्डर ईसाई है। कश्मीर की सी. आर. पी. एफ. है उसका कमाण्डर सिख है और कश्मीर में बी. एस. एफ. का कमांडर एक हिन्दू है। कश्मीर को बचाने के लिए हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हाथ में बंदूक लेकर इस वक्त खड़े हुए हैं।··· (व्यवधान)·· यही बता रहा हूं कि हिन्दुस्तान में मजहब····· (व्यवधान) हम यह मानते हैं कि आज की घड़ी इतिहास की घड़ी है। हमारी सरकार आज जा रही है, आज हमारी सरकार की ओर श्री वी. पी. सिंह की निंदा करने का काम हुआ है और हम लोगों का जो मजाक करने का प्रयास हुआ है, ये सारी चीज खत्म हो जाएगी। इतिहास में यह नहीं रहेगा। जनता दल की सरकार ने दो बातों को लेकर अपने को बैठाने का काम किया और मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का प्रयत्न किया। इस देश की साम्प्रदायिक एकता को बनाए रखने का प्रयत्न किया।··· (व्यवधान) इतिहास में सुनहरे शब्दों में आज के बारे में लिखा जायेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. जे. अकबर : जब मैं सदन में उपस्थित नहीं था तब यहां मेरे नाम का उल्लेख किया गया था। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने विशेष रूप से एक किताब का हवाला दिया था (व्यवधान) यह मेरा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है। मैंने कांग्रेस (ई.) के अपने नेता श्री राजीव गांधी से इस विषय पर बात की थी अथवा नहीं, यह एक अन्य विषय है। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अपना भाषण दे दिया है। उन्होंने इस वर्ष को छोड़कर पिछले 15 वर्षों के प्रत्येक वर्ष के बारे में कहा है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि उस पुस्तक पर एक अन्य अध्याय लिखा जा चुका है, यह अध्याय गोंडा नामक स्थान के बारे में है। वहां पर करनाल गंज नामक एक स्थान है मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने उस स्थान के लिए कितनी बार दुख प्रकट किया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या श्री जार्ज फर्नान्डीज ने वह अध्याय पढ़ा है या नहीं (व्यवधान) प्रधान मंत्री के मुंह से खेद का एक भी शब्द नहीं निकला।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री एम. जे. अकबर : क्या मैं अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं दे सकता हूं? मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से जानना चाहता हूं—जब उनके नेता श्री वी. पी. सिंह वहां गये थे—क्या उनके मुंह से खेद का एक भी शब्द निकला था? (व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : मैं केवल दो मिनट चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर आ रहा हूं। बहुत से वक्ता बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बहुत से स्पीकर हैं बोलने के लिए इसलिए मैं सारे वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि जब मैं घंटी बजाऊं उससे पहले ही कम समय में वे अपनी बात समाप्त करें जिससे ज्यादा सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके।

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। प्राइम मिनिस्टर जो मोशन लाये हैं मैं उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। कांग्रेस की ओर से जब राजीव गांधी जी कई मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन एक बात उन्होंने नहीं कही, वह है राम जन्म भूमि मसले वाली। साम्प्रदायिकता का जो उबाल देश में चल रहा है उस पर उन्होंने कुछ रोशनी नहीं डाली है। इससे मालूम होता है कि साम्प्रदायिकता का, हिन्दू साम्प्रदायिकता का ऊंची कोस्ट के लोगों की साम्प्रदायिकता का खेल खेलकर राजनैतिक फायदा अपनी पार्टी के हित में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोला है कोई रोशनी नहीं डाली है। इससे यह शक होता है कि उनकी पार्टी बार-बार इस मसले को अपने स्वार्थ के लिए चुनावों में इस्तेमाल करके फायदा उठाने की कोशिश करती है और आगे भी करेगी। देश के लिए साम्प्रदायिकता बहुत खतरनाक चीज है। इसके खिलाफ राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने जो लड़ाई लड़ी है उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और अपना पूरा सहयोग देते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग आपस में बात न करें और नानी बाबू को सुनें।

श्री नानी भट्टाचार्य : आप सब लोग जानते हैं कि राजीव जी के जमाने में बोदर में साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ था। उसके लिए जिम्मेदार क्या कांग्रेस की सरकार नहीं थी। भागलपुर में, उत्तर प्रदेश में मेरठ और कई जिलों में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए थे उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस के ऊपर आ जाती है इसको अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं आडवाणी जी की रथयात्रा रोकने की मोर्चा सरकार ने कोशिश की है और उसी के परिणाम स्वरूप यहां पर आज ऐसा हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से राजीव गांधी से लेकर जितने लीडर्स यहां बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से जनता दल के अन्दर फूट पैदा करने के लिए तरह-तरह से साजिश उन लोगों ने की हैं जिसका नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं। कुछ अवसरवादी आदमी निकलकर नयी सरकार बनाने पर आमदा हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो डिफेक्टर्स हैं, वे गुटबंदी करके देश के लिए भी घातक काम करने जा रहे हैं। यदि ये डिफेक्टर्स निकल गये और सरकार बनाने का मौका पा गये तो उसमें संसदीय जनवाद तितर-बितर हो जाता है और जनवाद का बलिदान हो जाता है, इससे खतरनाक और कोई बात नहीं हो सकती है। यह एक साजिश है जो कंस्ट्रक्टीव कोऑपरेशन के नाम पर वे लोग कर रहे हैं। मतलब तो यह

है कि इन करप्ट लोगों के खिलाफ जो इन्क्वायरी चल रही है, ये लोग डिफेक्टर्स की सरकार बनाने के चक्कर में अपना काम को आसान बनाना चाह रहे हैं और इसे हासिल करने के लिए आमदा हैं। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर मिड टर्म पोल नहीं होता है या ऐसे लोगों की सरकार बन जाती है तो इस देश का सत्यानाश हो जावेगा, यह चेतावनी मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूं।

यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बसंत साठे : आप बताइये कि प्राईम मिनिस्टर का रिप्लाई कब होगा, आप समय तो निश्चित करें।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मैं बताऊंगा। अभी तो चित्त बाबू बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, यह विश्वास प्रस्ताव है जो प्रधान मंत्री ने दूसरी बार प्रस्तुत किया है। पहले जब प्रधान मन्त्री ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया था, तो सदन ने बहुमत से नई सरकार का समर्थन किया था। किन्तु आज कुछ विशेष परिस्थितियों में इस विश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ी है। स्थिति बहुत स्पष्ट है। स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष समय पर एक स्पष्ट मुद्दे पर—राम जन्म भूमि—बाबरी मजिस्ट मसले पर अपना समर्थन वापस ले लिया है।

दुर्भाग्य से मुझे विपक्ष के नेता के भाषण को सुनने का अवसर मिला। आज इस विश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता जिस कारण से पड़ी, उसके कारण के बारे में उनको बिलकुल भी जानकारी नहीं थी। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के झगड़े से उत्पन्न वर्तमान संकट पर उन्होंने अपने दल के दृष्टिकोण के बारे में कुछ नहीं कहा है··· (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : इस सम्बन्ध में प्रस्ताव में कोई हवाला नहीं है··· (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : क्या कारण है ? वे साम्प्रदायिकता के संबंध में अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं। वे भयभीत हैं। श्री बसंत साठे नहीं जानते कि मन्दिर का ताला किसने खोला ? क्या ऐसा आपके शासन काल में नहीं हुआ ? आपने हमारे देश में साम्प्रदायिकता भड़काने में सहयोग किया है। विपक्ष के नेता ने साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के लिए इस सरकार को उत्तर-दायी मान रहे हैं। क्या शिलान्यास आपके शासन काल में नहीं किया गया था ? मेरठ, हसीन पुरा, भागलपुर, में हुए दंगों के लिए कौन दोषी है ? इसलिए जब आप दूसरी सरकार को साम्प्रदायिकता तथा साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में असफल रहने के लिए दोषी ठहराते हैं, तो आपको यह भी अहसास होना चाहिए कि ऐसे दंगे देश के विभिन्न भागों में आपने करवाये हैं। कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं। उन्हें रामजन्म-भूमि तथा बाबरी मस्जिद मुद्दे पर भी अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहिए। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस (ई) तथा भारतीय जनता पार्टी का मतैक्य है। यह बड़ी आश्चर्यपूर्ण बात है।

श्री बसंत साठे : पिछले 11 महीने से आप भारतीय जनता के साथ क्या कर रहे थे ?

श्री चित बसु : इस दौरान हमने भारतीय जनता पार्टी के साम्प्रदायिक दृष्टिकोण की आलोचना करने के अधिकार को किसी भी अवसर पर खोने नहीं दिया है। क्या आप में सच्चाई व्यक्त करने का नैतिक साहस है ? दूसरी तरफ, आप अपना मतैक्य केवल साम्प्रदायिकता के मामले में ही प्रदर्शित करते हैं। धर्मनिरपेक्षता की अपनी विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। धर्म-निरपेक्षता के संबंध मे कुछ कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, यह सर्वविदित है कि आर.एस.एस. ने 'हिन्दू राष्ट्र' का नारा दिया है। क्या उन्होने इसका प्रतिरोध किया है ?

7.38 अ.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इतना ही नहीं। विश्व हिन्दु परिषद ने मन्दिर निर्माण का आह्वान यह कहकर किया था कि यह हिन्दू राष्ट्र की नींव है। श्री अशोक सिंगल, महासचिव, विश्व हिन्दू परिषद ने यह नारा दिया था कि अयोध्या मे मंदिर का निर्माण करके वे हिन्दू राष्ट्र का निर्माण कर रहे है, और यह उसका नींव पत्थर है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया ? अब श्री आडवाणी जी यह कह रहे है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए तथा किसी का भी तुष्टिकरण नहीं किया जाना चाहिये। अगर सभी के लिए न्याय तथा किसी के लिए भी तुष्टिकरण की नीति का न होना हिन्दु राष्ट्र की ओर ले जाता है जोकि विश्व हिन्दु परिषद ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया है तथा जिसके साथ आप सहयोग कर रहे है, तब आपको यह कहने का कोई अधिकार नही कि आप भारत की एकता तथा अखण्डता में विश्वास रखते है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि हिन्दू राष्ट्र के परिणाम क्या होगे ? क्या आप भारत को मुस्लिम राष्ट्र, सिक्ख राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र आदि में विभाजित करना चाहते है ? इस नीति का यही परिणाम होगा अगर यह हिन्दू राष्ट्र का नारा लगाया गया तथा अगर यही आपकी पार्टी का उद्देश्य है तो आप इस देश की एकता तथा अखण्डता को नष्ट करने जा रहे है। आप धर्म पर आधारित राज्यों का निर्माण कर रहे है। इसी को धर्मतंत्र कहते है। इससे भारत मे एक धर्मतांत्रिक राज्य का जन्म नही होगा, जैसा कि बंगला देश तथा पाकिस्तान मे मुस्लिम धर्मतांत्रिक राज्यों का जन्म हुआ है, बल्कि इससे भारत में बहुत से धर्मतांत्रिक राज्यों का निर्माण होगा जो अलग-अलग हिस्सा में बंटे होंगे। इस प्रकार विश्व हिन्दू परिषद्, भारतीय जनता पार्टी तथा बजरंग दल के इरादे बड़े स्पष्ट है। उन्होंने मस्जिद पर हमला किया। इससे वे कैसे इन्कार कर सकते है ? हजारो की संख्या में लोग वहा पर नींव रखने के लिए नहीं बल्कि मस्जिद को नष्ट करने के लिए जमा थे। हम बड़े स्पष्ट शब्दो मे यह कहना चाहते हैं कि मन्दिर आप जितने चाहे उतने बनवा सकते हैं, परन्तु आप एक भी मंदिर या मस्जिद गिरा नहीं सकते। जब आप एक भी मस्जिद गिराते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें सभी मन्दिर अथवा सभी मस्जिदें गिराई जा सकती है। भारत में जब भी आप किसी मन्दिर अथवा मस्जिद को नष्ट करते है तो आप देश, समुदाय, जनता, परिवार, संस्कृति तथा समस्त भारत को नष्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस देश को धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने में विश्वास करता है, वह इस विश्वासघात को सहन नहीं कर सकता। यह एक धोखा

है और कोई भी इसे सहन नहीं करेगा। महोदय, इसलिए यह सदन इस प्रस्ताव के द्वारा केवल इस प्रश्न पर ही चर्चा नहीं कर रहा कि क्या श्री विश्वनाथ सिंह प्रधान मंत्री रहते है अथवा कोई और, क्या श्री चन्द्रशेखर प्रधान मंत्री बनते हैं या श्री राजीव गांधी, परन्तु हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा मौलिक मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, और वह मुद्दा यह है कि क्या संविधान मे निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की हम रक्षा कर पा रहे है। हम धर्मनिरपक्षता के सिद्धात के पक्ष मे हैं। अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं, तो दलगत विचारधारा से ऊपर उठिए और मूल मुद्दे तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धात का समर्थन करें। यह एक मुद्दा है।

एक अन्य मुद्दा यह भी है कि क्या आप हमारे देश के संविधान में उल्लिखित उस लोकतांत्रिक पद्धति को कायम रखना चाहते है जिसके आधार पर हम यहां उपस्थित हैं। मैं पुनः यही कहूंगा कि इस देश के संविधान के नाम पर आपने जो शपथ ग्रहण की थी आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। अतएव मूलभूत मुद्दा यह है कि क्या हम अपने देश के संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को कायम रख सकेंगे, क्या हम संविधान की रक्षा कर सकेंगे अथवा हम संविधान में उल्लिखित बातों को प्रतिष्ठापित नहीं कर पायेंगे।

दूसरा मुद्दा यह है कि क्या हमारा देश अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए वचन बद्ध होगा। अल्पसंख्यकों के हितो की रक्षा अवश्य की जानी चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश तथा सभ्य समुदाय को अल्पसंख्यकों के वैध अधिकारों की रक्षा करना ही चाहिए। क्या आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते है? जिन व्यक्तियों के ऊपर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का दायित्व है उन्हें यह देखना चाहिए कि यह एक ऐसा मामला है जिससे हम भी जुड़े हुए हैं।

अन्त में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मूलभूत मुद्दा जो हमसे सम्बन्धित है वह यह है कि क्या आप देश में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना चाहते हैं? क्या आप युगों से चले आ रहे भेदभाव तथा हमारे समाज के कमजोर वर्गों के ऊपर सदियों से किए जा रहे अन्याय को जारी रखना चाहते हैं अथवा आप इसे समाप्त करना चाहते है? क्या यह संविधान का सिद्धान्त नहीं है कि हम अपने क्या यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त नहीं है समाज के एक बड़े तबके पर सदियों से किए जा रहे अन्याय को दूर करें, जो केवल इसलिए कष्ट सह रहे हैं क्योंकि वे निर्धन है? ये मूल मुद्दे है तथा आज हम इन मूल मुद्दो का अनदेखा नहीं कर सकते। अतएव, आज जो निर्णय यह सभा लेने जा रही है वह अत्यन्त ऐतिहासिक, जीवन्त तथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह निर्णय हमारे देश का निर्णायक बन भी सकता है तथा इसे बिगाड़ भी सकता है। यह अच्छा ही हुआ कि प्रत्येक दल का वास्तविकता प्रकट हो गई है। मुझे आशा है कि न केवल इस सभा मे बल्कि सभा के बाहर भी लोग व्यापक रूप से धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करेंगे, संविधान मे उल्लिखित बातों को प्रतिष्ठापित करेंगे, लोकतंत्र के मूल्यों को सुनिश्चित करेंगे तथा सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करेंगे। हमारे समाज का यह काफी बड़ा तबका है। यदि आप हमारे समाज के एक व्यापक वर्ग की आवश्यकताओं को राजनीतिक रूप देना चाहते हैं तो समय की यह मांग है कि वामपंथियों, लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों मे एकता कायम करें। यदि आप धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र मे विश्वास करते हैं तथा यदि आप धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को कायम रखना चाहते हैं तो आपके लिए यही उचित समय है कि आप एक हो जायें। अन्यथा आप देश की सर्वाधिक कट्टर तथा आक्रामक साम्प्रदायिक ताकतों के समान हो जाएंगे।

महोदय, अन्त मे आपकी अनुमति से मैं अपनी स्नेहमयी बहिन श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा उल्लिखित किसी बात के सन्दर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता उद्धृत करना चाहता हूं। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता बंगला भाषा में ही उद्धृत कर रहा हूं :

'हे मोर चिक्तो पुन्नो तिर्थे जागोरे धीरे
एई भारोतेर मोहा मानोबेर सागोर तीरे
शोक हून दले पाठान भागोल
ऐक देहे होलो लोन।'

रविन्द्रनाथ टैगोर ने यही कहा था।

पुनः मैं नजरुल इस्लाम की कविता से उद्धृत करना चाहता हूं।

"हिन्दू ना ओरा मोस्लिम
ओई जियासा कौन जान है
कानदारी बाला डुबिछे मानुष
शोनतान मोर मार"

महोदय, यह रविन्द्रनाथ जी ने कहा था कि भारत महान है तथा यह एक ऐसे विशाल सागर के सदृश हैं तथा इस मानवता रूपी सागर में शक, हूण, पठान तथा मुगल सब एक में ही समाहित हो गए।

नजरुल इस्लाम का कहना है कि "यह मत पूछो कि कौन हिन्दू है अथवा कौन मुस्लिम।" चाहे वह हिन्दू है अथवा मुस्लिम, हर कोई उस महान भारतमाता का सपूत है। मैं समझता हूं कि हमारे हित में यही है कि हम इन दो महत्वपूर्ण उद्धरणों को याद रखें।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख किया है, वास्तव मे उन्होंने अपने वक्तव्य के आरम्भ में ही एक टिप्पणी की। उन्होंने 'सिद्धान्त' शब्द का जिक्र किया इस शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद 'प्रिंसिपल' है तथा उस शब्द से मेरा हृदय द्रवित हो गया और मैं समझता हूं कि मुझे प्रधानमंत्री द्वारा दो रूप में दिये गये उनके वक्तव्य का अलग-अलग उत्तर देना है।

मैं अयोध्या के सम्बन्ध मे भी संक्षेप में कहूंगा। परन्तु मेरे संक्षिप्त भाषण का सार कश्मीर के बारे में होगा। जहां तक अयोध्या का सम्बन्ध है, प्रधानमत्री ने 'सिद्धान्त' दिखा दिया तथा मैं उनके उस रुख और उत्तर का नमन करता हूं यद्यपि मुलायम सिंह यादव काफी समय से कुछ बेहतर ही कर रहे थे। वास्तव में मैंने उर्दू में एक लेख लिखा था।

एक माननीय सदस्य : लालू प्रसाद भी।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : जी हाँ, लालू प्रसाद भी। मैंने मुस्लिम बन्धुओं को परामर्श दिया था कि वे सड़कों पर न आयें क्योंकि उस समय मैंने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, श्री मुलायम सिंह यादव तथा कई अन्य नेताओं की प्रशंसा की क्योंकि मैंने उन्हें गांधी जी के बारे में बताया।

एक माननीय सदस्य : आप कौन से गांधी जी के बारे में कह रहे हैं ?

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महात्मा गांधी जी के बारे में। मैंने इस गांधी को भी बताया था क्योंकि राष्ट्रीय एकता परिषद में उन्होंने अयोध्या के बारे में एक वक्तव्य भी दिया था। फिर मैंने कहा कि "महात्मा गांधी के पश्चात् यदि साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए कहीं से आह्वान किया गया है तो वह श्री मुलायम सिंह ने ही किया है।" परन्तु मैं प्रधानमंत्री को इस बात के लिए श्रेय दूंगा कि अयोध्या मसले पर उनका रवैया ठीक था और मैं उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करता हूं। आडवाणी जी की गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें विश्राम गृह मे ले जाया गया और उनके परिवार को हवाई जहाज से वहां पहुंचाया गया मगर मैं नहीं जानता कि कौन ले गया। लेकिन प्रचार माध्यमों द्वारा इसे ज्यादा तूल दिया गया। परन्तु मैं प्रधानमन्त्री की भावना को समझता हूं। मैं प्रधानमंत्री को आज याद दिलाना चाहता हूं कि काफी समय बाद आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी के षडयन्त्रों का पता चला। प्रधानमंत्री के साथ चुनावी गठजोड से भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक शिखर पर पहुंची। उनकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के 44 सदस्य सभा में आये लेकिन इस देश को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भीषण रूप से नुकसान पहुंचाने के बाद ही प्रधानमंत्री को काफी समय बाद उनकी वास्तविकता का पता चला। अब मुझे एक बात याद आ रही है जो मैंने बनातवाला जी से सुनी थी, मैं समझता हूं आरिफ जी यहां हैं और वह इस बात से सहमत होंगे। मैं उन्हें बता रहा था कि प्रधानमंत्री के शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया भले ही मैं उनके प्रस्ताव से सहमत न होऊं। परन्तु मैं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूं क्योंकि वह बाद में सही साबित हुए। मैं यह पंक्तियां कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

ग्यारह महीने उनको गले से लगाने के बाद आप बी. जे. पी. से कह रहे हैं कि इन्होंने नुकसान पहुंचाया।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कवि भी हैं। मैं कवि नहीं हूं। मैं किसी अन्य का दोहा कह रहा हूं।

[हिन्दी]

की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना।

[अनुवाद]

मुझे मारने के बाद वह तोहफा दे रहे हैं अर्थात् निर्दयता के लिए पश्चाताप।

आपने पश्चाताप की बात कही है लेकिन आपने अनर्थ किया है। यह भी एक न्यायालय है। मैंने एक प्रश्न किया था जब भारतीय जनता पार्टी के प्रथम सदस्य बोले थे कि उन्होंने इस सभा में रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। क्या उन्होंने शपथ नहीं ली थी कि वे भारतीय संविधान के उपबन्धों का पालन करेंगे ? भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को पूर्ण प्राधिकार प्रदान करता है। क्या आडवाणी जी और उनके साथियों ने नहीं कहा था कि वे उच्चतम न्यालय के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे ? क्या वे भारत के संविधान का अनादार नहीं कर रहे हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

मुझे शर्म आती है कि ऐसे रीलीजियस फैनेटिक को जज बनाया।

[अनुवाद]

मैं भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों को जानता हूँ जिनके प्रशंसनीय विचार हैं और मेरे मन में उनके लिए आदर है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को फासिस्टवाद की तरफ ले जा रही है और हमें इसका विरोध करना है। हमने लोकतन्त्र स्वीकार किया है और हम इसे बरकरार रखेंगे। देश के सामाजिक ढांचे और धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुँचाया है और उन्होंने इस देश को साम्प्रदायिक मुद्दे पर विभाजित करने की पूरी कोशिश की है। कुछ दोष इस सरकार का भी है। (व्यवधान) महोदय, मैं अयोध्या पर और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने आडवाणी जी द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के बावजूद उनके सिद्धांत को स्वीकार किया है। उनके यह बातें उद्-घाटित करने के बावजूद मैं उनके सिद्धांत को श्रेय देता हूं। लेकिन कश्मीर के बारे में बात करते वक्त मैं कीमतों, विदेशी नीति तथा जातीय विभाजन के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता हूं। परन्तु मुझे प्रधान मन्त्री से प्रश्न करना है। यदि वह प्रधान मन्त्री नहीं रहते तो मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता नहीं मिलेगी। फिर भी मैं एक सज्जन पुरुष के रूप में उनका आदर करता रहूँगा लेकिन मैं उनकी राजनीति से सहमत नहीं हूं। लेकिन इस बात से मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता नहीं होगी कि उन्हें प्रधान मन्त्री का पद छोड़ना पड़ेगा।

लेकिन कश्मीरी होने के नाते मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं और जब वह उत्तर देंगे तो उनकी अन्तरात्मा भी उन्हें कचोटेगी। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने मुझे मुखातिब होकर कहा है और मैं उनकी टिप्पणी का जवाब दूंगा। इस सरकार की कश्मीर के संबध मे क्या नीति रही है ? वस्तुत: मैंने पहले कहा था कि उनकी कश्मीर पर कोई नीति नहीं है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस पद पर आने से पहले उन्होंने अपने चुनावी घोषणापत्र में एक प्रण किया था कि वे सरकारिया आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करेंगे। आप सिद्धांत की बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 का पालन होता है। आपको प्रत्येक मुख्य मंत्री से राज्यपाल भेजते वक्त परामर्श करना चाहिए लेकिन कश्मीर के मामले में आपने इसे अनिवार्य कर दिया। आपने अनुच्छेद 370 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए और सरकारिया आयोग की सिफारिशों का अनादर करते हुए श्री जगमोहन को कश्मीर में कैसे भेज दिया ? मैं कहता हूँ कश्मीर के मामले में उनकी कोई नीति नहीं है। यदि उनकी कोई नीति है तो यह भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव

में उन्होंने इस व्यक्ति को भेजा है। उन्होंने श्री जगमोहन को भेजा और डा. अब्दुल्ला को निकालने के लिए रास्ता बनाया। उस वक्त श्री चन्द्रशेखर ने कहा था और मैं इस सभा में दोहराता हूं। आप उनसे पूछिए। प्रधान मन्त्री ने मुझे निजी रूप से एक रात्रि भोज के दौरान यह बात बतायी। एक रात्रिभोज हुआ था जिसमें कामरेड सुरजीत और कई वामपंथी नेता आमंत्रित थे। उन्होंने प्रधान मन्त्री को चेतावनी दी थी कि श्री जगमोहन को कश्मीर नहीं भेजें। लेकिन प्रधान मन्त्री ने अन्त में श्री चन्द्रशेखर को बताया कि श्री 'क' इस बात पर अटल हैं। उन्होंने उन्हें कहा था श्री 'क' को और पद दिया जा सकता है। लेकिन श्री जगमोहन को नहीं भेजिए क्योंकि श्री 'क' को कोई पद देने से उन्हें श्री जगमोहन को जम्मू और कश्मीर भेजने की अपेक्षा कम कीमत चुकानी पड़ी। वह वहां भेजे गए और उन्होंने वहां अपनी सरकार स्थापित की। संक्षिप्त में प्रधान मन्त्री ने यह सब भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किया।

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। वह वहां दिल में जहर लेकर गये। वह कश्मीरी मुसलमान को सबक सिखाना चाहते थे। पहली चीज जो उन्होंने की वह कश्मीरी पंडितों को वहां से हटाना था ताकि वह कश्मीरी मुसलमानों से खुले-आम निपट सके। इसके लिखित प्रमाण हैं। वह इस पलायन के कर्ताहर्ता थे और उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों पर अत्याचार किये। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के विरुद्ध भी अत्याचार किये जिन्हें शरणार्थी बनाया गया था और वे जम्मू और दिल्ली में बहुत ही कठिनाई का जीवन बिता रहे। हर कोई जानता है कि श्री जगमोहन ने कर्फ्यू लगाया था और यह 17 दिन तक जारी रहा। श्री प्रधान मन्त्री, क्या उस तरह का कर्फ्यू आप कहीं लगा सकते हैं ?

8.00 म. प.

मेरा एक प्रश्न और भी है। जब मौलवी फारूख की हत्या की गई थी और जब मातम मनाने वाले उनके ताबूत को अपने कंधों पर उठा रहे थे, तो उन पर गोली चलाई गई थी। मैंने उसी दिन ही यह प्रश्न उठाया था। और सदन के बीच में गया था श्री चिदम्बरम मेरे पास आए और वह मेरे साथ पढ़कर थे कि मेरा के लोगों ने मातम मनाने वालों को मार दिया था। उन्होंने मुझे लोक सभा के बीच में ये बाहर आने को कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितनी देर तक बोलना चाहते हैं ?

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैंने सुझाव दिया था कि प्रधान मन्त्री को कश्मीर जाना चाहिए और उनकी तकलीफों को सुनना चाहिए। वह वहां कभी नहीं गए और उसके बाद कई अवसरों पर, मैंने प्रधान मन्त्री से निवेदन किया था, "आप कश्मीर जाएं। आप संसदीय शिष्टमण्डल को वहां भेजिए। आप अपने दल के सदस्यों को वहां भेजिए। लेकिन, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. सैफुद्दीन सोज, अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैंने कश्मीर के बारे में प्रधान मन्त्री से बेहतर व्यवहार की आशा की आशा की थी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

प्रो सैफुद्दीन सोज : न केवल प्रधान मंत्री कश्मीर ही नहीं गए बल्कि उन्होंने कश्मीर मामलों के लिए अन्य मंत्रालय को भी समाप्त कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. सैफुद्दीन सोज, कृपया अपनी बात को समाप्त कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैंने कुछ समय मांगा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अन्य लोगों का भी समय ले लिया है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं अपने मुद्दों के बारे में संक्षेप से कहूँगा। आप देखेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रत्येक मुद्दे पर जो भी बात की जाएगी वह तर्कसंगत होगी। न केवल प्रधान मंत्री कश्मीर ही नहीं गए, बल्कि उन्होंने कश्मीर मामलों के प्रभारी मंत्रलय को भी यहां समाप्त कर दिया था। श्री जार्ज फर्नान्डीज अब शुरू से यहां पर हैं। उस मन्त्रालय ने कश्मीर में कुछ अच्छे कार्य करने शुरू कर दिये थे। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने वहां की स्थिति को समझना शुरू कर दिया था। कश्मीर के संबंध में वह मंत्रालय वहां न केवल राष्ट्रपति के आदेश से बल्कि राजनीतिक दलों के परामर्श के साथ फिर से बनाया गया था। मैंने आपके माध्यम से यह प्रश्न उठाया था कि जब श्री जार्ज फर्नान्डीज का प्रभार उनसे वापस लिया गया था और जब कश्मीर मामलों के सम्बन्ध में उस मंत्रायय को फिर से समाप्त किया गया था। उन्होंने राजनीतिक दलों से परामर्श नहीं किया और उन्होंने राष्ट्रपति का आदेश जारी नहीं किया। श्री जार्ज फर्नान्डीज को केवल टेलीफोन पर बताया गया था कि इस मन्त्रालय को समाप्त कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. सैफुद्दीन सोज, कृपया सहयोग कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। श्री जगमोहन ने कश्मीर के लोगों पर काफी अत्याचार ही यहीं किये बल्कि उनकी सरकार ने दो कठोर कानून भी बनाये। इन दो कानूनों के अन्तर्गत, घोर अत्याचार किए गए थे क्योंकि उन दो कानूनों से उन्हें गोली चलाने, किसी की हत्या करने, किसी को गिरफ्तार करने तक के अधिकार मिल गए थे। लोगों की हत्या की गई थी। मकानों को जलाया गया था। बलात्कार की घटनाएं हुई। इसके बाद आपने देखा कि कश्मीर, पाजो पोरा, मगम, सोपोर, हडवारा, अन्नतनाग, मशाली मोहल्ला और कवदारा में क्या हुआ। यह बात रिकार्ड में है। ये दो कठोर कानून हैं। ये जब पारित किए गए तब प्रधान मन्त्री थे।

फतेहपुर में बलात्कार कार का एक मामला है। प्रधान मन्त्री वहां गए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन सभी मामलों पर चर्चा कैसे कर सकते हैं ? कृपया अब अपनी बात को समाप्त कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : प्रधान मन्त्री कश्मीर में यह पता लगाने के लिए क्यों नहीं गए कि वहां पर कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है ? कितने घर जलाए गए ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोज, आपके पास जितने भी पेपर हैं, उन्हें समाप्त करने की कोशिश मत कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं केवल तीन या चार मिनट लूंगा। मैं अपने मूल मुद्दे पर आ रहा हूं। हमने उन्हें कई ज्ञापन दिए हैं। परन्तु उन्होने इसका कभी उत्तर नहीं। यह स्थिति है। (व्यवधान)। इसी सरकार ने ही जम्मू तथा कश्मीर को पुलिस-राज्य बनाया है। पहले राज्यपाल एक पुलिस अधिकारी था। उसके तीन सहायक पुलिस अधिकारी हैं। वहां छः पुलिस महानिदेशक हैं। यह केवल पुलिस राज्य ही नहीं बल्कि यह सरकार काश्मीर के साथ उपनिदेशक जैसा बर्ताव कर रही है और इस राज्य को उन्होंने पुलिस राज्य के सबसे खराब उदाहरण का स्वरूप दे दिया है। मैं आपको ताजा स्थिति से अवगत कराता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा मत कीजिए। जो समय मैंने आपको दिया था तथा जो कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया था, वह समाप्त हो चुका है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं आपको नवीनतम स्थिति बता हूं। जो लोग जेलों में सड़ रहे है, उनमें 80 प्रतिशत निर्दोष लोग है। यहां तक कि जोधपुर जेल में अब्दुल गनी लोन, अब्बास अन्सारी, सैय्यद अली जिलानी, प्रो. भट्ट तथा दूसरे राजनैतिक नेताओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया और उन्हे समाचार पत्र तक भी उपलब्ध नहीं कराए गए। उनके पास कोई रेडियो नही था। वे तीन महीने बाद कोई बात सुन सके जब श्री लोन उस स्थान पर पहुंचे। उन्हें तीन महीने बाद यह जानकारी मिली कि मोलवी फारूख की हत्या हो गई, क्योंकि श्री जगमोहन को पद से हटा दिया गया था। प्रधान मंत्री इसकी जांच करवा सकते है कि क्या यह सब बातें तथ्यों पर आधारित हैं अथवा आधार हीन है (व्यवधान)। वह ऐसा आज ही कर सकते हैं। उनके पास कोई रेडियो नहीं, कोई समाचार पत्र उन्हे उपलब्ध नही कराया जाया। पिछले दो महीनों से सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कोई भी कदम इस दिशा में उठाया नही गया है। बैंक बंद थे। बीमा कम्पनियां बंद थीं। स्कूल तथा कालेज दो महीने तक बंद थे। मैं राज्यपाल से मिला था। मैंने उनसे बात की थी। परंतु उनसे किसी ने बात नही की। यह सब कभी न समाप्त होने वाला चक्र है। हमने प्रधान मन्त्री से बात की। प्रधान मन्त्री गृह मन्त्री राज्यपाल से बात करेंगे, और राज्यपाल तीनों सलाहकारों से बात करेंगे, तीनो सलाहकार पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे। और अन्त में वे मुख्य सचिव से बात करेंगे जोकि काश्मीर के दुखांत के बीच आनन्द ले रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको और समय नहीं दे सकता। आपने पहले ही तीस मिनट ले लिए है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक मिनट भी और नहीं दूंगा। आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप पहले ही बहुत समय ले चुके हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि 'टाडा' अदालतें स्थानान्तरित की जानी चाहिये। सरकारी कर्मचारियों की यह मांग है कि "टाडा' अदालतें काश्मीर स्थानान्तरित की जायें। 'टाडा' एक बहुत ही कठोर कदम है। इस सरकार ने तत्कालीन राज्यपाल को तथा वर्तमान राज्यपाल को यह क्यो नहीं कहा कि 'टाडा' अदालतें श्रीनगर स्थानान्तरित कर दी जाये ? मैं इसको विस्तार से बता सकता हूं। तथ्य यह कि लोगों पर अत्याचार किया जा रहा

है। प्रधान मंत्री का इरादा भिन्न हो सकता है। परंतु वर्तमान ने काश्मीर की स्थिति विस्फोटक बना दी है। उन्होंने वहां पर बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा कर दी हैं। इसलिए, मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करूं। परंतु श्री वी. पी. सिंह के प्रति मेरा व्यक्तिगत सम्मान बरकरार रहेगा।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी आज पूरे सदन को जब कि पूरे देश के कौन-कौन में हमारा देश गंभीर संकटों में फंसा हुआ है, ऐसे मौके पर पूरे सदन को सोच-समझ कर फैसला लेना होगा। माननीय प्रधानमन्त्री जी के विश्वास प्रस्ताव पर आज सुबह से बहस चल रही है। (व्यवधान) मैं इस विश्वास प्रस्ताव पर अपनी पार्टी की कुछ राय रखूं, उससे पहले माननीय प्रधानमन्त्री जी और उनके समर्थकों ने जो आज सदन के सामने कुछ ऐसे मुद्दे रखे हैं, उस पर मैं कुछ टीका-टिप्पणी जरूर करना चाहती हूं। माननीय प्रधान मन्त्री जी ने बताया कि मैं सिद्धांतों को आगे रखकर कुर्सी को लात मारने के लिए तैयार हूं। मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी को बताना चाहती हूं कि यदि आप ईमानदारी से सही सिद्धांतों में विश्वास रखते कुर्सी से आपको लगाव न होता तो आप एक नाव में पैर रखते दो नाव में पैर न रखते। आपने एक तरफ रामजन्म भूमि वालों को खुश करने के लिये सोचा। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी रथ यात्रा शुरू की तो आपने पहले दिन ही उस रथ यात्रा को क्यों नहीं रोका, आपने उस रथ यात्रा को आगे क्यों बढ़ने दिया। दूसरी तरफ आप इस देश के मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब आपको लगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्य मन्त्री मुलायम सिंह यादव अयोध्या के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बाबरी मस्जिद पर कब्जा नहीं करने देगा, वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जब आपको लगा कि इस देश के मुसलमान मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानने के लिए तैयार है, इस देश के मुसलमान आपकी दोगली चाल को समझ चुके हैं, लाल कृष्ण जी की रथ यात्रा उत्तर प्रदेश में जाने वाला है और मुलायम सिंह यादव रथ यात्रा को जाते ही रोकेंगे तो आपने सोचा कि इस रथ यात्रा को मुलायम सिंह यादव द्वारा रोकने पर, यादव जी मुसलमानों के नेता न बन जायें तो आपने उत्तर प्रदेश में जाने से पहले ही उसको बिहार में रोक दिया।

मुस्लिम समाज के नेताओं के बारे में मैं पूरे सदन को बताना चाहती हूं कि जिस समय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबन्धन चल रहा था जिस समय चुनाव की घोषणा हुई और आप लोगों ने चुनाव के मौके पर बी. जे. पी. और वामपंथी दलों के साथ गठबन्धन किया तो उसी समय मुझे डर लग रहा था कि मुस्लिम समाज के लोगों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मुझे उस समय लगा रहा था कि पूरे देश के मुस्लिम नेताओं ने अपने लोगों को वी. पी. सिंह के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं कि इस देश का प्रधानमंत्री एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त करता है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एक साम्प्रदायिक पार्टी है, जो मुसलमानों को फूटी आंख नहीं देखना चाहती, मैं बताना चाहती हूं कि मुस्लिम नेताओं को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए था कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी से समर्थन ले रही है, वह कभी मुसलमानों को न्याय दे सकती है। मैं

बताना चाहती हूं कि 30 अक्तूबर से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश के अन्दर जो गंभीर स्थिति बनी हुई है, उसका जिम्मेदार मुलायम सिंह यादव नहीं, उसके लिए माननीय प्रधान मन्त्री जी आप जिम्मेदार हैं।

मैं बिजनौर के बारे में बताना चाहती हूं, वहां से चुनकर आई हूं। मुझे मालूम है कि बिजनौर के अन्दर क्या हुआ। 30 अक्तूबर से लेकर आज तक बिजनौर के अन्दर करफ्यू लगा हुआ है। मुलायम सिंह यादव अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए लगे हुए हैं और दूसरी तरफ वी. पी. सिंह जी अन्दर अन्दर मुसलमानों को तबाह करने में लगे हुए है और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर मुलायम सिंह यादव को बदनाम करने में लगे हुए हैं। सरकारी मशीनरी ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। मैं बिजनौर का उदाहरण देना चाहती हूं आप बिजनौर जाकर देखें कि यदि 2 दुकानें हैं, एक हिन्दू की है, एक मुसलमान की है, एक ही दीवार है, लेकिन हिन्दू की दुकान नहीं जली है, मुसलमान की दुकान जल गई है। ऐसा क्यों हुआ है। यह सारा प्रोप्लानिंग से हुआ, इसकी योजना पहले बनाई गई थी और जहां तक माननीय प्रधान मन्त्री जी आज आप बहुजन समाज पार्टी की बोली बोल रहे हैं, दलित शोषित समाज के मामले में, अल्पसंख्यक समाज के मामले में, मैं बताना चाहती हूं कि बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के मौके पर 1990 का साल सामाजिक न्याय के रूप में घोषित करना, बाबा साहेब डा. अम्बेडकर का चित्र केन्द्रीय कक्ष में लगाना, बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को भारत-रत्न की उपाधि देकर व गरीब मजलूमों के हित में बढ़िया से बढ़िया कानून बनाकर और इतना ही नहीं, आपने तो दलित-शोषित समाज को धोखा देने के लिए एक सही राम नहीं बल्कि रामविलास पासवान जैसे गुलाम राम पैदा किए हैं, जो केवल गरीब और मजलूमों का हित रेडियो और दूरदर्शन पर करते है, सही मायने में यदि आपको दलितों और शोषितों से हमदर्दी होती तो सबसे पहले आप गरीबों का जमीन बांटते।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में खेती कौन करता है, हल कौन चलाता है, कारखाने कौन चलाता है, सड़कें कौन बनाता है इस देश का कारोबार चलाने में कौन मदद करता है, मेहनत मजदूरी कौन करता है, तो मैं बताना चाहती हूं कि यदि आपको गरीब और मजलूमों से हमदर्दी होती तो पहले आप भूमि का राष्ट्रीयकरण करते शिक्षा का आपको राष्ट्रीयकरण करना चाहिए था तब हम समझते कि आप सही मायनों में गरीबों और मजलूमों के हितैषी है।

दूसरा सवाल मण्डल कमीशन का है। मैं पूरे सदन को बताना चाहती हूं कि आपने तो थोड़े से हिस्से को सामने रखा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 10 अगस्त 1985 से लेकर 31 मई 1990 तक मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए मान्यवर कांशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की ओर से देश के कोने कोने में आंदोलन छेड़ा था। मैं बताना चाहती हूं यदि आप मण्डल कमीशन की सिफारिशें सही मायने में लागू करना चाहते थे तो उसके लिए यहां पर विस्तार से बहस होनी चाहिए थी, फिर आपको हम बताते कि नौकरियों में आरक्षण देने से पहले शिक्षा में आरक्षण देना बहुत जरूरी है। लेकिन आप देवी लाल से डर रहे थे। 9 अगस्त को तारीख को रैली होने वाली थी तो देवी लाल के डर से लोगों का ध्यान खींचने के लिए आपने अधकचरी मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का फैसला लिया। मैं कहना चाहता हूं कि आगरा का पनवारी काण्ड आज भी पुकार रहा है। माननीय प्रधान मन्त्री जी आपको दलितों से

प्यार होता तो वहां पर काफी मां-बहनों की इज्जत लुटी है बहुत से दलितों की जानें गयी हैं, उनको बेकसूर मौत के घाट उतारा गया, आप कहते है मुझे दलितों से प्यार है, मैं कहती हूं आपको दलितों से नहीं आपको कुर्सी से प्यार है। यदि दलितों से प्यार होता तो कुर्सी को लात मार कर आगरा के अन्दर जाते और जाटवों को सही न्याय देते। इतना ही नहीं जो लोग कहते हैं, मैं कांग्रेस का फेवर नहीं कर रही, आपका भी फेवर नहीं कर रही, जहां तक बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ने का सवाल है, आज वे कांग्रेस पार्टी में नहीं, प्रधान मन्त्री जी, आप वे आपके मन्त्रिमण्डल में आपकी बगल में बैठे हुए हैं। राजीव गांधी आज विपक्ष में क्यों बैठे हैं, क्योंकि उनके सलाहकार सही नहीं थे। स्वर्गीय जगजीवन राम जी ने यदि बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर दलितों का उद्धार करने के लिए सही सलाह दी होती तो कांग्रेस पार्टी को ये दिन नहीं देखने पड़ते। आरिफ मोहम्मद खान आज वी. पी. सिंह की बगल में मन्त्रिमण्डल में बैठे हुए हैं, जो पहले कांग्रेस में थे। बी. जे. पी. भी इनकी बगल में बैठी हुई है। आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने मुस्लिम परसनल लॉ के मामले में राजीव गांधी को सही सलाह नहीं दी।

जहां तक अरुण नेहरू का सवाल है, बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ने का सवाल आया, आज ये आपकी बगल में बैठे हुए है, ये वही आदमी है जो राजीव गांधी को कांग्रेस में रहकर सही सलाह नहीं दे सके और मुस्लिम समाज के लोगों को बाबरी मस्जिद पर कब्जा करने के लिए, मुसलमानों को न्याय न मिल सके, आरिफ अरुण नेहरू ने सही सलाह नहीं दी। मैं बताना चाहती हूं माननीय कांशी राम जी का शुरू से कहना है कि कांग्रेस पार्टी सांपनाथ है तो राष्ट्रीय मोर्चा नागनाथ है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि दोनों में से जो गरीबों, मजलूमों के हित में अपने जहर को कम करेगा और उनके हित में काम करेगा, हम उसको समर्थन देंगे। मैं अपनी पार्टी की राय बताना चाहती हूं। प्रधान मन्त्री जी, आज आपने विश्वास का जो प्रस्ताव रखा है, थोड़ी देर में उस पर मतदान होगा। लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि बहुजन समाज पार्टी के पास तीन वोट हैं, आप हमसे समर्थन लेना चाहते हैं। लेकिन दुःख की बात यह है कि आपके घर में ही फूट पड़ चुकी है, हमारे तीन वोट भी बेकार जायेंगे। आधा जनता दल चन्द्रशेखर के साथ चला गया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि यदि तीन वोट के कारण आपकी सरकार बचती है तो तीन वोट हम आपको देंगे। लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि आप की सरकार तीन वोट से नहीं ज्यादा वोट से गिरेगी। हम अपने वोट खराब नहीं करना चाहते। चुनाव के मौके पर एक-एक वोट की बहुत कीमत होती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहती हूं कि यदि आप लोगों ने इस देश के अन्दर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा नहीं दिया तो इस देश का दलित, शोषित पिछड़ा समाज, सिख मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट समाज आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, जिनकी आबादी 100 में से 85 है। मुट्ठी भर हिन्दू जिनकी आबादी 100 में से 15 है वह बहुजन समाज आपका डट कर मुकाबला करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं।

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : माननीय उपाध्याय जी, आज आपने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। आज विश्वास के प्रस्ताव पर हालांकि दूसरे विषय उठाए गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर

पर चर्चा का विषय है वह संकट जिसका हमारी धर्म निरपेक्ष राज्य व्यवस्था को आज सामना करना पड़ रहा है। मैं यह उम्मीद करता था कि संकट की इस बेला में वे सभी पार्टियां और सभी व्यक्ति जिनका विश्वास धर्म निरपेक्षता में है एक आवाज होकर अपनी बात कहेंगे और देश को इस संकट से उबारने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने राजनैतिक पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों से ऊपर नहीं उठ पाए है। जो बुनियादी आदर्श और सिद्धान्त हमें स्वतंत्रता संग्राम से विरासत में मिले हैं आज जब उनको संकट पैदा हुआ है तब शायद जरूरत इस बात की थी कि हम राजनैतिक मतभेद भुलाकर और पार्टी की दीवारों से ऊपर उठकर इस मामले में एक मत होते कि इस चुनौती का कैसे मुकाबला किया जाये और इस बारे में अपना कोई कार्यक्रम बनाते। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मेरी नीयत किसी की आलोचना करने की नहीं है, कि हम बदकिस्मती से ऐसा नही कर पाये। बुनियादी बात यह है कि पिछले दिनों अयोध्या विवाद को लेकर जो कुछ हुआ उसके कारण राजनैतिक संकट पैदा हुआ। सरकार को जिस भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था उसने अपना वह राजनैतिक समर्थन वापस ले लिया और सरकार ने भी सोच समझकर फैसला किया तथा आज जब हम इस सदन में विश्वास का प्रस्ताव लाए है तो, जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा, हमारे मन मे कही यह बात नही है कि यह सरकार बच जायेगी और विश्वास का प्रस्ताव पास हो जायेगा, बल्कि बुनियादी उद्देश्य यह था कि इस राष्ट्रीय आदर्श को बचाने के लिये इस सदन में जो चर्चा हो उससे ऐसा एकमत उभरे जो देश को संकट से निकालने वाला और हमें रास्ता दिखाने वाला हो। महाभारत में आता है कि पांडवो और कौरवों की जब शिक्षा शुरू हुई तो द्रोणाचार्य ने पहले दिन उन्हें सबक दिया "सत्यम् वद धर्मम् चर" सच बोलो और धर्म के अनुसार आचरण करो। जो राजकुमार पढ़ने के लिए बैठे थे उनको अपना सबक सुनाने के लिए कहा··· (व्यवधान)·· युधिष्ठर को छोड़कर बाकी सबने तेजी के साथ अपना सबक सुना दिया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठर को डांटा और कहा कि अगले दिन याद करके आना। वह अगले दिन भी सबक नहीं सुना पाये, फिर अगले दिन भी नहीं सुना पाये और बहुत दिनों तक नहीं सुना सके। अपनी जिन्दगी के आखिरी दिनों में जब धर्मराज युधिष्ठर थे तो उनसे पूछा गया कि आप इतना छोटा सा एक लाइन का सबक भी याद नहीं कर सके तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने पहले दिन जो पाठ पढाया था उसको केवल जुबान से सुना देना सबक याद करना नहीं था, उसको अपने जीवन में, अपने आचरणों में उतारने में मुझे पूरा जीवन लग गया, इसलिए में पहले दिन यह दावा नहीं कर सका कि मैंने वह सबक याद कर लिया है। हम धर्म-निरपेक्षता की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, लेकिन ठीक उसी तरह से जिस तरह कौरवों ने "सत्यम् वद धर्मम् चर" सुना दिया था हमने भी अगर धर्मनिरपेक्षता को अपने आचरण मे उतारा होता तो कोई कारण नहीं था कि आज धर्मनिरपेक्षता के लिए जो एक स्टैंड लिया गया है, और वह इस हद तक लिया गया है जहां सरकार और कुर्सी को कुर्बानी पर लगा दिया गया है, वह लेना पड़ता। कोई कारण नहीं था कि धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले, राष्ट्रीय एकता के आदर्श मे विश्वास करने वाले यहां पर एकमत नहीं हो सकते। श्रीमान इधर से मुझे अफसोस है कि शायद मेरे साथी मुझे गौर से नहीं सुन रहे, वरना कोई कारण नहीं है कि वे टीका-टिप्पणी करें·····

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अगर धर्मनिरपेक्षता की बात आप कर रहे हैं तो जब इलाहाबाद में उप-चुनाव हो रहा था आपको वहां जाने से क्यों रोका गया।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा। मैं यह मानता हूँ कि चाहे अयोध्या का विवाद हो या दूसरे दंगे हों, मैंने बार-बार कहा है यह केवल प्रतीक है, यह अलामत है, यह सिम्पटम है, सिम्पटम से लड़ाई नहीं होती। इलाज सिम्पटम का नहीं होता है, इलाज बीमारी का होता है। बीमारी असल में क्या है, वह है साम्प्रदायिकता। साम्प्रदायिकता कहां से पैदा होती है, निश्चित तौर से साम्प्रदायिकता वहां पैदा होती है जहां धार्मिक भावनाओं का या किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं के आधार पर राजनैतिक संगठन बनाने के लिए, राजनैतिक सत्ता हासिल करने के लिए, बड़ी कुर्सियां पाने के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया जाये। धर्म और मजहब भगवान और खुदा तक पहुँचने का जरिया है। लेकिन उस धर्म को जब कुर्सी तक पहुँचने का माध्यम बनाया जाता है तब समस्या पैदा होती है। निश्चित तौर से मेरा यह मानना है कि इस विवाद में दोनों तरफ के लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते, अगर मजहब की नुमाइन्दगी करने वाले लोग होते तो मजहब और धर्म का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए हिंसा और तनाव को गुंजाइश नहीं है। धर्म काहे का नाम है, धर्म नाम है करुणा का, वेदना का, धर्म नाम है दूसरों के अधिकारों के प्रति सचेत रहने का, धर्म नाम है दूसरों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने का, दूसरे का दिल रखने का। अगर मैं धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूं तो हिंसा नहीं हो सकती, अगर मजहब की नुमाइन्दगी करता हूँ तो तनाव नहीं हो सकता। मैं इसको पलट कर कहता हूं, अगर कहीं तनाव है, हिंसा है तो वहां धर्म नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। श्रीमन्, भारत के लिए डा. राधाकृष्णन् ने कहा था..... ...

श्री वसन्त साठे : बच्चे जल रहे थे तब यह सोचना चाहिए था।

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दंडवते) : समझने में तकलीफ हो सकती है, सुनने में क्या तकलीफ है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : आप मुख्य समस्या पर नहीं आ रहे, आप दूसरी चर्चा पर जा रहे हैं। डा. राधाकृष्णन् ने कहा था कि भारत एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं आदि का सम्मिश्रण हुआ है और उनके नजदीक आने से हम अपने सहअस्तित्व के इस सफल अनुभव के आधार पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकेंगे, पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकेंगे, पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकेंगे। लेकिन आज उस प्रयोग को, उन आदर्शों और सिद्धान्तों को जिन्हें महात्मा गांधी ने प्रतिपादित किया था, पं. जवाहर लाल नेहरू ने प्रतिपादित किया था, जिन्हें लागू करने के लिए अपने जीवन में उतारने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और बाद में हमारे देश के नेताओं ने अपने जीवन समर्पित कर दिये, उन आदर्शों को, उन सिद्धान्तों को कहीं न कहीं खतरा है।

श्रीमन्, मजहब क्या है :

"दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इन्सान को,
वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करीवया।"

जिसको हम सर्वशक्तिमान कहते है, जिसको हम सर्व-व्यापी कहते हैं, उसके अन्दर यह ताकत भी थी कि यदि वह चाहता तो मदन लाल खुराना जी को और मुझे एक जैसा कर देता।

यह उसकी ताकत के बाहर की बात नहीं थी। लेकिन जिसको हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसने हमारी नियति यह लिखी है, इसको बदलने का तरीका न तो हमारी शक्ति के अन्दर है और न हम ऐसा करते हैं। इस देश का प्राचीन दर्शन क्या है? इस देश का प्राचीन दर्शन है: "एक सद्विप्र बहुधा वदन्ति।" सच्चाई एक है, हक एक है, जानने वाले उसको अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। श्री अरबिन्द का भाषण पढ़िये। अपने भाषण में वह एक जगह कहते हैं कि यह बात समझ लीजिये कि हमारा प्राचीन दर्शन है "वसुदेव कुटुम्बकम्।" यह बात उन्होंने भारतवासियों को सम्बोधित करते हुए कही है कि यह समझ लीजिये कि जितना विष्णु का अंश एक हिन्दू के अन्दर है, उतना ही किसी दूसरे जीव के अन्दर है, उतना ही किसी मुसलमान के अन्दर भी है और उतना ही किसी दूसरे धर्म को मानने वालों के अन्दर भी है। यह भारत का प्राचीन दर्शन एकसक्लूसिवनेस नहीं सिखाता। मन्दिर काहे के लिए है, मस्जिद काहे के लिए है? बुनियादी तौर पर इबादत के लिए है और मैं कहता हूँ कि अगर हम बात करते हैं दशरथ नन्दन राम की, अगर हम बात करते हैं तुलसी के राम की, अगर हम बात करते हैं कबीर के राम की, अगर हम बात करते हैं गांधी के राम की, वे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जिन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए अपना मुकुट उतार कर रख दिया था, वे राम थे जो अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए अयोध्या को छोड़कर चले गये। मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर यह आन्दोलन चलाया जा रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मुझे डर लगता है कि कहीं हम राष्ट्रीय मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूँ? आपने मुझसे इलाहाबाद के बारे में एक सवाल पूछा था। इलाहाबाद के सन्दर्भ में चूंकि हमारी बहिन मायावती ने बात भी कही थी। आप इलाहाबाद से और आगे बढ़िये। मेरा जिस समुदाय से ताल्लुक है, जब उनकी तरफ से ऐसी बातें कही गयीं जिसमें मैं राष्ट्रीय मर्यादा का उल्लंघन मानता था, उस समय भी मैंने अपनी आवाज जोर से उठायी थी। अगर अदालत के खिलाफ अवमानना, संविधान के खिलाफ अवमानना हमारे भाषणों से होती है, अगर हमारे वाक्य से होती है, अगर हमारे कर्म से होती है तो निश्चित तौर पर यह राष्ट्रीय मर्यादा का उल्लंघन है। मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता, खासतौर पर माननीय सदस्य श्री लोढा जी ने जिस शाहबानो केस का नाम लेकर कहा, मैं यह मानता हूं कि वे इस बात से सहमत होंगे। वे हाई कोर्ट के जज रहे हैं और बड़े न्यायविद् रहे हैं। वे इस बात से सहमत होंगे कि एक बार अदालत का फैसला हो जाने के बाद।

[अनुवाद]

आप निश्चित रूप से न्यायालय का फैसला निष्प्रभावी करने के लिए विधाई कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। लेकिन न्यायालय का फैसला आने से पहले अगर मैं रोजाना यह कहता रहूं कि मैं न्यायालय के फैसले को स्वीकार नहीं करूंगा तो यह न्यायालय, कानून और संविधान की अवमानना है।

[हिन्दी]

और मैं यह हरगिज नहीं कहूंगा कि यह आपकी नीयत है। मैं यह आरोप माननीय सदस्य या किसी दल के ऊपर नहीं लगाना चाहता। हो सकता है कि अपने श्रद्धा भाव से विह्वल होकर आपने ऐसी बात कोई की हो और मुझे विश्वास है कि जब आप ठण्डे मन से उस पर गौर करेंगे, उस बात को सोचेंगे तो आप उस पर पुनर्विचार करने के लिए, मुझे यकीन है कि अपने आपको जरूर तैयार करेंगे।

श्रीमान, जैसे मैं पहले कह रहा था कि कहीं न कहीं हम मजहब को या धर्म को जब हम अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये समस्याएं आती हैं, वरना बुनियादी तौर पर धर्म या तजहब तो प्रेम का रास्ता दिखाने वाले हैं, प्यार-मोहब्बत का रास्ता दिखाने वाले हैं। महोदय, हजरत अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे बड़े मुरीद थे। इसी दिल्ली के बाहर महरौली में अपने चार साथियों के साथ वे जा रहे थे। उधर से गांव के लोग देवी के मन्दिर में कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए जा रहे थे। उनके साथ ढोल-बाजा बज रहा था और गांव के वे चार-पांच लोग मस्त होकर नाच रहे थे। हजरत अमीर खुसरो के रास्ते में वे लोग पड़े तो हजरत अमीर खुसरो रास्ते में रुक गये। वहां से जब लौटकर आये तो उनके साथियों ने उनको पकड़कर पूछा कि हजरत, ये तो बुतपरस्त हैं, बुतों की पूजा करते हैं, आप इन बुतपरस्तों के जुलूस में शामिल होकर मन्दिर तक क्यों गए ? तो हजरत अमीर खुसरो ने कहा :—

"हर कौम रास्ता राहे, हर दीन कि बला गाहे
मन कि बला रास्त करदम चरतज कज कलाहे।"

हर दीन सही रास्ते पर है हर कौम सही रास्ते पर है, आदमी का विश्वास आदमी की श्रद्धा महत्वपूर्ण है, उसे किस तरह व्यक्त किया जाये यह महत्वपूर्ण नहीं है। बुनियादी बात क्या है ? मन्दिर और मस्जिद, उसी श्रद्धा को व्यक्त करने के स्थल हैं। अगर हम भारतीय दर्शन के मुताबिक जाएं तो मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है-मेरा पूरा विश्वास और आस्था है प्राचीन भारतीय दर्शन में-कि धर्म अलग नहीं हो सकते, पंथ अलग हो सकते हैं। और अगर धर्म अलग नहीं हैं तो यह मानिए कि मस्जिद में उसी निर्गुण परमेश्वर की पूजा हो रही है जिस सगुण परमेश्वर की पूजा मन्दिर में होती है. दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन यह तब है जब हम मानें कि इस देश का दर्शन तो यह है। इस देश का दर्शन यह नहीं है कि आपको किसी खास तरीके से पूजा करनी है। वहां तो पूजा के तरीकों में भी बताया गया है :

"उत्तम सहजावस्था, द्वितीय ध्यान धारणा
तृतीय प्रतिमा पूजा, होम यात्रा चतुर्थ।"

पूजा करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे अच्छा तरीका 'उत्तम सहजावस्था' है, जहां इन्सान जर्रे-जर्रे के अंदर खुदा के वजूद का अहसास करे। द्वितीय ध्यान धारणा"-अगर तुम इस लायक नहीं हो तो फिर ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अगर वह भी सम्भव न हो सके तो 'तृतीय प्रतिमा पूजा", और यह भी न हो सके तो "होम यात्रा चतुर्थ," इसे अपनाओ। मेरा कहना है कि इस देश का प्राचीन दर्शन, इस देश के प्राचीन धार्मिक मूल्य इस बात की इजाजत ही नहीं देते कि हम नाम पर लड़ें। अलग-अलग तरीके से पूजा करने के नाम पर लड़ाई नहीं हो सकती।

मैं फिर एक बात कह रहा हूं श्रीमन कि निश्चित तौर पर मेरा यह सब कुछ कहने का मतलब अपने साथियों की किसी दलील को काटना नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं और इस नाते कह रहा हूं श्रीमन् ताकि हम इस संकट के माहौल में, इस चुनौती की बेला में इससे उबरने के लिए कोई रास्ता निकाल सकें।

श्रीमन् मैं एक और बात कहते हुए अपनी तकरीर खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी

और लेफ्ट फ्रंट, वामपंथी दलों के साथ चुनाव में हमारा सीटों का तालमेल हुआ था। नेशनल फ्रंट पार्टी का अपना एक ही चुनाव घोषणापत्र था, लेकिन भारतीय जनता और वामपंथी दलों का चुनाव घोषणा पत्र अलग अलग था। अब बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में भी थे और हमारे घोषणापत्र में भी थे। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में अलग स्टैंड लिया गया था और हमारे घोषणापत्र में अलग स्टैंड लिया गया था। श्रीमन्, मुझे अच्छी तरह याद है कश्मीर के ऊपर चर्चा के दौरान इसी सदन में जब विपक्ष की तरफ से पूछा गया कि कश्मीर के ऊपर आपका भारतीय जनता पार्टी का, जो इस सरकार को समर्थन करती है, क्या स्टैंड है, हमारा क्या स्टैंड है तो सम्माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, मेरे कानों में आज भी वे शब्द गूंज रहे हैं, कहा था कि कश्मीर के मामले में धारा 370 के ऊपर हमारा मतभेद उस दिन भी था, जिस दिन हम चुनाव लड़ रहे थे, हमारा मतभेद उस दिन, उस वक्त भी था जिस दिन हमने इस नेशनल फ्रंट की सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था और हमारा मतभेद आज भी है और चूंकि वह मतभेद पहले से थे इसलिए मैं यह अपेक्षा नहीं करता हूं कि नेशनल फ्रंट आज हमारी बात को मान लेगा। श्रीमन् मेरी समझ में यह नहीं आता कि जिस तरह कश्मीर के मामले पर मतभेद था, उसी तरह अयोध्या के मामले पर भी हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनाव घोषणा पत्र में मतभेद था और वह मतभेद केवल इतना था कि अगर हम संविधान की शपथ लेते हैं तो फिर हम संविधान की रक्षा भी करेंगे और जब हम संविधान की रक्षा करेंगे तो न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी आदेश हो, उसे लागू कराना हमारा संवैधानिक और नैतिक दायित्व होगा। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप जो कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं या दूसरा जो कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि जब तक कोई मामला न्यायालय के विचाराधीन है, तब तक हम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश को लागू करें, यह हमारा संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। कश्मीर के मामले पर, जहां सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग विस्थापित होकर आ रहे थे, जहां देश की एकता और अखण्डता के लिए एक चुनौती थी, वहां आपने इतना जनरस ब्यू लिया, आपने कहा कि इस मामले में हमारा पहले भी मतभेद था, जिस दिन हमने सरकार बनवायी, उस दिन भी हमारा मतभेद था, आज भी मतभेद है इसलिए इस सरकार से हम यह अपेक्षा नहीं करते कि वह हमारी बात मान लेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक मामले में आपने इतनी फयाजी दिखायी और दूसरे मामले पर, जिस पर हमारा और आपका मतभेद था, उसमें आपने हमारे ऊपर इतना दबाव डाला कि हम आपकी उस बात को मान लें, जो आप कह रहे हैं।

श्री मदन लाल खुराना : आपने आर्डिनेंस को क्यों वापस किया ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन् वह तो हमारे प्रधान मन्त्री जी ने बता दिया कि आर्डिनेंस क्यों वापस लिया गया। आर्डिनेंस वापस लिया गया क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से कहा गया कि यह आर्डिनेंस हम स्वीकार्य नहीं है, इसीलिये उसे वापस लिया गया। श्रीमन् जैसा मैंने पहले कहा, मुझे आज बहुत खुशी है और मुझे यह भी विश्वास है, मैं अपनी उम्मीद खत्म नहीं कर रहा हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रेम पर या जो देश की व्यवस्था है उसके प्रति उनकी आस्था पर कोई संदेह नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि, अगर आज नहीं तो कल, वे यह अवश्य महसूस करेंगे कि जो कुछ हमने किया है उस पर पुनर्विचार करें। मैं यहां कुछ और नहीं कह रहा हूं कि उनको अपने स्टैंड पर पुनर्विचार करने की, सिर्फ सोचने की आवश्यकता थी···(व्यवधान)···

मैं यहां कतई वोट के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं इस देश की व्यवस्था को बचाने की बचत कर रहा हूं, राष्ट्रीय आदर्शों को बचाने की बात कह रहा हूं। जहां तक सरकार का सवाल है, मैंने पहले ही कहा, हमें यह गलत फहमी नहीं है कि आज के इस विश्वास के मोशन पर यह सरकार बच जायेगी। हमें यह गलतफहमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम यह प्रस्ताव इसलिये लाये हैं कि इस मामले पर चर्चा हो सके, इस देश की सर्वोच्च संसदीय संस्था में कोई रास्ता निकल सके ताकि हम इस संकट का, इस चुनौती का मुकाबला कर सकें। श्रीमान् मुझे नाम याद नहीं, किन्होंने कहा था, लेकिन उर्दू का एक शेर है :

जिस शान से कोई मकतल में गया, वह शान सलामत रहती है।

यह जान तो जानी है, इस जान का जाना खास नहीं॥

यहां मकतल का मतलब है जहां फांसी चढ़ायी जाती है। श्रीमन्, मैं कहता हूं कि यह सरकार आज गिर जायेगी और एक नहीं दस सरकारें चली जायें लेकिन हम अगर इस देश के बुनियादी आदर्शों की रक्षा कर सकें, यदि हम धर्मनिरपेक्षता की रक्षा कर सकें, इस देश में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने जो सपने देखे थे, अगर हम उनके अनुरूप कार्य कर सकें तो यह सरकार चलाने से कहीं बड़ी उपलब्धि होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस काम में अपने आप को समर्पित कर देंगे।

(अनुवाद)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आजाद भारत के इतिहास में सारा देश आज एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज जैसी गंभीर स्थिति कभी नहीं थी। भावनाओं को अत्यधिक भड़काया गया है और हर घंटे साम्प्रदायिक स्थिति बदतर होती जा रही है।

आपको याद होगा कि ग्यारह महीने पूर्व यह सरकार चुनी गई थी और इस पुनीत सभा ने इस देश के प्रधान मन्त्री को विश्वास मत दिया था क्योंकि देश कश्मीर, असम और पंजाब जैसी अत्यन्त गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहा था, ऐसा इस आशा से किया गया था कि सत्ता में आने पर यह सरकार इन समस्याओं को हल करेगी। लेकिन सरकार कश्मीर, असम और पंजाब की समस्याएं हल करने में विफल रही है। देश सरकार के कार्य से असन्तुष्ट है।

मैं कश्मीर, असम और अन्य समस्याओं पर विस्तार से नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मसले पर स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां तक कश्मीर का सम्बन्ध है, मैं जानता हूं कि यहां पर मौजूद हम सब यह महसूस करते हैं कि कश्मीर में अत्याचार की नीति से हमारे कश्मीरी भाई अलग-थलग पड़ गए हैं। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि अनुच्छेद 370 एक संवैधानिक उत्तरदायित्व डालता है लेकिन इस संवैधानिक उत्तरदायित्व में कमी आई है और इसलिए सरकार कश्मीर के लोगों का विश्वास खो बैठी है।

असम की स्थिति भी अच्छी नहीं है। मुझे बताया गया है कि शताब्दियों से इस राज्य में रह रहे मुसलमानों से उनका मताधिकार छीनकर उन्हें एक द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

अब, मैं अन्य सभी समस्याओं पर विस्तार से नहीं बोलना चाहता। मैं समझता हूँ कि आज सबसे महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि का मामला है। जहां तक हमारा संबंध है, हम एक शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे। हम किसी भी न्यायिक संस्था के फैसले का इन्तजार करने के लिए तैयार थे। लेकिन समस्या यह कि मस्जिद को किसी भी कीमत पर गिराया नहीं जा सकता, वहां पर मस्जिद रहनी चाहिए और यह हमारे नियन्त्रण हो अब, यह कहा गया है कि 1936 तक वहां पर मस्जिद नहीं थी। ऐसा कहना पूर्णतया गलत है इसका निर्माण 1928 में हुआ था और यह वहां पर पिछले 450 वर्षों से है अर्थात चार शताब्दियों से अधिक समय हो गया है। मुसलमान इस मस्जिद का उपयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके अन्दर 1949 के आस-पास मूर्तियां रखी गई थी। मैं वहां पर इन मूर्तियों को रखने के बारे में बारीकी से नहीं जानता। सरकार कहती है कि ये मूर्तियां गलत तरीके से 22 दिसम्बर 1949 की रात को रखी गई थीं। हमारा आग्रह है कि मस्जिद न गिराई जाए। अगर वहां पर मूर्तियां रखी हैं और मस्जिद का उपयोग नहीं हुआ तो यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अन्याय है। निश्चित रूप से आज यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मस्जिद की रक्षा करना सरकार का दायित्व है और हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे। यदि सरकार इसकी रक्षा नहीं करती है तो यह उसकी असफलता होगी।

रथ यात्रा के बारे में आपका क्या विचार है? यह शुरू क्यों की गई थी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह रथयात्रा आक्रामक तथा गैर कानूनी थी। यह गैर-कानून रथ यात्रा आक्रामक इरादों से की गई थी। लोगों ने तलवार और त्रिशूल उठा रखे थे तथा रक्त बहाने की बात की गई थी। इसी कारण हमने रथ यात्रा रोकने और इस पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की थी। यद्यपि रथ यात्रा देर से रोकी गई थी, फिर भी इस कार्य के लिए मैं इस सरकार का आभारी हूं। मैं यह अवश्य कहूँगा कि रथ यात्रा प्रारम्भ में नहीं रोकी गई। रथ यात्रा और कार सेवकों द्वारा विवादास्पद स्थान हर कार सेवा शुरू करने संबंधी मामले से निपटने के लिए मैं श्री लालू प्रसाद यादव और श्री मुलायम सिंह यादव की प्रशंसा करता हूं। कार सेवकों ने मस्जिद पर आक्रमण किया, मस्जिद को तोड़ना चाहा, उसके गुंबद पर चढ़ गए और और उसके ऊपर नाचने लगे। हमने इसके चित्र देखे हैं। ऐसा पवित्र पूजा स्थल पर किया गया था।

अब मैं अध्यादेश से संबंधित दूसरे तथ्य के बारे में बताता हूं। यह अध्यादेश हमसे परामर्श किए बिना ही जारी किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि अध्यादेश के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गुप्त समझौता है तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। हमने अध्यादेश का विरोध किया था क्योंकि हम पूजा स्थल का अधिग्रहण कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूजा स्थल के अधिग्रहण से यह सरकारी संपत्ति बन जाती है जिससे उच्च न्यायालय में हमारे सभी अधिकार और दावे रद्द हो जाएंगे। हम इस सरकार का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने हमारी मांग पर इस अध्यादेश को वापस ले लिया है। इस सरकार ने विवादास्पद स्थान सर्वेक्षण सं. 586 पर कार सेवकों को राम मन्दिर बनाने की अनुमति कभी नहीं दी थी। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। यह सरकार बहुत महीनों से हिचक रही थी। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के व्यवहार से यह तथ्य सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि के मुद्दे पर कट्टरता और हिंसा द्वारा संवैधानिक गतिरोध पैदा करने का षड्यंत्र रचा था। बहुत समय तक टालमटोल करने के बाद इस सरकार ने भारतीय

जनता पार्टी के दबाव के आगे झुकने से इंकार कर दिया और धर्मनिरपेक्षता, कानून तथा राष्ट्र की एकता की रक्षा के लिए दृढ़ रवैया अपनाया। इसीलिए हम विश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे है। जबकि सदस्य संख्या के अनुसार इस सरकार का गिरना अवश्यंभावी है।

यदि यह सरकार गिर जाती है तो भारतीय जनता है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने संबंधी अपनी मूल नीतियों के अनुरूप हम ऐसी किसी भी वैकल्पिक सरकार का समर्थन करेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं होगी अथवा उसका समर्थन नहीं लेगी।

9.00 म. प.

मैं एक बात अत्यन्त स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल यदि श्री चन्द्र शेखर सरकार बनाएंगे तो हम उस सरकार का समर्थन देंगे क्योंकि हम इस समय चुनाव नहीं चाहते हैं जबकि स्थिति काफी गंभीर है और लोगों की भावनाएं भड़की हुई हैं।

एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को नष्ट करने का षडयंत्र किया था। रथ यात्रा और कार सेवा जैसे सभी कार्य देश के संविधान को नष्ट करने के लिए किये गये थे। इसलिये आज यह बात हुई है कि भारतीय जनता पार्टी आज अकेली पड़ गई है। वर्तमान सरकार ने इससे अपना संबंध विच्छेद कर लिया है तथा आने वाली सरकार का भी इससे कोई भी संबंध नहीं रहेगा। इस प्रकार, भारतीय जनता अकेली पड़ गई है।

मैं माननीय राष्ट्रपति जी से इस सम्मानित सदन में यह अपील करता हूं कि यदि यह विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है वह वृहद राष्ट्रीय हित में विपक्ष के नेता श्री राजीव गांधी अथवा श्री चन्द्र शेखर को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें और वह इस सम्मानित सदन में विश्वास का मत प्राप्त करें। इस समय मुझे यही करना है। मुझे आशा है कि जो भी सरकार बनेगी, वह स्थिर सरकार होगी और भड़के हुए सांप्रदायिक वातावरण में तनाव को कम करने का ईमानदारी से प्रयास करेगी तथा बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि की उत्तेजक और संवेदनशील समस्या का समाधान करने तथा शांति और सांप्रदायिक सद्भावना स्थापित करने का प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

श्री वामनराव महाडीक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जब ग्यारह महीनों तक इस शासन का उनका समर्थन किया तब तो उनको हमारी याद आई नहीं लेकिन जब समर्थन वापिस लिया तो चिल्ला-चिल्ला कर बातें करते हैं। इससे पहले इन्होंने हम से कभी खुल कर बात नहीं की। आज इनकी ही पार्टी में दो गुट पैदा हो गए है। हमने क्यों समर्थन वापिस लिया इसके बारे में जो कोई चाहे हम से पूछ सकता है। हमें आज सब की बात सुन कर यह महसूस हुआ कि लीडर प्लीडर बन गये, प्रीचर बन गये और हमें सिखाने लगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? अब हमें हर बात में उपदेश देते है कि ऐसे करो, वैसे करो जबकि यह एक गलत बात है। हमारे मित्र जो कि महाराष्ट्र से आये हुए हैं—एक अर्थ मन्त्री श्री मधु दण्डवत जी और दूसरे जार्ज साहब उन्होंने भी बहुत बातें की और उन्होंने शिव सेना और बाला साहेब ठाकरे का जिक्र किया। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हिन्दू हृदय सम्राट और शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे इनके बहुत दोस्त हैं। आज इनको यह याद आई कि हम लोग यण्डू गण्डू मद्रासी बोलते हैं। ग्यारह

महीने में हम लोगों के पास जाकर इन्होंने इस बारे में कभी पूछा नहीं। शिवसेना को 22 वर्ष हो गये उस वक्त एक दफा लाखों के जुलूस में जार्ज साहब बाला साहब और शरद साहब, हमारे मुख्य मंत्री तीनों इकट्ठे हो गये थे, तब यन्डू गण्डू की याद नहीं आई थी, तब मदद की याद आई तो हमने आपको मदद दी लेकिन इनकी संगत करने से हमको और हमारी पार्टी को फायदाई नहीं हुआ, हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ कभी। हमारे पन्त प्रधान ने हमको कभी नहीं बुलाया कि आओ बैठो, तुम्हारी पार्टी कैसी है, क्या है, कभी नहीं पूछा। न कभी जार्ज साहब ने पूछा, हम आपके पास कभी जाते थे तब भी हमारा काम नहीं हुआ। अब हमने समर्थन वापस किया तो आप हमारे उपर टीका करते हैं, यह गलत बात है। मैं जार्ज जी को पूछना चाहता हूं कि राम मन्दिर के बारे में अयोध्या में जाते वक्त जिस तरह से लोगों पर गोलियां चलाई और सैंकड़ों निःशस्त्र लोगों को मार डाला, तब आपको यह याद नहीं आया कि आप लोहियावादी हैं। जब आपका केरल में राज था तब पट्टन थानु पिल्लै वहां के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने वहां निहत्थे आदमियों पर गोली चलाई तो उनके मन्त्रिमण्डल को इस्तीफा देने के लिए यहां से आदेश भेज दिया गया और उन्होंने इस्तीफा दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने निःशस्त्र लोगों को मारकर भी आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया ? इसका कारण यह है कि मरे तो हिन्दू हैं और हमको सब सिखाते हैं, सैकुलरिज्म सब सिखाते हैं धर्मनिरपेक्षता। जब हिन्दू मरते हैं, हिन्दू के ऊपर जुल्म होता है तब सैकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता आपके सामने नहीं आतों है क्या ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सरदार पटेल जी का स्मरण किया, उन्होंने सोमनाथ का मन्दिर बनाया लेकिन उसका स्मरण, उसका रेफरेंस आपने क्यों नहीं किया। इन्दिरा जी का खून होने के बाद दिल्ली में आदमी लोगों को मारा गया, उसका फसाद यहां बनाया लेकिन महात्मा गांधी को जब मारा गया तो कितने लोगो को मारा गया, उसके बारे में आपको याद नहीं आई कि कितने लोगों को देश में मारा...

एक माननी सदस्य : कोई नहीं मरा।

श्री वामनराव महाडीक : महाराष्ट्र में बहुत लोग मारे, बहुत से लोगों के घर बार जला दिये। आपको क्या मालूम है, तब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। उपाध्यक्ष महाराज, 11 महीने के प्यार के बाद सब चिल्लाते हैं, बी. जे. पी. पर और हमारे उपर चिल्लाते हैं शेष कोपेन पूरयेन जो कुछ बाकी रह गया है, उन उसमें गुस्सा करना ठीक है क्या ? आप शान्ति से बोलो और हमारे लिए, आप जो चाहों करो, उसकी हमको परवाह नहीं है। मैं जार्ज जी से पूछ रहा हूं, आप तो कश्मीर के मन्त्री बन गये थे, कितने हिन्दू वहां से निर्वासित होकर बाहर गये, कितनी हिन्दू औरतों के ऊपर जुल्म हो गया, उनका घर बार जला डाला, किसी का छीन लिया। अब कौन हिन्दू अधिकारी उधर में रहेगा, आपको कभी यह देखा, सुना...

उपाध्यक्ष महोदय : आप खत्म कीजिए।

श्री वामनराव महाडीक : इतना ही नहीं सर्वधर्म समभाव बोलते हैं। कश्मीर में राष्ट्रीय झण्डा जलाया उसके बारे में आपने क्या किया। जगमोहन को आपने वहां से क्यों निकाला, क्योंकि वह हिन्दुओं को न्याय देता था। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष कश्मीर में कितने मंदिर टूटे बगलादेश और पाकिस्तान में गुस्से में कितने मन्दिर टूटे, आपकी सरकार ने किसी एक सरकार को एक लाइन भी लिखा कि इस तरह से मंदिर नहीं टूटने चाहिए उसकी हमको परवाह नहीं। सर्वधर्म समभाव, यह पन्त प्रधान तो हिन्दू हैं और गृह मंत्री मुसलमान हैं। आरिफ साहब अभी ऐसे बोले कि मैंने सोचा कोई भगवान ने दूत भेजा है।

मैं आरिफ साहब से पूछता हूं कि जब शाहबानो का केस सुप्रीम कोर्ट में उसके पक्ष में निकाल दिया गया तो कांग्रेस ने यहां लोक सभा गृह में मुसलमान औरतों को मेण्टीनेंस चार्ज नहीं देने का कायदा बनाया। इस सभा गृह में मुसलमान भाई मां-बहन के लिए कायदे-कानून को बदल डालों।...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : महाडीक जी, आप थोड़ा सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। आप को बोलने का वक्त दिया है, मेरी भी सुनिए। देखिए, यह डिबेट आठ बजे तक पूर्ण करनी थी लेकिन अब नौ बज रहे हैं। इसके पश्चात् प्रधान मंत्री जी का उत्तर होगा और उसके बाद वोटिंग होगी। मेरे पास चार पांच नाम और भी बोलने के लिए हैं। सब लोगों को थोड़ा-थोड़ा बोलने के लिए वक्त दे रहे हैं। आपको बोलने के लिए वक्त देने के बाद आप रुकते ही नहीं है बोलते ही चले जाते हैं तो दूसरों को मुश्किल हो जाती है। आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री वामनराव महाडीक : पंजाब में हिन्दू काटे जाते हैं, काश्मीर में हिन्दू काटे जाते हैं और सर्वधर्म संभाव है तो हिन्दुओं को न्याय नहीं मिलता है। हमारा नया विचार है कि इस देश में राष्ट्रीय आधार होना चाहिए चाहे वह धर्म, जाति का नहीं होगा लेकिन जो इस देश में अपने को इस धरती का मानता है वन्दे मातरम् करता है वह हिन्दू कहलाने के लायक होता है। यह समझ कर इस राष्ट्र का हिन्दुत्व एक मूल धर्म होना चाहिए। बाकी धर्म छोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है .. (व्यवधान)...हम भी उस मत के हैं कि इस देश में एक राष्ट्र धर्म होना चाहिए। बाकी देश में हर एक मजहब के लोग रहते हैं लेकिन उनका राष्ट्रियत्व का धर्म अलग होता है ... (व्यवधान) ...धार्मिक ध्रुवीकरण करने की बात होती है। हमारे ऊपर इल्जाम नहीं रहना है। हम ध्रुवीकरण नहीं करते हैं। जब तक इस देश में हिन्दू बहुसंख्यक हैं हिन्दुस्तान है और हमारा धर्म हिन्दु है तब तक हमारा राष्ट्रधर्म हिन्दुत्व ही रहेगा। उनपर कोई हमला होता है तो एक जुट होना चाहिए और उसका मुलाकात करना चाहिए तथा उसकी रक्षा करनी चाहिए।...(व्यवधान)... हमारी शिवसेना प्रमुख के श्री बालठाकरे जी ने कहा है, तीन स्थानों पर राम जन्म भूमि काशी विश्वनाथ का मंदिर, द्वारिका मे कृष्ण जी का मंदिर—आक्रमण करके मस्जिदें हो गई है, तो उनको वापिस ले लें और इसको रखें अब तक तीन हजार मंदिरों को तोड़ कर मस्जिदें हो चुकी हैं। हमारा भी धर्म होगा तो अभिमान सम्मान होगा। जैसे मुसलमान के लिए होना चाहिए, इसाई के लिए होना चाहिए, वैसे ही हिन्दुओं के लिए बहुसंख्यक के लिए हिन्दू धर्म का स्थान होना चाहिए। यह अभिमान हम छोड़ने वाले नहीं है।...(व्यवधान)...हिन्दुस्तान को पाकिस्तान करने का कोई एलान कर दें, इस वास्ते हिन्दुस्तान को बचाना चाहिए। क्योंकि लड़ के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिन्दुस्तान के नारे इस देश में उठ रहे है...(व्यवधान) ...

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद महाडीक जी का भाषण नहीं जाएगा। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान) ..

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महाडीक, अब मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री चांद राम (हरदोई) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ये जो बहस है बड़ी लम्बी हो रही है और इसमें सिवाय एक बात के कि सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं, मैं अपनी सरकार को सेक्युलरिज्म को, बचाने के लिए ये बलिदान कर रहा हूं। वे बलिदानी बनना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उनके बलेम की घोषणा को श्री आडवाणी जी ने पहले ही खोल दिया है। उन्होंने कहा कि आर्डीनेंस जारी किया गया और बात भी की गई। यह कहा गया कि मैं भी वहां कार सेवा के लिए चलूंगा। मैं उस वर्ग से ताल्लुक रखता हूं जो बहुत ज्यादा धर्म के मामलों में मानव धर्म को समझते हैं और मैं समझता हूं कि हमारे लिए और जिनके लिए वे कहते हैं कि मण्डल कमीशन के लिये उन्होंने सिफारिश की। (व्यवधान)

मेरे आदरणीय दोस्त जार्ज फर्नान्डीज जी कह रहे थे, हमने मण्डल कमीशन पर अमल किया इसलिए हमारे खिलाफ रामजन्म भूमि का आन्दोलन हुआ। मैं हैरान हूं कि सन् 1952 में एम. एल. ए. बना था, 1955 में काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई (व्यवधान) और उस वक्त से हमारे जैसे लोग इस बात की कोशिश करते रहे कि काका कालेलकर की रिपोर्ट और फिर सन् 1975,77 और 78 में जब जनता पार्टी का राज आया तो मैं उन आदमियों में से हूं जिन्होंने इस मंडल कमीशन को कायम करवाया। मण्डल कमीशन की रिपोर्ट आई. उसके लिए हम कोशिश करते रहे कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को मान लीजिए। लेकिन मैं हैरान हूं कि 8-10 महीने तक काम चलता रहा मगर 1-7 अगस्त को ऐलान हुआ कि हमने मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को मान लिया है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी मंत्री रहे हैं, मैं भी मंत्री रहा हूं, मण्डल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद या कोई भी रिपोर्ट आने के बाद गवर्नमैंट आर्डर जारी होता है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि इसको सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील ने कहा है। (व्यवधान) क्या कोई कास्ट नोटिफाई हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई कास्ट नोटीफाई नहीं हुई। हमने ज्वाइंट सेक्रेट्री को स्टेट्स में भेज रखा है। (व्यवधान) उन्होंने कहा कि कौन सी लिस्ट होती है कौन सी शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास की लिस्ट बनी है। यह अभी तय होना बाकी है। (व्यवधान) मैं पूछता हूं कि जब बेनीफिशरी को नोटीफाई नहीं किया तो मण्डल कमीशन की रिपोर्ट क्या महत्व रखती है। (व्यवधान) ये दुहाई देते हैं कि हमने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ये किया, हमने डाक्टर अम्बेडकर की प्रतीमा लगा दी. डा. अम्बेडकर की सेन्टीनरी सेलीब्रेट कर रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक प्लानिंग कमीशन योजना कमीशन ने कोई बेकवर्ड क्लास का हरिजन या शेड्यूल्ड कास्ट का हरिजन मेम्बर लिया (व्यवधान) बहुत से वायदे करने के बाद भी कि मैं शेड्यूल्ड कास्ट का मेम्बर लूंगा। क्या आज तक सारे हिन्दुस्तान में शेड्यूल्ड कास्ट या बेकवर्ड क्लास का कोई आदमी लिया गया। (व्यवधान) आज जिस केबिनेट की ये बात करते हैं उसमें सिवाय पासवान जी के कोई दूसरा आदमी केबिनेट मिनिस्ट्री में शेड्यूल्ड कास्ट का नहीं लिया गया। ये 66 परसेंट की बात कहते हैं कि हम 66 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट को देना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने गवर्नमेंट में एक भी आदमी हिमाचल में शेड्यूल्ड कास्ट का लिया है।

हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज भी बैकवर्ड क्लास का एक-आध ही लगा पाए हैं शेड्यूल्ड कास्ट का तो कोई नहीं लगा पाए। कहां गया इनका 66 परसेंट का दावा। (व्यवधान)

राज्यसभा में मेंबर बनाने के बारे में भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को इग्नोर करके भाजपा के मेंबर को लाया गया। जनता दल के मेनीफेस्टो में कहा गया है कि 66 परसेंट आदिवासियों, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन ये तो राज्यसभा में ही किसी मेंबर को नहीं ला सके। यह एक धोखे और उपेक्षा की कहानी है, सिर्फ दिखावे की कहानी है, कहने की बात और है और करने की बात और है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन भाजपा ने सपोर्ट वापिस लिया था, उसी दिन इज्जत के साथ ये इस्तीफा दे देते तो अयोध्या में जो हिंसा हुई है, इतने आदमी मारे गए हैं, प्रापर्टी का नुकसान हुआ है, यह सब बचाया जा सकता था। मैंने इनको एक पत्र भी लिखा था, मण्डल कमीशन के बारे में भी पत्र लिखा था कि आर्थिकतौर पर जो गरीब हैं, उनके लिए आरक्षण कर दिया जाए लेकिन उनके लिए आरक्षण की बात इन्होंने नहीं मानी। मैंने इनको पत्र लिखा कि आप इज्जत के साथ इस्तीफा दे दीजिए और देश मुल्क और पार्टी के लिए कुर्बानी कीजिए, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ। इन्होंने पिछले महीने की 27 तारीख को मीटिंग बुलाई थी तब भी मैंने कहा कि आप पद की गरिमा को देखते हुए देश और पार्टी के लिए कुर्बानी कर दीजिए लेकिन इसका ईनाम हमको क्या मिला। इसलिए देश हित के लिए यह अयोग्य नेता है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता लेकिन जब ये वित्त मंत्री थे मेरे पास कागज हैं, एक ही औद्योगिक घराने का 70 करोड़ रुपए का टैक्स रेट्रास्पेक्टी इफेक्ट से माफ किया गया था।

इस तरह से मैंने कभी नहीं देखा मेरे पास नोटीफिकेशन की कापी है, मैं इसका सुबूत पेश कर सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने चौधरी देवीलाल जैसे उप प्रधानमंत्री को डिसमिस कर दिया, जिस चौधरी देवीलाल ने इनको इलाहाबाद से जितवाया देश भर में इनके लिए प्रचार किया और कहा कि हमारा अगला प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह होगा, अपना ताज जिन्होंने उतार कर इनके सिर पर रख दिया, वह आदमी चौधरी देवीलाल का नहीं हुआ, उनको पद-विमुक्त कर दिया वह आदमी देश का कैसे बन सकता है। मैं समझता हूं कि जब कोई सैल्फ-इमोलेशन करता है, हिन्दू मुसलमान फसाद में कोई मरता है तो इससे सरकार की छवि खराब होती है, लेकिन ये दावा करते हैं कि यदि एक मौत होती है तो इससे हमारा एक लाख वोट बढ़ जाता है। इन्होंने अपने साथ यादव एक पासवान और एक दूसरे मुस्लिम साथी हैं इनको रखा हुआ है और ये कहते हैं कि 52 परसेंट बैकवर्ड क्लासेस के वोट पक्के कर लिए हैं 22 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के वोट पक्के कर लिए हैं और अब राम जन्म भूमि के नाम पर मुसलमान के वोट भी पक्के कर लिए हैं इसलिए अब तो हम 300 सीटें लाएंगे। ये कहते थे कि इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा उस बात को इन्होंने तोड़ा फिर कहा कि मैं यदि जीत गया तो पद नहीं लूंगा, पद भी इन्होंने लिया और उस बात को तोड़ा और अब कुर्सी से चिपके हुए हैं। आज यह कहावत बन गई है कि यदि किसी मीटिंग में सब चले जाते हैं और कोई व्यक्ति बैठा रहता है तो उसको कहा जाता है कि क्यों वी. पी. सिंह बना हुआ है, कुर्सी छोड़ दें। इनको कुर्सी से धक्का देकर हटाना पड़ेगा, अन्यथा ये कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज सारा सदन और देश समझता है कि यदि एक बच्चा मरता है तो उससे एक लाख वोट घटता है, लेकिन ये समझते हैं कि इससे हमारा वोट बैंक बन रहा है। मैंने इनको पत्र लिखा था कि इस तरह से मौतों के ऊपर अपना वोट बैंक

मत बढ़ाइए। इसी तरह से मण्डल कमीशन की घोषणा चौधरी देवीलाल की रैली में लोग न पहुंचे इसलिए की गई। इस तरह के नेता का पद से हटाना देश हित में है। इन शब्दों के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री ए. के. राय बोलेंगे। कृपया संक्षेप में बोलिए। 9.30 म. प. पर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यावहारिक रूप से सब कुछ कहा गया है और किसी को भी सुनने मे रुचि नहीं है। अत: आपने मुझे समय के बारे में बताकर मेरी सहायता की है। होने या न होने का आज प्रश्न है। हम सब रथयात्रा के शिकार है। भावी पीढ़ियां ही यह बतायेगी कि यह किसी अन्त की शुरुआत है या किसी शुरूपात का अन्त है।

लेकिन मैं केवल एक बात कह सकता हूँ। मैं इस सरकार का उत्साही समर्थक नहीं हूं इस सभा में, दुर्भाग्य से मैंने सरकार के प्रत्यक मुद्दे का चाहे पंजाब का है। कश्मीर का हो या आर्थिक नीतियो का या गैर नीति हो या औद्योगिक नीति सभी का विरोध किया था। मैं जोरदार शब्दों में इस बात को दोहराता हूँ कि यह सरकार एक के बाद एक छूटे दे रही है और अपनी कमजोरी दिखा रही है। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई है और गिर रही है यद्यपि इसीलिए मैं इस सरकार का विरोध करता हूं फिर भी आज मैं इस सरकार का समर्थन करता हू।

इस सरकार ने सकारात्मक भूमिका निभायी है और यह भूमिका सीमित है। इस सरकार की भूमिका क्या है ? क्या कुछ परिवर्तन करना है ? जी नहीं, इसकी भूमिका सीमित थी। गड़बड़ी को दूर करने की ही इसकी भूमिका थी और फिर कोई भावी सरकार अच्छी तरह कार्य कर सके कुछ सिद्धांतों के साथ एक नया रास्ता इसे बनाना था। इस सरकार का मैंने स्वयं मूल्यांकन किया है। मैंने पहले भी कहा था कि "यदि यह सरकार एक वर्ष के अन्दर गिर जाती है तो यह सबके लिए एक दुखद होगा और यदि यह सरकार दो वर्ष से अधिक चल जाती है तो यह दुर्भाग्य होगा।"

आज मैं कांग्रेसियों, गैर कांग्रेसियों और नकली कांग्रेसियों से यह अपील करना चाहता हूं कि राष्ट्र संकट में है। देश संकट में है। स्थिति की अनिवार्यता है कि कम से कम राजनीति में हम ईमानदार बनें। जो हम महसूस करते हैं उसे ईमानदारी से करें। किन्तु हम क्या कर रहे है ? प्रजातन्त्र के नाम पर हम दिखावा कर रहे है। वे कहते हैं कि वे सबसे शक्तिशाली विपक्ष है। सबसे शक्तिशाली विपक्ष क्या कर रहा है ? वे कहते हैं कि चुनाव कराने के लिए उनके पास समय नहीं है। किन्तु उनमें सरकार बनाने का साहस भी नहीं है वे किसी बाहरी सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं। इस सहायता का आश्वासन उन्हें सूरज कुण्ड में पहले ही मिल चुका है। वे अब किसी और व्यक्ति के नाम से सत्ता चलाना चाहते हैं। वे यही कर रहे हैं।

किन्तु मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा जो उस पक्ष में जा रहे हैं कि उन्हें उस समय

के लिए काफी सतर्क हो जाना चाहिए जब कांग्रेस (ई) उन्हें समर्थन देती है तो उन्हें सौ गुना और सतर्क हो जाना चाहिए। कांग्रेस (ई) उन्हें समर्थन देगी। मैं वर्ष 1979 में भी सदन में था। मैंने स्वयं इसे देखा है। कांग्रेस (ई) उन्हें ऐसा समर्थन देगी जैसा समर्थन फांसी पर लटके हुए व्यक्ति को रस्सी से प्राप्त होता है। आपको यह अवश्य समझना चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी को देखा है। वे कहते हैं कि वे सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दे रहे हैं। धनबाद में मुझे उस सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को देखने का अवसर मिला था। वहां पर पेट्रोल द्वारा चालित रथयात्रा की जा रही थी।

एक माननीय सदस्य : वातानुकूलित रथ ?

श्री ए. के. राय : मैं नहीं जानता। मैं यह नहीं देख पाया। किन्तु पेट्रोल द्वारा चालित उस रथ पर 'ओम' का चिन्ह था। हमने 'ओम' चिन्ह को उपनिषदों में देखा है। किन्तु रथ में वे अपने साथ कमल के चिन्ह को ले गये थे। क्या धर्मनिरपेक्षता की किसी भी परिभाषा के अनुसार 'ओम' को कमल के निशान के साथ मिलाया जा सकता है ? जहां तक चुनावों का प्रश्न है, क्या इसे किसी भी अदालत द्वारा समर्थन दिया जा सकता है ? मैं पार्टी के अपने मित्रों से पूछता हूं कि वे किसी प्रकार के हिन्दुत्व का समर्थन कर रहे हैं ? केवल मन्दिर बनाकर क्या वे यह कह सकते है कि वे हिन्दुत्व का समर्थन कर रहे है ? कुछ समय से हम इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। किन्तु मुद्दा यह है कि हर बार हम केवल शिलान्यास, रथ यात्रा, इत्यादि पर ही चर्चा करते हैं। हर व्यक्ति केवल इन्हीं विषयों पर चर्चा कर रहा है। निर्धनता बेरोजगारी भ्रष्टाचार या मूल्य वृद्धि इत्यादि किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं हो रही है। सब कुछ पृष्ठभूमि में चला गया है। अब केवल शिलान्यास, रथ यात्रा इत्यादि का मुद्दा ही बचा है।

महोदय, हमने और मेरे विचार से आपने भी हिन्दू सुधारवादियों की सभी पुस्तकें पढ़ी है। आप जानते है कि हिन्दू सुधारवादी आन्दोलन के गर्भ से ही हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति हुई थी। मैंने हिन्दू सुधारवादियों की सभी पुस्तकें पढ़ी थी। उनमें कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि हिन्दुत्व के उद्धार का मुख्य मुद्दा बाबरी मस्जिद—राम मन्दिर का है। कृपया स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती, रानाडे और गोखले की पुस्तकें पढ़ें। आप कृपया गीता का दर्शन और उसकी टीकाएं पढ़े। ऐसा किसमें लिखा हुआ है ? ऐसा एक भी पंक्ति नहीं है। तब ऐसा कैसे हुआ कि ये स्वयंभू अभिभावक मन्दिर बना कर हिन्दुत्व के उद्धार के लिए लोगों से अब काम करने को कहने लगे हैं ? वे नई खोज कर रहे है। ये लोग कहते है कि जब तक मस्जिद को तोड़कर मन्दिर नहीं बनाया जाएगा तब तक हिन्दुत्व का उद्धार नहीं हो सकता। वे नई खोज कर रहे हैं। निःसंदेह हमारे पास 'डिस्कवरी आफ इण्डिया' है। हमारे एक राष्ट्रीय नेता ने हमें वह पुस्तक दी थी। हमने इसे पढ़ लिया है और अब भी पढ़ रहे हैं। अब ये लोग भारत की नई खोज कर रहे है। वे कहते है की मन्दिर के बिना और मस्जिद को तोड़कर मन्दिर बनाए बिना हिंदुत्व का उद्धार अधूरा रहेगा यह एक महान खोज है। हम केवल इन्हीं विषयों पर बहस करने में सारा दिन बिता रहे हैं। मैं नहीं जानता कि भावी इतिहासकार क्या कहेंगे। हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में बहुत ऊंची बातें कर रहे हैं। किन्तु भावी इतिहासकार शंका करेंगे और सदन के विवेक के बारे में प्रश्न करेंगे। अब हमारे सामने मुद्दा यह है कि क्या मन्दिर बनाया जायेगा और क्या वहां पर मस्जिद रहेगी। बाहर जाने पर लोग आपसे पूछेंगे कि हर जगह अस्थिरता क्यों है। वे पूछ सकते हैं कि यह सरकार

क्यों गिर गई है। क्या हमें यह कहना चाहिए कि सरकार इसलिए गिर गई क्योंकि हम यह निर्णय नहीं कर सके कि वहां मन्दिर बनाया जाएगा या मस्जिद को वहां से हटाया जायेगा।

महोदय, आप जानते हैं कि लोग आवास संबंधी समस्या से पीड़ित हैं। इस बार हमें यह पता चला है कि संसद सदस्यों को भी आवास संबंधी समस्या है। यह सही है कि इस समस्या के लिए आवास समिति है। किन्तु, इस बार हमें यह जानकार आश्चर्य हुआ कि भगवान राम भी इस आवास समस्या के शिकार हैं। हर चीज को एक तरफ कर के, हमें उनके लिए अब एक विशेष मंदिर बनाना चाहिए और वह भी एक विशेष स्थान पर। ये लोग कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भगवान राम वहां पैदा हुए थे। मैं कहना चाहूँगा कि भगवान राम एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं हैं अपितु वे एक पौराणिक पुरुष हैं बाबरी मस्जिद भी पूर्णत: एक ऐतिहासिक वस्तु नहीं है। किन्तु वे कहते हैं कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ था और यह एक आस्था का मामला है। अयोध्या में कई मंदिर है जो इस विशेषता का दावा करते है। अब वे कहते है कि यह सिर्फ वहीं बनाया जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हनुमान का जन्म कहां हुआ था, सीता का जन्म कहां हुआ था लक्ष्मण का जन्म कहां हुआ था? आप मुझे यह बताइए। हम यह पता लगाए। (व्यवधान) मैं जानना चाहूंगा कि इसका क्या उद्देश्य है? मैं दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने की आपकी मांग का उद्देश्य समझ सकता हूं कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। किन्तु इसके लिए आपका क्या उद्देश्य है? क्या मस्जिद को गिरा कर इतिहास की दिशा बदली जा सकती है? उन्होंने यह सोमनाथ से अयोध्या, से प्रारंभ किया अर्थात इतिहास से प्राग ऐतिहासिक समय में गए। (व्यवधान) हमें आगे बढ़ना चाहिए। सोमनाथ एक ऐतिहासिक घटना है और अयोध्या एक प्रागैतिहासिक घटना है उन्होंने ऐतिहासिक से प्रागैतिहासिक स्थल की ओर गए हैं। (व्यवधान) अगर इतिहास को दोहराना संभव होता तो वे सोमनाथ से गजनी गए होते। वे सोमनाथ से अयोध्या क्यों गए? मेरे दल मार्क्सवादी समन्वय, का यह विचार है कि जनता दल की अंदरुनी लड़ाई ने दल को स्वच्छ कर दिया है। इसका विभाजन के बाद हम इस सरकार का समर्थन करने की और अधिक आवश्यकता महसूस करते हैं। हम आह्वान भी करना चाहेंगे क्योंकि यह सरकार अपनी सारी कमजोरियों पर काबू पाने के बाद अब धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र का प्रतीक बन गई है। हमारे विचार से इन मूल्यों को भंग करने की अपेक्षा संसद को भंग करना अधिक उचित है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम धन (लालगंज) : हमने भी नाम दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैं आपको बताना चाहूँगा यह डिबेट 8 बजे पूरी होनी चाहिए थी, मगर अब साढ़े नौ बज गये हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण होना है। बहुत से सदस्य खड़े हो जाते हैं, कितनी ही घंटी बजायी जाये वह बैठते नहीं हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं दो-दो मिनट एक-एक को दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम धन : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी के समय में पांच-छः मिनट तो देने चाहिए (व्यवधान) मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सन् 1999 मे जिस तरह की घटनायें घटी थीं, उसी तरह की घटनायें आज फिर घट रही हैं। उस समय संजय गांधी, मोहन मीकिन्स, राज

नारायण ने जनता पार्टी को दो टुकड़ों में विभाजित किया था। आज उसी संजय गांधी की पत्नी श्रीमती मेनका गांधी, धीरुभाई अम्बानी और उनके एजेंट लोग आज जनता दल को विभाजित करने मे लगे हुए हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1979 में श्री देवी लाल ने जनता पार्टी को तोड़ने में बहुत होशियारी से काम लिया। साथ ही उस समय भारतीय जनता पार्टी के श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, व श्री चन्द्रशेखर ने मोरारजी देसाई को मजबूर किया कि चौ. चरण सिंह को केन्द्रीय मंत्रिमंडल मे वापिस लिया जाये और उसका नतीजा बाद में बुरा निकला। इसलिए मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि बी. जे. पी. पर जिस ने विश्वास किया, उसने बहुत भारी गलती की। ये लोग देश के बारे में कभी नहीं सोचते ··(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : राम धन जी, आप बैठ जायें। मैंने सब लोगों की भावनाओं को जान लिया है, इसलिए आपको बैठना होगा। आपको काफी समय दिया है। आप प्लीज बैठ जायें।

श्री राम धन : मैं प्रधान मंत्री जी के समय में से कुछ ले रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वही इतिहास दोहराया जा रहा है। इसके लिए

9.43 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बी. जे. पी. के सदस्य जिम्मेदार हैं। इन्होंने ही जनता पार्टी को तुड़वाया था ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज। मि. प्राईम मिनिस्टर।

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष जो आज की बहस भारत की पहचान की बहस नहीं है। मौलिक राजनैतिक विश्वासों की बहस रही है। देश में मतभेदों के रहते हुए भी देश को कैसे चलाया जा सकता है, और कैसे रास्ते खोजे जा सकते हैं और हमारी मर्यादा क्या रही, इसकी बहस रह गयी। लेकिन एक बड़ी चीज निखर कर आयी जोकि साफ है और वह है कि बहस का मुख्य मुद्दा क्या रहा है? माननीय आडवाणी जी के आखिरी वाक्य से सुनिश्चित हो गया है। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। लेकिन जब उन्होंने आखिरी वाक्य कहा कि इसी मसले पर चलिए चुनाव हो जाए, मुद्दा निर्धारित हो गया क्या? यही अंतर 11 महीने के बीच में हुआ कि जब पिछला चुनाव था और ये मसला आया तो यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का मसला चुनावी मुद्दा नहीं और आज आदरणीय आडवाणी जी आखिरी वाक्य में कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि चलिए इसी पर चुनाव में चला जा सकता है, जनता के बीच में चला जाए और यही अंतर जो है कि हमारे मार्गों का अलग होना हुआ है। आप पूछते थे कि ग्यारह महीने हुए, ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? यही मौलिक परिवर्तन हो गया कि जो ग्यारह महीने पहले नहीं था और आज है। आज ये सरकार किस बात पर गिराई जा रही है? इस पर गिराई जा रही है कि वह एक इजलास के आदेश का उल्लंघन करने को तैयार नहीं है। इसलिए वह सरकार गिराई जा रही है कि वह इजलास की आज्ञा का उल्लंघन क्यों नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी सरकार जो इजलास के आदेशों का

जो संविधान की शपथ करके सत्ता में आते हैं वह उसकी रक्षा न कर सके तो उसको क्या अधिकार है कि एक दिन भी···(व्यवधान) यह नई बात आई है जिसे मैं बता रहा हूं जो ग्यारह महीने पहले नहीं थी। माननीय विपक्ष के नेताओं ने बहुत से सवाल किए, पन्ने दर पन्ने सवाल ही सवाल थे। लगता था कि उन के पास सवाल ही सवालों की विरासत भी मिली, जवाबों की नहीं।

श्री बसंत साठे : आज आखिरी दिन जवाब आप ही दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : राजनीति के कैलेंडर में आखिरी दिन नहीं होता है। असली मुद्दा यह है और फैसले का मुद्दा यह है यह भी पूछा गया कि रथ यात्रा पहले हो क्यों नहीं रोक दी गई? आप जानते हैं कि बीच में सब प्रयास चल रहे थे। धार्मिक गुरुओं से बात हो रही थी जो उसमें लगे हुए हैं, विश्व हिन्दू परिषद, बाबरी मस्जिद कमेटी के लोगों से बात हो रही थी, दलों से बात हो रही थी और कुछ सूरते-उम्मीद भी लगती थी कि शायद उसका हल निकल आए। और हमने जब आपस में सलाह की तो यह हुआ कि इस चीज का हल अगर निकल आता तो जरूर इसको मौका देना चाहिए हल निकालने के लिए। तमाम लोगों के दिल में जो दहशत है वह दहशत केवल एक इसी समय की नहीं हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएगी और उसके लिए सारा प्रयास करना चाहिए, अंतिम समय तक प्रयास करना चाहिए, लेकिन सिद्धांतों को छोड़कर नहीं। और वही बात, मौलिक बात और किसी भी स्तर पर वह चीज कभी नहीं छोड़ी गई कि अगर कोई चीज शुरू होनी है, काम होना है तो निर्विवादी स्थान पर ही हो सकता है विवादी स्थान पर नहीं हो सकता है। दूसरे हमें इजलास की मान्यता को रखना होगा। ये ही वे दो बिन्दु थे, जिनसे कभी हटा नहीं गया। हम चाहते थे कि आपसी समझौते से कुछ हल निकल आये, वह सबसे अच्छा है। उसी दिशा में सारे प्रयास किये गये परन्तु सारे प्रयास करने के बावजूद जब कोई सूरत नहीं निकली तब यह हुआ कि मौलिक सिद्धांतों से समझौता नहीं हो सकता जिन मौलिक सिद्धांतों को मैंने आपके सामने रखा। इसी दिशा में बिहार के मुख्य मंत्री ने एक कदम आगे बढ़ाया और रथ यात्रा को रोकना पड़ गया। आडवाणी जी ने कार-सेवा के बारे में कहा, मैं आज भी कहता हूं कि एक निर्विवादित स्थान पर दोनों दलों की सहमति के साथ, और उसकी मान्यता हुई कि स्टेटस-को को बनाये रखा जाये, इजलास की बात को माना जायेगा, उसकी रैस्पैक्ट की जायेगी। ऐसा लगभग सभी पार्टियों की तरफ से कहा गया कि उस मान्यता को सामने रखते हुए यदि किसी समझौते पर पहुँचा जा सकता है तो मैं ही नहीं और भी अनेक लोग चलने को तैयार होंगे, हमारे मुसलमान भाई भी चलने को तैयार होंगे, किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। यदि राम का मन्दिर बने तो इसमें किसी मुसलमान भाई को हक नहीं बनता कि वह कोई आक्षेप लगाये, कोई उसका विरोधी नहीं हो सकता। परन्तु एक ऐसे विवादित स्थान पर, जिसमें एक योजना के अन्तर्गत कहा जाये कि हम उस स्थान पर जायेंगे, ऐसा नहीं कि किसी नियत के लिहाज से वहां जायें, उस नियत पर मुहर लगवाने के लिए उस विवादित स्थान पर जाने का प्रयास करें इजलास की मान्यता रखते हुए तो उसका मुझे संकोच नहीं है, इन दायरों के अन्दर, जो मैंने तब भी कहे थे, और आज भी मैं कहने को तैयार हूँ और वह सबसे सुन्दर क्षण होगा, पूरे देश के लिए, देश की तरक्की के हित में।

आर्डिनेंस के बारे में, मैंने शुरू में ही कहा था कि दोनों पक्षों विश्व हिन्दू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, दोनों ओर से कहा गया कि वह हमें स्वीकार नहीं है तो जब दोनों पक्षों को

वह स्वीकार हो नहीं है तो ऐसी विवाद की चीज को डालने का कोई अर्थ नहीं होता। (व्यवधान) कुछ लोगों ने आखिरी सलाह दी कि जब सारा कुछ टूट रहा है तो उसमें एक रास्ता हो सकता है, एक रास्ता निकाला जाये और इसी आधार पर हमने आखिरी प्रयास भी किया। इस मसले पर आपसी समझौते से, आपसी बातचीत से कोई रास्ता निकले, इस प्रयास को हमें छोड़ना नहीं है। न तो मैं अपनी तरफ से छोड़ूंगा और मेरा ख्याल है कि कोई दूसरा जिम्मेदार आदमी उसको छोड़ेगा। परन्तु यह भी नहीं मानना चाहिए कि राम केयर आफ बी. एच. पी. इसकी मान्यता भी छोड़ देनी चाहिए। राम केयर आफ बी. एच. पी. नहीं हैं। (व्यवधान) वह भी नहीं है। इसलिए जितने भी हितैषी हैं, वे इसमें एक रास्ता निकालें और वह रास्ता इस मसले को सुलझा कर निकल आये, आपसी समझौते से निकल आये तो वह राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा प्रतीक हो जायेगा, उस ओर हमको प्रयास करना चाहिए। मैं तो इस मुद्दे पर, चूंकि हर चीज हमने दांव पर लगा दी है, इस लिये इस मुद्दे पर, हम इसके हल के लिए, लगे ही रहेंगे। इसी के साथ मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यहां भी एक ऐसा बिल इस सदन में आना चाहिए कि जितने भी इस देश में मन्दिर, मस्जिद या धार्मिक स्थान हैं, एक निश्चित तिथि पर उनकी जो स्थिति रही है, उसे यथावत रखा जाये जिससे कि उनके बारे में किसी को यह चिन्ता न रहे कि कोई मन्दिर टूटेगा, कोई मस्जिद टूटेगी या कुछ और टूटेगा। इस दिशा में हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोशी बैठ जायें। आर्डर प्लीज।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, जो बात मैंने सुबह कही वह बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर भगवान को भी अवतार के लिए मानव-शरीर धारण करना पड़ता है। वह सर्वशक्तिमान जो बैठे-बैठे सब कुछ कर सकता है, उसको भी मानव शरीर की पीड़ा को वहन करना पड़ता है। मानव संवेदना को वहन करना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि सर्वशक्तिमान भी जब इंसानियत की बात आती है, तो उसे भी स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, जिसे हमें मानना चाहिए। जहां इंसानियत है, वहीं भगवान है और वहीं भगवान अवतार होता है और वहीं पर उसका जन्म होता है और जहां उसका जन्म होता है, वह दिल है और दिल ही इंसानियत है उसका और कोई दूसरा स्थान नहीं है और अगर इसको हम न मानें तो वह बात सही कही ए. के. राय जी ने—जिसने पूरी सृष्टि को रचा हो, सारे ब्रह्माण्ड को रचा हो, उसको हाउसिंग की प्राब्लम हो गयी है क्या? हम लोग उनको घर देंगे? यह अपना अभिमान है और ऊपर से उस सर्वशक्तिमान को समझते हैं कि वह विभिन्न स्थानों में, चाहे मन्दिर हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, उनमें बांधकर रखते हैं, जेलखाना बना लिया है। क्योंकि ईंट-पत्थर मंदिर नहीं होता है, कुछ विश्वास और इंसानियत मंदिर होता है और इंसान के दिलों में बांटकर मंदिर और मस्जिद या कोई उपासना का स्थान नहीं बनता है। इसलिये उस इंसानियत में खाली हमको केवल पूजा स्थल होने में ही नहीं, उस इंसानियत को झांकना होगा कि वह समाज के अन्दर कितनी है। भगवान के बंदों की हालत क्या है? अगर उसके बंदों की हालत यह है कि हजारों वर्ष से बेड़ियों में जकड़े हैं, अछूत पड़े हैं, जिसको छूना भी बुरा है, जो पैदा होने से अन्त तक अपमान की जिन्दगी बिताता है, हमारे ख्याल से हमारा फर्ज यह होता है कि हम उसके लिये कदम उठायें और सब कुछ करें और हमने यही किया भी। जो पहले कहा गया कि सरकार एक तलवार है और अगर तलवार है, तो गरीब की ओर से वह चलेगी तो वह

पीड़ित, दलित और पिछड़े तथा शोषित हैं, उनकी ओर हमने अपनी शक्ति को लगाया है और इसलिये समस्यायें भी आयी हैं।

माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि विवेकशील सारी शक्तियों को एकत्रित कर दिया है और मण्डल कमीशन ने जातिवादी चीज को उठाया है। इसको बारीकी के साथ समझने की बात है। सामाजिक ढांचा और सत्ता का ढांचा बहुत कुछ एक दूसरे के अनुरूप चलता है। सामाजिक और आर्थिक ढांचे में कुछ अन्तर हो सकता है, लेकिन सामाजिक ढाचे की नीचे की सीढ़ियां और आर्थिक ढांचे की नीचे की सीढ़ियों में काफी सामंजस्य है। अगर हम किसी को कहें कि यह दलित वर्ग का है तो यह भी सत्य है कि वह 99 फीसदी गरीब भी है। अगर हम कहें कि वह पिछड़ा है, तो उसमें कुछ ठीक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 90 प्रतिशत उसमें छोटे किसान हैं, छोटे खेत वाले हैं, छोटे काम करने वाले हैं। लेकिन इतना सत्य है कि ऊंचे वर्ग का कोई है, तो वह धनी है।

10.00 म. प.

लेकिन विलोम सत्य नहीं है जिसके मायने वह दूसरा असत्य है, यह तर्क लगाया जाता है वह गलत है। जहां सामाजिक ढांचे और आर्थिक ढांचे में इस तरह का अन्तर हो जाता है और सामाजिक और सत्ता के ढांचे को देखें तो दोनों अनुरूप हैं। यदि सामाजिक ढांचे में अन्तर लाना है तो सत्ता के ढांचे मे अन्तर लाए बिना जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है। जातिवाद को खत्म करने के लिए सत्ता के ढांचे के अन्दर एक विकृति लानी होगी, एक न्याय लाना होगा तब यह जातिवाद खत्म होगा क्योंकि उसके बिना कोई रास्ता नहीं निकलता है। इसलिए हमने जो मंडल कमीशन के बारे में कदम लिया है वह मजबूती से लिया गया है, उसमें हम लोगों को कोई भी सन्देह नहीं है कि यह कदम हम लोगों ने किसी तरह से गलत लिया है। इसी तरह से हमारी किसान भाइयों के लिए, देहातों के लिए हम लोग कह रहे थे कि किसान और खेत-खलिहान को धूल लेकर आए हैं इसलिए गांवों के साधन की बात, गांव के किसानों के दाम की बात हो, उनको अगला पूरा दशक अर्पित करने की बात हो, उनकी सेवा में हम लोग प्रस्तुत रहे हैं। मैनीफैस्टो के जितने भी आईटम्स हैं, 51 बिल हम ला चुके हैं कि इस वर्ष में सारे बिलों को पास करके आगे पूरा किया जाता। एक पौधा उगा था, उसमें कुछ फल-फूल निकले थे लेकिन कुल्हाड़ी से इस समय उसे काटा गया है। हम लोगों ने नींव रखी थी, यह जरूर है कि दीवार खड़ी नहीं हो पाई थी, छत नहीं पड़ पाई थी लेकिन जो नींव पड़ी थी वह गरीबों की ओर से पड़ी थी।

जहां तक सरकार के स्थायित्व का सवाल है, यह अल्पमत की सरकार तो थी ही, लेकिन अल्पमत सरकार से अब हम लोग सूक्ष्म मत सरकार की ओर शायद बढ़ रहे हैं,

[अनुवाद]

अल्पमत सरकार से सूक्ष्मगत सरकार की ओर।

[हिन्दी]

इस ओर हम लोगों का कदम हो रहा है। इसकी राजनैतिक लैजीटीमेसी क्या है? क्यों देश की बागडोर संभालने के लिए राजनतिक लैजीटीमेसी होनी चाहिए? विभिन्न दल जो चुनकर आए हैं, एक दल के कार्यक्रम को लेकर आए हैं उनकी एक लैजीटीमेसी है और और वह बागडोर संभाले तो उसके अनुसार उसकी एक लैजीटीमेसी होती है लेकिन जनादेश की इस प्रस्तुति में

जो विकल्प है उसको अगर पूरा देश सौंपने की योजना है तो राजनैतिक मान्यताओं को तोड़कर परम्परा डालने की बात है और परम्परा से देश चलता है, वह परम्परा अगर गलत पड़ेगी तो गलत होगा।

मैंने जब जीप और ट्राली की बात कही तो यह सवाल हुआ कि कोई भी चीज ड्राईवर के अनुसार चलती है। ड्राईवर तो कोई भी हो सकता है लेकिन जीप का मालिक कौन है यह बिल्कुल साफ है।

(व्यवधान)

रामधन जी ने एक बात कही कि उनके ऊपर जान की धमकी दी गई और सांसद पैसे और पूंजी की भी प्रलोभन की बातें ध्यान में लाए हैं, यह बहुत ही खतरनाक चीज है। आज की 80 करोड़ की आकांक्षाए दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता के आए हुए पूंजीपति, नीलाम में रखेंगे या ओक्शन में रखेंगे। और यह पहले भी कहा था कि जैसे-जैसे कारपोरेट सेक्टर बड़ा होता जायेगा, मजबूत होता जायेगा, देश की राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करेगा। जो थोड़ा सा शुरू हुआ था उसके विभिन्न रूप क्रमशः सामने आने लगे हैं, यह जनतंत्र के लिये सबसे बड़ा खतरा है। इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि पहले कदम में ही बोफोर्स के सारे मामले बन्द कर दिये जायें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी कागजात इस सम्बन्ध में हैं राष्ट्रपति जी उनको अपने कब्जे में जरूर रखें और उनको सुरक्षित रखें।

अन्त में मैं अपने वामपंथ साथियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस बीच में उन्होंने सैद्धांतिक रूप से और सैद्धांतिक आधार पर बड़ी मजबूती के साथ हमारा साथ दिया।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : प्रधान मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख किया है और वह है बोफोर्स। आखिर सारा चुनाव उस पर ही लड़ा गया था और मैं समझता हूं कि आज जब इस पर चर्चा हो रही है अच्छा होगा कि आपके पास जितनी जानकारी इसके बारे में है वह कम से कम हमें दें··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. मधु दंडवते : श्री आडवाणी जी, आप जानते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है ?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं चाहे सरकार में नहीं हूं लेकिन मैं अपना दायित्व समझता हूं कि हमने जनता को कहा था कि हम इस मामले में पूरी छानबीन करके सारे तथ्यों तक पहुँचेंगे।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दंडवते : नए प्रधानमंत्री इसकी छानबीन करेंगे।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : कम से कम तथ्यों का तो पता चलना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : अपने को इतना नीचे मत गिराइए।

[हिन्दी]

श्री देवीलाल : प्रधानमंत्री जी बोफोर्स का मामला साफ कर दें तो अच्छा होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अपने पुराने साथी श्री दण्डवते जी की टिप्पणी पर मैं कड़ी आपत्ति करता हूं। मैंने कोई निम्न स्तर की बात नहीं कही है।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं श्री आडवाणी जी से क्षमा याचना करता हूँ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : संसद के प्रति सत्यनिष्ठा बरतते हुए, ग्यारह महीने पश्चात्, कम से कम संसद को यह बताना चाहिए कि उस जांच का क्या परिणाम रहा है ?

[हिंदी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह ठीक है इस बीच में जो प्रगति हुई है, उसके बारे में मैं आपको सूचना देना चाहूंगा। मान्यवर, जब मेरी सरकार आई, इस मामले में कोई भी एफ. आई. आर. लाज नहीं हुआ था। इस सरकार ने इस बारे में एफ. आई. आर. लाज किया···(**व्यवधान**) आप पहले सुन लें। यह खाली जे. पी. सी. रिपोर्ट पेश की है। उसका नतीजा यह हुआ कि स्विटजरलैंड में जो बैंक एकाउन्टस थे यह फ्रीज हुए। पिछली सरकार अपने कागजात मे कर सकती थी लेकिन उसने नहीं किया। उनकी इस बारे में क्या मशा थी, वह इससे साफ हो जाती है। इसी के साथ जूरिच कोर्ट मे हम लोगों को कामयाबी भी मिली और वहां हमारे पक्ष में फैसला हुआ। स्विटजरलैंड की फैडरल कोर्ट के अन्दर इस समय वह मामला है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर मामले में भी फैसला देंगे तो बाकी सब एकाउन्ट्स के कागजात गवर्नमेंट आफ इंडिया को देने को तैयार हैं। इस तरह की इसमे प्रगति हुई। जो सिक्रेट पोशंन स्वीडन का रिपोर्ट का था, जो कि नहीं आया था और जिसे पिछली सरकार हासिल नही कर सकी थी, हम लोगों ने प्रयास करके उसको भी हासिल किया है। इस तरह से इसमें काफी प्रगति हुई है और इस बीच मे फैसले भी हुए हैं। बाकी अब इसको अगली सरकार सम्भालेगी। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी प्रगति इस मामले में हुई है ?···(**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, देश दोषियों को बेनकाब करना चाहेगा। कल यह स्थिति आ सकती है, क्योंकि जो नई सरकार बनेगी, उसमें कांग्रेस पार्टी होगी तो हमको लोग कहेंगे कि आपने इनको अवसर दिया, ये बना दिये और इसलिए सब दब गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज कम से कम संसद् को जानकारी मिले कि अपराधी कौन है। (**व्यवधान**)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : प्रधान मंत्री जी की अनुमति से मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, यह आशंका स्वाभाविक है कि बोफोर्स मामले का क्या होगा तो क्या यह सम्भव है कि राष्ट्रपति के हवाले करने का जो आग्रह प्रधान मंत्री जी का है, वह भी सम्भव है, मगर क्या यह

सम्भव नहीं है कि सदन की मेज पर ही पूरे कागजात रख दिये जायें ताकि फिर गड़बड़ी की कोई गुंजायश न रहे ? क्या यह सम्भव है ?···(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर हम लोगों को इस समय न कोई दम्भ है, न कोई गुस्सा है। इस क्षण में हम लोगों को खुशी है और गर्व भी है, हम सिर छुपाकर नहीं जा रहे हैं। कुछ मौतें जिन्दगी से अच्छी होती है। मान्यवर, फांसी का फन्दा अपने लक्ष्यों के लिए चूमकर उस पर झूला जाता है, उस पर गमगीन होकर नहीं जाया जाता है। यह तो संघर्षों की बात है, यहां भी हम लोग सघर्ष करते रहे और यहां नहीं रहेंगे तो भी संघर्ष करते रहेंगे। सरकारें केवल पड़ाव होता है, वह अन्तिम लक्ष्य नहीं होता हैं। जो संघर्षों में रहते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे यहां हो, चाहे बाहर हो लेकिन उन लक्ष्यों के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हम उन लोगों को लेते रहेंगे, उन वर्गों को लेते रहेंगे जो उत्पीड़ित है, दलित हैं, उपेक्षित हैं, क्योंकि इतिहास नहीं बदला जाता है, कानून बनाकर कभी किसी देश का इतिहास बदला नहीं है जब तक कि वे वर्ग उभर कर नहीं आये हैं, जो व्यवस्था से लड़ने को तैयार हैं, जो उसमे दबाये गये हैं। वह जब आते हैं तभी इतिहास बदलता है, उनको लेकर हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे, जारी रखेंगे और जारी रखेंगे।

श्री देवीलाल : हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि सिर झुकाकर नहीं जा रहा। यह जा नहीं रहे, यह तो निकाले जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा के मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद में अपना विश्वास अभिव्यक्त करती है।" जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, वे कृपया "हां" कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विरोध मे हो, वे कृपया नहीं कहें।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय "नहीं" वालों के पक्ष में हुआ।

प्रो. मधु दंडवते : निर्णय "हां" वालों के पक्ष में है। हमें मत-विभाजन करवाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें।

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घायें खाली हो गई हैं। अब मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद में अपना विश्वास अभिव्यक्त करती है।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

मत विभाजन संख्या 1 पक्ष में समय 10.22 म.प.

अजित सिंह, श्री
अमात, श्री डा.
अली, श्रीमती सुभाषिनी
आचार्य, श्री वसुदेव
उन्नीकृष्णन, श्री के. पी.
काबडे, डा. वेंकटेश
कुन्डू, श्री समरेन्द्र
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
खां, श्री सुखेन्दु
खां, हाजी जी. एम.
खान, श्री आरिफ मोहम्मद
गिरि, श्री सुधीर
गुजराल श्री इन्द्रकुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी श्री सोमनाथ
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जायनल अबेदिन, श्री
जेना, श्री श्रीकान्त
जोरावर राम, श्री
झा, श्री भोगेन्द्र
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई
होम, डा. राम चन्द्र
तस्लमुद्दीन श्री
तीरकी, श्री पीयूष
तोपदार, श्री तरित बरण
त्यागी, श्री के. सी.
थापा, श्री नन्दू
दण्डवते, प्रो. मधु
दत्त, श्री अमल
दास श्री अनादिचरण
दासगुप्त, डा. बिप्लव
देशमुख, श्री सुदाम दत्तात्रेय
नीतिश कुमार, श्री
नेगी, श्री सी. एम.
पंवार, श्री हरपाल सिंह
पचेरवाल, श्री गोपाल
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, श्री राम पूजन
परस्ते, श्री दलपत सिंह
पाणि, श्री रवि नारायण
पाल, श्री एम. एम.
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री आर. एस.

प्रेम प्रदीप, श्री
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फर्नान्डीज, श्री जौस
बनातवाला, श्री जी. एम.
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह
बर्मन, श्री पलास
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बानखेले, श्री किशनराव बाबूराव
बाला, डा. असीम
बेग, श्री युसुफ
बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको
भट्टाचार्य, श्री नानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भागेय गोबर्धन, श्री
भारतीय, श्री सन्तोष
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
कक्कासर, श्री शोपत सिंह
मल्टोष, श्री पाल आर.
मलिक श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री सत्यपाल
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाता, श्री चित
महाले, श्री हरि शंकर
मायकर, श्री गोपालराव
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुंजारे, श्री कंकर
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
यादव, डा. एस. पी.
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री मित्रसेन
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव. श्री राम शरण
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
यादव, श्री सूर्य नारायण
रशीद मसूद, श्री
राउतराय, श्री नीलमणि
राजू, श्री एस. विजय राम
राम अवध, श्री
राम धन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सिंह, श्री
राय, श्री ए. के.
राय, श्री एम. रमन्ना
राय, श्री लालबाबू
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री के. राम मोहन
लोधी, श्री गंगा चरण
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्री शिवशरण
विजयराघवन, श्री ए.
सकीलुर्रहमान, डा.
शास्त्री, श्री अनिल
शुक्ल, श्री विद्याचरण
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद
समद, श्री अब्दुल
सरवर हुसैन, श्री
सान्याल, श्री माणिक
सिंह, श्री अजय
सिंह, श्री तेज नारायण
सिंह, श्री मानधाता
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री विश्वेन्द्र
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सिंह, श्री हर गोविन्द
सिंह, श्री हरि किशोर
सुर, श्री मनोरंजन
सेल्वारासु, श्री एम.
सोरेन, श्री शिबू
हंसदा, श्री मतिलाल
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरीश पाल, श्री
हर्षवर्धन, श्री
हीरा भाई, श्री
होटा, श्री भवानी शंकर

मत विभाजन संख्या	विपक्ष में	समय
अकबर, श्री एम. जे.		अग्रवाल, श्री छविराम
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र		अवैद्य नाथ, महन्त
अग्रवाल, श्री जे. पी.		अशोकराज, श्री ए.
अडईकलराज, श्री एल.		अहमद, श्री कमालुद्दीन
अतिन्दर पाल सिंघ, स.		अहेर, डा. दौलतराव सोनूजी
अतीतन, श्री धनुषकोडी आर.		आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
अन्तुले, श्री ए. आर.		उमा भारती, कुमारी
अन्बारासु, इरा, श्री		उरांव, श्रीमती सुमति
अम्बरी, श्री लेइता		एन्टनी, श्री पी. ए.
अरुणाचलम, श्री एम.		ओडेयर, श्री चनैया

कटारिया, श्री गुलाब चन्द
कमल नाथ, श्री
करेददुला, कुमारी कमलाजी
कांबले श्री अरविन्द तुलसीराम
कापसे, प्रो. राम गणेश
कामसन, प्रो. मिजिनलंग
कालका दास, श्री
कालवी, श्री कल्याण सिंह
कालीमुथु, डा. के.
काले, श्री सुखदेव नन्दाजी
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुप्पुस्वामी, श्री सी. के.
कुमारमंगलम, श्री पी. आर.
कुरियन, प्रो. पी. जे.
कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह
कृष्ण, श्री जी.
कृष्ण, कुमार, श्री एस.
केशरी लाल, श्री
कोंतल, श्री राम कृष्ण
कोडिकुन्नील, श्री सुरेश
कौल, श्रीमती शीला
खनोरिया, श्री डी. डी.
खां, श्री जुल्फिकार अली
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गंगाधर, श्री एस.
गजपति, श्री गोपी नाथ
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी. एन.
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरियप्पा, श्री सी. पी. मुदाल
गुडादिन्नी, श्री बी. के.
गुप्त, श्री जनक राज
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह
गोखले, श्री विद्याधर
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडर, श्री ए. एस.
गौड़ा, श्री डी. एम. पुट्टे
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम.
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. बी.
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चांद राम, श्री
चाल्सं, श्री ए.
चिदम्बरम, श्री पी.
चिन्ता मोहन, डा.
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री ईश्वर

चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खां
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री दसई
चौधरी, श्री राम प्रसाद
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौहान, श्री प्रभातसिंह
जग पाल सिंह, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जनार्दनन, श्री कादम्बुर एम. आर.
जमुना, श्रीमती जे.
जय प्रकाश, श्री
जयमोहन, श्री ए.
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशम लाल
जाटव, श्री थान सिंह
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जाशली, डा. बासवराज
जीवरत्नम, श्री आर.
जू देव, श्री दलीप सिंह
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झिकराम, श्री मोहनलाल
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन.
डोरे श्री राजा अम्बान्ना, नायक
ढाकणे, श्री बबनराव
तम्बि दुरै, डा. श्री
तारवाला श्री अमृतलाल वल्लभदास
तिवारी, श्री जनार्दन
तिवारी, श्री बृज भूषण
थामस, प्रो. के. वी.
थामस, श्री पी. सी.
थुंगन, श्री पी. के.
थोरट, श्री एस. बी.
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री भक्त चरण
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देव बर्मन, श्री के. बी. के.
देव, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी.
देवी लाल, श्री
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
देशमुख, श्री चन्दूभाई
धनखड़, चौ. जगदीप
धूमाल, प्रो. प्रेम कुमार
नन्दी, श्री येल्लैया
नाईक श्री जी. देवराम
नाईक, श्री राम
नाथू सिंह, श्री
नायक, श्री नकुल

नायकर, श्री डी. के.
नारायणन, श्री के. आर.
नारायणन, श्री पी. जी.
निकाम, गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
पंडियन, श्री डी.
पटेल, डा. ए. के.
पटेल, श्री अर्जुन भाई
पटेल श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री नटुभाई एम.
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास
पटेल, श्री सोमाभाई
परांजपे, श्री बाबूराव
पलनीसामी, श्री के. सी.
पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटिल, श्री एस. टी.
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसंतराव
पाटिल, श्री बाबासाहिब विखे
पाटिल, श्री बासवराज
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, प्रो. यदुनाथ
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरुमान, डा. पी. वल्लल
पैंचालैया, श्री पी.
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के.
प्रभु, श्री आर.
प्रसाद, श्री आर. एस.
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फुंडकर, श्री माऊसाहेब पुंडलीक
फैलोरी, श्री एडुआर्डो
बंसी लाल, श्री
बसरामन, श्री एल.
बशीर, श्री टी.
बागा रेड्डी, श्री एम.
बाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बाल गौड, श्री टी.
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बासवराज, श्री जी. एस.
बीरेन्द्र सिंह, राव
बेंजामिन, श्री एस.
बेग, श्री आरिफ
बैस, श्री रमेश

बोपचे, डा. खुशाल परसराम
ब्रह्म दत्त, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच. के. एल.
भजन लाल, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मणवर, श्री बलवन्त
मनेम्मा, श्रीमती टी.
मरबनिआंग, श्री पीटन जॉ.
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार
महाजन, श्री वाई. एस.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाडीक, श्री वामनराव
महाबीर प्रसाद, श्री
महेश्वर सिंह, श्री
माडेगौडा, श्री जी.
माने श्री आर. एस.
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल
मीणा, डा. किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नन्दलाल
मुजाहिद, श्री बी. एम.
मुण्डा, श्री कडिया
मुथिया, श्री आर.
मुरलीधरण, श्री के.
मूर्ति, श्री एम. वी, चन्द्र शेखर
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण
मेघवाल, श्री कैलाश
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
मैथ्यू, श्री पलाई के. एम.
मोहम्मद, श्री इ. एस. एम. पाकीर
मोहम्मद शफी, श्री
याजदानी, डा. गुलाम
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री बालेश्वर
यादव, श्री रामजी लाल
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री
रंगा, प्रो. एन. जी.
राकेश, श्री आर. एन.
राघवजी, श्री
राजदेव सिंह, श्री
राजवीर सिंह, श्री

राजू, श्रीमती उमा गजपति
राजू, श्री एमएम. पल्लम
राजू, श्री एस. विजय राम
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेश्वरन, डा. वी.
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
राथवा, श्री एन. जे.
राठौड़, श्री उत्तम
राठौर, डा. भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम प्रकाश, चौ.
राम बाबू, श्री ए. जी. एस.
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
रामकृष्ण, श्री वाई.
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदास, डा. आर.
राममूर्ति, श्री के.
राय, श्री कल्प नाथ
राव, श्री आर. गुंडू
राव, श्री के. एस.
राव, श्री जे. चोका
राव, श्री जे. वेंगल
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
राव, श्री वी. कृष्ण
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, प्रो. रासा सिंह
रावत, श्री हरीश
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर. सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए. वेंकट
रेड्डी, श्री एम. जी.
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी. नरसा
रेड्डी, श्री बी. एन.
रेड्डी, श्री बोजा वेंकट
रेड्डी, श्री राजमोहन
रेड्डी, श्री वाई. एस. राजशेखर
लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री
वघेला, श्री शंकर सिंह
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, श्री एस. सी.
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री फूलचन्द
वर्मा, श्री बी. राजरवि
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज
विश्वनाथम, डा.
वेंकटस्वामी, श्री जी.
वेंकटेशन, श्री पी. आर. एस.
शंकरलाल, श्री
शंकरानन्द, श्री बी.
शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, डा. महादीपक सिंह
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री कपिल देव
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
शिंगडा, श्री डी. बी.
शिवनकर, प्रो. महादेव
शेखड़ा, श्री गोबिन्दभाई कानजीभाई
शेखर, श्री एम. जी.
श्रीनिवासन, श्री सी.
श्रीवास्तव, डा. शैलेन्द्रनाथ
षण्मुखम, श्री पी.
सईद, श्री पी. एम.
सरताज सिंह, श्री
सहाय, श्री सुबोध कान्त
साठे, श्री वसंत
सादुल, श्री धर्मन्ना मोण्डय्या
साय, श्री ए. प्रताप
साय, श्री ए. लरंग
साय, श्री नन्द कुमार
सारण, श्री दौलत राम
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या
सिंगरावडीवेल, श्री एस.
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री आनन्द
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, प्रो. एन. तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री धर्मगज
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, राम बहादुर
सिंह, श्री रामदास
सिंह, श्री लोकेन्द्र
सिंह, श्री सुरेन्द्र
सिंह देव, श्री ए. एन.
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिलवेरा, डा. सी.
सुंदरराज, श्री एन.
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुशील दल, श्री
सुमन, श्री रामजी लाल
सुम्बरुई, श्री बागुन
सुल्तानपुरी, श्री के. डी.
सूबेदार, श्री
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव
सेमा, श्री चिकिहो
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर
सैनी, श्री गुरदयाल सिंह

सोज, प्रो. सैफुद्दीन
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हान्डू, श्री प्यारे लाल
हेत राम, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 142

विपक्ष में : 386

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

10.20 म.प.

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज वाद-विवाद जिस व्यवस्थित ढंग से हुआ है, उसके लिए सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। वाद-विवाद का स्तर वास्तव में अत्यन्त उच्च था। विचारों, दृष्टिकोण तथा तरीके में मतभेद के बावजूद माननीय सदस्यों ने निःसंदेह राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है।

आज, देश अत्यधिक कठिन समय से गुजर रहा है। हमारे सामने अनेक समस्यायें हैं जिनका समाधान किया जाना जरूरी है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी चुनौतियों का मुकाबला करने और देश को मजबूत तथा समृद्ध बनाने के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए सारा देश एक जुट हो।

माननीय सदस्यगण, मुझे विश्वास है कि मेरे साथ यह सभा सभी वर्गों से यह अपील करने में सहयोग करेगी कि वे शान्ति तथा सदभाव बनाये रखें तथा आपसी विश्वास को बढ़ावा दें और उज्ज्वल तथा खुशहाल भारत के लिए एक सम्पूर्ण क्रांति लाने के संकल्प के साथ एकजुट होकर अपना संघर्ष जारी रखें। इस महान सभा के लिए जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते हमें अपने सभी मतभेदों को भुलाकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में एकनिष्ठ होकर कार्य करना चाहिए।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में। सर्वश्री सरजू प्रसाद सरोज, हरि केवल प्रसाद, प्रताप सिंह, अनवार अहमद, कृपाल सिंह, डा. सुधीर राय, सर्वश्री इब्राहीम सुलेमान सेठ, सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी तथा साइमन मरांडी।

विपक्ष में : सर्वश्री मनुभाई कोटाड़िया, बेगा राम, गुमान मल लोढा, प्यारेलाल खंडेलवाल, हरमोहन धवन, डा. देवी प्रसाद पाल, सर्व श्री एच.सी. श्रीकांतय्या, सनफोर्ड मारक, मानकूराम सोढ़ी तथा यशवन्तराव पाटिल।

विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए हमारे लाखों देशवासियों ने जो तकलीफें सही तथा कुर्बानियां दी, उनको हमें याद रखते हुए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारे देश की आजादी और प्रतिष्ठा पर आंच लाये। इस प्रकार ही हम इन शहीदों के प्रति अपना ऋण चुका सकते हैं तथा राष्ट्रपिता के सपने को पूरा कर सकते हैं।

सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

1.25 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई.

———

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एसप्लेनेड रोड, दिल्ली-6।